Wednesday, 02 March, 1983

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)



(खंड 34 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 9, बुधवार, 2 मार्च, 1983/11 फाल्गुन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यो द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 148, 150, 151, 155, 156, 160, 161	2-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21-200
तारांकित प्रश्न संख्या : 143 से 147, 149, 152 से 154, 157 से 159 और 162	21-27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1621 से 1629, 1631 से 1568, 1660 से 1662 और 1664 से 1851	28-200
सभा पटल पर रखे गये पत्र	201
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	206
54वां प्रतिवेदन	206
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति पांचवा प्रतिवेदन	206
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना	206-234
भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का सरकार का कथित आदेश	206
श्री सोमनाथ चटर्जी	206
श्री जनार्दन पुजारी	214
श्री सुनील मैत्रा	215
प्रो रूपचन्द पाल	228
श्री अमल दत्त	231
नियम 377 के अधीन मामले	234-239
(एक) राजस्थान में लिग्नाइट निक्षेपों का उपयोग	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	234
(दो) शिक्षा संस्थानों में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, प्रवेश हेतु छात्रों के चयन में व्याप्त कदाचार	
डा० वी० कुलनदईवेलु	235
(तीन) कर्नाटक के बीदर जिले में लघु उद्योगों की आवश्यकता	
श्री नरसिंह सूर्यवंशी	235
(चार) हथकरघा बुनकरों की समस्याएं	

* किसी नाम पर अंकित— चिन्ह* इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री हरिकेश बहादुर	236
(पांच) बिहार राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु बिहार राज्य को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता श्री रामस्वरूप राम	236
(छः) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक को वर्तमान सत्र में पुनः पुरः स्थापित करने तथा पास करने की आवश्यकता श्री दिगम्बर सिंह	237
(सात) समुद्र तटों पर मछुआरों की सुरक्षा के उपाय श्री रवीन्द्र वर्मा	238
(आठ) जे० के० सिनथेटिक्स, कोटा (राजस्थान) के मजदूरों की छटनी से उत्पन्न स्थिति श्री कृष्ण कुमार गोयल	238
रेल बजट, 1983-84—सामान्य चर्चा	239
प्रो० नारायण चन्द पराशर	239
श्री शिव प्रसाद साहू	243
श्री जगपाल सिंह	246
श्री कमल नाथ	248
श्री सूर्य नारायण सिंह	256
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे	259
श्री टी० नागरत्नम	262
श्री महावीर प्रसाद	269
श्री शांतुभाई पटेल	271
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	272

लोक सभा

बुधवार, 2 मार्च, 1983 11 फाल्गुन, 1904 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठा ा हुए)

अध्यक्ष महोदय : आज क्या बात है, छुट्टी है ?

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की :

श्री वीरेन सिंह एंगटी [स्वायत शासी जिला (अनु० जन० जाति) असम]

श्री भुवनेश्वर भूयन (गोहाटी-असम)

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर-असम)

श्री तरुण गोगोई (जोरहाट-असम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 144···श्री सूर्यनारायण सिंह

श्री नारायण चौबे : उपस्थित नहीं हैं ।

प्रश्न 145—श्री जी० वाई० कृष्णन—उपस्थित नहीं हैं ।

यह कैसा आरम्भ है !

प्रश्न 146—श्री राम प्रसाद अहिरवार···श्री सूरज भान ।

उपस्थित नहीं हैं ।

क्या मैं अब कुछ कह सकता हूं ?

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन नम्बर 146 बड़ा इम्पार्टेन्ट है । अनुसूचित जाति के लोग आंध्र प्रदेश में तेलगू देशम सरकार से बड़े भयभीत हैं, उनको वहां पर सताया जा रहा है । इस सम्बन्ध में आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : राम साहब, कुछ नहीं हो सकता है । मैं कुछ नहीं कर सकता ।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, तेलगू देशम की सरकार के बारे में वहां के हरिजनों में काफी आतंक

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों को पढ़ लीजिए, नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना मतलब किसी चीज का क्या फायदा । आप नियमों के बारे में जानते हैं और फिर भी उनका उल्लंघन करना चाहते हैं । यह क्या बात हुई ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्य नारायण सिंह, श्री नारायण चौबे, श्री जी० वाई० कृष्णन, श्री राम प्रसाद अहिरवार, श्री सूरज भान, श्री अन्नत रामुलु भालु अनुपस्थित हैं।

श्री जी० वाई० कृष्णन : महोदय, मेरा प्रश्न यहां है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न निकल गया है। आप विलम्ब से आये हैं। अब उसे नहीं पूछा जा सकता। अब वह दूसरी पारी में आयेगा। आपकी बारी निकल गई है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

स्कूटरों के बुकिंग के लिए अग्रिम जमा

*148. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ दुपहिया स्कूटर निर्माता अपने बिक्री एजेंटों के माध्यम से लोगों से एक दुपहिया स्कूटर की बुकिंग की अग्रिम धनराशि के रूप में पांच सौ रुपए ले रहे हैं;

(ख) क्या इस प्रकार लोगों से बाजार दर की तुलना में कम ब्याज दर पर रुपया इक्ट्ठा किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी ताकि इस प्रकार इक्ट्ठा किया गया धन डाकघर बचत बैंकों में जमा किया जाए, जैसा कि कुछ समय पहले किया जाता था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ निर्माता इच्छुक ग्राहकों से स्कूटरों की बुकिंग के लिए अग्रिम राशियां ले रहे हैं।

(ख) तथा (ग) यद्यपि निर्माताओं द्वारा जमाराशियों पर दिया गया ब्याज उस दर से कम है जिस पर उद्योग को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है लेकिन यह डाकघर बचत बैंक में ग्राहक को मिलने वाली दर से अधिक बताया जाता है। दो पहिए वाले स्कूटरों के निर्माताओं सहित निर्माताओं द्वारा इच्छुक ग्राहकों से अग्रिम जमाराशियां लेना सामान्य वाणिज्यिक पद्धति का अंग है। इस प्रकार की जमा राशियों से कम्पनी जमा नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।

श्री अशफाक हुसैन : मैं यह जानना चाहता हूं कि स्कूटर का अनुमानित विक्रय मूल्य कितना होगा ? महोदय, वे अनुमानित मूल्य बताए बिना ही स्कूटरों का बुकिंग कर रहे हैं ? मैं साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि वे किस उपबन्ध के अन्तर्गत 5 रुपए प्रत्येक आवेदन पत्र की फीस के रूप में ले रहे हैं जबकि यहधनराशि वापस देय नहीं है ?

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, यह बताना सम्भव नहीं है कि स्कूटर का अन्ततः मूल्य क्या होगा ? आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अशफाक हुसैन : मेरा प्रश्न यह है–कि वे 5 रुपए आवेदन पत्र फीस ले रहे हैं जोकि वापस देय नहीं है। वे किस उपबन्ध के अन्तर्गत ऐसा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : पांच रुपए सिर्फ फार्म के चार्ज करते हैं, यह तो अन्याय है, इसको तो काबू करिए।

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, मैंने अभी यह कहा है कि यह एक ऐसा कदम है जोकि कम्पनियां अपनी वाणिज्यिक पद्धति के रूप में उठाती हैं। चूंकि इस मामले को इस सदन में उठाया गया है और इस मामले को सदन के बाहर भी उठाया गया है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अशफाक हुसैन : महोदय, लोहिया मशीन्स के बारे में मेरी सूचना सामान्य नहीं है बल्कि इस सूचना को उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिया गया है कि उन्होंने अभी अपना भवन नहीं बनाया है और वे उस प्रस्तावित भवन पर जून, 1983 तक मशीनें लगाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जनता को 1983, जिस तक का उन्होंने वायदा किया है, वे किस प्रकार स्कूटरों की पूर्ति करेंगे ?

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लोहिया मशीन्स ने अपना कारखाना लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। एक कदम यह है कि परियोजना के लिए भूमि खरीद ली गई है और उसका नक्शा तैयार हो गया है। उत्पादन के पहले चरण के लिए आवश्यक लगभग सभी मशीनों एवं उपकरणों को चुन लिया गया है और उनकी सप्लाई के लिए ठेका दे दिया गया है। ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयतित डाइयों, जिग्स, टूल्स एवं फिक्चरों के लिए विदेशी सप्लायर्स को आदेश दे दिए गए हैं। जानकारी फीस की पहली किश्त भेज दी गई है और सभी प्रमुख नक्शे प्राप्त हो गए हैं और विक्रेताओं के बारे में अर्थात विक्रेताओं के चुनाव के बारे में कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इसके लिए बातचीत चल रही है।

अतः आप देखेंगे कि पहले कदमों में से कई कदमों के बारे में कार्यवाही पूरी हो चुकी है। हमें आशा है कि उठाए गए कदमों की दृष्टि से यह कम्पनी उनके द्वारा बताई गई अवधि में स्कूटरों का निर्माण आरम्भ कर सकेगी।

श्री एस० सत्यनारायण राव : मैं जानता हूं कि इस देश में स्कूटरों की बहुत मांग है। और इस मांग को ध्यान में रख कर अनेक लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे जाली कम्पनियां हैं। अभी हाल में मेरे मित्र ने लोहिया मशीन्स का उल्लेख किया है। उन्होंने न तो अभी मशीन लगाई है और न ही कुछ और किया है। अभी तक हमें यह सूचना मिली है कि उन्होंने इस स्कूटर के नाम पर करोड़ों रुपए इक्ट्ठे कर लिए हैं। उन्होंने न केवल एक आवेदन पत्र पर 5 रुपए की दर से धनराशि एकत्रित की है बल्कि उन्होंने उन लोगों को 500 रुपए जमा करवाने के लिए कहा है। इस प्रकार हमारी सूचना के अनुसार उन्होंने करोड़ों रुपए एकत्रित कर लिए हैं। किन्तु उन्होंने अभी कार्य आरम्भ नहीं किया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है। यदि हो, तो क्या वे मामले की जांच नहीं करेंगे ? वे ऐसे जाली लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री वीरभद्र सिंह : सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार लोहिया मशीन्स को अभी तक 90 करोड़ रुपए जमा राशि के रूप में प्राप्त हुए है । (**व्यवधान**)

श्री एम० सत्यनारायण राव : इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री वीरभद्र सिंह : जमा राशि लेना अब एक स्थापित वाणिज्यिक पद्धति बन चुकी है और इससे कंपनी (निक्षेप स्वीकृति) नियम, 1975 के किसी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि न केवल लोहिया मशीन्स बल्कि अन्य कम्पनियां भी चाहें वह स्कूटरों का निर्माण कर रही हों अथवा वाणिज्यिक वाहनों का इन निक्षेपों को स्वीकार कर रही हैं। (**व्यवधान**) । इसे अब सामान्य वाणिज्यिक पद्धति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है । (**व्यवधान**)

श्री एम० सत्यनारायण राव : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । उन्होंने 90 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं और अभी तक कोई कार्य नहीं हो सका है ।

श्री वीरभद्र सिंह : एकत्रित की गई धनराशि से उनकी कार्य चालन पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री रामामूर्ति ।

श्री के० रामामूर्ति : यह समाज के साथ धोखाधड़ी ही है (**व्यवधान**) लोहिया मशीन्स ने अपनी, योजना, पूंजीगत परिव्यय तथा कार्यचालन पूंजी कार्यक्रम तथा अन्य ब्यौरा प्रस्तुत किया है । अभी तक उन्होंने भवन का निर्माण नहीं किया है और उत्पादन आरम्भ नहीं किया है । यदि 90 करोड़ रुपयों से वे कार्यचालन पूंजी अथवा पूंजी परिव्यय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो यह बड़े आश्चर्य की बात है ! कि हमारे वित्त मन्त्री तथा अन्य इस मामले के बारे में सो रहे हैं । इस तथ्य की दृष्टि से क्या मन्त्री महोदय उन लोगों को निर्देश देंगे कि वे लोगों को पैसा वापस कर दें और यह सुनिश्चित करें कि वे आने वाले वर्षों में उनके उत्पादन के अनुपात में ही पैसा लें ?

एक माननीय सदस्य : यह एक दम घोटाला है ।

उद्योग मन्त्री) श्री नारायण दत्त तिवारी) : जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने अभी कहा है कि अब तक निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा जमाराशि लेना और इन्हें या तो डाकघर बचत बैंक लेखे अथवा कम्पनी जमा अथवा बैंकों के लेखों के माध्यम से स्वीकार करना स्थापित वाणिज्यिक प्रथा बन चुकी है (**व्यवधान**) किन्तु मेरे विचार से भविष्य में इन सबको नियमित करने की आवश्यकता है । अतः मैं यह करूंगा, मैं कम्पनी कार्य विभाग, भारी उद्योग विभाग एवं वित्त विभाग के अधिकारियों की एक समिति बनाऊंगा ताकि यह उसकी जांच कर सके और यदि सम्भव हो तो नियम निर्धारित करे और भविष्य में क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए सुझाव दें । (**व्यवधान**)

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, लोहिया मशीन्स ने 500 रुपए के हिसाब से 90 करोड़ रुपया जमा किया है। जिन लोगों ने इसके लिए रुपया देकर नाम रजिस्टर कराया है, उनका नम्बर 50-60 साल में आने वाला है। अभी उनका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है जबकि उनका कहना है कि वे हर साल 1 लाख स्कूटर देने वाले हैं। 50 साल तक लोगों को तकलीफ होने वाली है। यह 90 करोड़ रुपया उन्होंने कैसे लिया जबकि उनकी कैपेसिटी इतने स्कूटर बनाने की नहीं थी और यह उनकी कैपेसिटी से बाहर था।

अध्यक्ष महोदय : उनका आगे का भी एड्रेस ले लिया जाए, ताकि रुपया वापस कर सकें।

श्री विलास मुत्तेमवार : जो लोग अभी डिमान्ड कर रहे हैं कि वे पैसा वापस करें, तो क्या उद्योग मन्त्रालय उनको यह हिदायत देगा कि वह पैसा लोगों का वापस करें। क्या 90 करोड़ रुपया जो इन्होंने जमा किया है, उसको आप अपनी पंचवर्षीय योजना में काम में लायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं सम्मानित युवा सदस्य और सदन की भावना का आदर करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : टाइम-बाऊन्ड करवा दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जैसा कि मैंने कहा है कि यह पद्धति पहले से चली आ रही है और बजाज स्कूटर्स ने भी जमा करवाया है और टेलको तथा अन्य कम्पनियों ने भी समय-समय पर रुपया जमा करवाया है। इसलिए इस प्रकार के जो एडवरटाइजमेंट निकलते रहते हैं, उनसे यह अन्दाजा लगता है कि 2-व्हीलर के लिए कितना अच्छा भविष्य है और जैसा आन्ध्र के माननीय सदस्य श्री राव ने कहा कि अब भारत 2-व्हीलर की एज में आ रहा है और इनकी डिमांड बढ़ रही है। इसलिए जो भी अच्छे ब्रांड के नाम को लेकर एडवरटाइजमेंट निकालता है, उसको रुपया मिल जाता है। भविष्य में किस प्रकार से रुपया जमा किया जाएगा, इस चीज को समिति देखेगी।

हिमाचल प्रदेश में वन रोपण और वन रक्षण योजनाएं

*150. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार से गत तीन वर्षों में कितनी वन रोपण और वन रक्षण योजनाएं प्राप्त हुई हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार से धनराशि मांगी गई है; और

(ख) कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) केवल एक परियोजना जो कि 'हिमालय एकीकृत जलसंभर पुनर्स्थापन' और सिरमोर जिले में गिरी जलाशय के विकास' से सम्बन्धित है। अन्य राज्यों की परियोजनाओं के साथ यह भी विश्व बैंक को सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है।

(ख) इस अवस्था में धनराशि की मंजूरी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है, उससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने कोई योजना रिजर्व बैंक को भेजी है लेकिन उसमें पैसे के बारे में नहीं लिखा है कि कितनी धनराशि इसके लिए होगी । प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी स्कीमें थीं । क्या एक ही स्कीम वृक्षारोपण के लिए भारत सरकार के पास आई है या अन्य स्कीमें भी प्लानिंग कमीशन के पास आई हैं, जिनसे हिमाचल प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा सके । यह सभी जानते हैं कि वृक्ष राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है । मैं यह बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्रों की तलहटी में, मैदानों में जो डैम बनाए हुए हैं और वहां पर कहीं बिजली लाइनों की वजह से और कहीं सड़कें बनाने की वजह से जो कटाव हो रहा है और वृक्ष काटे गए हैं, उनसे भी नुकसान हुआ है । अब पाजीशन यह है कि हिमाचल प्रदेश में नदियों और सड़कों की वजह से बहुत कटाव हो रहा है और मन्त्री जी इससे अवगत होंगे । मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे वहाँ पर वृक्षारोपण के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को ज्यादा से ज्यादा धन देने का प्रावधान करेंगे ?

श्री एस० बी० चह्वाण : जो जानकारी दी गई है वह वर्ल्ड बैंक को एक प्रोजेक्ट के लिए जो एप्रोच किया है, उसके बारे में है । इसके अलावा 7 स्कीमें हिमाचल प्रदेश के अन्दर इम्पलीमेंट हो रही हैं, जिनमें से सोशल फोरेस्टरी की 4 हैं और प्लान्टेशन की 3 हैं । ये सब सेन्ट्रली स्पोंसर्ड स्कीमें हैं, जो 50 : 50 बेसिस पर हैं या उससे ज्यादा पर हैं । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि एक ही स्कीम है, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने प्लानिंग कमीशन को भेजी है और उस स्कीम को चलाने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक को एप्रोच किया है । अब वर्ल्ड बैंक से उसका एप्रेजल होगा कि कितनी धनराशि वे देंगे और इसके बाद ही इसका फैसला होगा ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैंने यह पूछा था कि कितना अनुमानित खर्च इसमें आएगा । आपने बताया है कि एक टीम भेजी है । मैं जानना चाहूंगा कि कितना रकबा वृक्षारोपण में आएगा और उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी । आपने 4 स्कीमों का ब्यौरा दिया है । वहां पर एक स्कीम और चल रही है । उसके लिए कितनी धनराशि आपने दी है और जो दूसरी स्कीमें चल रही हैं, उनको इम्पलीमेंट करने के लिए कितनी-कितनी धनराशि आपने दी है ।

इसके साथ ही साथ यह भी जानना चाहूंगा कि जो वृक्ष काटे गए हैं, उनकी जगह पर दूसरे वृक्ष लगाने के लिए आपके पास कोई स्कीम है या नहीं ?

श्री एस० बी० चह्वाण : अध्यक्ष महोदय, जो स्कीम वर्ल्ड बैंक को दी गई है उसकी एस्टीमेटिड कास्ट बीस करोड़ रुपया है । वर्ल्ड बैंक जितने कम्पोनेंट्स के लिए फाइनेंस करने को राजी होता है, उसी पर हिमाचल प्रदेश द्वारा मांगी गई धनराशि की मंजूरी मुनस्सिर करती है । सोशल फोरेस्ट्री के नाम से जो स्कीमें चल रही हैं, उनके सम्बन्ध में 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के जो फिगर्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो उन सब का ब्यौरा मैं दे सकता हूं ।

आदिवासी उप-योजना सम्बन्धी धारणा

*151. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **गृह मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी उप-योजना धारणा की सही व्याख्या और आशय राज्य योजना और केन्द्रीय मन्त्रालयों को योजना के अन्तर्गत योजना बनाना है;

(ख) यदि हां, तो राज्य योजना में उप-योजना को तैयार करने और पंचवर्षीय योजनाओं को वार्षिक योजनाओं में राज्यों के विभिन्न विकास विभागों द्वारा धनराशि के आवंटन हेतु राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा क्या नीति और प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) केवल आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में खर्च करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को धन देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को वार्षिक योजनाओं में केन्द्रीय विभागों और मन्त्रालयों ने अपने मन्त्रालयों और विभागों से आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए धन निर्धारित करने हेतु क्या नीति और प्रक्रिया अपनाई है; और

(घ) क्या राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों की नीति और प्रक्रिया को अभी उप-योजना सम्बन्धी धारणा के अनुसार बनाया जाना है; यदि हाँ, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के विकास विभागों से कहा गया है कि वे अपने बजटों में अपनी विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों से आदिवासी उप-योजना के के लिए साधन निर्धारित करे और अनुसूचित जन जातियों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनायें । आदिवासी विकास विभाग या कुछ अन्य राज्यों में समाज कल्याण विभाग जो भी हो नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है और विभिन्न विभागों की योजनाओं को आदिवासी उप-योजना में समाकलित करता है । जहां तक धनराशि के आवंटन का प्रश्न है, यह सम्बन्धित विभागों द्वारा (क) आदिवासी उप-योजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या, (ख) आदिवासी उप-योजना के भौगोलिक क्षेत्र, (ग) विकास के तुलनात्मक स्तर और (घ) समाज सेवाओं की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है ।

(ग) केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों के लिए आदिवासी उप-योजना के लिए अपनी वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं से धनराशि की मात्रा निर्धारित करना, उपयुक्त कार्यक्रम बनाना, चल रहे कार्यक्रमों को उपयुक्त रूप से अनुकूल करना और उक्त प्रयोजनों के लिए अलग बजट उप-शीर्ष के

अन्तर्गत निर्धारित किये गये प्रावधान दिखाना आवश्यक है । अधिकतर केन्द्रीय मन्त्रालय राज्यों को एक मुश्त धन राशि देते हैं और राज्य सरकारें ऐसी धनराशि को आदिवासी उप-योजना और अन्य क्षेत्रों के बीच विभाजित करता है । अधिकाँश राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने बजट उप-शीर्ष खोले हैं अथवा इसी तरह की बजट क्रिया विधियां अपनाई हैं ताकि आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में निर्धारित प्रावधान का व्यय सुनिश्चित किया जा सके ।

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने आदिवासी उप-योजनाएं बनाने में नीति तथा प्रक्रिया अपनाई है । कई केन्द्रीय मन्त्रालयों विभागों ने भी ऐसी नीति तथा प्रक्रिया अपनाई है, अन्य द्वारा इसके शीघ्र अपनाये जाने की सम्भावना है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह पर्याप्त नहीं है । जब यह आदिवासी उपयोजना सम्बन्धी धारणा शुरू हुई थी तो राज्यों को 180 परियोजनायें शुरू करनी थीं लेकिन उन्होंने केवल 125 परियोजनायें प्रस्तुत कीं और अन्य योजनाओं के बारे में यह प्रस्ताव किया गया कि आदिवासियों के लिए 52 और योजनायें तैयार की जायें लेकिन अभी तक केवल 25 योजनायें ही शुरू की गयीं । केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा विभागों को भारत सरकार की मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राशि निर्धारित करनी पड़ेगी । अभी तक केवल छः अथवा सात मन्त्रालयों ने इस योजना में भाग लिया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जानता चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय ने राज्यों को कहा है या संविधान के अनुच्छेद 339 (2) तथा 275 (1) के अन्तर्गत निदेश जारी किये हैं कि राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय मन्त्रालय से राशि निर्धारित की जाये ।

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसे कि हम सब को अच्छी तरह से मालूम है कि इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग समाज का सबसे कमजोर वर्ग है । अतः केन्द्रीय सरकार इन लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान करने के लिए विशेष ध्यान दे रही है । इसी कारण यदि आप कुछ बातों को देखें तो आप इस बात को मानेंगे कि पांचवी पच वर्षीय योजना के दौरान 16 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के 65 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आदिवासी उप योजना लागू की गयी थी । बाद में, सिक्किम भी शामिल किया गया । सब मिलाकर 17 राज्यों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई थी । छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान देश की 75 प्रतिशत आदिवासी जन संख्या पर यह योजना लागू थी । पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की थी । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 4000 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की जायेगी । इस बात का ध्यान रखने के लिए हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों की सहायता की जाए । सारे राज्य इस बारे में कदम उठा रहे हैं और इस पर पर्याप्त राशि व्यय की जा रही है ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों की राशि की मात्रा पर्याप्त है और छठी योजना

के दौरान राज्य योजनाओं से आदिवासी उपयोजना के लिए 3504 करोड़ रुपए की राशि आने का अनुमान है और इसमें केन्द्र सरकार वृद्धि कर रही है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं जानना चाहता था कि क्या मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई निदेश दिए हैं । आदिवासी उपयोंजना के उद्देश्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों का शीघ्र सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए दूसरी बात यह है कि राज्यों के लिए राशि निर्धारित करना तथा प्रशासन को सुचारू बनाना था । राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को निदेश देने, आदिवासी उपयोजना उद्देश्य के अनुसार प्रशासन को सुचारू बनाने, पांचवी योजना तथा छठी योजना की वार्षिक योजना के दौरान सभी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, क्या कदम उठाए गए हैं ? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : मेरे माननीय मित्र ने आदिवासी विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी कमजोरियों के बारे में जो कुछ कहा है । वह ठीक ही है । हम प्रशासनिक ढांचे तथा अन्य बातों को सुचारू बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं । आदिवासी उपयोजना का अपर्याप्त प्रशासनिक ढांचा कार्यक्रम को देरी से कार्यान्वित करने का एक कारण है। हम इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे लोग इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए वचनबद्ध हैं, उन्हें इन क्षेत्रों में नियुक्त किया जाए । हमने इन लोगों के लिए अधिक मकान बनाने तथा अधिक सुविधायें प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को राशि भी आवंटित की है । कार्यक्रम पर निगरानी रखने के बारे में हम ध्यान दे रहे हैं ।

श्री एन० जी० रंगा : सरकार इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठा रही है कि कारगर निगरानी हो । क्या इस बात की निगरानी की गयी है कि केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राशि का उचित उपयोग हो ? उन लोगों ने क्या सिफारिशें कीं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने यह देखने के लिए विभिन्न राज्यों को भेजा कि राशि का उचित उपयोग हो ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हम इस बारे में लगातार प्रयत्न कर रहे हैं । विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जाती है । मन्त्रालय के लोगों तथा मैंने स्वयं राज्यों के दौरे वहां के लोगों के विचार जानने के लिए गए हैं । जहां कहीं भी कठिनाईयां हों, हम उन पर काबू पाने की कोशिश यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों पर हो ।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने 1980 में राज्य सरकारों को लिखा था । इसके बाद योंजना आयोग ने भी लिखा था । गृह मन्त्रालय ने भी कई बार राज्य सरकारों को लिखा है । प्रधान मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों को विशेष योजनाओं के लिए जो इन क्षेत्रों के लिए बनी हैं, राशि आवंटित करने के लिए भी पत्र लिखे हैं ।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी के बार-बार लिखने के बावजूद, गृह मन्त्रालय के बार-बार निर्देशों के बावजूद और आजादी के 35 साल के बाद भी हरिजन

और आदिवासियों की समस्या ज्यों की त्यों है। इस कारण से उनके अन्दर बहुत आक्रोश है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या सरकार गृह मन्त्रालय में हरिजन और आदिवासियों के लिए अलग विभाग खोलेंगी ताकि उसकी देखरेख में उनकी उन्नति हो सके। अगर सरकार का ऐसा विचार है तो कब तक यह व्यवस्था करने जा रहे हैं और अगर नहीं तों क्यों ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जहां तक पृथक विभाग का सम्बन्ध है, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम विल स पासवान : पिछले पांच साल से एक्टिव कंसीडरेशन में है। सेठी साहब यहां पर हैं, प्रधान मन्त्री जी हैं, पांच साल से यह एक्टिव कंसीडरेशन में है। मैं जानना चाहती हूं कि कब तक एक्टिव कंसीडरेशन में रहेगा। उनके लिए काम कुछ नहीं हो रहा है, ढिंढोरा बहुत पीटा जा रहा है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह करने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पहली बात तो यह है कि 5 साल हमें हुए ही नहीं हैं। दूसर बात जहां तक एक्टिव कंसीडरेशन का सवाल है, एक्टिव कंसीडरेशन में यह मामला अभी लिया गया है। यह कहना कि इस सिलसिले में कोई काम नहीं हुआ है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 65 परसेंट पापूलेशन कवर हो चुकी थी। अब इसको और बढ़ाया गया है। और करीब-करीब 7-8 लाख से ज्यादा फैमलीज को इसका लाभ मिल चुका है और उनको पावर्टी लाइन से ऊपर उठाया गया है।

श्री रामविलास पासवान : मेरा प्रश्न गृह मन्त्रालय में एक पृथक विभाग के बारे में था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे सहयोगी इस बात का उत्तर दे चुके हैं कि यह प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

श्री आनादि चरण दास : आदिवासी उपयोंजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय देश में आदिवासी लोगों के विकास पर 19 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करके पर्याप्त राशि व्यय कर रहा है। इस सम्बन्ध में यह कहना जरूरी है कि मन्त्रालय प्राचीन आदिवासी समूहों तथा एम० ए० डी० ए क्षेत्रों में रहने वाले शेष आदिवासियों के विकास हेतु पृथकतः राशि की व्यवस्था करता है। इस सम्बन्ध में, मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन योजनायें चलायी जा रही हैं और मन्त्रालय उन आदिवासियों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था कर रही है जो उपयोजना क्षेत्र तथा एम० ए० डी० ए० क्षेत्र से बाहर है ? अन्य क्षेत्रों में उनके लिए कौन कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं पहले ही प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। पांचवी योजना में केवल 1000 करोड़ रुपए लगाए गए। छठी योजना के दौरान पूंजीनिवेश की राशि के 4000 करोड़ रुपये से 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ने की सम्भावना थी। राज्य योजनाओं से 3500 करोड़ रुपये आये हैं। गृह मंत्रालय से विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 470 करोड़ रुपये, केन्द्रीय मंत्रालयों

से 500 करोड़ रुपये तथा संस्थागत वित्त 550 करोड़ रुपये का है । अत: हम इस प्रयोजन के लिए इतनी राशि प्राप्त करने की सम्भावना रख रहे हैं ।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

* 155. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए एक मुश्त विशिस्ट प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए किन-किन जिलों को चुना गया है;

(ग) पिछड़े जिलों में औद्योगिक उद्यमियों की सहायता लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) सरकार बहुत से अभयुपायों पर विचार कर रही है । जब तक कि उपर्युक्त को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक इन ब्यौरों या इनके क्रियान्वयन के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जाना समय पूर्व होगा ।

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका संरक्षण चाहता हूं । उद्योग विभाग ने मेरे प्रश्न के प्रति अवमान प्रदर्शित किया है । उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने लखनऊ में अवध चैम्बर आफ कामर्स को संबोधित करते हुए उन कार्यक्रमों के विषय में बताया और उन्हें स्पष्ट किया जिन्हें वे बनाने जा रहे हैं उन्होंने उन प्रोत्साहनों का भी उल्लेख किया जिनके पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु दिए जाने का प्रस्ताव है । पिछली बार माननीय प्रधान मंत्री भी वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए यह बताया कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उनके दिमाग में क्या है । मेरा प्रश्न बहुत ही सुस्पष्ट था और उत्तर न केवल टालमटोल वाला है अपितु वह कोई उत्तर ही नहीं । प्रश्न यह था कि क्या उद्योगों का सन्तुलित विवरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी निवेश के लिए एक मुश्त विशिष्ट प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है । पहले जिन पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है उनके लिए योजना पहले से ही है । पहले कितने जिलों को पता लगाया गया है जो पिछड़े हैं ? उन पिछड़े क्षेत्रों में क्या उद्यमियों ने अपने उद्योग स्थापित किए हैं और यदि हां तो उनके क्या परिणाम निकले हैं । प्रधान मंत्री के अनुदेश अनुसार पह ले 87 ऐसे जिलों का पता लगाया जा चुका है जहां मध्यम अथवा बड़े पैमाने का कोई उद्योग नहीं है । उन क्षेत्रों की क्या भावी स्थिति है ? इस

सन्दर्भ में पहले उन्हें मेरे प्रारम्भिक प्रश्न का उत्तर देने दीजिए तत्पश्चात् मैं उनसे अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि हमने उनके अस्पष्ट होने के बारे में सोचा नहीं है। प्रश्न, पिछड़े क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित है। यह प्रश्न इस प्रकार है कि क्या कोई विशिष्ट प्रोत्साहन योजना तैयार की जा रही है। ये प्रोत्साहन विचाराधीन हैं। शिवरामन समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और इस पर अब मंत्रियों की एक समिति विचार कर रही है। मेरे विचार में हम विशिष्ट प्रोत्साहनों से सम्बन्धित शिवरामन समिति की सिफारिशों पर कुछ ही सप्ताहों में निर्णय ले सकते हैं। अवध चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य चैम्बरों में भी मैंने इसी उपलब्ध न कि भविष्य के लिए उपलब्ध प्रोत्साहनों का उल्लेख किया है। मैंने हमेशा यही कहा है कि शिवरामन समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, क्या मैं इसमें यह और कह सकती हूं कि हम लाइसेंस देने इत्यादि के सम्बन्ध में निर्णय लेते समय ऐसे जिलों को प्राथमिकता देते हैं?

डा० कृपासिंधु भोई : अब मेरा प्रश्न यह है कि

अध्यक्ष महोदय : आप कहना क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको एक की बजाए दो उत्तर मिल गए। अब आप एक अन्य प्रश्न पूछिए।

डा० कृपासिन्धु भोई : उनका उत्तर क्या था?

अध्यक्ष महोदय : डिपाजिट के एकाधिकरण के बारे में एक प्रश्न है परन्तु मैं प्रश्नों के एकाधिकरण की अनुमति नहीं दे सकता।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि (क) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार परिवहन आर्थिक सहायता योजना को और अधिक लागत प्रतिपूरक बनाने हेतु इसमें कतिपय परिवर्तन करना चाहती है? यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इससे पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने में कहां तक सहायता मिलेगी; (ख) बड़े और मध्यम पैमाने के उद्योग लगाने हेतु चुनिंदा जिलों को दी जाने वाली प्राथमिकताएं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; (ग) क्या इस उद्देश्य हेतु चुने गए पिछड़े जिलों में उद्यम उपलब्ध हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें और यदि नहीं तो रेलवे, सड़क और अन्य मंत्रालयों की सहायता से प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन से कदम उठाए जाने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह एक प्रश्न हो सकता है? क्या अनुपूरक प्रश्न इसी प्रकार

चलते रहेंगे ? आप जैसे सांसद द्वारा तो एक साधारण और सीधा प्रश्न पूछा जाना चाहिए था ।

श्री वीरभद्र सिंह : महोदय, जैसा कि मेरे वरिष्ठ मित्र द्वारा कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का, जिनमें परिवहन आर्थिक सहायता भी सम्मिलित है, प्रश्न विचाराधीन है, जहां तक पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु उद्यम उपलब्ध होने का प्रश्न है, हम अब तक राज्य सरकारों को इन पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देते रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जा सकें ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, यद्यपि सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु कतिपय प्रोत्साहनों की घोषणा की है परन्तु अनुभव यह रहा है कि उद्यमी इन प्रोत्साहनों का लाभ नहीं उठाते । क्या सरकार ने उनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग न लगाने के कारणों का पता लगाया है और क्या सरकार के दिमाग में कभी यह बात आई है कि निजी उद्यमियों का लक्ष्य लाभ कमाना होता है और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाना उनके लिए कठिन है ? और यदि ऐसी बात है तो क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों के सन्तुलित विकास हेतु सरकार स्वयं उद्योग स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, यद्यपि मैं माननीय सदस्य से मैं अधिकांशत: सहमत हूं किन्तु शिवरामन समिति की स्थापना भी इसी कारण की गई थी । इस समिति ने पिछड़े क्षेत्रों में अपेक्षित सीमा तक उद्योगों की स्थापना न होने के कारणों का पता लगाया और मैं भी इससे सहमत हूं कि इस सम्बन्ध में लाभ कमाना ही एकमात्र उद्देश्य ही नहीं होता बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी एक दूसरा कारण है । परन्तु माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि स्रोतों के अभाव के कारण सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्र का सभी पिछड़े जिलों तक अथवा अधिकांश पिछड़े जिलों तक विस्तार करना सम्भव नहीं है, स्रोतों का अभाव बरकरार है परन्तु हमारी नीति सामाजिक-आर्थिक और प्रोद्यौगिकी-आर्थिक अपेक्षाओं के अनुसार यथा संभव अधिकाधिक उद्योग इन पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने की है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप कम से कम कुछ क्षेत्रों में तो कीजिए ।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले वर्षों में बैकवर्ड एरिया की पहचान के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन प्लानिंग कमीशन में किया, और उस समिति ने वह रिपोर्ट दे दी है । लेकिन उद्देश्य यह था कि रीजनल इम्बैलेंस केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि ब्लाक लेविल पर भी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए कमेटी शासन को रिपोर्ट दे ।

क्या मन्त्री बतायेंगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर देश के बहुत से स्थान जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं उनको आप पिछड़ा डिक्लेयर करने जा रहे हैं और वह सारी सहूलियतें जो पिछड़े जिलों को दे रहे हैं उनको मुहैया कराने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रकार की संस्तुति कोई ब्लाक को आधार मानकर अभी तक नहीं हुई है । लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने ब्लाक को

पहले से ही यूनिट माना है कि वह अविकसित है या बैकवर्ड हैं। इस समय भी सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सबसीडी के लिए कुछ राज्यों ने ब्लाक को एक यूनिट माना हुआ है। यह सारा प्रश्न शिवरामन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन है कि इसमें क्या मदद की जाये और न्यूक्लीअर प्लान्ट योजना का क्या होगा। यह सारा प्रश्न इस समय एक कैबिनेट कमेटी के विचाराधीन है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरी कांस्टीटुएन्सी जिला भीलवाड़ा बैकवर्ड इलाका है। वहां रामपुरा अगूचा में दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता का भंडार निकला है। ऐसी हालत में क्या आप वहां पर सुपर जिंक मैल्टिंग प्लान्ट स्थापित करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : सम्मानित सदस्य स्वीकार करेंगे कि मूल प्रश्न के सन्दर्भ में सारे देश से परिप्रेक्ष्य में एक निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरे लिए कुछ कहना धृष्टता होगी लेकिन जहां तक मेरी सामान्य जानकारी है, रामपुरा अगूचा खान के समग्र विकास के लिए योजना में कुछ न कुछ प्रावधान रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : इतना ही अच्छा है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तथा सीमा सुरक्षा बल को कल्याण तथा पदोन्नति की सुविधायें

*156. **श्री जैनुल बशर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्यों द्वारा की जाने वाली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल की उपद्रवों के समय भारी मांग को देखते हुए इस बल के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हमेशा गतिमान रहते हैं और उन्हें इस प्रक्रिया में थकान और कठिनाइयां होती हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इसके बावजूद सभी सम्बन्धित व्यक्तियों ने उनके कार्य की सराहना की है; और

(ग) यदि हां, तो उनके कल्याण, पदोन्नति के लिए तथा उन्हें शांति और आराम के लिए कुछ समय देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी कठिन ड्यूटियां देते हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सुरक्षा बल के कर्मचारियों के कल्याण का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है। कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए

दोनों बलों में कई कोष बनाये गये हैं। 1981 के आरम्भ में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के लिए संवर्ग का पुनरीक्षण किया गया था जिससे पदोन्नति के मामले में बल के काफी व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के लिए इसी प्रकार के संवर्ग के पुनरीक्षण को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के बटालियनों में कार्य कर रहे कर्मचारी प्रतिवर्ष साठ दिन का अर्जित अवकाश लेने के पात्र हैं जबकि केन्द्रीय सरकार के अन्य अधिकांश कर्मचारियों के लिए तीस दिन की छुट्टी स्वीकार्य है।

श्री जैनुल बशर : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल द्वारा किए जाने वाले कठिन कार्यों को देखते हुए, क्या सरकार उनके वेतन और भत्तों में वृद्धि करने जा रही है ?

यह कहा गया है कि सीमा सुरक्षा बल में संवर्ग पुनरीक्षा पूरी हो चुकी है। परन्तु केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में क्यों नहीं पूरी हुई है ? संवर्ग पुनरीक्षा के दौरान क्या सरकार उन एक्स एमरजेंसी कमीशन अधिकारियों के दावे पर विचार करेगी जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सम्मिलित हो गये हैं ? क्या सरकार उन्हें वरिष्ठता प्रदान करेगी जो इसकी मांग कर रहे हैं ?

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सम्बन्ध है, केंद्र में स्टाफ परिषदें हैं और सबसे बड़ी शीर्ष स्तर पर परिषद है। हम स्टाफ परिषद में समय-समय पर मिलते हैं और उनकी शिकायतें दूर करते हैं ? जहां तक सीमा सुरक्षा बल का प्रश्न है, यह पुनरीक्षा हो चुकी है। परन्तु जहां तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का सम्बन्ध है, सचिवों की एक समिति द्वारा इसे अन्तिम रूप दिया जा चुका और अब मंत्रिमंडल के लिए कागजात तैयार हो रहे हैं।

जहां तक सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस हेतु कल्याण सम्बन्धी उपाय लिए जाने का सम्बन्ध है, वेतन और परिलब्धियों के अतिरिक्त अन्य भी कई कल्याण सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा हेतु विद्यालय चलाए जा रहे हैं। जब वे मुख्यालय से बाहर होते हैं उन्हें परिवार से अलग रहने का भत्ता दिया जाता है। इसी प्रकार कर्मचारियों को नाममात्र के ब्याज पर ऋण दिया जाता है। कर्मचारियों की विधवाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मृत्यु इत्यादि के कारणों की दृष्टि में रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क कर्मचारियों के वारिसों को वित्तीय राहत दी जाती है।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा की जा रही कठिन ड्यूटी की जानकारी हमें है और उनकी भलाई की हमें हमेशा चिन्ता रही है। और हम उनकी कर्मचारी परिषद के साथ इस पर विचार करते रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : यह देखा गया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की कुछ बटालियनों को एक लम्बे समय से 'अशान्त क्षेत्रों' में तैनात किया गया है। सशस्त्र सेना के मामले में ऐसा कोई तरीका नहीं है। जिसमें बटालियन 'शान्त क्षेत्र' से 'अशान्त क्षेत्रों' को और अशान्त क्षेत्रों से शान्त क्षेत्रों को नहीं भेजा जाता है। क्या सरकार शान्त क्षेत्र से अशान्त क्षेत्र पर अशान्त क्षेत्र से शांत क्षेत्र पर बटालियन तैनात करने के तरीके पर विचार कर रही है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पुलिस बल को तैनात करते समय हमें यह अनुभव होता है कि उनकी संख्या कम है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें थोड़ी देर के लिए भी अवकाश नहीं मिलता और कभी-कभी तो उन्हें एक अशान्त क्षेत्र से सीधे दूसरे अशान्त क्षेत्र पर लगाना पड़ता है।

कभी-कभी उन्हें अवकाश का समय नहीं मिलता है। इसलिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन और बटालियन तथा सीमा सुरक्षा बल की दो ओर बटालियन बनाने का निर्णय किया गया हैं ताकि कठिन ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों को आवश्यक राहत दी जा सके।

जहां तक अशान्त क्षेत्र से शान्त क्षेत्र में उनको तैनात करने का सम्बन्ध है, जहां कहीं भी अशान्ति अथवा शान्ति होती है, वे जाते हैं। निस्सन्देह पहाड़ी जिलों जैसे कठिन जिलों में उनकी ड्यूटी और भी कठिन हो जाती है। परन्तु अब हम इसका ध्यान रख सकेंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल द्वारा असम में किए गये अदभुत काम के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। एक समय था जब उनकी मांग नहीं थी। अब सभी सम्प्रदाय असम में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की मांग कर रहे हैं।

वे बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अपने अनुभव के विचार से मैं समझता हूं कि केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल में कुछ अप्रसन्नता सी व्याप्त है क्योंकि जब उन्हें मिजोरम और अन्य क्षेत्रों में बागियों का मुकाबला करना पड़ता है तो उनको वे हथियार नहीं दिए जाते हैं जो कि इस प्रकार के मुकाबले के लिए आवश्यक हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार बागियों से निपटने के लिए, उनको अच्छे हथियारों और विस्फोटकों से सज्जित करने की सम्भावना पर विचार करेगी ? यह विधि और व्यवस्था की समस्या नहीं है परन्तु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में देश द्रोहिता का सही ढंग से मुकाबला किया जाना चाहिये। क्या सरकार देशद्रोहिता जो कि जनता में आतंक पैदा कर रही है, को दबाने के लिए उक्त बलों को आधुनिक हथियार प्रदान करने पर विचार करेगी ? कई बार तो देशद्रोहियों के मुकाबले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भी भाग खड़ी होती है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक देशद्रोही गतिविधियों का सम्बन्ध है, इसके साथ निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है और सीमा सुरक्षा बल के एक अर्ध-सैनिक बल होने के कारण यह सर्वथा सैन्य दल के समान हथियार-बन्द रखा जाता है।

जहां तक केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल का सम्बन्ध है, उन्हें भी आधुनिक हथियार दिए गये हैं। जहां तक उनके कार्य का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य स्वयं कह चुके हैं कि उन्होंने असम में बहुत अच्छी सेवा की है। अब वह यह भी कह रहे हैं कि ये जवान इन क्षेत्रों से पीछे हट रहे हैं। यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रास बिहारी बहेरा—अनुपस्थित।

श्री वी० एस० विजयराघवन—अनुपस्थित।

श्री हरीश रावत—अनुपस्थित।

आज अनुपस्थित सदस्यों का क्या प्रतिशत है ?

श्रीमती माधुरी सिंह—अनुपस्थित

मृत्यु दंड समाप्त किया जाना

*160. **श्री भीकू रामजैन** :

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मृत्यु दण्ड समाप्त करने का एक संकल्प पारित किया है और नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में अध्ययन करने का है कि मृत्यु दण्ड का किस हद तक निवारक प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या सरकार के पास मृत्यु को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : जी हां, श्रीमान।

(ख) ऐसा अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीकू राम जैन : पहले भारत की दो भूतपूर्व रियासतों ने मृत्युदण्ड को समाप्त कर दिया था, 1981 में फ्रांस ने मृत्युदण्ड समाप्त कर दिया। लगभग 15 वर्ष पूर्व इंग्लैंड ने भी मृत्यु दण्ड समाप्त कर दिया। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस विषय का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि लोगों की ओर से यह मांग की जाती रही है कि मृत्युदण्ड प्रभावी सजा सिद्ध नहीं हुई है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जहां तक मृत्युदण्ड को समाप्त करने के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस पर कई बार विचार किया जा चुका है। परन्तु अभी भी हमें उसके अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया है। परन्तु जब कभी भी हम इसे कर सकेंगे तो हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री भीकू राम जैन : मेरा प्रश्न यह था कि जब बहुत से अन्य देश कर चुके हैं तो उस पर यहां विचार क्यों नहीं किया किया जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : मैं नहीं समझती कि जो कुछ अन्य देश कर रहे हैं, हमारी नीति उसी का रूप धारण करे। मैं व्यक्तिगत रूप से मृत्युदण्ड के कतई खिलाफ हूं, परन्तु जब हमने इस पर चर्चा की थी तो हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके थे क्योंकि लोगों ने इसका विरोध किया था। परन्तु हमने यह अवश्य विचारा कि जबकि पहले हत्या के बदले स्वतः प्राणदण्ड दे दिया जाता था जिसे दया याचिका के आधार पर आजीवन कारावास में बदला जा सकता था। अब हमें इस प्रक्रिया को बदलना होगा। आमतौर से हमें जब तक विशेष कारण न हों मृत्युदण्ड की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। बहुत से मामलों में हमें राज्य सरकारों के निवेदन प्राप्त होते हैं जो कि विशेषरूप से घृणित अपराधों के बारे में होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री महोदया का यह कथन बड़ा ही विचित्र लगता है "मैं स्वयं तो व्यक्तिगत रूप से मृत्युदण्ड के विरुद्ध हूं, परन्तु मेरी सरकार मृत्युदण्ड के पक्ष में है।"

अध्यक्ष महोदय : यह तो लोकतांत्रिक मानदण्ड का प्रश्न है।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : न केवल मेरी यह सरकार, बल्कि राज्य सरकारें भी इसके पक्ष में हैं।

देश में अलाय तथा विशेष इस्पात का आयात

*161. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के दौरान बड़ी मात्रा में अलाय तथा विशेष इस्पात का आयात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किस दर से आयात शुल्क वसूल किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योगों के पास लाखों टन देशी उत्पाद जमा हो गये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि एफ० आई० सी० सी० आई० के अध्ययन में कहा गया है कि अलाय तथा विशेष इस्पात को निषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित मदों की सूची में रख कर अथवा उनक आयात पर आयात शुल्क में वृद्धि करके इन मदों के भारी मात्रा में आयात के अत्यन्त बुरे प्रभाव से भारतीय उत्पादकों को बचाना जरूरी है; और

(ड़) यदि हां, तो देश में इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1980-81 में 479538 टन मिश्र-इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) आयात किया गया। वर्ष 1981-82 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1982 में किए गए आयात के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं।

(ख) शुल्क की परिनियत दरों के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। किसी मद पर वास्तविक शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उस विशिष्ट मद के बारे में छूट की अधिसूचना जारी की गई है या नहीं।

(ग) 1.1.1983 को लघु इस्पात संयंत्रों तथा मिश्र-इस्पात के अन्य उत्पादकों के पास-मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) का स्टाक लगभग 44,000 टन था।

(घ) जी, हां।

(ड़) चालू वर्ष में आयात नीति तथा शुल्क के ढांचे में परिवर्तन किए गए हैं। ये परिवर्तन मिश्र इस्पात के देशीय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1980-81, 1981-82 और अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में शुल्क की परिनियत दरें इस प्रकार थीं :-

आयात-शुल्क शीर्ष संख्या	मद	वर्ष		
		1980-81	1981-82	अप्रैल-दिसम्बर 1982
73.15 (1)	अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	60%+15%	60%+20%	300%+30%
73.15 (2)	पुनर्बेलन के लिए बेदाग इस्पात के क्वायल, चादरें, स्ट्रिप और प्लेटें।	300++20%	300%+25%	300%%30%

श्री चिन्तामणि जेना : मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में व्यक्त किया है : "1.1.83 को लघु इस्पात संयन्त्रों तथा मिश्र उत्पाद के अन्य उत्पादकों के पास मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) का स्टाक लगभग 44,000 टन था।"

क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने इसके उचित उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की है ?

दूसरे, मन्त्री महोदय ने प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर हां में दिया है। अतः मैं मन्त्री

महोदय से यह जानना चाहता हूं कि स्वदेशी उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है लघु इस्पात संयन्त्रों को अपनी लाइसेन्स क्षमता की सीमा में सभी प्रकार के कार्बन, मिश्र इस्पात, बेदाग इस्पात और ताप रोधक इस्पात के उत्पादन का विशाखन करने की अनुमति दी गई है ।

प्रश्न के द्वितीय भाग का सम्बन्ध इस बात से है कि 'फिक्की' की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है । मिश्र-इस्पात उत्पादक मिश्र-इस्पात के भारी आयात के बारे में और स्वदेशी उत्पादकों की आर्डर लेने की कमजोर स्थिति के बारे में अध्यावेदन कर रहे थे । 'फिक्की' द्वारा किए गए अध्ययन में अन्य बातों के अतिरिक्त ये दो सिफारिशें की गई हैं—कि मिश्र-इस्पात की सभी मदों को पाबन्दी लगी मदों में शामिल किया जाए और आयात शुल्क में वृद्धि की जाए ।

हमने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) आयात शुल्क को 60% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया; और

(2) आयात नीति को निम्नांकित उपाय करके 1982-83 के लिए और अधिक निर्बन्ध-नकारी बनाया गया है :

(क) मिश्र-इस्पात बलूम्स, बिलाइट्स स्कव्यर और 18 एम० एम० व्यास और उससे ऊपर के व्यास वाली गोल छड़ो को स्वीकार्य मद-सूची में रखा गया है ।

(ख) परिशिष्ट VIII को दो सूचियों में बांट दिया गया है : कार्बन इस्पात और मिश्र-इस्पात ।

इससे इस्पात की प्रत्येक किस्म के वैध आयात की अनुमति मिलेगी, परन्तु इन दो किस्मों के बीच आन्तरिक-परिवर्तनशीलता की अनुमति नहीं होगी ।

श्री चिन्तामणि जेना : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि चालू वर्ष के दौरान स्वदेशी मिश्र-इस्पात उत्पादकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात नीति और कर ढांचे में परिवर्तन किए गए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है और किन लोगों को इससे लाभ पहुंचा और ये परिवर्तन किस तारीख से लागू किये गये ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : यह एक सतत प्रक्रिया है । हमने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनको मैं बता चुका हूं । परिणाम आने वाले दिनों में पता चलेंगे ।

श्री एस० टी० कादरी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 1981-82 के वर्ष

में और 1983 में अब तक देश में आयात किये गये मिश्र-इस्पात की सूची तैयार की जा रही है। मैं गत दो वर्षों से विभिन्न मन्त्रालयों से यह सूचना मंगा रहा हूं और मुझे खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि आज तक किसी को भी इस देश में यह पता नहीं है कि कुल कितने मिश्र-इस्पात का आयात किया गया है। मैंने इस सभा में यह मांग की थी कि जिनका निर्माण देश में होता है, उस इस्पात के आयात पर पूर्ण पाबन्दी लगाई जानी चाहिये। स्वदेशी उद्योग द्वारा उठाई गई भारी हानि और आयात के लिए विदेशी-मुद्रा के बहाव को देखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस वर्ष अप्रैल में की जाने वाली नीति की घोषणा में इस्पात की देश में बनने वाली सभी मदों के आयात पर पूर्ण पाबन्दी लगायेंगे ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : जहां तक वर्ष 1981-82 और अप्रैल-दिसम्बर, 1982 के आंकड़ों के उपलब्ध न होने के बारे में प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, केवल मेरा मन्त्रालय ही आंकड़े संकलित नहीं करता है। कुछ अन्य सम्बद्ध मन्त्रालय और विभाग इस कार्य में संलग्न हैं। हम भी इन्हें चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वाणिज्य मन्त्रालय की भी इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं।

श्री एस० टी० कादरी : इसमें कोई समन्वय नहीं है। मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री एन० के० पी० साल्वे : हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इन आंकड़ों के संकलन में असमर्थता प्रकट करता हूं।

श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं यह जानना चाहता हूं कि मिश्र-इस्पात और अन्य-इस्पातों के जमाव को देखते हुए क्या सरकार आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने जा रही है और क्या हमारे इस्पात उद्योग को बचाने और इस्पात उद्योग में सुधार लाने के लिए जमा हो गये इस मिश्र-इस्पात और अन्य इस्पात का अन्य देशों को निर्यात किया जायेगा ?

श्री एन० के० पी० साल्वे : मैंने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर पहले ही दे दिया है। जहां तक इस्पात के निर्यात से सम्बद्ध प्रश्न के द्वितीय भाग का सम्बन्ध है, यदि निर्यात के आर्डर मिलते हैं, हम निश्चय ही निर्यात करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ट्रकों के चेसिस की पुनः बिक्री पर रोक को हटाना

*143. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेढ़ वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार ने एक आदेश द्वारा ट्रकों तथा बसों के नये चेसिसों की पुनः बिक्री पर रोक लगाई थी जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चेसिसों की कालाबाजारी बन्द हो गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने दिसम्बर, 1982 में यह आदेश वापस ले लिया था; और

(ग) यदि हां, तो यह आदेश वापस लेने का क्या आधार है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वाणिज्यिक गाड़ियों की भारी बकाया मांग और उनकी बिक्री तथा वितरण में हेराफेरी को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गाड़ियों की प्रारम्भिक खरीद की तारीख से 2 वर्ष की अवधि तक उनकी पुन: बिक्री पर रोक लगाने के लिए अप्रैल, 1981 में एक आदेश जारी किया गया था। इस बात को देखते हुए कि उत्पादन में वृद्धि होने से वाणिज्यिक गाड़ियां आसानी से मिल रही हैं, यह आदेश दिसम्बर, 1982 में रद्द कर दिया गया था।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के उत्पादों की बिक्री

*144. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**

श्री नारायण चौबे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने बिना किसी प्रतिबन्ध के सभी व्यापारियों को अपने उत्पादों की बिक्री करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के स्टाकयार्डों में इस्पात की मदों की एक निश्चित मात्रा व्यापारियों को बिक्री के लिए रखी गई है। यह मात्रा स्टाकयार्ड में सभी प्रकार के इस्पात की वस्तुओं की प्राप्ति तथा पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के पश्चात् बकाया माल का एक निश्चित प्रतिशत होती है।

सेल में पंजीकृत व्यापारियों को ही माल बेचने की प्रथा थी, जिनको यह माल बेचा जाता था।

17 जनवरी, 1983 से केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही माल बेचने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अब सभी व्यापारी, जो इस्पात के व्यापार में दिलचस्पी रखते हैं, स्टाकयार्डों से माल खरीद सकते हैं। एक व्यापारी को एक समय में कम से कम एक ट्रक माल दिया जाता है।

यह फैसला इस्पात की सुगम उपलब्धि को ध्यान में रखकर तथा बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

नारियल जटा उत्पादों की बिक्री पर छूट

*145. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा का उत्पादन करने वाले कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि प्राधिकृत बिक्री-केन्द्रों के माध्यम से की जाने वाली नारियल जटा उत्पादों की बिक्री पर छूट दी जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) 2 फरवरी, 1983 को हुई कयर उत्पादक राज्यों की एक बैठक में प्राधिकृत केन्द्रों के माध्यम से होने वाली कयर की बिक्री पर छूट दे ने के प्रश्न पर विचार किया गया था। इस बारे में कयर बोर्ड एक सुसंगत योजना तैयार कर रहा है।

राज्य मन्त्री द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पाडिरिकुप्पम गाँव का दौरा किया जाना

*146. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री सूरज भान : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह राज्य मन्त्री ने हाल ही में पाडिरिकुप्पम गांव (आन्ध्र प्रदेश) का दौरा किया था जहां मतदान के दिन 5 जनवरी 1983 को हरिजन वार्डों में अत्याचार हुए थे; और

(ख) इस सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) चूंकि राज्य सरकार ने घटना की जांच करने के लिए जांच आयोग नियुक्त किया है अत: घटना के सम्बन्ध में इस अवस्था में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

लेवी सीमेंट के मूल्य ढाँचे का नए सिरे से मूल्यांकन

*147. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग की लोकप्रिय मांग को ध्यान में रखकर लेवी सीमेंट के वर्तमान मूल्य ढांचे का नए सिरे से कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) लेवी सीमेंट के कारखाना बाह्य संधारण मूल्य और रेलभाड़ा मुक्त मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति देने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार इनकी जांच कर रही है।

झालावाड़ का औद्योगिक विकास

*149. **श्री चतुर्भुज :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के पिछड़े हुए जिले झालावाड़ के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) झालावाड़ जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है तथा इसमें उद्यमियों के लिए ऋणदायी संस्थानों द्वारा रियायती वित्त, आयकर सम्बन्धी राहत, तकनीकी परामर्श सेवा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनों की किराया खरीद, ब्याज राज सहायता, मूल/सीमांत (सीड/मार्जिन) धनराशि सहायता तथा कच्चे माल का आयात जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बिना मुकदमा चलाए जेलों में कैदी

*152. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विभिन्न जेलों में कितने ऐसे विचाराधीन कैदी हैं जो बिना मुकद्दमा चलाए छः महीने से अधिक समय से जेलों में हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने पहले राज्य सरकारों को जेलों में रखे ऐसे विचाराधीन कैदियों को छोड़ने के लिए आदेश दिए थे;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुकरण नहीं किया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 31 दिसम्बर, 1981 को छः महीने से अधिक समय से जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 16796 थी। ऐसे मामलों जिनमें मुकदमा नहीं चलाया गया था, के सम्बन्ध में सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ख) जी हां, श्रीमान। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी व्यक्तियों को जो छः महीने से अधिक हिरासत में हैं और जिनके मुकद्दमे शुरू नहीं हुए हैं अथवा जिनके विरुद्ध आरोपपत्र पेश नहीं किए गए हैं, को रिहा करने को स्वीकृति देने के लिए राज्यों को निदेश दिए थे पर इनमें वे व्यक्ति शामिल नही थे जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 395 में अन्तर्ग्रस्त थे।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निदेश सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कार्यान्वयन के लिए भेजे गए थे तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों ने विदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की पुष्टि की है।

बसंत गढ़ दारा में एक तांबा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव

*153. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने सिरोही जिले में बसंत गढ़ दारा क्षेत्र में एक तांबा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि अभी तक इस संयंत्र को चालू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बसन्त गढ़ दारा क्षेत्र में तांबा संयंत्र की स्थापना का विचार असामयिक है क्योंकि अभी तो तांबा भंडारों की पुष्टि भी नहीं की गई है।

डोमचांच बिहार में इलेक्ट्रोनिक कारखाने की स्थापना

*154. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'कैपेसिटर' तथा इलेक्ट्रोनिक के अन्य उपकरण अभ्रक से बनाये जाते हैं तथा कोडरमा (बिहार) अभ्रक का मुख्य उत्पादक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार इलेक्ट्रोनिक्स निगम ने डोमचांच में इलेक्ट्रोनिक्स कारखाना स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी होगी और यह कारखाना कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है और उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, हां। अभ्रक के 'कैपेसिटरों' (संधारित्रों) का विनिर्माण विशिष्ट ग्रेड के अभ्रक से किया जाता है तथा बिहार कच्चे अभ्रक का मुख्य उत्पादक है।

(ख) तथा (ग) हालांकि बिहार इलेक्ट्रोनिकी विकास निगम से इलेक्ट्रानिक उत्पादों के औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त हो गए हैं तथापि उनमें डोमचांच में एक इलेक्ट्रोनिक कारखाना स्थापित करने से सम्बन्धित कोई विशिष्ट आवेदप-नत्र शामिल नहीं हैं।

कालाहांडी में उद्योगों की स्थापना

*157. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा कुछ उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लाइसेंस जारी करने के लिए विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के कालाहांडी जिले में केसिंगा में स्थापित की जाने वाली पेपर मिल के लिए लाइसेंस देने हेतु कोई आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) इस समय उड़ीसा राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी 8 आवेदन विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वास्तव में, मैसर्स यूनिवर्सल पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को लिखाई और छपाई के लपेटने (रैपिंग) के, क्राफ्ट तथा एम० जी० पोस्टर के कागज के उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य में कालाहांडी जिले की केसिंगा तहसील में एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु दिनांक 31-12-1981 को पहले ही एक आशय-पत्र स्वीकृत किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की छात्रवृत्तियों को जीवन निर्वाह सूचकांक की लागत से जोड़ना

*158. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मेट्रिकोत्तर स्तर पर दी जा रही वर्तमान छात्रवृत्ति की राशि को जीवन निर्वाह सूचकांक से जोड़ने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जीवन निर्वाह की कीमत समेत विभिन्न तत्वों पर विचार करने के पश्चात समय-समय पर छात्रवृत्ति की राशियों में वृद्धि की गई है। किंतु छात्रवृत्ति की राशि को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों में अन्तक्षेत्रीय विकास असन्तुलन

*159. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों में विद्यमान अन्तक्षेत्रीय विकास असन्तुलन

की सीमा और उसे दूर करने के उपायों का अध्ययन करने हेतु योजना आयोग में कोई स्थायी सेल है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय उक्त सेल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कार्य करने का परामर्श दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें, इस सेल के परामर्श का पालन करती हैं; और

(घ) यदि योजना आयोग में ऐसा कोई सेल नहीं है, तो क्या सरकार वहां ऐसे सेल का गठन करेगी ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) इस प्रकार का एकक स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिकों की नियुक्ति के लिए टाइपराइटिंग परीक्षा

*162. **श्री तारिक अनवर** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग के गठन से पूर्व संघ लोक सेवा आयोग लिपिकों, आशुलिपिकों आदि की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित करता था;

(ख) क्या उस समय लिपिकों, आशुलिपिकों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर की जाती थी;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सफल उम्मीदवारों की टाइपराइटिंग परीक्षा लिये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लिपिक ग्रेड में सफल घोषित उम्मीदवारों की टाइपराइटिंग की परीक्षा उनकी नियुक्ति के बाद ही लिये जाने के बारे में आदेश जारी कर दिये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो आदेश कब जारी किये गये और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) वर्ष 1958 से अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती की परीक्षाओं का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता रहा है। जबकि योग्यता सूची लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई जाती थी, अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करना भी परीक्षा का एक अंग होता था ।

किन्तु 1964 की परीक्षा से यह निर्णय किया गया था कि अर्हक उम्मीदवारों की उप-

लब्धता में कमी को देखते हुए टंकण परीक्षा को लिपिक श्रेणी परीक्षा का अंग न माना जाए। किन्तु लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करना अनिवार्य था जिसमें असफल होने पर वे टंकण परीक्षा पास कर लेने तक न तो वेतन-मान में वेतनवृद्धि लेने के पात्र थे न ग्रेड में स्थायीकरण के ही हकदार थे। 1970 के बाद, मंत्रालयों/विभागों में अवर श्रेणी लिपिकों क पदों की भर्ती का कार्य सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान ने ले लिया और उक्त संस्थान ने भी उपर्युक्त योजना को जारी रखा। वर्ष 1973 में, इस योजना के पुनरीक्षण करने पर यह पता चला कि यह क्रियाविधि सन्तोषप्रद रूप से कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि लिपिक ग्रेड में नियुक्त अनेक उम्मीदवार टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहे थे। चूंकि टंकण में आवश्यक गति रखना पदों के कार्य निष्पादन के लिए पूर्वापेक्षा है इसलिए केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के भर्ती नियमों का 1973 में संशोधित कर दिया गया और टंकण परीक्षा को परीक्षा का एक अंग बना दिया गया था तथा इन पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने से पूर्व सभी उम्मीदवारों के लिए इसमें सफलता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग में जिसने 1976 में अपने गठन के बाद इन पदों का भर्ती कार्य सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान से ले लिया था इन नियमों का अनुपालन किया जाता रहा।

आशुलिपिकों के मामले में, पहले की भांति ही आशुलिपि परीक्षा ली जाती है।

राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित योजनाओं के लिए दी गई धनराशि को दूसरी योजनाओं पर खर्च करना

1621. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के पास राज्य सरकारों को भूमि योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि को अपने (राज्य) यहाँ की अन्य योजनाओं पर खर्च करने के मामलों की जाँच करने के लिए कोई मशीनरी है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों द्वारा केन्द्र की सलाह के बिना इस प्रकार दूसरी योजनाओं पर धनराशि खर्च करने के मामले सरकार के सामने आए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई धनराशियों के उपयोग की जाँच करना केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय का उत्तरदायित्व है।

योजना आयोग स्वयं धनराशियों के उपयोग का कोई सत्यापन जाँच नहीं करता है। जब आयोग द्वारा अपने कार्यक्रम मूल्याँकन संगठन के जरिए किसी विशेष कार्यक्रम का मूल्याँकन किया जाता है तब, जिस हद तक आवश्यक हो, ऐसा सत्यापन जाँच आयोग द्वारा किया जाता है।

क़ानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्यों में भारतीय सेना तैनात किया जाना

1622. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों ने दिसम्बर तथा जनवरी महीनों के दौरान अपने यहां कानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय सेना का उपयोग किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने कानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु सेना की सेवाओं का उपयोग किया;

(ग) कितने मामलों में सेनाओं का उपयोग अभी तक जारी है;

(घ) कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु प्रत्येक राज्य में अधिकतम कितनी अवधि के लिए सेनाओं का उपयोग किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि में राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात कितने सैनिक कर्मचारी मारे गये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ग्रामीण योजना के संगठन का पुनरावलोकन करने का प्रस्ताव

1623. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शहर सुधार के सम्बन्ध में ग्रामीण योजना और विकास संगठन का पुनरावलोकन करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को ऋण की मंजूरी

1624. **श्री ए० के० राय** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार खादी तथा बोर्ड को कोई ऋण अथवा अनुदान मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में छोटा नागपुर, संथाल परगना तथा सिंहभूम जिनमें प्रस्तावित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायेगा उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को निम्नलिखित राशि दी है :

वर्ष	**अनुदान**	**ऋण (लाख रुपयों में)**
1981-82	11.60	136.03
1982-83 (सितम्बर, 82 तक)	9.42	50.50

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को धनराशि देता है। यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। बोर्ड खादी और ग्रामोद्योग योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार के छोटा नागपुर, सन्थाल परगना और सिंहभूम में करता है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी संवर्ग परीक्षा, 1981 में पास होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति

1625. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी संवर्ग परीक्षा, 1981 में पास होने वाले उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) क्या उक्त नियुक्तियों संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची में उल्लिखित वरिष्ठता के अनुसार की जाती है; यदि हां, तो क्या सूची में वरिष्ठ उम्मीदवारों की उपेक्षा करके कनिष्ठ लोगों को नियुक्तियां दे दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो नियुक्ति में विलम्ब के कारण वरिष्ठ लोगों को हुई वेतन की हानि को, उनसे कनिष्ठ लोगों की तुलना में, प्रतिरक्षित किया जायेगा;

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय सचिवालय में प्रत्येक परीक्षा-वर्ष की जुलाई को व्याप्त अनुभाग अधिकारियों की नियमित रिक्तियों के समक्ष वरिष्ठता सूची जारी किया करता है; और

(ङ) यदि हां, तो कुछ मंत्रालयों द्वारा उम्मीदवारों की एक साथ नियुक्तियां क्यों नहीं की गई तथा कार्मिक विभाग तथा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किये गये नियतनों का सम्मान क्यों नहीं किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : संघ लोक सेवा आयोग ने सीमित

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 1981 के आधार पर अनुभाग अधिकारियों की प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए 125 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। उन्हें विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया जा रहा है।

(ख) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी के स्तर तक विकेन्द्रीकृत है इसलिए विभिन्न संवर्गों में सफल उम्मीदवारों का आवंटन प्रत्येक संवर्ग में रिक्ति स्थिति को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसके फलस्वरूप कभी-कभी केन्द्रीकृत सूची में कनिष्ठ उम्मीदवार को अपने वरिष्ठ से पहले पदोन्नति मिल जाती है।

(ग) ऐसे मामलों में, नियमों में वेतन के संरक्षण की अनुमति नहीं है।

(घ) परीक्षा के वर्ष की पहली जुलाई से शुरू होने वाले भर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक तथा प्रत्याशित रिक्तियों के आधार पर योग्यताक्रम सूची तैयार की जाती है।

(ङ) सभी उम्मीदवारों को एक साथ नियुक्त करना हमेशा सम्भव नहीं होता क्योंकि प्रवर सूची विद्यमान तथा प्रत्याशित रिक्तियों के लिए बनाई जाती है।

होटलों में नर्म त्वचा वाले कछुए का माँस सेवित किया जाना

1626. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के होटलों में नर्म त्वचा वाले कछुओं का मांस भोजन के रूप में सेवित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप वन्य जीवजन्तुओं की नस्लों को हानि पहुंच रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सैनिक कर्मचारियों को बजाज स्कूटरों की सप्लाई

1627. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज स्कूटर निर्माताओं ने कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (आई०) के साथ पंजीकृत सैनिक कर्मचारियों को बिक्री हेतु, इस विभाग को प्रतिवर्ष सप्लाई किए जाने वाले स्कूटरों की संख्या में हाल में कमी कर दी है; यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (आई०) के साथ वर्ष 1974 में पंजीकृत हुए प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों को कहा गया है कि वे और चार-पांच वर्ष प्रतीक्षा करें ;

(ग) इस दृष्टि से कि इन प्रांतरक्षा कर्मचारियों की अपनी तैनानी के विभिन्न क्लिष्ट स्टेशनों पर काफी परेशानी होती है, क्या सरकार न केवल बजाज स्कूटर निर्माताओं को बल्कि

अन्य निर्माताओं को भी इस बात के लिए राजी करेगी कि कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (आई०) के माध्यम से प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बेचे जाने वाले स्कूटरों का कोटा बढ़ायें और विस्तार के उनके आगामी कार्यक्रमों को मंजूरी देते समय इस बात को भी ध्यान में रखेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कम्पनी ने बताया है कि कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (आई०) को स्कूटरों की सप्लाई मई, 1980 में प्रतिमास 100 नग से बढ़ा कर जनवरी, 1982 से प्रतिमास 150 नग कर दी गई है।

(ख) से (घ) इस ब्रांड के स्कूटरों के लिए अधिक पसन्द को ध्यान में रखते हुए इसके लिए पर्याप्त प्रतीक्षा सूची है। कम्पनी द्वारा सी० एम० डी० (आई०) के लिए अधिक आवंटन और साथ ही बजाज आटो लिमिटेड को विस्तार की स्वीकृति सहित बाजार में वैकल्पिक ब्रांडों के स्कूटरों की अधिक उपलब्धता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप मांग पूरी करने में काफी मदद मिलने की आशा है।

तिहाड़ जेल के लेखाकार की मृत्यु

1628. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल, दिल्ली का एक लेखाकार 25 दिसम्बर, 1982 को अपने निवास पर मृत पाया गया था;

(ख) क्या उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जेल तिहाड़ में एस० ए० एस० लेखाकार के रूप में कार्य कर रहे एक जगदीश सिंह को 25 दिसम्बर, 1982 को जिस क्वाटर में वह रह रहा था, उसके स्नानघर में मृत पाया गया। स्नानघर अन्दर से बंद था और पुलिस खिड़की के शीशे तोड़कर अन्दर गई। पुलिस और केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का दल घटनास्थल का निरीक्षण और जांच करने पर इस मत पर पहुंचा कि यह आत्महत्या का मामला है।

दहेज के मामले को लेकर हुई मौतें

1629. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दहेज के मामले को लेकर गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी मौतें हुईं;

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रसाशन अपराधों से संबंधित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। देश में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार दहेज के कारण हुई मौतों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए गए हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। इस सम्बन्ध में 13.8.1982 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों (जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर) को विस्तृत निदेश जारी किये गये थे। जारी किये गये निदेशों की प्रतिलिपि सभापटल पर रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 5988/83]

भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड द्वारा रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन

1631. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड ने सी० ई० ई० आर० आई० द्वारा विकसित भारतीय प्रौद्योगिकी की सहायता से रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने में अपनी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो देश में रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने के बारे में सरकार की योजना क्या है; और

(ग) क्या किसी विदेशी फर्म के साथ सहयोग करके रंगीन टेलीविजन सेटों का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रोनिक विभाग में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी हां,। केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का अभी इंजीनियरी-कार्य, उत्पादन तथा क्षेत्र-परीक्षण किया जाना है।

(ख) तथा (ग) सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए औद्योगिक तथा लाइसेंस नीति को अन्तिम स्वरूप दे दिया है और उसे 25 फरवरी, 1983 को सभापटल पर रख दिया गया है।

बोकारो इस्पात कामगार यूनियन द्वारा प्रस्तुत माँगपत्र

1632. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की ओर से कोई मांग पत्र पेश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री : (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) इस्पात उद्योग में मजूरी समझौता, जो 1 सितम्बर, 1978 से लागू किया गया था, 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो गया था। संशोधित मजूरी समझौते के बारे में इस्पात उद्योग के लिए गठित की गई राष्ट्रीय संयुक्त समिति के साथ बातचीत चल रही है। इस्पात उद्योग के लिए गठित की गई राष्ट्रीय संयुक्त समिति की सभी घटक यूनियनों ने एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया है, इन यूनियनों में "एटक" से सम्बद्ध बोकारो इस्पात कामगार यूनियन भी शामिल है। इस मांग-पत्र में न्यूनतम मंजूरी, मंहगाई भत्ता, बोनस, आवास, परिवहन भत्ता आदि जैसी मांगें शामिल हैं मजूरी में संशोधन के बारे में सरकार इस्पात कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत नहीं करती है।

वर्ष 1983-84 के लिए कर्नाटक का योजना-परिव्यय

1633. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के लिए कर्नाटक का योजना-परिव्यय क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मत्री (श्री एस० बी० चह्वान) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 में कर्नाटक के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 575 करोड़ रु० है। अनुमोदित परिव्यय का क्षेत्रक-बार विवरण 1983-84 के वार्षिक दस्तावेज में दर्शाया जाएगा जो राज्यों के बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र सभा पटल पर रखा जाएगा।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विपणन तथा उत्पादन सम्बन्धी नीतियों का पुनर्गठन

1634. **श्री डी०पी० जदेजा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड अपने इस्पात यार्ड में बिक्री योग्य इस्पात के जमा हो जाने के कारण अपनी विपणन तथा उत्पादन सम्बन्धी नीतियों का पुनर्गठन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एम०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, हां। "सेल" ने अपनी विपणन तथा उत्पादन सम्बन्धी नीतियों के पुनः निर्धारण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) उत्पादन योजनाओं में परिवर्तन किया गया है;

(2) वितरण प्रणाली में ढील दी गई है;

(3) पंजीकृत व्यापारियों को इस्पात बेचने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अब

सभी व्यापारी, जो इस्पात का व्यापार करना चाहें, इस्पात का व्यापार कर सकते हैं;

(4) कुछ विशेष श्रेणियों/किस्मों के इस्पात के मूल्य में छूट दी जा रही है;

(5) मात्रात्मक छूट देने के बारे में घोषणा कर दी गई है;

(6) कुछ मदों के लिए चयनात्मक आधार पर उधार की सुविधाएं दी जाती हैं;

(7) पुराने/क्षतिग्रस्त/न बिकने वाला माल टेंडर आमन्त्रित करके बेचा जाता है;

(8) उन लोगों को जो पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत अपने शुल्क-मुक्त तथा अग्रिम लाइसेंस छोड़ देंगे, गर्म बेलित क्वायल/स्कैल्प तथा ठंडी बेलित क्वायल/चादरें अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धी मूल्यों पर सप्लाई करने की एक योजना शुरू की है। माध्यम अभिकरणों द्वारा आयात किए जाने वाले इस्पात के आयात के लाइसेंस धारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इस प्रकार की सामग्री की सप्लाई के लिए पहले सेल से सम्पर्क करें।

(9) "सेल" अपने खर्च पर एक स्टाकयार्ड से दूसरे स्टाकयार्ड में माल भेज देगी बशर्ते कि उसकी बिक्री पहले हो जाए।

बैला डिला लौह अयस्क परियोजना अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा न दिया जाना

1635. **श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरन्दुल और बचेली स्थित बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना के अस्पतालों में उस क्षेत्र के निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लोगों को जो दूषित पानी और पर्यावरण से प्रभावित हैं; चिकित्सा सुविधा कब तक दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) दुर्घटनाओं के मामलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह सुविधा उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं !

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) किरन्दुल और बचेली स्थित नेशनल मिंनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के हस्पतालों में नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों, उनके आश्रितों तथा उस क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी निवासियों को सभी प्रकार की बीमारियों तथा दुर्घटनाओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। अन्य निवासियों (जो न तो कारपोरेशन के कर्मचारी हैं और न ही आदिवासी हैं) से निर्धारित दरों पर फीस ली जाती है। इन सुविधाओं का विस्तार करने को कोई विचार नहीं है।

छठी योजना के लिए संसाधनों की कमी

1636. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना को संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कमी का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन परियोजनाओं को इस कमी के कारण नुकसान पहुंचेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) वित्तीय संसाधनों के पुर्ननिधारण सहित छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा होना है। अतः इस अवस्था में अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है। तथापि वर्तमान संकेतों के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मूल अनुमानों से मामूली से अधिक होने की सम्भावना है। उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जो प्रगति की उच्च अवस्था में हैं, समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने का हर प्रयास किया जाएगा।

पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए गए लघु इस्पात संयंत्रों का बन्द हो जाना

1637. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने लघु इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए गए लघु इस्पात संयंत्र बन्द पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनको पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने हैं?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के० पी० साल्वे) : (क) 145।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु शक्ति उद्योग की स्थापना

1638. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या **प्रधान मन्त्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में एक परमाणु ऊर्जा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिक, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) भारतीय उद्योग इस स्थिति में हैं कि वे सभी प्रमुख न्यूक्लियर कलपुर्जों को देश में ही बना सकते हैं ।

अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के पदों पर पदोन्नतियाँ

1639. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मन्त्रालयों में वर्ष 1974 से अनुभाग अधिकारियों के पदों पर नियुक्त लोगों को अवर सचिव के पदों पर पदोन्नत किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस वर्ष तक के अनुभाग अधिकारियों को पदोन्नत किया जा चुका है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) अनुभाग अधिकारियों आदि की अवर सचिवों के पदों पर नियुक्ति के लिए, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की प्रवर सूची, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 12(2) के उपबन्धों और इस नियमावली के अन्तर्गत जारी किए गए विनियमों के अनुसार तैयार की जाती है । अनुभाग अधिकारी ग्रेड और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ए' के ऐसे अधिकारियों की एक पात्रता सूची तैयार की जाती है, जिन्होंने नियमों में दी गई अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी कर ली है और जिन्हें विभिन्न वर्षों में अपने-अपने ग्रेडों में नियुक्त कर लिया गया है । अन्तिम चयन इस सूची से किये जाते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रेड-1 में नियुक्तियाँ अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वर्षवार नियुक्ति के आधार पर नहीं की जातीं ।

प्रशासनिक ट्रिब्युनलों की स्थापना

1640. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक ट्रिब्युनलों की स्थापना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : प्रस्तावित प्रशासनिक न्यायाधिकरणों (ट्रिब्युनलों) में ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

सरकार द्वारा स्वीकृत चार्ज/क्रोम परियोजनाएं

1641. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1981-82 के दौरान कुछ चार्ज/क्रोम परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनमें से उड़ीसा राज्य में कितनी परियोजनाएं शुरू की जायेंगी;

(ग) क्या ऐसे संकेतों की जानकारी मिली है कि उड़ीसा में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन तथा किन्हीं विदेशी कम्पनियों द्वारा कुछ क्रोम संयंत्रों की स्थापना की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा में लगाए जाने वाले कारखाने के लिए वर्ष 1981-82 में एक आशय-पत्र दिया गया है ।

(ग) अप्रैल, 1979 में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन को विदेशी सहयोग से चार्ज/क्रोम के उत्पादन के लिए एक आशय-पत्र दिया गया है ।

(घ) विदेशी सहयोग के लिए इस कारपोरेशन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और इसे रिकार्ड में ले लिया गया है । इस कारपोरेशन को पूंजीगत माल के आयात के लिए एक आयात लाइसेंस भी दिया गया है । कारपोरेशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस कारपोरेशन ने इस परियोजना के लिए अवस्थापना सुविधाओं की भी व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर दिया है तथा वित्तीय और विपणन व्यवस्था कर ली गई है ।

भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करना

1642. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लिखी तथा बोली जाने वाली भाषाओं की (राज्यवार) संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कौन सी भाषा उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष की राजभाषा है;

(ग) क्या चालू योजना के दौरान इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन भाषाओं के नाम क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार भाषावार जनगणना आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । 1971 की जनगणना के राज्यवार भाषा आँकड़े भारत के महापंजीकार के छपे हुए प्रकाशनों में उपलब्ध है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में दिगलीपुर सेल एण्ड परचेज कोआपरेटिव सोसाइटी में गबन

1643. **श्री ईरा अनाबरासु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में दिगलीपुर सेल एण्ड परचेज कोआपरेटिव सोसाइटी में कुछ गबन हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बारे में अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के माया बन्दर पुलिस थाने में आपराधिक शिकायत की गई थी; और

(ग) यदि हां, गबन की कुल धनराशि कितनी है और इसमें अन्तर्ग्रस्त कथित व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी, हां, श्रीमान ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गोवा समुद्र-तट में नग्नता पर प्रतिबन्ध

1644. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा हिप्पियों के लिए स्वर्ग का स्थान है और वहाँ समुद्र तट पर उन्हें बड़ी संख्या में नग्न रूप में लेटे हुए देखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का हिप्पियों द्वारा नग्नता प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है क्योंकि यह भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) गोवा, दमन व दीव प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि उन्होंने पुलिस और आबकारी प्राधिकारियों को समुद्र तट पर अपनी सतर्कता में वृद्धि करने के लिए अनुदेश दिये हैं ताकि पर्यटक किसी ऐसे अभद्र ढंग से इधर उधर न घूमें जिससे कि उनके विरुद्ध कानून के दण्डनीय उपबन्धों के अनुसार कार्रवाई करनी पड़े । प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि उनके द्वारा किये गये प्रयासों से वांछित परिणाम मिलने लगे हैं ।

गंगा में प्रदूषण

1645. **श्री सनत कुमार मंडल** :

श्री पीयूष तिरकी : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा जिले में उलूबेरिया से डायमंड हार्बर तक और 24-परगना के परे तक

गंगा की विस्तृत पट्टी पिछले कुछ वर्षों में इतनी प्रदूषित हो गई है कि नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोग इसके पानी को पीने की बात तो दूर, सिंचाई तक के लिए अयोग्य पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने और इससे पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि, जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने इस क्षेत्र में कुछ अध्ययन आरम्भ किए हैं, तथापि इस भूभाग के विस्तृत सर्वेक्षण, इस समय राज्य बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं । सम्भावना है कि सर्वेक्षणों के निष्कर्ष 1984 में उपलब्ध हो जायेंगे । तथापि कलकत्ता नगर विकास प्राधिकरण ने घरेलू अपशिष्टों के संग्रह और शोधन की एक योजना प्रारम्भ की है, परन्तु परियोजना के पूर्ण होने पर इसके निष्कर्ष आगे आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार को सहायक होंगे ।

उत्पादोन्मुख योजना में व्यय

1646. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजना उत्पादोन्मुख होने के बजाय अधिक व्ययोन्मुख है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय और उत्पादन में वर्षवार कैसे अन्तर रखा गया; और

(ग) क्या उद्योग और कृषि में वित्तीय निवेश से पर्याप्त उत्पादकता का सृजन हुआ है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) भारतीय योजना का मूल उद्देश्य लोगों के कल्याण में वृद्धि तथा इसमें बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करना है । इस उद्देश्य के लिए योजना स्वाभाविक रूप से उत्पादन और व्ययोन्मुख होगी । प्रत्येक योजना में इन दोनों पहलुओं का न्यायोचित सम्मिश्रण प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) 1980-81 में अर्थ-व्यवस्था में कुल निवेश (1979-80 की कीमतों पर) 10.0 प्रतिशत और 1981-82 में 7.8 प्रतिशत बढ़ा । सरकारी क्षेत्रक निवेश की समवर्ती वृद्धियाँ 11.1 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत थीं । सकल घरेलू उत्पाद में (1979-80 की कीमतों पर) 1980-81 में 7.6 प्रतिशत और 1981-82 में 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

(ग) उद्योग तथा कृषि में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वित्त आवश्यक निवेशों में से एक है । अन्य निवेशों में प्रबन्ध, श्रमिकों का योगदान, बिजली की उपलब्धता इत्यादि आते हैं । उत्पादन में वृद्धि इन तथा अन्य सभी उत्पादनों के सम्मिश्रण का परिणाम है । उत्पादकता में वृद्धि को केवल किसी एक उत्पादन से सम्बद्ध करना कठिन है । लेकिन पूंजी उत्पादन अनुपात के विचार से कुल स्थिति पर विचार करते हुए यह देखने में आया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के

पहले 2 वर्षों (1980-82) में वृद्धिकारक जोड़ी गई पूंजी के मूल्य का अनुपात कुल मिलाकर योजना के लिए परिकल्पित 4.2 के मुकाबले यह आंकड़ा आशाजनक रूप से 4 आंका गया है। कृषि के सम्बन्ध में भी वृद्धिकारक जोड़ी गई पूंजी के मूल्य के अनुपात में आशाजनक प्रवृत्ति (छठी पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित 3.7 के मुकाबले पहले 2 वर्षों में 2) है। इस प्रकार दोनों मामलों में उत्पादकता बढ़ रही है। उद्योग के सम्बन्ध में अपेक्षित ब्यौरों के अभाव के कारण तुलनात्मक आँकड़ों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

स्कोररों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित करना

1647. **श्री अजय विश्वास** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कोररों को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सूची से बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इसका एकमात्र कारण कानून में कोई कमी होना है और उक्त त्रुटि को यथा-शीघ्र दूर न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र के लिए स्कोररों को आरक्षित किए जाने सम्बन्धी मामले पर, गुणवत्ता (क्वालिटी) को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

तमिलनाडु में अखबारी कागज के मिल का स्थापना

1648. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुगलूर, तमिलनाडु में अखबारी कागज मिल की स्थापना के बारे में क्या प्रगति है जिसके लिए विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता स्वीकृत की है; और

(ख) क्या इस औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रबन्धक बोर्ड में तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): (क) कागज मशीन भवन पूरा हो चुका है और कागज मशीन उपकरणों की पहली खेप मार्च, 1982 के शुरू में आने की आशा है। इसके पश्चात् शीघ्र ही मशीन लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। सभी उपकरणों, वस्तुओं के क्रयादेश दे दिए हैं।

(ख) जी हां।

संयुक्त सलाहकार तन्त्र की बैठक

1649. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अक्तूबर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान संयुक्त सलाहकार तन्त्र की कोई बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन मदों पर विचार-विमर्श किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लाष्कर) : (क) इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय परिषद की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंसूरी के चारों तरफ खनन कार्य के कारण खतरे और निर्वनीकरण की स्थिति पैदा होना

1650. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मसूरी के चारों ओर खनन कार्य के कारण गम्भीर खतरे और निर्वनीकरण की स्थिति पैदा होने के बारे में 7 फरवरी, 1983 को "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री की चेतावनी और इच्छा के बावजूद खनन अधिनियम के विरुद्ध खनन कार्य किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मसूरी और देश के किसी भी भाग में और अधिक क्षति होने से रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) मसूरी के चारों ओर निम्नीकरण, खनन अधिनियम के उल्लंघन के कारण न होकर, अधिकतर निम्न कारणों से हैं :

1. अवैज्ञानिक खनन प्रचालन;

2. खनित क्षेत्रों के अनिवार्य सुधार के लिए वर्तमान कानून में विधिक व्यवस्था का अभाव

देहरादून-मसूरी क्षेत्र में आगे हानि को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव है :

1. इस क्षेत्र में किसी नई खनन लीज को मंजूर न करना;

2. क्रांतिक क्षेत्रों में लीजों का नवीनीकरण न करना;

3. पर्यावरणीय महत्व के लीजों के समयपूर्व समाप्त करने की अनुमति देने के लिए और पट्टाधारी द्वारा खनित क्षेत्र के अनिवार्य रूप से सुधार के लिए खनन अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना;

4. विध्वंस मसूरी पहाड़ी के पुनर्वास पर बल देते हुए, दून घाटी में एक समाकलित पारि-विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करना; तथा

5. विकास परियोजनाओं के पुनरीक्षण के लिए दून घाटी बोर्ड संस्थापित करना और पर्यावरणीय प्रबन्ध के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त मुहय्या करना ।

एल्यूमिना का निर्यात

1651. **श्री अजित बाग** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उत्पादित एल्यूमिना के निर्यात के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस परियोजना से वास्तव में कितनी मात्रा में एल्यूमिना का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० की उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजना में अपने पूर्ण चालन पर 375,000 टन एल्यूमिना निर्यात की संकल्पना की गई है। विदेशों के कुछ सम्भावित खरीददारों के साथ ठेके किये हैं। एल्यूमिना/एल्यूमिनियम उद्योग में इस समय मन्दी है तथा इस समय एल्यूमिना के विश्व मूल्यों में मन्दी है। आशा है बाजार में निकट भविष्य में माँग और प्रक्रिया दोनों में ही सुधार होगा तथा कम्पनी को किफायती मूल्य पर निर्यात आदेश प्राप्त होगा। चूंकि संयंत्र को मात्र 1985-86 में चालू किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है तथा क्षमता का निर्माण चरणबद्ध रूप में किया जाएगा, क्योंकि कम्पनी के पास उपादेय निर्यात ठेकों पर बातचीत करने हेतु पर्याप्त समय है।

औद्योगिक गृह में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लड़कों/लड़कियों के बारे में जाँच-पड़ताल

1652. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में इस आरोप की जांच-पड़ताल करवाई है प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लड़के/लड़कियां औद्योगिक गृहों में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इस जांच-पड़ताल के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) औद्योगिक गृहों में कार्यरत लड़कों/लड़कियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखकर प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आचरण नियमों के अधीन, समूह ए (श्रेणी-1) अधिकारियों के लिए यह आवश्यक होता है कि ऐसी किन्हीं कम्पनियों अथवा फर्मों में जिनके साथ उनका या उनके मन्त्रालय/विभाग का सरकारी सम्बन्ध रहता है, उनके लड़के, लड़कियों अथवा अन्य आश्रितों के नियोजन के सम्बन्ध में अपने अपने प्रशासी मन्त्रालय/विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें। अन्य स्थितियों में, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को केवल सूचना दी जानी ही आवश्यक होती है। इससे सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से न तो रखी जाती है न मानीटर ही की जाती है।

आदिवासियों की आबादी

1653. **श्री भोखा भाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुल आबादी का पांचवा भाग आदिवासी लोग हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान राज्य/केन्द्र सरकार ने उनके कल्याण पर कुल कितनी राशि व्यय की और उसकी तुलना में इस अवधि के दौरान व्यय की गई सामान्य राशि कितनी थी; और

(ग) आदिवासी जिले कितने हैं और गत पांच वर्षों के दौरान उनका परिव्यय कितना था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश में कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत या लगभग 1/13 भाग है ।

(ख) 25 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में से, जहां अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित हैं, 6 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों नामत: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादरा और नागर हवेली में जनजाति जनसंख्या अधिक है । ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में सम्पूर्ण राज्य या संघ शासन क्षेत्र योजना प्राथमिक रूप में जनजाति बाहुल्य जनसंख्या के लिए बनायी जाती है । शेष 19 राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में जनजाति उप-योजनाएं कार्य कर रही है, 1977-82 की अवधि के दौरान इन राज्यों को जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में, कुल 28,194 करोड़ रुपये के सामान्य परिव्यय की तुलना में 2,057 करोड़ रुपये का परिव्यय खर्च किया गया ।

(ग) जनजाति उप योजना के अन्तर्गत 22 जिले पूर्ण रूप से और 97 जिले आंशिक रूप से आते हैं । परिव्यय सामान्य रूप से जिलेवार आवंटित नहीं किये रखे जाते हैं ।

तमिलनाडु के लिए जारी किये गये आशय-पत्र

1654. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य के गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के लिए जारी किए गये आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान कितने आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस के रूप में बदल दिये गये हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के भीतर आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में न बदले जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ।

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी):(क) तमिलनाडु राज्य में गैर-सरकारी और

सरकारी दोनों क्षेत्रों में एककों की स्थापना के लिए वर्ष 1980 से 1982 तक दौरान के 186 आशय-पत्र स्वीकृत किए गए थे। पार्टी के नाम, पता, स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु, आदि सहित सभी आशय-पत्रों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) उपर्युक्त आशय-पत्रों में से 37 आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ग) प्रशासनिक मंत्रालय आशय पत्रों की प्रगति की मानीटरिंग उनका यथासमय परिवर्तन सुनिश्चित किये जाने के लिए करते हैं तथा जहां वे प्रगति की गति से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, आशय-पत्रों को रद्द कर देते हैं। विगत तीन वर्षों की अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य को स्वीकृत उपर्युक्त 186 आशय-पत्रों में से 4 आशय-पत्रों को अभी तक रद्द किया गया है। शेष आशय-पत्र जिन्हें न तो रद्द किया गया है और न ही उन्हें औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया है, कार्यान्वयन की विभिन्न स्थिति में हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्र

1655. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है जो वायु प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने संक्षेप में क्या कदम उठाये ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जल प्रदूषण निवावण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किए गये सर्वेक्षणों के आधार पर, निम्नलिखित दो क्षेत्र प्रदूषित पाये गये।

(1) नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास का प्रदेश।

(2) पुराने और नये दिल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच का क्षेत्र जहां बिजली घर स्थित है और यातायात गहनता ऊंची है।

(ग) वायु प्रदूषणकारियों के लगातार प्रबोधन के लिए कुछ प्रबोधन संयंत्र लगाये गये हैं। दिल्ली प्रशासन उपयुक्त नियंत्रण उपाय और वायु (प्रदूषन निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 54 के अन्तर्गत नियम अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।

जल, वायु और शोर प्रदूषण पर नियन्त्रण

1656. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानव जीवन के लिए हानिकारक तेजी से बढ़ते हुए जल, वायु और शोर प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जल और वायु प्रदूषण का नियन्त्रण क्रमशः जल (प्रदूषण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आता है। शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अभी तक कोई व्यापक अधिनियम नहीं है।

(ख) इन अधिनयमों के अन्तर्गत, प्रायः सभी राज्यों में राज्य बोर्डों की स्थापना की गई है और ये केन्द्रीय बोर्ड की देख-रेख में कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और भारतीय मानक संस्थान के सहयोग से, वायु और जल दोनों में उत्सर्जन के लिए अनुज्ञेय सीमाओं की सिफारिश की गई है और प्रदूषणकारियों के विरुद्ध मुकद्दमें चलाकर, प्रदूषण उपशमन उपायों के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर सीवेज संयंत्रों तथा शोधन संयंत्रों के लिए नगरपालिकाओं के साथ एक दूसरे को प्रभागित करके और इस दिशा में आम जनता में जागरुकता का निर्माण करके प्रदूषण नियंत्रण उपायों का राष्ट्र-व्यापी कार्यान्वयन प्रारम्भ किया है।

मध्य प्रदेश सरकार को नियंत्रित मूल्य के कागज की सप्लाई

1657. **श्री बाबू राव पराँजपे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को कापियां बनाने के लिए गत छः महीने से नियंत्रित मूल्य के कागज की सप्लाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कापियां बनाने के काम में लगे हुए लघु उद्योगों के बन्द होने के कारण बेकार हुए हजारों कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई अन्य योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) क्या निकट भविष्य में मध्य प्रदेश को नियंत्रित मूल्य के कागज का कोटा उपलब्ध कराया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है और वह कब तक दिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) कुछ कागज मिलों द्वारा कागज के उत्पादन और मूल्य के बारे में न्यायालय से अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए जाने के कारण, शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों को कर जाने वाली छपाई के सफेद कागज की आपूर्ति, पिछले कुछ महीनों में अवरुद्ध रही।

(ख) से (घ) छपाई के सफेद कागज के उत्पादन और आपूर्ति की शीघ्र पुनः चालू करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

कम्प्यूटर उद्योग की लाइसेंस प्रणाली हटाना

1658. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर उद्योग से लाइसेंस प्रणाली हटाने का निर्णय लिया है और उससे भारत में कम्प्यूटर का निर्माण करना सबके लिए खुल जाएगा;

(ख) क्या इस कम्प्यूटर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या इससे निम्न ग्रेड के कम्प्यूटरों का निर्माण नहीं होगा; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त निर्णय लिए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नल सरोवर झील पक्षी अभय वन

1660. **श्री शांतुभाई पटेल** :

डा बसन्त कुमार पंडित : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नल सरोबर झील पक्षी शरणस्थल, जहां साइबेरिया जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों से अनेक प्रकार के झुंड के झुंड पक्षी आया करते हैं, गुजरात में हाल में पड़े सूखे के कारण सूख रहा है और इस वर्ष वहां आने वाले पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस झील के सुधार के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। हाल के तूफान में प्राप्त वर्षा के परिणामस्वरूप झील क जल स्तर में वृद्धि हुई है और झील के सूख जाने का कोई डर नहीं है। प्रवासी पक्षी सामान्य रूप से आ रहे हैं।

कृषि और उद्योग में कम वृद्धि दर के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कम वृद्धि

1661. **श्री सोमनाथ चटर्जी** :

श्री अमर राय प्रधान : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि कृषि और उद्योग में कम वृद्धि दर के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि पिछले वर्ष के 4.5 प्रतिशत की तुलना में कम होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) हाल ही के आर्थिक सर्वेक्षण (1982-83) के अनुसार 1970-71 की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 1981-82 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई न कि 4.5 प्रतिशत की जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है। यह कृषि में 5.5 प्रतिशत और उद्योग में 8.6 प्रतिशत थी। आर्थिक सर्वेक्षण में 1982.83 के लिए 2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जिसमें कृषि में 3 प्रतिशत और उद्योग में 4.5 प्रतिशत शामिल है।

(ख) सरकार की प्रतिक्रिया 1982-83 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताई गई है। कृषि में गिरावट, संसाधनों पर बढ़ती हुई बाध्यकारिताओं और भुगतान शेष पर सतत दबाव के बावजूद अर्थ व्यवस्था में काफी अंश तक सुधार दिखाई दिया है। संरचनात्मक क्षेत्रक में निरन्तर वृद्धि हुई। कीमतों की स्थिति में सराहनीय स्थिरता दिखाई दी है। समग्र स्तर पर, वर्ष में गिरावट के बावजूद छठी योजना के पहले तीन वर्षों में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में औसत विकास दर 5 प्रतिशत से अधिक होती है। आगामी वर्षों में अर्थ-व्यवस्था अधिक अच्छी होने की सम्भावना है।

तूफान से क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक उपयोग के स्थानों की मरम्मत के लिए इस्पात की आवश्यकता

1662. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तूफान से क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक उपयोग के स्थानों और अन्य आस्तियों की मरम्मत के लिए तथा सरकारी और गैर-सरकारी उपभोक्ताओं की न्यूनतम आवश्यकता को तुरन्त पूरा करने के लिए इस्पात और हयूम पाइपों की तत्काल आवश्यकता का पता है; और

यदि हां, तो उड़ीसा में प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय दल की यात्रा के बाद उनकी सप्लाई के लिए किए गए दीर्घावधि उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने तूफान तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए इलाकों में राहत कार्यों के लिए 14,214.5 टन इस्पात की मांग की है। उन्हें 9,277.5 टन इस्पात देने की पेशकश की गई है, जिसमें से उन्होंने 6133 टन इस्पात उठाने की व्यवस्था कर ली है। राज्य सरकार को विश्वास दिलाया गया है कि राहत कार्यों के लिए उनकी लोहे और इस्पात की आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

सीमेंट का आयात

1664. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की कमी को दूर करने के लिए कितनी मात्रा में सीमेंट आयात किया गया और अगली छमाही के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट आयात किया जायेगा;

(ख) इस सीमेंट को किस एजेंसी के माध्यम से वितरित किया जाता है और उसके वितरण में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) आयातित सीमेंट का क्या मूल्य है और देश में उत्पादित सीमेंट का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) नागरिक पूर्ति विभाग में सीमेंट आयात करने के लिए किस संगठन को स्वीकृति दी है और उसके सम्बन्ध में किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) वर्ष 1982-83 में, अभी तक 12.69 लाख मी० टन सीमेंट का आयात किया गया है। वर्ष 1983-84 की आयात नीति का अभी निर्णय लिया जाना है तथा इसलिए, इस अवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि अगले छह महीनों में कितने सीमेंट का आयात, यदि कोई होगा, किए जाने की सम्भावना है।

(ख) राज्य व्यापार निगम तथा राज्य सरकारो संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा नामित सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को 1982-83 की आयात तथा निर्यात नीति के अधीन वास्तविक उपभोक्ताओं की ओर से सीमेंट का आयात करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 1982-83 में सीमेंट की आयात नीति का विस्तृत ब्यौरा वर्ष 1982-83 की आयात तथा निर्यात नीति के पैरा 119 में दिया गया है। सीमेंट के आयात करने की प्रक्रिया आयात तथा निर्यात के महानियंत्रक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई है जिसकी एक प्रति अनुबंध-1 में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5989/83]

(ग) आयातित सीमेंट का मूल्य विभिन्न स्रोतों में भिन्न-भिन्न होता है जो अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है। किन्तु, आयातित सीमेंट का पोत पर्यन्त मूल्य प्रति मी० टन सीमेंट लगभग 36 अमरीकी डालर से लेकर 40 अमरीकी डालर रहा है। देश में बनाये गये लेवी सीमेंट का रेल भाड़ा मुक्त मूल्य निम्नलिखित है जिसमें उत्पादन शुल्क, पैकिंग प्रभार और बिक्री कर शामिल नहीं है :

	प्रति मी० टन
सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट तथा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट	440.00 रु०
पोर्टलैण्ड पोजलाना सीमेंट	425.00 रु०

(घ) विभिन्न राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा नियुक्त किए गये सरकारी क्षेत्र के विभिन्न अभिकरणों की एक सूची अनुबंध-11 में संलग्न है। आयात तथा निर्यात बिल 1982-83 के अधीन आयात किया गया सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त है।

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन कमजोर वर्गों का विकास

1665. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए 20-सूत्री कार्यक्रम में देश के व्यापक विकास की कल्पना है; और

(ख) यदि हां, तो कृषि के क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण): (क) परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम छटी योजना का अभिन्न अंग है और इसमें राष्ट्रीय विकास के प्रयास के कुछ उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। यद्यपि परिशोधित कार्यक्रम में जनसंख्या के कम सुविधा प्राप्त वर्गों के लिए रहन-सहन की अच्छी स्थितियां उपलब्ध कराने पर ही बल दिया गया है तथापि इसका उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में समग्र विकास करना भी है।

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल निम्नलिखित स्कीमों से कृषि के क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण होगा :

1. सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना तथा शुष्क भूमि कृषि के लिए शिल्प विज्ञान का विकास और प्रचार करना। (सूत्र-1)

2. तिलहनों और दालों के उत्पादन को बढ़ाना। (सूत्र-2)

3. एकीकृत ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। (सूत्र-3)

4. अधिकतम कृषि भूमि सीमा का कार्यान्वयन तथा सभी प्रशासनिक और कानूनी रुकावटों को दूर करके बेशी भूमि का वितरण करना और भूमि अभिलेखों के संकलन को पूरा करना। (सूत्र-4)

5. खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन/मजदूरी लागू करना। (सूत्र-5)

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास की स्कीमों और कृषि में प्रगति को तेज करना। (सूत्र-6)

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि

1666. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में इस कार्यक्रम पर उन राज्यों ने कितनी-कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) क्या वर्ष 1983-84 में सूखाग्रस्त राज्यों को विशेष आवंटन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार किया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) राज्य योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्यय और व्यय संलग्न विवरण में दिए गये हैं ।

(ग) जी, नहीं । परन्तु सूखा से राहत के लिए राज्यों को दी गई अग्रिम योजना सहायता में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कुछ संघटकों के लिए सहायता शामिल है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (लाख रु० में)

	1981-82		1982-82	
राज्य	**परिव्यय**	**वार्षिक व्यय**	**परिव्यय**	**प्रत्याशित व्यय**
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4730	3911	5400	6902
असम	3500	3272	3488	3489
बिहार	8850	9050	8422	8963
गुजरात	5420	5516	3889	3903
हरियाणा	1829	1908	2079	1986
हिमाचल प्रदेश	1848	2787	2090	2239
जम्मू और कश्मीर	2260	2489	2192	2731
कर्नाटक	4181	4160	4881	5416
केरल	2251	2226	2238	2028
मध्य प्रदेश	5470	5826	5645	6530
महाराष्ट्र	7368	8485	9091	8946
मणिपुर	906	887	956	1020
मेघालय	767	732	752	832
नागालैंड	454	474	507	507
उड़ीसा	2379	2312	2571	2591
पंजाब	1944	1891	1779	2009
राजस्थान	4670	4619	4569	3911
सिक्किम	359	474	547	563
तमिलनाडु	3625	4075	4741	4884
त्रिपुरा	988	1065	1047	1350
उत्तर प्रदेश	11739	12828	14605	16588
पश्चिम बंगाल	5733	5534	6386	6528
जोड़ राज्य	81271	84521	87875	96616

विवरण जारी

2	2	3	4	5
संघ राज्य क्षेत्र				
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	246	389	249	485
अरुणाचल प्रदेश	779	763	986	1218
चंडीगढ़	110	79	129	144
दादरा और नागर हवेली	52	28	49	66
दिल्ली	1342	1260	1767	2317
गोवा, दमन और द्वीव	145	199	187	217
लक्ष्यद्वीप	21	15	26	33
मिजोरम	590	541	611	653
पांडिचेरी	135	135	170	183
जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	3420	3409	4174	5316
जोड़ राज्य संघ राज्य क्षेत्र	84691	87930	92049	101932

भारतीय श्रमिकों को खनन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए भारत सोवियत संघ के बीच हुआ करार

1667. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमिकों को खनन कार्य में प्रशिक्षण देने के लिए सोवियत संघ और भारत के बीच कोई करार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है, प्रशिक्षण की अवधि और अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण भारत में दिया जाएगा या रूस में, इस प्रयोजन के लिए पहले बैच में कितने श्रमिक भेजे जाएंगे, इस पर कितना व्यय आएगा और उसे किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग)

खान विभाग के प्रस्तावों पर सोवियत संघ के अलोह धातुकर्म मंत्रालय तथा भारत सरकार के खान विभाग के प्रतिनिधियों के बीच जनवरी, 1982 में हुई वार्ता के आधार पर सोवियत सरकार ने सोवियत रूस की खानों में विशिष्ट खनन पहलुओं का भारतीय इंजीनियरों तथा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने की सहमति दे दी है। सोवियत पक्ष से हाल ही में प्राप्त करार-प्रारूप के अनुसार पहले दल में हिन्दुस्तान जिंक लि० से एक खनन इंजीनियर को 6 माह तक तथा खनिज गवेषण निगम लि० से 5 खनन इंजीनियरों, 2 विद्युत इंजीनियरों, 2 यांत्रिक इंजीनियरों, 2 खान पर्यवेक्षकों, 6 खनन पर्यवेक्षकों तथा एक यांत्रिक पर्यवेक्षक को दो माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोवियत यूनियन को हिन्दुस्तान जिंक लि० तथा खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा उनके कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रति माह प्रति इंजीनियर तथा फोरमैन के लिए 425 रूबल और प्रति कुशल कामगार 375 रूबल की दर से भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों को सोवियत संघ में मास्को से प्रशिक्षण स्थल तथा वापसी का यात्रा खर्च सोवियत पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों का भारत से मास्को तक का यात्रा खर्च और बीमा खर्च सम्बन्धित भारतीय कम्पनियों द्वारा दिया जाएगा। करार-प्रारूप का अध्ययन हो रहा है तथा करार को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही संभावित व्यय का पता चल सकेगा।

भारत-सोवियत आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी अन्तःसरकारी आयोग को कोयला उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी समूह की सितम्बर/अक्तूबर, 1981 में हुई पहली बैठक में सोवियत पक्ष ने कोयला खनन में भारतीय कार्मिकों को सोवियत रूस में प्रशिक्षण देने की सहमति दी थी। इस प्रशिक्षण का करार-प्रारूप अभी प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इस प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले कार्मिकों तथा उन पर होने वाले खर्च के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवकों के लिए रोजगार गारण्टी योजना आरम्भ किया जाना

1668. **श्री राम स्वरूप राम : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार गारण्टी योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब से आरम्भ करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार गारण्टी स्कीम आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

सेवा निवृत्ति की आयु

1669. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री हरिकेश बहादुर : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी आयु 55 वर्ष की हो गई है और जो अभी तक सेवा में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्ति की आयु घटाने का है, और यदि हां, तो इसे कितना कम करने का विचार है; और

(ग) उससे कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस सम्बन्ध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसे आंकड़े केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं किए जाते ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य की योजनाओं में घाटा

1670. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 के वित्तीय वर्ष में 22 राज्य सरकारों के लेखे में कुल कितनी राशि का घाटा है और 1981-82 के वित्तीय वर्ष में इस घाटे की राशि कितनी थी और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त भाग (क) के अनुसार राज्य योजनाओं के आकार में किस सीमा तक कटौती की गई और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) घाटे के कारण केन्द्रीय क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में किये गये योजना प्राक्कल अन्य में उसी प्रकार की कमी का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) सभा पटल पर विवरण प्रस्तुत है जिसमें वर्ष 1981-82 के लिए सूचना दी गई है । वर्ष 1982-83 के लिए इसी प्रकार की सूचना वर्ष समाप्त होने के बाद उपलब्ध होगी । पांच राज्य सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारें, वर्ष घाटे के बिना समाप्त करने की आशा करती हैं । नीचे सूची में दिए गए पांच के मामले में प्रत्याशित घाटे प्रत्येक के सामने दिए गए हैं ।

वर्ष 1982-83 के अन्त में प्रत्याशित घाटा

	(करोड़ रु०)
1. हरियाणा	15.00
2. पंजाब	14.00
3. मणिपुर	1.25
4. मेघालय	4.00
5. सिक्किम	0.52

इन मामलों में, अगले वर्ष की वार्षिक योजना का परिकलन करने में इस प्रत्याशित घाटे को ध्यान में रखा गया है ।

(ग) वर्ष 1982-83 के परिशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय योजना पर कुल व्यय बजट अनुमानों की अपेक्षा 603 करोड़ रु० अधिक होगा जबकि बजटीय घाटा 580 करोड़ रु० अधिक होगा । लेकिन केन्द्रीय घाटे में वृद्धि केन्द्रीय योजना के लिए अधिक बजटीय समर्थन के अलावा, राज्यों को अधिक अन्तरण, देशीय उर्वरकों पर अधिक राज सहायता और बढ़े हुए रक्षा व्यय आदि जैसे अनेक उपादानों के कारण हुई है ।

विवरण

31-3-1982 को राज्यों के कुल घाटे/अधिक्य का विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश	-18.95
2. असम	-127.43
3. बिहार	-197.39
4. गुजरात	-74.60
5. हरियाणा	-75.79
6. हिमाचल प्रदेश	-36.91
7. जम्मू और कश्मीर ×	
8. कर्नाटक	†1.37
9. केरल	-93.93
10. मध्य प्रदेश	-154.88
11. महाराष्ट्र	-81.10
12. मणिपुर	-66.29
13. मेघालय	-16.41
14. नागालैंड	-21.96
15. उड़ीसा	-24.43

1 2	3
16. पंजाब	-97.35
17. राजस्थान	-283.46
18. तमिलनाडु	+ 20.05
19. त्रिपुरा	-30.72
20. सिक्किम ×	
21. उत्तर प्रदेश	-0.85
22. पश्चिम बंगाल	-340.71
जोड़	-1722.04
	+ 21.42
	-1743.46

भारतीय रिजर्व बैंक से लेनदेन नहीं करने ।

ककरापार परमाणु बिजली घर में भर्ती किये गये कर्मचारी

1671. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ककरापार परमाणु बिजली घर (गुजरात) में कितने कर्मचारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में भर्ती किये गये हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बिजली घर में उनमें कितने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी स्थानीय और प्रभावित परिवारों से भर्ती किये गये हैं और उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के कर्मचारियों की इस समय की वर्गवार स्थिति नीचे दी जा रही है :

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य परियोजनाओं से अन्तरित कर्मचारी	स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से स्थानीय रूप से भर्ती कर्मचारी	खुले विज्ञापन के माध्यम से भर्ती कर्मचारी
वर्ग क	19	19		
वर्ग ख	11	7		4
वर्ग ग	10	5	4	1
वर्ग घ	6	4	2	
कुल	46	35	6	5

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इलेक्ट्रानिकी उद्योग के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि

1672. **श्री अमल दत्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के उत्पादन के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है और उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वास्तविक मूल्य कितना है;

(ख) इसी अवधि के दौरान अमरीका, जर्मनी, जापान, ग्रेट-ब्रिटेन और फ्रांस में इलेक्ट्रोनिक उद्योग के उत्पादन के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई थी और गत तीन वर्षों के दौरान का वर्षवार देशवार ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) पिछले तीन वर्षों (1980 से 1982) में उत्पादन तथा इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विकास का प्रतिशत क्या रहा, इसका विवरण नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष (कलेण्डर)	**उत्पादन (करोड़ रुपयों में)**	**विकास का प्रतिशत (पिछले वर्ष की तुलना में)**
1980	806	24.7
1981	856	6.2
1982 (अनन्तिम)	1050	22.7

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सचिवालय और सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिकों के पदोन्नति के अवसर

1673. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय और सशस्त्र सेना मुख्यालय में सभी ग्रेड के आशुलिपिकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने आशुलिपिक कार्यरत हैं;

(ख) उनमें पारस्परिक पदोन्नति के क्या अवसर हैं;

(ग) उनमें पदोन्नति के अवसरों में कोई असमानता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें भी वही सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा, दो अलग-अलग सेवाएं हैं और इनके

नियम भी अलग-अलग हैं। पहली सेवा से सम्बन्धित नियम गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा और बाद की सेवा से सम्बन्धित नियम रक्षा मन्त्रालय द्वारा शासित किए जाते हैं।

चूंकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेड प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के विकेन्द्रीकृत संवर्गों में शामिल हैं। इसलिए इस सेवा के विभिन्न ग्रेडों की कुल स्वीकृत पद संख्या के सम्बन्ध में केन्द्रीकृत रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

इस सेवा के विभिन्न ग्रेडों के वेतनमान इस प्रकार हैं :

ग्रेड-ए	रु० 650-1200
ग्रेड-बी	रु० 650-1040
ग्रेड-सी	रु० 425-800
ग्रेड-डी	रु० 330-560

(ख) से (घ) तक : केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नतियां इन सेवाओं को शासित करने वाले नियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं। चूंकि विभिन्न सेवाओं के सदस्थों के पदोन्नति के अवसर संवर्ग पद संख्या, रिक्तियों की स्थिति आदि जैसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर होते हैं और इन तत्वों की स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है इसलिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के सदस्यों के पदोन्नति के अवसरों की पारस्परिक तुलना करना सम्भव नहीं हो सकता।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा राजौरी गार्डन, दिल्ली में एक युवती की मृत्यु की जाँच

1674. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक युवती की मृत्यु के मामले की जांच की जा रही है जो राजौरी गार्डन, दिल्ली में अपने ससुराल में 9 अगस्त, 1980 को जल कर मर गई थी;

(ख) यदि हां, तो जांच के अब तक क्या परिणाम निकले हैं और दोषी व्यक्तियों को क्या सजा दी गई है;

(ग) युवतियों के जल कर मरने के कितने अन्य मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस समय जांच की जा रही है;

(घ) वर्ष 1982 में ऐसे कितने मामलों की जांच की गई और कितने व्यक्तियों को सजा दी गई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) देश में 1981-82 के दौरान घरेलू झगड़ों के कारण कितनी युवतियों की जलने के कारण मौतें हुईं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो ने मामले की जांच पड़ताल पूरी कर ली है। केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के अनुसार, यह एक आत्महत्या का मामला था न कि हत्या या हत्या करने के लिए अवप्रेरण का। इन परिस्थितियों में किसी को दण्ड देने का प्रश्न उठता है।

(ग) इस समय केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा एक दूसरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित एक मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 1982 में जांच पड़ताल की गयी थी।

(ङ) ऐसे मामलों में अखिल भारतीय स्तर के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, 1981 में ऐसे 201 और 1982 में 260 मामले हुए हैं।

देश में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य

1675. **श्री सुशील भट्टाचार्य :**

श्री सकारिया थामस : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 को समाप्त हुए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान हमारे देश में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य एवं उत्पादन क्षमता क्या थी;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ग में बाजार में इस्पात उत्पादन का बाहुल्य है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) :(क) 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के तीन वर्षों के दौरान छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य तथा क्षमता इस प्रकार हैं :

(हजार टन)

वर्ष	लक्ष्य	निर्धारित क्षमता
1980-81	7320	8700
1981-82	7850	8700
1982-83	7350 (संशोधित)	8700

इसके अलावा देश में लघु इस्पात कारखानों की क्षमता 24.8 लाख टन है।

(ख) मुख्य इस्पात उत्पादकों के पास विक्रेय इस्पात के वर्तमान स्टाक में इस वर्ष आरम्भ

के स्टाक के मुकाबले में वृद्धि हुई है, क्योंकि इस्पात की बिक्री इसके उत्पादन के अनुरूप नहीं हुई है।

(ग) बिक्री में वृद्धि करने के लिए सरकार तथा "सेल" द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश की धारा 7 के अन्तर्गत कच्चे लोहे को छोड़कर इस्पात सामग्री के लिए अन्ततः उपयोग की घोषणा समाप्त कर दी गई है।

(2) वितरण प्रणाली में ढील दी गई है।

(3) सेल द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को इस्पात बेचने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है और अब सभी व्यापारी, जो इस्पात का व्यापार करना चाहें, इस्पात का व्यापार कर सकते हैं।

(4) कुछ विशेष श्रेणियों/किस्मों के इस्पात के मूल्य में छूट दी जा रही है।

(5) मात्रात्मक छूट देने के बारे में 'सेल' द्वारा घोषणा की गई है।

(6) "सेल" द्वारा कुछ मदों के लिए चयनात्मक आधार पर उधार की सुविधाएं दी जाती हैं।

(7) पुराने/क्षतिग्रस्त/न बिकने वाला माल टेंडर आमंत्रित करके बेचा जाता है।

(8) उन लोगों को जो पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात-नीति के अन्तर्गत अपने शुल्क-मुक्त तथा अग्रिम लाइसेंस छोड़ देंगें, गर्म बेलित क्वायल/स्कैल्प तथा ठंडी बेलित क्वायल/चादरें अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धी मूल्यों पर सप्लाई करने की एक योजना शुरू की गई। माध्यम अभिकरणों द्वारा आयात किए जाने वाले इस्पात के आयात के लाइसेंसधारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे इस प्रकार की सामग्री की सप्लाई के लिए पहले सेल से सम्पर्क करें।

(9) सेल अपने खर्च पर एक स्टाकयार्ड से दूसरे स्टाकयार्ड में माल भेज देगी बशर्ते कि उसकी बिक्री पहले हो जाए।

इसके अलावा सामान्य स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) "सेल" के कारखानों के प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन किया गया है ताकि वे उन मदों का अधिक उत्पादन कर सकें जिनकी मांग अधिक है तथा उन मदों के उत्पादन में कमी कर सकें जिनकी मांग कम है।

(2) इस्पात के बारे में आयात-नीति जिस पर पहले ही काफी प्रतिबन्ध थे और प्रतिबन्ध

लगा दिए गए हैं ताकि उन मदों का आयात न किया जाए जिनके आयात से बचा जा सकता है।

विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरों का लगाया जाना

1676. **श्री आर० प्रभु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में कितने कम्प्यूटर लगाए हैं;

(ख) इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि इन कम्प्यूटरों का अधिकतम क्षमता तक उपयोग किया जाये;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकतर कम्प्यूटरों के पास पर्याप्त काम नहीं है; और

(घ) क्या विभाग ने विभिन्न विभागों द्वारा कम्प्यूटरों के उपयोग की प्रतिशतता का कोई अध्ययन किया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री (डा० एम०एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा अधिकारी काडर के नियमों को राजपत्र में अधिसूचित करना

1677. **श्री अनवर अहमद** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा अधिकारी काडर के नियमों को अन्तिम रूप देने और भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने में अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इन नियमों को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा और भारत के राजपत्र में कब अधिसूचित किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के समूह "ग" पदों से सम्बन्धित नियम भारत के राजपत्र में 19.9.1981 को अधिसूचित हो गए हैं। समूह "क" तथा 'ख" पदों से सम्बन्धित नियमों के मसौदे को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप देकर राजपत्र में शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करने का प्रयास किया जा रहा है।

गोआ, दमन और दीव में पदों के लिए चयन हेतु चयन बोर्ड का गठन

1678. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के प्रशासन में पदों के लिये चयन हेतु एक चयन बोर्ड का गठन किया जाये;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस के द्वारा किया गया था और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन के मामले में भी उसी प्रकार का चयन बोर्ड है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) 18.3.80 को हुई संघ शासित क्षेत्रों के सांसदों की बैठक में एक सुझाव दिया गया था कि गोआ, दमन तथा दीव की सरकार के अधीन समूह "क तथा "ख" के पदो पर भर्ती आगे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जानी चाहिए बल्कि संघ शासित क्षेत्र सरकार के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों के बोर्ड द्वारा की जानी चाहिए। उक्त सुझाव पर सरकार द्वारा संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के साथ परामर्श करके विचार किया गया था और यह मालूम हुआ कि संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से संबंधित पदों पर भर्ती से छूट देने के लिये कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है।

मई, 1981 में संघ शासित क्षेत्रों के सांसदों के साथ हुई तत्कालीन गृह मन्त्री की बैठक में पुनः यह सुझाव दिया गया था कि चयन बोर्ड द्वारा भरती के मामले की संघ शासित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में की गई भर्ती का रूप रेखा के आधार पर पुनः जांच की जाये। तदनुसार इस मामले की इस मंत्रालय में संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के साथ परामर्श करके पुनः जांच की जा रही है।

अरुणाचल प्रदेश की अवस्था में समूह "क" तथा "ख" पदों पर भर्ती इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से छूट देने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है। इस प्रकार दी गई छूट का सावधिक पुनरीक्षण किया जाता रहा है और अब भी करना है।

त्रिपुरा तथा मणिपुरा में मिजो नेशनल फ्रंट तथा उग्रवादी तत्वों के बीच सांठगाँठ

1679. **श्री छोटे सिंह यादव :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा तथा मणिपुर में मिजो नेशनल फ्रंट तथा उग्रवादी तत्वों के बीच नये स्वयं सेवकों की भर्ती तथा प्रशिक्षण के संयुक्त कार्यक्रम के लिये सांठगांठ की जानकारी है जो कि गैरकानूनी तथा तोड़फोड़ कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये पिछले कुछ समय से चल रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार ऐसी रिपोर्टों के प्रति सजग है। उग्रपंथियों की गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा उपाय किये गये हैं।

जनसाधारण में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना

1680. **श्री सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार लोगों में विज्ञान और वैज्ञानिक विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कदम उठा रही है;

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में किन स्वयंसेवी संगठनों की सहायता कर रही है; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1981-82 के दौरान केरल शास्त्र सहित्य परिषद को कितनी सहायता दी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों के अधीन विभिन्न अधिकरण इस कार्य में कई प्रकार से पहले से ही जुटे हुए हैं, जैसे निम्नलिखित माध्यम से –

— रेडियो और टेलीविजन पर, ऐसे विज्ञान कार्यक्रमों सहित, जो विशेषकर महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण श्रोताओं के लिए तैयार किये गये हैं, विज्ञान कार्यक्रमों का प्रसारण;

— विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर फिल्मों, दूरदर्शन कार्यक्रमों और दृश्य श्रव्य प्रदर्शनों पर फिल्मों को तैयार करना और उन्हें सिनेमाघरों, दूरदर्शन और अन्यत्र उनका प्रदर्शन करना;

— विज्ञान के विभिन्न विषयों पर सम्मेलनों/संगोष्ठियों और लोकप्रिय व्याख्यानों का आयोजन, उनके आयोजन हेतु वित्तीय समर्थन;

— पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के रूप में विज्ञान के विषयों पर लोकप्रिय पत्रिकाओं की और साहित्य का प्रकाशन और क्षेत्रीय भाषाओं में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय समर्थन;

— विज्ञान संग्रहालयों/केन्द्रों की स्थापना करना और देश भर में स्थिर और चल विज्ञान प्रदर्शनियां और मेले आयोजित करना आदि।

इसके अलावा, सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की है जो लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लोकप्रियता और वैज्ञानिक विचारशीलता को प्रोत्साहन देगी।

(ख) सरकार उन कार्यक्रमों/क्रियाकलापों हेतु जिनके लिए इसे प्रस्ताव, विभिन्न सुप्रसारित स्कीमों की रूपरेखा के अन्तर्गत भेजे जाते हैं जो कि विभिन्न विभागों और/अथवा उनके अभिकरणों के अधीन परिचालित हैं, के लिए इस संबंध में बड़ी संख्या में स्वयंसेवी अभिकरणों, व्यवसायिक निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। साथ ही सरकार विभिन्न राज्यों में ऐसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के गठन को प्रोत्साहित कर रही है जिनके क्रियाकलापों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने को और लोगों में वैज्ञानिक चिन्तन को प्रोत्साहन देना भी आ जाते हैं। उदाहरण के रूप में, ऐसी स्वयंसेवी अभिकरणों, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, का एक नमूना विवरण संलग्न है।

(ग) केवल पच्चीस हजार रुपये, जो मुख्य रूप से मलयालम में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के सहायता के रूप में है।

विवरण

विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए जिन अभिकरणों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है उनकी नमूना सूची।

1.	बंगियरा विज्ञान परिषद, कलकत्ता	जनन-ओ-विज्ञान (बंगाली)
2.	एसोसिएशन फार द प्रोमोशन आफ साइन्स एजूकेशन, मद्रास	इल्म विज्ञानी (तमिल)
3.	केरल शास्त्र साहित्य परिषद	शास्त्रगाथी (मलयालम)
4.	विज्ञान परिषद, इलाहाबाद	विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका (हिन्दी)
5.	केरल शास्त्र साहित्य परिषद, त्रिचूर	यूरेका (मलयालम)
6.	विज्ञान परिषद, इलाहाबाद	विज्ञान (हिन्दी)
7.	केरल शास्त्र वस्तु साहित्य परिषद, कोट्टायम	शस्त्राकेरलम (मलयालम)
8.	महात्मा फूले वस्तु संग्रहालय, पुणे	श्रीशतिध्यान (मराठी)
9.	पी० एस० जी० एंड सन्स चैरिटीज, पीलामेदू, कोयम्बटूर	क्लाईक्थीर (तमिल)
10.	सुगन्तम ट्रस्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद	सुगन्तम (गुजराती)
11.	असम साईंस सोसायटी, गोहाटी	विज्ञान ज्योति (असमी)
12.	विज्ञान प्रचार समिति, कटक	विज्ञानअलोक (ऊड़िया)

13.	मराठी विद्न्य परिषद, बम्बई	मराठी विदन्य परिषद पत्रिका (मराठी)
14.	सोसायटी फार एन्वायरन्मेंटल एजूकेशनशन इन केरला, केरल	सूचीमुखी (मलयालम)
15.	सांइटिफिक वर्कर्ज फोरम, वेस्ट बंगाल	विज्ञान-ओ-विज्ञान कर्मी (बंगाली)
16.	जयमाला, 29/2 बेनियाटोला लेन, कलकत्ता	विज्ञान मेला (बंगाली)
17.	कर्नाटक राज्य विज्ञान परिषद, इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर	बाल विज्ञान (कन्नड़)

लेवी सीमेन्ट की सप्लाई में कमी

1681. **श्री चित्त बसु :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि चालू वर्ष के दौरान लेवी सीमेन्ट की सप्लाई में कमी थी और गैर-लेवी सीमेन्ट की कीमतों में अनुचित वृद्धि हुई; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान नीति की असफलता को देखते हुए सीमेन्ट की वितरण प्रणाली को सुधारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सीमेंट के कुछ कारखानों द्वारा लेवी सीमेंट का थोड़ा कम संभरण किया गया है । देश के कुछ भागों में गैर-लेवी सीमेंट के मूल्य अस्थायी रूप से बढ़ जाने की भी सूचना मिली है ।

(ख) लेवी सीमेंट संभरण में गिरावट आने के बारे में, सभी सीमेंट उत्पादकों को यह सलाह दी गई कि समग्र कमी को पूरा करने के लिए तत्काल ही कदम उठाएं तथा स्थिति की बराबर जांच की जा रही है । गैर-लेवी सीमेंट के मूल्य के सम्बन्ध में मानक तथा तोल (पैक किया हुआ माल) नियमावली, 1977 के उपबंधों को, जिसके अन्तर्गत सीमेंट उत्पादकों को सीमेंट की बोरियों पर गैर-लेवी सीमेंट का अधिकतम मूल्य और शुद्ध वजन निर्दिष्ट करके होता है, सीमेंट उत्पादकों के ध्यान में ला दिया गया है । सीमेंट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन को यह सलाह भी दी गई है कि वह अपने द्वारा स्वेच्छा से निर्दिष्ट किए गए गैर-लेवी सीमेंट के खुदरा मूल्य का व्यापक प्रचार करें । सभी सीमेंट उत्पादकों को यह सलाह भी दी गई है कि इस प्रकार का कदाचार करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें । राज्य सरकारों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है सीमेंट की अनुपलब्धता/कमी के बारे में राज्य सरकारों से सूचना मिलने पर, सीमेंट उत्पादकों को कमी की सूचना देने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक गैर-लेवी सीमेंट भेजने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति का घरेलू खर्च

1682. **श्री गदाधर साहा :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, अलग-अलग प्रति व्यक्ति औसत खर्च क्या था ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन उपभोक्ता व्यय पर समय-समय पर (सामान्यता पंचवार्षिक आधार पर) सर्वेक्षण करता है। इस प्रकार का सर्वेक्षण 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के वर्षों के दौरान जिसके सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है, नहीं किया गया।

कुछ इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का आयात

1683. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

निम्नलिखित वस्तुओं में से कितनी प्रतिशत वस्तुओं का आयात किया गया और कितने प्रतिशत का पूर्ण रूप से देश में ही उत्पादन हुआ :

(1) कम्प्यूटर;

(2) राडार, बी० एफ० आई० एफ० प्रणाली आदि सहित माइक्रोवेव वस्तुएं;

(3) केपेसिटर्स, रसिसटर्स तथा अन्य पैसिव उपकरण; और

(4) सेमी-कन्डक्र्स उपकबण ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (1) से (4) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

काडर-बाह्य पदों पर अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाया जाना

1684. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काडर-बाह्य पदों पर अधिकारियों को रखने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) उक्त कार्य काल की समय सीमा क्या है;

(ग) क्या कार्डर-बाह्य पदों पर अधिकारियों के सेवा काल को बढ़ाये जाने के कारण अन्य पात्र अधिकारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में काडर-बाह्य पदों के लिये कितने मामले में सेवा काल बढ़ाया गया; और

(ड़) ऐसे मामलों में सेवा काल बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) संवर्ग-बाह्य पदों को इन पदों को भरने के लिए बनाए गए भर्ती नियमों में यथानिर्धारित पद्धति के अनुसार भरा

जाता है सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों को संवर्ग-बाह्य पदों पर केवल तभी प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है जबकि इनसे सम्बन्धित भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति किए जाने की व्यवस्था हो। ऐसे मामलों को छोड़कर, जिनमें लम्बी सेवावधि निर्धारित की गई हो, सभी मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष होती है। निर्धारित अवधि के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकहित में ही सेवाकाल में वृद्धि स्वीकृत की जाती है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले पात्र अधिकारियों को संवर्ग-बाह्य पद पर स्वाभाविक रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित सेवावधि के बाद जिन मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि की गई है उनकी संख्या केन्द्रीकृत रूप में मानीटर नहीं की जाती।

(ङ) सेवाकाल में वृद्धि केवल तभी स्वीकृत की जाती है, जबकि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है।

इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा रंगीन टेलीविजन सेटों का आयात

1685. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रानिक्स व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम द्वारा 1982 में रंगीन टेलीविजन के कुल कितने सेटों का आयात किया गया;

(ख) एशियाड के दौरान तथा उसके बाद अब तक उपर्युक्त निगम द्वारा कुल कितने रंगीन टेलीविजन सेट बेचे गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में रंगीन टेलीविजन सेट उपर्युक्त निगम के पास बिना बिके पड़े हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके कारण कितनी धनराशि अवरुद्ध हुई है;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम के पास रंगीन टेलीविजन सेटों के भारी भंडार को शीघ्र बेचा जा सके, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रोनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने वर्ष 1982 में 90 हजार रंगीन दूरदर्शन किटों (न कि सेटों) का आयात किया था।

(ख) इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने 4 दिसम्बर, 1982 तक 77,935 रंगीन दूरदर्शन किट (न कि सेट) बेचे थे।

(ग) 90,000 किटों में से, मैसर्स इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने 89,200 किट एशियाई खेल के पहले आवंटित कर दिए थे। किन्तु दूरदर्शन उद्योग ने 4 दिसम्बर, 1982 तक केवल 77,935 किट ही खरीदे थे।

(घ) जो रंगीन दूरदर्शन किट बिके नहीं हैं, उन्हें सरकार ने पुनः आवंटित किया है।

औद्योगिक उपक्रमों में उत्पादन दर

1686. **श्री फूल चन्द्र वर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में उत्पादन दर 1980-81 तथा 1981-82 में बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों में उत्पादन में वृद्धि की वर्ष-वार, अनुपात क्या है;

(ग) क्या उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों में उत्पादन लागत में वृद्धि के सम्बन्ध में ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी० एस० ओ०) के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के बारे में जानकारी वर्ष 1980-81 और 1981-82 की सरकारी उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्टों में उपलब्ध है जिन्हें भारत सरकार सभापटल पर पहले ही रख चुकी है।

प्रति व्यक्ति आय

1687. **श्रीमती कृष्णा साही :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचे है;

(ख) क्या भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय का दावा पांडिचेरी करता है, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा, दमन और दीव, चौथा पंजाब, पांचवां महाराष्ट्र और सबसे कम का बिहार का है; और

(ग) यदि यह आंकड़े सही हैं तो इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व रिपोर्ट, 1982 जिसमें वर्ष 1980 के लिए 114 देशों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान अमरीकी डालर में प्रस्तुत किया गया है, कि अद्यतन सूचना के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 240 अमरीकी डालर है तथा अवरोही क्रम से इसका 101वां स्थान है।

(ख) प्रति व्यक्ति आय के उपलब्ध अद्यतन राज्यवार अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में अवरोही क्रम से प्रथम पांच राज्यों का स्थान इस

प्रकार है : दिल्ली, पांडिचेरी, पंजाब, गोआ, दमन तथा दीव और हरियाणा । बिहार का स्थान सबसे नीचे है ।

(ग) छठी योजना में असमानता की समस्या का हल विभिन्न उपायों के माध्यम से किए जाने का प्रयास किया जा रहा है । केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित नीतियों एवं कार्यक्रमों को अपनाया गया है :

(1) संसाधनों का स्थानान्तरण जो पिछले राज्यों के पक्ष में भारित किए गए हैं;

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्यागस्त क्षेत्रों में निर्दिष्ट विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम; और

(3) पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनात्मक उपाय ।

देश की परमाणु विद्युत की क्षमता

1688. **श्री बी० डी० सिंह :**

श्री रशीद मसूद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश की परमाणु विद्युत की क्षमता कितनी थी और पांचवी योजना के अन्त के यदि कोई लक्ष्य निर्धारित थे तो उनकी तुलना कितनी वृद्धि हुई और उसमें यदि कमी रही तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1980-89 के बीच परमाणु विद्युत की क्षमता में वृद्धि करने के यदि कोई लक्ष्य हैं तो उसमें कितनी वृद्धि की संभावना है और उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाना है; और

(ग) कौन से परमाणु विद्युत संयंत्र को चालू किये जाने में असाधारण विलम्ब हुआ है और उनके क्या कारण हैं तथा उनको पूरा किये जाने में विलम्ब के कारण उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों की क्षमता 420 मेगावाट थी, जिसे पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बढ़ाकर 640 मेगावाट कर दिया गया, जबकि लक्ष्य यह था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक ऐसे बिजलीघरों की क्षमता 1330 मेगावाट हो ।

परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होने के कारण हैं : स्वेदशी उपस्करों के निर्माण के दौरान सामने आई विभिन्न समस्याओं के कारण उन उपस्करों का विलम्ब से मिलना, श्रमिक अशान्ति, बिजली की कटौती, कुछ देशों द्वारा सामग्री तथा उपस्कर देने पर लगाई गई पाबन्दी ।

(ख) 640 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाले यूनिटों के अलावा, राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट नवम्बर, 1980 में चालू किया जा चुका है और मद्रास परमाणु विद्युत

परियोजना का पहला यूनिट भारी पानी ग्रहण करने की स्थिति में है। मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिटों की छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में चालू कर दिया जायेगा। आशा है कि नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिट भी इस दशाब्द के अन्त तक चालू कर दिये जाएंगे। इस प्रकार यह आशा है कि इस दशाब्द के अन्त से पहले परमाणु बिजलीघरों की कुल उत्पादन क्षमता 1800 मेगावाट हो जायेगी।

(ग) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना और नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना, जिन दोनों में ही 235 मेगावाट क्षमता के दो-दो यूनिट होंगे, का काम निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है।

इन परियोजनाओं की कुल लागत में इस कारण से जो वृद्धि हुई कही जा सकती है वह निम्नलिखित है :

	(करोड़ रुपये)
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना (पहला यूनिट)	46.76
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना (दूसरा यूनिट)	41.89
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना (पहला और दूसरा यूनिट)	126.66

उपर्युक्त वृद्धि में निर्माण-कार्यक्रम में विलम्ब होने के कारण लागत में हुई वृद्धि और मूल्य-वृद्धि के अनुमान से ज्यादा रहने के कारण लागत में हुई वृद्धि भी शामिल हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन

1689. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि उद्योग उत्पादन में पिछड़ा रहा है और इस लक्ष्य की प्राप्ति की सम्भावना नहीं है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार को केन्द्र सरकार ने सीमेंट का आयात करने की अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किस एजेंसी के माध्यम से है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तथा (ख) वर्ष 1982-83 में अवस्थापना निविष्टियों विशेषत: बिजली और कोयले की उपलब्धता सामान्य हो जाने पर सीमेंट का कुल उत्पादन 260 लाख मी० टन होने का अनुमान था। किन्तु प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों

में बिजली की कमी के कारण आशा है कि 1982-83 में सीमेंट का उत्पादन लगभग 230 लाख मी० टन होगा ।

(ग) 1982-83 की आयात तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत सीमेंट का आयात चुने हुए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है ।

(घ) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने सूचना दी है कि महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम, बम्बई ने एक लाख मी० टन सीमेंट आयात करने के लिए करार किया है जिसमें से 14,000 मी० टन अब तक वास्तव में आयात किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात में दर्ज किये गये दहेज मौतों के मामले

1690. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री रामजी भाई मावणि : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा गुजरात में पिछले तीन वर्षों में दहेज मौतों के क्रमश: कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामलों में पुलिस द्वारा जांच पूरी कर गई है और जांच के कितने मामले उनके पास अभी लम्बित हैं;

(ग) पुलिस द्वारा न्यायालयों में दायर किये गये कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जा चुके है; और

(घ) उक्त मामलों में कितने व्यक्तियों को दोषयुक्त करार दिया गया और कितनों को दंड दिया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) गुजरात और दिल्ली के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना का विवरण संलग्न है । उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	दर्ज किए दहेज मौतों के मामलों की कुल संख्या 1980	1981	1982	उन मामलों की संख्या जिनमें पुलिस द्वारा जाँच पूरी कर ली गई है	उन मामलों की संख्या जो अभी पुलिस के पास लम्बित हैं	न्यायालय में पुलिस द्वारा दायर किए गए मामलों में से अब तक जिन मामलों में निर्णय किये गये उनकी संख्या	दोषमुक्त किए गये व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या
1.	गुजरात	1	2	1	4×	शून्य	3	2	2
2.	दिल्ली	17=	23=	40=	45	28	12	28	1

× एक मामले को आत्महत्या मान कर अन्तिम रूप दिया गया।

= दो मामले 1980, 2 मामले 1981 में और 3 मामले 1982 में रद्द किए गए थे।

बीमार औद्योगिक एककों का पुनरीक्षण

1691. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न बीमार उद्योगों की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ताकि उनके लिये वित्तीय तथा अन्य सहायता देकर उनको पुनर्जीवित करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा सकें ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : सरकार ने औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों के मार्ग दर्शन के लिए नीति विषयक कुछ अभ्युपायों की घोषणा की है। तदनुसार बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके द्वारा किए गए निदानपरक अध्ययन के आधार पर जैसे ही किसी एकक में रुग्णता के लक्षण दिखाई देते हैं, आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। लघु एककों के बारे में अलग-अलग एककों की रुग्णता की मानीटरिंग करने तथा उनकी पुनर्स्थापना के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियां बनाई गई हैं।

ओवरड्राफ्ट की सीमा पार करने वाले राज्य

1692. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट किया है;

(ख) क्या केन्द्र इस अतिरिक्त व्यय का आगामी वर्ष के योजना परिव्यय में समायोजन पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों ने इस पर आपत्ति की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) राज्यों के भारतीय रिजर्व बैंक पर अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट्स) से उनकी दैनिक नकदी की स्थिति परिलक्षित होती है और इसके आकार में दिन-प्रतिदिन भिन्नता होती है। इसलिए उनकी मात्रा के बारे में केवल किसी विशेष तारीख के संदर्भ में ही बताया जा सकता है। राज्य के लेखे में असंतुलन समाप्त होने पर ये अधिविकर्ष (ओवड्राफ्ट्स) समाप्त हो जाते हैं।

(ख) से (घ) योजना आयोग ने राज्य सरकारों से अपने योजना तथा योजनेतर व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर रखने के लिए अनुरोध किया है जिससे कि इनके संसाधनों में वर्ष के अन्त में घाटे का समायोजन अगले वर्ष की वार्षिक योजना में न करना पड़े। ऐसे राज्यों के मामले में जिनमें इस वर्ष के अन्त में घाटे की प्रत्याक्षा है, इसे मुख्य मन्त्रियों के सहमति से 1983-84 की योजना के लिए संसाधनों के परिकलन करते समय ध्यान में रखा गया है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को लाभ

1693. **श्री चित्त महाटा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का उपक्रम स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड एक बीमार एकक है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं और इस संगठन का पिछले पांच वर्षों का वार्षिक लाभ क्या था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को कुछ वर्षों से हानियां हो रही हैं यद्यपि इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

(ख) कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं :

वर्ष	हानि (लाख रु० में)
1977-78	357
1978-79	474
1979-80	445
1980-81	490
1981-82	735

बाह्य अन्तरिक्ष की खोज के लिए भारत सोवियत रूस सहयोग

1694. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य अन्तरिक्ष की शान्तिपूर्ण खोज में भारत सोवियत रूस सहयोग के संबंध में कोई पुनरीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) त्रिवेन्द्रम स्थित थुम्बा भूमध्य-रेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (टर्ल्स) में, सोवियत एम-100 राकेटों का प्रयोग करते हुए, वायुमंडल के राकेट परिज्ञापनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए सोवियत संघ के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर मई 14, 1970 को हस्ताक्षर किये गये थे । इस समझौता-ज्ञापन के अधीन क्रियाकलापों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा इस समझौता ज्ञापन की अवधि बढ़ाने तथा वैज्ञानिक नर्गत का संवर्धन करने के लिए नयाचारों (प्रोटोकोलों) पर हस्ताक्षर किये जाते हैं ।

1975 में आर्यभट, 1979 तथा 1981 में क्रमशः भास्कर-I तथा भास्कर-II का सोवियत संघ से प्रमोचन भारत-सोवियत सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील स्तम्भ हैं । इसके अलावा, वायुमंडलीय अध्ययन में सहयोग के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि थुम्बा भूमध्य रेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र से एम-100 का साप्ताहिक प्रमोचन 1985 तक जारी रहेगा । इसके अलावा, सोवियत संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके अन्तर्गत भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०-I) का प्रमोचन सोवियत प्रमोचक द्वारा किया जायेगा । देश में, मार्च 1983 से दिसम्बर 1983 तक के लिए कुछ आवश्यक सीमित उपग्रह

आधारित टी० वी० संचारजाल सेवाओं के प्रावधान के लिये सोवियत उपग्रह में रखे टी० वी० प्रेषानुकर के प्रयोग के लिये प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे दिया है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के बीच सहयोग के 10 वर्ष की सफलतापूर्वक समाप्ति के अवसर पर, अन्तरिक्ष अनुसंधान विषय पर फरवरी 21 से 25 तक, बंगलौर में, भारत-सोवियत सेमिनार-कम-कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भारतीय उपग्रहों का प्रमोचन, वायुमंडलीय अध्ययन के लिये थुम्बा से परिज्ञापी राकेट के प्रमोचन, कवलूर से प्रकाशीय फोटोग्राफी तथा उपग्रहों का अनुवर्तन, हैदराबाद से संयुक्त उच्च तुंगता बैलून उड़ान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगी कार्यक्रमों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिणामों को इस कार्यशाला में प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों के वैज्ञानिकों के विभिन्न कार्यकारी ग्रुपों ने भावी सहयोग के क्षेत्रों पर समीक्षा एवं विचार-विमर्श किया।

सरकारी कर्मचारियों को सेवाकाल में वृद्धि दिया जाना

1695. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :**

श्री बाल कृष्ण वासनिक : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति की उम्र पूरी कर लेने के बाद उनके सेवाकाल में वृद्धि करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किस तारीख से निर्णय लिया गया है और इसे किस तारीख से लागू किया जा रहा है; और

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग में 31 जनवरी, 1983 तक प्रत्येक श्रेणीवार अलग-अलग कितने कर्मचारी बढ़ाये गए सेवाकाल में कार्यरत थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकार की नीति के अनुसार सेवाकाल में वृद्धि बहुत ही आपवादिक परिस्थितियों में लोकहित के आधार पर मंजूर की जाती है। मंत्रालयों तथा विभागों को यह निदेश दिए गए हैं कि वह सेवाकाल में पहले ही मंजूर की गई वृद्धियों की यह देखने के लिए पुनरीक्षा करें कि क्या सेवाकाल में वृद्धि न्यूनतम अपेक्षित नोटिस देकर घटाई नहीं जा सकती।

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सेवाकाल में ऐसी वृद्धियां विभिन्न संवर्गों के प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन दी जाती है।

कुद्रेमुख लौह धातु परियोजना के कार्यकरण में सुधार

1696. **श्री रशीद मसूद** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख लौह धातु खनन परियोजना के चालू किये जाने के समय से ही आगे प्रगति का कोई लक्षण नहीं है और उत्पादन इसकी निर्धारित क्षमता का केवल 13 प्रतिशत हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को पुनः सक्रिय बनाने तथा इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) कुद्रेमुख परियोजना की सांद्रण तैयार करने की वार्षिक क्षमता 75 लाख टन है। इसका उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	(लाख टन)
1980-81 (अक्तूबर, 1981 से)	4.3
1982-83 (जनवरी, 1983 तक)	9.4

इस परियोजना ने ईरान को दीर्घावधि करार के अनुसार प्रतिवर्ष 75 लाख टन सांद्रण सप्लाई करना था, लेकिन ईरान द्वारा सांद्रण को खरीदने की असमर्थता प्रकट करने पर उत्पादन की योजना इस प्रकार बनाई गई जिससे वैकल्पिक खरीददारों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

(ग) सांद्रण की खरीद शुरू करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों के बारे में ईरान से बातचीत चल रही है। प्रतिवर्ष 30 लाख टन सांद्रण से पैलेट तैयार करने के लिए मंगलौर में एक पैलेट संयंत्र लगाया जा रहा है। कम्पनी सांद्रण की बिक्री के लिए अन्य खरीददारों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही है।

विश्व बैंक का दो सीमेंट कारखानों में वित्त पोषण का प्रस्ताव

1697. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० वी० देसाई : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारतीय सीमेंट निगम द्वारा स्थापित की जाने वाली दो सीमेंट परियोजनाओं में वित्त पोषण का फिर प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ये दो सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल कितना ऋण दिया जाना है;

(घ) इन दो सीमेंट संयंत्रों से कुल कितना वार्षिक उत्पादन होगा; और

(ङ) यह ऋण कब प्राप्त होगा और परियोजनाएं कब पूरी होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय सीमेंट निगम की किसी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता के लिए कोई करार नहीं हुआ है। किन्तु बस्तर जिला (म० प्र०) में जगदलपुर और चित्तौड़गढ़ जिला (राजस्थान) शम्बूपुरा में

स्थापित करने के लिए निगम को दी परियोजनाओं के प्रस्ताव विश्व बैंक को सहायता के लिए प्रस्तुत किए गये हैं। प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

केरल में स्वर्ण निक्षेपों का पता चलना

1698. **श्री जेवियर अराकल :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में स्वर्ण निक्षेपों का पता चला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था के पास इस खनिज संपदा के समुचित समुपयोजन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी एवं उपकरण हैं; और

(ग) यदि हां, तो केरल में नियुक्त कर्मचारियों तथा उपलब्ध उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) केरल के वायनाड जिले के कुछ भागों, मालापुरम जिले के नीलाम्बर क्षेत्र में तथा कन्नानौर जिले के मानन-टोडी क्षेत्र में स्वर्ण के प्राथमिक लोडों का पता चला है। चेलियार पुझा की नीलाम्बर घाटी तथा पुन्नापझा जोनों में भी स्वर्णधारी जलौढ़ कंकड़ होने की सूचना है।

(ग) जी हां।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 12 भूवैज्ञानिक और 4 रसायनज्ञ केरल में स्वर्ण सहित विभिन्न खनिजों के बारे में खोज कार्य करने के लिए आवश्यक उपकरणों सहित, तैनात हैं।

"बिना उद्योग वाले जिलों" में उद्योगों का स्थापना करना

1699. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी कि बिना उद्योगों वाले जिलों में उद्योगों की प्राथमिकता के आधार पर स्थापना करने की योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो घोषित की गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कोई निर्णय कर लिया गया है और वर्ष 1983 के दौरान कौन-कौन से जिलों को योजना के अन्तर्गत लिया जायगा; और

(घ) किन-किन उद्योगों की स्थापना की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) जहां पर कोई बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है, देश के ऐसे 87 जिलों को प्रधान मंत्री के निर्देशों के अनुसार पता लगा लिया गया है। (सूची विवरण-1 संलग्न है) सरकार ने इन जिलों में उद्योगों की स्थापना किये जाने के लिये किये गये आवेदन पत्रों की अन्य स्थानों पर उद्योगों की स्थापना

के आवेदन पत्रों की अपेक्षा सर्वप्रथम प्राथकिता देने का निर्णय किया है। केन्द्रीय मंत्रालयों को उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के उद्यमों को और अवस्थापना सम्बन्धी विकास को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी इन जिलों की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है ताकि अवस्थापना सम्बन्धी विकास हो और इन जिलों में मझौले तथा बड़े उद्योग स्थापित किए जाएं। 1982 के दौरान विभिन्न "उद्योग रहित जिलों" को 152 आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। (सूची विवरण-2 में संलग्न है) उपक्रमों के नाम तथा पते, स्थापना स्थल, उत्पादन की वस्तु और क्षमता सम्बन्धी विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विवरण-1

जिन जिलों में कोई बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है उनकी सूची।

1. **आसाम**
   1. लखीमपुर
   2. उत्तरी कछार पहाड़ियां
2. **बिहार**
   1. औरंगाबाद
   2. जपुर
   3. गारिया
   4. नालन्दा
   5. पूर्णिया
   6. सहरसा (माधेपुर जिले में से बनाए गए नये जिले सहित)
3. **गुजरात**
   1. डागस
4. **हिमाचल प्रदेश**
   1. चम्बा
   2. कांगड़ा
   3. किन्नौर
   4. कुल्लू
   5. लाहौल और स्पिती
5. **जम्मू और कश्मीर**
   1. डोडा
   2. कुपवाड़ा
   3. लद्दाख
   4. पूंछ
   5. फुलवामा
   6. राजौरी
   7. उद्यमपुर
6. **कर्नाटक**
   1. बीदर
7. **उड़ीसा**
   1. बालासोर
   2. बोलनगीर
   3. औध-खोरदमाल (फुलबानी)
8. मध्य प्रदेश
   1. बालाघाट
   2. भिण्ड
   3. छत्तरपुर
   4. छिन्दवाड़ा
   5. दमोह
   6. दातिया
   7. धार
   8. गुना
   9. सबुआ

10. माण्डला
11. नरसिंहपुर
12. पन्ना
13. राजगढ़
14. शिवनी
15. शिवपुरी
16. सीधी
17. सरगूजा
18. टीकम गढ़

9. **मणिपुर**
   1. मणिपुर (केन्द्रीय)
   2. मणिपुर (पूर्वी)
   3. मणिपुर (उत्तरी)
   4. मणिपुर (दक्षिण)
   5. मणिपुर (पश्चिम)
   6. तांगनोपाल
10. **मेघालय**
   1. पूर्वी गारो पहाड़ियां
   2. पश्चिम भारी पहाड़ियां
   3. जैन्तिया पहाड़ियां
11. **नागालैण्ड**
   1. तान सांग
12. **राजस्थान**
   1. जैसलमेर
   2. सिरोही
   7. पौढ़ी गढ़वाल
   8- सुल्तानपुर
   9. टेहरी गढ़वाल
   10· उत्तर काशी
   11. कानपुर देहात
13. **सिक्किम**
   1. गंगटोक
   2. ग्यालशिंग
   3. मेनगन
   4. नामची
14. **त्रिपुरा**
   1. उत्तरी त्रिपुरा
   2. दक्षिणी त्रिपुरा
   3. पश्चिम त्रिपुरा
15. **उत्तर प्रदेश**
   1. बांदा
   2. चगोली
   3. फतेहपुर
   4. हमीरपुर
   5. जालौन
   6. जौनपुर
16. **पश्चिमी बंगाल**
   1. बांकुरा
   2. कुच बिहार
   3. दार्जिलिंग
   4. जलपाईगुड़ी
   5. माल्दा
17. **अण्डमान और निकोबार द्वीप**
   1. नीकोबार द्वीप
18. **अरुणाचल प्रदेश**

1. कामेंग
2. सियांग
3. सुवन्सिरी
4. तिरप

19. **दादर और नागर हवेली**
    1. दादर और नागर हवेली
20. **लक्षद्वीप**
    1. लक्षद्वीप
21. **मिजोरम**
    1. ऐजवाल
    2. लंगलेज

विवरण-2

उद्योग रहित जिलों की वर्ष 1982 के दौरान जारी किए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंस का जिला-वार ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण

राज्य	जिला	आशयपत्र
बिहार	औरंगाबाद	1
	भोजपुर	2
	नालन्दा	1
	कोई अन्य उद्योग रहित जिला	3
दादर और नागर हवेली	डाँगस	1
गुजरात	उद्योग रहित जिला	1
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	2
	कांगड़ा	2
	कोई अन्य उद्योग रहित जिला	1
जम्मू और कश्मीर	लद्दाख	1
	उद्यमपुर	1
		6
कर्नाटक	बीदर	6
	उद्योग रहित जिला	2
मध्य प्रदेश	बालाघाट	2
	भिण्ड	1
	छत्तरपुर	1
	छिन्दवाड़ा	2

	दमोह	3
	दातिया	1
	धार	4
	गुना	1
	झबुआ	3
	माण्डला	1
	नरसिंहपुर	1
	सिवनी	1
	शिवपुरी	2
	सीधी	2
	कोई अन्य उद्योग रहित जिला	4
मेघालय	पूर्वी गारो पहाड़ियां	1
उड़ीसा	बालासोर	1
	बालनगीर	3
	फुलबारी	3
	कोई अन्य उद्योग रहित जिला	8
राजस्थान	जैसलमेर	2
	सिरोही	3
	कोई अन्य उद्योग रहित जिला	6
सिक्किम	गंगटोक	1
उत्तर प्रदेश	बांदा	2
	फतेहपुर	4
	हमीरपुर	1
	जालौन	2
	जौनपुर	1
	कानपुर	1
	पोड़ी गढ़वाल	1
	सुलतानपुर	2
	टेहरी गढ़वाल	2
	कोई अन्य उद्योग रहित जिला	17
पश्चिम बंगाल	बांकुरा	2
	कूच बिहार	1
	दार्जिलिंग	2
	जलपाइगुड़ी	2

देश में दो या अधिक कोई अन्य
उद्योग रहित जिला

औद्योगिक लाइसेंस

कर्नाटक	बीदर	1
मध्य प्रदेश	छिन्दवाड़ा	1

रुग्ण मिलों का राष्ट्रीयकरण

1700. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रुग्ण मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी मिलों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक राष्ट्रीयकृत किया जा चुका है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) रुग्ण औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में, सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में घोषित रुग्ण उद्योगों संबंधी नीतिगत मार्गनिदेशों के अनुसार विचार किया जाता है, इसकी मुख्य बातों का उल्लेख लोक सभा में 24.3.1982 को अतारांकित प्रश्न सं० 4974 के उत्तर में किया गया था।

(ख) दिसम्बर, 1982 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में ऐसे 19 औद्योगिक उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिनका प्रबंध केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन किया जा रहा था।

अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोगों के लिए संवैधानिक दर्जा

1701. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा और उन्हें स्थाई निकाय बनाया जाएगा;

(ख) क्या उन्हें कतिपय न्यायिकवत, शक्तियां देने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक विधान कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार ने इन आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने आयोग द्वारा भेजे गये मामलों के सम्बन्ध में शीघ्रता से सूचना भेजकर इन आयोगों के कार्य में मदद देने के महत्व पर राज्य सरकारों से बल देकर कहा है। सरकार ने भी आयोग को सूचित किया है कि यदि कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है जिसमें राज्य सरकार अथवा अन्य कोई प्राधिकारी अपने कार्य निष्पादन

में आयोग के साथ पूर्ण रूप से सहयोग नहीं करता है तो सरकार उपयुक्त रूप से मामले पर कार्यवाई करेगी ।

भारतीय दूरस्थ जानकारी उपग्रह छोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण

1702. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूरस्थ जानकारी उपग्रह को छोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण और सामग्री का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन कार्यक्रम की सहायता के लिए भारतीय उद्योगों का विकास करने और आयात की जा रही सामग्री और उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन करने की प्रभावी तकनीकी जानकारी का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह के प्रमोचनों में, नीतभारों सहित उपग्रहों का संविरचन, राकेट वाहन में रख का उपग्रह का वास्तविक प्रमोचन तथा इसका प्रमोचन-पश्च अनुवर्तन के साथ-साथ उपग्रह से प्राप्त होने वाले आंकड़ों का संकलन एवं संसाधन कार्य शामिल हैं । प्रथम भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह रूसी राकेट वाहन में रखकर छोड़ा जायेगा । परवर्ती उपग्रहों को विकासाधीन ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट द्वारा छोड़े जाने का प्रस्ताव है । जहां तक उपग्रह के निर्माण का सम्बन्ध है, यांत्रिकी नियंत्रण तथा तापीय प्रणालियों का डिजाइन, विकास एवं संविरचन, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा इसके विभिन्न केन्द्रों में सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की विविध यूनिटों के सहयोग से किया जायेगा । इसी प्रकार, इलेक्ट्रानिकी प्रणालियों को भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधाओं में अभिकल्पित, विकसित एवं संविरचित किया जायेगा । फिलहाल, अन्तरिक्ष-अर्ह उपकरणों तथा कच्चे माल, जो देश में उपलब्ध नहीं होंगे, का आयात किया जायेगा । इसमें सौर सैल बैटरी सैल, इलेक्ट्रानिकी उपकरण तथा कुछ विशेष मशीनी पुर्जे शामिल हैं । भू-खण्ड में, उपग्रह के लिए अपेक्षित जांचें, पर्यावरणीय जांचें, आंकड़ा अभिग्रहण, आंकड़ा संसाधन तथा आंकड़ा उत्पादक जनन कार्य शामिल हैं । यहाँ पुनः, जबकि स्वदेशीकरण का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, भारत में न बनने वाले कुछ उपस्करों तथा उपकरणों का आयात किया जायेगा ।

(ख) नीति के रूप में, अन्तरिक्ष विभाग, सभी क्षेत्रों में देश की औद्योगिक क्षमताओं तथा सामर्थ्य का यथासंभव अधिकतम उपयोग करता है । इस दिशा में, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन यथासंभव अधिकतम साज समान, उपकरणों तथा उपस्करों को उद्योग से ही प्राप्त करता है ऐसे उच्च तकनीकी क्षेत्रों में उपयुक्त ठेका-प्रक्रियाओं के माध्यम से मुख्य संविरचन कार्य उद्योग की यूनिटों को सौंपा जाता है । संविरचन कार्यों के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन अपनी सुविधाओं में विकसित प्रौद्योगिकी उद्योग अन्तरित करता है । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उपयुक्त तकनीकी निवेश अथवा जानकारी की सहायता देकर, आवश्यकतानुसार उद्योग को पृथक उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है । फिर भी,

इन सब कदमों के अलावा, उपस्कर के कुछ जरूरी भागों, जांच सुविधाओं एवं साज-सामान के साथ-साथ भारत में न पाये जाने वाले उपकयणों का आयात अपरिहार्य हो गया है तथा उनका आयात जारी रहेगा, यद्यपि भारतीय उद्योग की भागेदारी को अधिकतम करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं।

नारियल जटा उत्पादक राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन

1703. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नारियल जटा उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नारियल जटा उत्पादक राज्यों के मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रियों ने क्या विचार रखे और सुझाव दिये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) और (ख) दिनांक 2 फरवरी, 1982 को नई दिल्ली में कायर उद्योग पर उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इसमें कयर उत्पाद कीं बिक्री पर छूट, विपणन, किस्म सुधार अनुसंधान तथा विकास सहित कयर उद्योग से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

असम में विधान सभा के चुनावों के दौरान सशस्त्र सेना की तैनाती

1704. **श्री भीम सिंह** :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के अलावा उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनसे असम सरकार ने असम में हुए पिछले विधान सभा चुनावों के समय सशस्त्र सेना की मांग की थी;

(ख) इस मांग के उत्तर में किन राज्यों से सशस्त्र सेना कर्मचारियों को भेजा गया था और उनकी संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या ऐसी मांग अनेक बार अथवा केवल एक ही बार की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) असम सरकार ने पिछले चुनाव के दौरान 800 पुलिस कार्मिक भेजने के लिए केवल पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों से सीधे अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से कोई सशस्त्र पुलिस कार्मिक नहीं भेजे गये थे। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा किए गये अनुरोध पर चुनावों के दौरान असम सरकार को विधि व व्यवस्था बनाये रखने और आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटियों के लिए निम्नलिखित राज्यों से सशस्त्र पुलिस दी गई थी:—

(1) मणिपुर रायफल्स	4 कम्पनी
(2) मध्य प्रदेश एस० ए० एफ०	16 "
(3) उत्तर प्रदेश पी० ए० सी०	20 "
(4) उत्तर प्रदेश एस० पी० एफ०	2 "
(5) गुजरात सशस्त्र पुलिस	3 "
(6) महाराष्ट्र सशस्त्र पुलिस	5 "
(7) महाराष्ट्र एस० आर० पी० एफ०	5 "
(8) राजस्थान सशस्त्र पुलिस	5 "
(9) हरियाणा सशस्त्र पुलिस	5 "
(10) बिहार मिलिटरी पुलिस	5 "
(11) उड़ीसा पुलिस	5 "

छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

1705. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के मध्यावधि मूल्याँकन से यह पता चलता है कि छठी योजना के अनेक क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्ष्य पूरे किए जाएं, क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) : छठी योजना का मध्यावधि मूल्याँकन आरम्भ किया गया है। ब्यौरा इस मूल्याँकन के पूरा होने पर ही सामने आयेगा।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा बचाई गई विदेशी मुद्रा

1706. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा की बचत की गई; और

(ख) अधिक विदेशी मुद्रा बचाने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड जैसे संगठन में जहाँ उत्पादन तथा पूंजीगत परियोजनाओं दोनों के कारण काफी भारी मात्रा में आयात किया जाता है, विदेशी मुद्रा की बचत की राशि का सही अनुमान लगाना कठिन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान फालतू पुर्जों तथा स्टोर के बारे में आयात प्रतिस्थापन के प्रयासों से लगभग 10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इसके अलावा

चालू वर्ष के दौरान उत्पादन योजना में समायोजन करने से 116 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, जिससे आयात में कमी करने में सहायता मिली है।

(ख) विदेशी मुद्रा को और अधिक बचत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) सभी कारखानों और बड़े-बड़े शहरों में आयात प्रतिस्थापन दल बनाये गये हैं जो फालतू पुर्जों तथा स्टोर के निर्माण की देशी क्षमताओं का पता लगाएंगे और उनका उपयोग करेंगे।

(2) रूपांकन तथा परियोजना दल पूंजीगत परियोजनाओं के लिए देशीय उपस्करों के इस्तेमाल की सम्भावनाओं का भी पता लगा रहे हैं;

(3) जिन मदों का पहले आयात किया जाता था, उनका देश में उत्पादन करने के लिए, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड की उत्पादन योजना में फेर-बदल किया जा रहा है।

रायसंगपुर में फेरो-वेनेडियम परियोजना की स्थापना करना

1707. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रायसंगपुर में फेरो-वेनेडियम परियोजना की *सम्भाव्यता रिपोर्ट* तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तैयार की गई थी और उड़ीसा के उस भाग में उपरोक्त उद्योग की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा किये गये निर्णय अथवा किये जाने वाले निर्णय के ब्यौरे क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क)और(ख) उड़ीसा में रायसंगपुर नामक स्थान पर फेरो-वेनेडियम परियोजना की स्थापना हेतु मैसर्स इन्ड-स्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड (इपिकोल) ने वर्ष 1971 में एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया था। वर्ष 1979 में इस प्रतिवेदन को अद्यतन किया गया था। फेरो-वेनेडियम तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु मैसर्स इपिकोल को एक आशय-पत्र जारी किया गया है।

बड़े शहरों में बलात्कार तथा अपहरण के मामलों में वृद्धि

1708. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में बलात्कार और अपहरण के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है तथा स्त्रियां और लड़कियां इससे भयभीत हैं;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों में बलात्कार और अपहरण के मामलों में असाधारण वृद्धि हुई है, कोई विशिष्ट रिपोर्ट या सूचना नहीं है। तथापि अपराधों से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन उत्तरदायी हैं।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा सौर वाणिज्यिक परियोजना कार्यक्रम

1709. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सौर वाणिज्यिक परियोजना कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें बनाये जाने वाले उपकरणों का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अधीन 1982-83 और 1983-84 के लिए सौर उपकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ऊर्जा के अतिरिक्त स्त्रोत आयोग (सी० ए० एस० ई०) के प्रायोजन में सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०) ने इस क्षेत्र में एक वाणिज्यिक परियोजना को आरम्भ किया है और सौर सेलों/मौड्यूलों का उत्पादन अक्तूबर, 1982 में आरम्भ हो गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए समुद्र तल में अनुप्रयोगों और दूर संचार के लिए प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों का विनिर्माण और रक्षा सम्बन्धी अनुप्रयोगों के लिए सुबाह्य प्रकाश वोल्टीय मोड्यूलों/प्रणालियों का विनिर्माण शामिल है।

(ग) वर्ष 1982-83 के लिए 31 लाख रुपये और 1983-84 के लिए 60 लाख रुपये के उत्पादन का लक्ष्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कल्याण एसोसिएशनों/फेडरेशनों को मान्यता

1710. **श्री बनवारी लाल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक संगठनों/एसोसिएशनों/फेडरेशनों और संघों को मान्यता देता था और क्या अब उनके मन्त्रालय ने मान्यता देनी बन्द कर दी है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) आरक्षित तथा गैर-आरक्षित रिक्तियां भरी जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण एसोसिएशनों तथा फेडरेशनों को मान्यता देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच और अधिक प्रचार करने के लिए आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याणोमुखी, स्वैच्छिक तथा सामाजिक संगठनों को अधिसूचित करने के उद्देश्य से उन्हें मान्यता प्रदान करना बन्द नहीं किया है। परन्तु, सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अपने कर्मचारियों द्वारा जाति अथवा जनजाति को आधार मानकर बनाई गई किसी सेवा एसोसिएशन/फेडरेशन/यूनियन को मान्यता नहीं देती।

अधिकार में लिए गए रुग्ण उद्योगों को उनके मालिकों को सौंपना

1711. **श्री नीरेन घोष** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अधिकार में लिए गए सभी अथवा कुछेक रुग्ण उद्योगों को उनके प्राइवेट मालिकों को वापस सौंपने की योजना बना रही है, विशेषकर जब इन उद्योगों को आर्थिक दृष्टि से जीवनक्षम बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या मजबूरियाँ हैं; और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करेगी कि प्राइवेट मालिक इन उद्योगों के संसाधनों का अपने निजी स्वार्थों के लिए फिर दुरुपयोग नहीं करेंगे और अन्य प्रयोजनों के लिए उनका दोहन नहीं करेंगे।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) से (ग) 6 अक्तूबर, 1981 को घोषित की गई रुग्ण उद्योग सम्बन्धी नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, सरकार की उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धित उपक्रमों के अन्तिम निपटान के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच करनी होती है। इन विकल्पों में राष्ट्रीयकरण करना किसी निजी क्षेत्र के एकक में मिलाकर या उसके द्वारा उसे खरीदकर एकक का अभिग्रहण करना पुर्नस्थापन करना या इस प्रकार भी समाधान न हो पाने पर सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के अधीन अनधिसूचित करना और उसका निपटान करना शामिल है। प्रत्येक प्रकरण में परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाता है।

पिछले वेतनमान को पदधारी के व्यक्तिगत लाभ के रूप में मानना

1712. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सेल-फालतू कर्मचारियों को निम्न पदों पर पुनः नियोजित करने पिछले वेतनमान के पदाधिकारी के व्यक्तिगत लाभ के रूप में मानने के बारे में गृह मन्त्रालय के दिनांक 4 दिसम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० O/1/10/68 सी० एस० (III) में निहित आदेश को सभी मन्त्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रश्न में उद्धृत आदेश विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों में अधिशेष कर्मचारियों की निर्बाध पुनर्नियुक्ति को सुविधापूर्ण बनाने के लिए मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये बहुत से पूरक/स्पष्टीकरण करने वाले अनुदेशों में से एक है। इस आदेश के अनुसार, जब कभी कोई अधिशेष कर्मचारी निम्न वेतनमान वाले किसी पद पर खपाए जाने के लिए नामित किया जाता है तो उसके द्वारा नये पद पर पिछले वेतनमान को अपने वैयक्तिक वेतन के रूप में प्राप्त करते रहने के सम्बन्ध में सरकार की अनुमति अनिवार्यतः नामजदगी आदेश में ही समाविष्ट कर दी जाती है और यही वह प्राधिकार है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि सम्बन्धित अधिशेष कर्मचारी को यह संरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रश्न में उद्धृत अनुदेश सभी मन्त्रालयों के अलावा भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक और सभी महा लेखाकारों को भी परिचालित कर दिए गए हैं ताकि जिन मामलों में किसी अधिशेष कर्मचारी के वेतनमान के संरक्षण की अनुमति दी गई हो, उनमें ऐसा संरक्षण प्रदान किए जाने के मामले में पेश आने वाली कठिनाइयां, यदि कोई हों तो, दूर की जा सकें।

ओवरड्राफ्ट सुविधा वापिस लिए जाने के कारण राज्यों की कठिन आर्थिक स्थिति

1713. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओवरड्राफ्ट की अनुमति न देने सम्बन्धी केन्द्र के अनुदेशों के कारण राज्य एक कठिन आर्थिक स्थिति में है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए हुई चर्चा के दौरान योजना आयोग की राज्यों के प्रतिनिधियों से इस मामले के इस पहलू पर भी बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग का इस समस्या से किस प्रकार निपटने का विचार है और क्या वे इस समस्या को दूर करने के लिए केन्द्रीय और राज्य योजनाओं की पूर्ति हेतु अधिक धनराशि देने पर विचार करेंगे ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) की सुविधा राज्यों के योजना व्यय के लिए वित्त-व्यवस्था का संसाधन नहीं होता है। राज्यों की वित्तीय कठिनाइयां उस समय उत्पन्न होती हैं जब उनका व्यय उनके संसाधनों से अधिक हो जाता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से अपने योजना व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर

रखने और रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष (ओवरड्राफ्ट) का सहारा न लेने के लिए अनुरोध किया गया है ।

बंगाल की खाड़ी में प्रदूषण

1714. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अध्ययन किया है कि गंगासागर मेले के अवसर पर भारी भीड़ एकड़ होने के कारण बंगाल की खाड़ी के पानी में कितना प्रदूषण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह पाया गया कि अधिकतम स्नान वाले दिन (14 जनवरी, 1983) कालिफार्म की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी परन्तु इसके उपरान्त 20 जनवरी, 1983 तक यह कम हो गई थी ।

केंद्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध

1715. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्बन्ध तथा राज्यों को और अधिक शक्तियाँ देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जाति वित्त निगम स्थापित करने के लिए मार्गनिर्देश

1716. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों को अनुसूचित जाति वित्त निगम गठित करने के लिए मार्गनिर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए इस प्रकार के वित्त निगम गठित किए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में गठित किए गए अनुसूचित जाति वित्त निगमों से अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति विकास निगम जिसने मार्च, 1979 में कार्य करना शुरू किया था, की सहायता के लिए राज्यों को

अनुदान की केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के सन्दर्भ में गृह मन्त्रालय ने राज्यों को कुछ मार्गनिर्देशों का सुझाव दिया था। अनसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले 17 राज्यों ने अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए हैं। उन राज्यों के नाम जिन्होंने निगम स्थापित किए हैं और इन निगमों द्वारा लाभान्वित बताये गये व्यक्तियों की संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण

2 मार्च 1983 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1716 का संलग्न विवरण

क्रम सं	उन राज्यों के नाम जिन्होंने अनुसूचित जाति विकास निगम स्थापित किए हैं	1981-82 तक अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा लाभान्वित अनुसूचित जातियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,04,418
2.	असम	514
3.	बिहार	5,672
4.	गुजरात	16,057
5.	हरियाणा	10,885
6.	हिमाचल प्रदेश	14,023
7.	केरल	20,702
8.	कर्नाटक	26,198
9.	महाराष्ट्र	23,593
10.	मध्य प्रदेश	18,855
11.	पंजाब	50,686
12.	उड़ीसा	17,086
13.	राजस्थान	9,770
14.	त्रिपुरा	87
15.	तमिलनाडु	70,170
16.	उत्तर प्रदेश	1,17,677
17.	पश्चिम बंगाल	1,07,536

टिप्पणी :—ये आंकड़े राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित हैं।

पश्चिम बंगाल में 30 मदों के लिए लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध

1717. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में शिशु आहार, स्टेनलेस स्टील, अस्पताल उपकरणों जैसी 30 प्रकार की मदों के लिए लाइसेंस देना बन्द अथवा प्रतिबंधित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन 30 मदों के नाम क्या हैं तथा ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त पाबंदी को ढीला करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क)से(ग) लघु औद्योगिक एकक की स्थापना करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। ऐसे सभी एककों के लिए जो सरकारी सुविधाएं और सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, राज्य के उद्योग निदेशालय में अपना पंजीकरण करवाना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार प्रमुखत: विद्यमान अतिरिक्त क्षमता, विपणन सम्बन्धी कठिनाइयों और कच्ची सामग्री की कमी को ध्यान में रखकर उत्पादन की कुछ लाइनों में नई क्षमता को प्रोत्साहित न करने हेतु राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है। 31-1-1983 की स्थिति का विवरण संलग्न हैं।

विवरण

उन वस्तुओं की (31 जनवरी, 1983 तक की) सूची जिसके लिए लघु क्षेत्र में नई क्षमता का सृजन करने तथा विद्यमान क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा।

1. कीटनाशी फार्मूलेशन
2. फ्लैक्सीबल पोलीयूरिथीन फोम
3. ट्रान्सफार्मर तेल
4. शिशु आहार
5. माल्ट युक्त दुग्ध आहार
6. स्टेनलैस स्टील के मोटे तार (घने गेज के)
7. कोल्ड रोल्ड इस्पात की पत्तियां।
8. जिंक ऐश, ड्रोस, वेस्ट आदि से जिंक धातु निकालना।
9. स्टेनलैस स्टील सहित इस्पात की रि-रोलिंग।
10. कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (उर्वरक ग्रेड) से अमोनियम नाइट्रेट।
11. नान-पावर आपरेटेड एसिड स्लरी/प्रशालक फार्मूलेशन
12. इस्पात के तार खींचना तथा आवश्यक कच्ची सामग्री के रूप में तार की छड़ों की आवश्यकता वाली वस्तुएं।
13. कच्चे माल के रूप में कमर्शियल ग्रेड की अल्यूमिनियम से बनने वाली वस्तुएं।
14. कन्ड्यूट पाइपों और मैन्यूअली वैलडेड फर्नीचर ट्यूबों को छोड़कर इस्पात के पाइप व ट्यूबें।
15. रिफाइनिंग आफ स्लैक वाक्स

16. टीन के कनस्तर तथा टीन की चद्दरों (शीटों) के प्रयोग से बनने वाले ऐसे ही उत्पादन ।

17. हैवी नार्मल पैराफिन (मोम) से क्लोरीनेटेड पैराफिन (सी० एन० पी०)

18. कैलशाइन्ड पेट्रोलियम कोक ।

19. प्रोसेसिंग आफ सी० आई० स्क्रेप ।

20.* स्टेनलैस स्टील उत्पादों का उत्पादन :

(क) घरेलू बर्तन

(ख) स्टेनलैस स्टील स्ट्रिपों से बनने वाले वाइपर ब्लैड ।

(ग) स्टेनलैस स्टील की चादरों तथा पट्टियों से बनने वाला अस्पतालों का उपकरण, सामान तथा फर्नीचर ।

*21. कार्क निरोधक (स्टोपर्स)

*22. तार व केबलें (अल्यूमिनियम)

*23. कलाई घड़ियों के स्टेनलैस स्टील के पट्टे (स्ट्रेप्स) ।

*24. चमकोली छड़े ।

*25. जिंक आक्साइड ।

**26. ए० ए० सी० और ए० सी० एस० आर० कण्डक्टर्स

* रियायती वित्त के पात्र पिछड़े जिलों में अनुमत ।

** उन राज्यों में अनुमत जहाँ कोई भी एकक इस वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है ।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन

1718. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडिटर्स गील्ड आफ इंडिया ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम में संशोधन करने और सार्वजनिक हित की सभी बातों से जनता को सूचित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सरकार ने कुछ प्रस्तावों पर ध्यान दिया है ।

नोएडा में उद्योगों की समस्यायें

1719. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **उद्योग मंत्री** नोएडा में उद्योगों की समस्याओं के बारे में 20 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2816 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2827 के उत्तर के संबंध में 26 जनवरी, 1983 के फाइनेंसिल एक्सप्रैस नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेड और प्लाट धारियों को सभी ब्याज और गैर-भुगतान किस्तों को वापिस

लेकर अपना उत्पादन शुरू करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन देने का और पर्याप्त परिवहन का प्रबन्ध रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) तथा (ख) पिछड़े क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन जैसे कि आय कर में छूट, बिक्री कर में छूट, चुंगी कर में रियायत, संभाव्यता रिपोर्टों पर राजसहायता, रियायती सावधिक वित्त, मशीनों की किराया खरीद योजना, बिजली में रियायत, विपणन सहायता और लघु एककों को 10 प्रतिशत तथा अति लघु उद्योगों को 15 प्रतिशत की दर से राज्य द्वारा पूंजी राजसहायता नोएडा (न्यू ओखला इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट अथारिटी) के एककों के लिए उपलब्ध है। क्षेत्र पूर्णतया विकसित है और वहां टेलीफोन, चिकित्सा, परिवहन, सीवेज, जल-आपूर्ति और बिजली आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां की परिवहन सेवा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इस कम्प्लेक्स को बिजली कटौती से मुक्त रखा गया है।

आधुनिकतम कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की खरीद

1720. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार आधुनिकतम कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की खरीद करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह किन-किन देशों से खरीदी जाएगी;

(ग) क्या विश्व स्तरीय टेन्डर आमन्त्रित किए गए हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रौद्योगिकी की लागत क्या है इसका भुगतान किस प्रकार किया जाएगा तथा आधुनिकतम रूप से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर कहां लगाए जाएंगे, तथा क्या वे आपस में एक-दूसरे से जुड़े होंगे ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां। देश को जिन मझौले तथा मझौले से बड़े आकार के कम्प्यूटरों की जरूरत है, उनका विनिर्माण करने के लिए इस प्रकार की आधुनिकतम कम्प्यूटर-प्रौद्योगिकी की खरीद करने का विचार है।

(ख) चूंकि इनकी खरीद के लिए विश्व व्यापी निविदाएं (टेंडर) आमंत्रित की गई हैं अतः जिन देशों से इनकी खरीद की जानी है उनके नाम इस समय बताने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव आमंत्रित करने हेतु समाचारपत्रों में सूचना दे दी गई है।

(घ) प्राप्त बोलियों पर विचार करने के उपरांत ही प्रौद्योगिकी विषयक लागत तथा

भुगतान की विधि पर निर्णय लिया जाएगा। जो कम्प्यूटर मंगवाए जाएंगे उनका उपयोग अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा तथा ये आयात के विकल्प के रूप में होंगे। कुछ कम्प्यूटरों का उपयोग अभिकलन शक्ति बढ़ाने अथवा समाचारों का प्रयास करने के लिए भी किया जाएगा, जिनमें अन्तः-सम्बद्ध प्रणाली काम में लाई जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवारत आई० ए० एस०
आई० पी० एस०/आई० एफ० एस०

1721. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आई० एफ० एस० आदि केन्द्रीय सरकारी संवर्ग के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो इस समय विश्व बैंक, एफ० ए० ओ०, यू० एन० ओ० आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवारत हैं;

(ख) संवर्गों, लिए जा रहे वेतन और ऐसे सेवा काल की अवधि का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशाल राष्ट्रीय हितों को देखते हुए, सरकार ने वरिष्ठ सिविल नौकरों की ऐसी तैनातियों के गंभीर नकारात्मक पक्ष पर विचार किया है;

(घ) सरकार के विचार से भारतीय सिविल नौकरों की ऐसी विदेशी प्रतिनियुक्तियों के यदि कोई सकारात्मक पक्ष हों, तो वे क्या हैं; और

(ङ) गैर-भारतीय एजेन्सियों में विदेशी तैनाती से होने वाले किसी अनियमित प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार यह नहीं समझती कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का कोई नकारात्मक पहलू भी है।

(घ) और (ङ) भारत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है और तदनुसार हमारे अधिकारियों को इन संगठनों में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। चूंकि ये नियुक्तियां इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा समस्त राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए की जाती है अतः ऐसी तैनातियों के कारण किसी प्रकार के अनियमित असर पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में रुग्ण यूनिटों का पुनर्जीवन किया जाना

1722. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में स्थित रुग्ण मिलों/फैक्टिरियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके पुनर्जीवन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का आदिवासी क्षेत्रों में मिलों/फैक्टिरियों की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) आदिवासी क्षेत्रों में स्थित रुग्ण एककों की सूचना सरकार द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है ।

(ख) 6 अक्तूबर, 1981 को सरकार द्वारा रुग्ण एककों के सम्बन्ध में नीति घोषित की गई थी जिसमें सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों को विभिन्न उद्योगों की मानिटरी तथा रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित करना है । बैंक और वित्तीय संस्थान रुग्णता को रोकने तथा उनके द्वारा किए गए नैदानिक अध्ययनों के आधार पर रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्वास योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक अभ्युपाय कर रहे हैं । लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की कठिनाइयों पर विचार करने तथा उनको पुनरुज्जीवित करने के लिए आवश्यक अभ्युपाय करने हेतु राज्य स्तर पर भी समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं ।

(ग) और (घ) पिछड़े क्षेत्रों (जिनमें देश के आदिवासी आबादी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं) के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता, आयकर छूट, अखिल भारतीय सांवधिक ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से किराया खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद, ब्याज राजसहायता, तकनीकी परामर्श, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम और सीड/सीमान्त धन सहायता आदि के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

विस्फोटकों की जाँच

1723. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गत दो वर्षों के दौरान साम्प्रदायिक दंगों और हड़तालों के दौरान विस्फोटक पदार्थों के कितने नमूने विस्फोटक विभाग, नागपुर को विस्फोटकों की जांच के लिए भेजे गए हैं और जांच के दौरान अलग-अलग कितने विदेशी विस्फोटक रक्षा स्थापना में उत्पादित विस्फोटक और हाथ से बनाए गए विस्फोटक पाए गए; और

(ख) बमों और खतरनाक पदार्थों की सुरक्षात्मक ढंग से उठाने में कितने पुलिस अधिकारियों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जाता है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर भद्र सिंह) : (क) देश में जातीय दंगों और हड़तालों के दौरान प्रयोग से लाई गई विस्फोटक सामग्री की अलग-अलग जांच करने के लिए विस्फोट सामग्री विभाग, नागपुर को भेजे गए नमूनों की संख्या सम्बन्धी जानकारी उनके पास

उपलब्ध नहीं है क्योंकि राज्य पुलिस प्राधिकारी विस्फोट सामग्री के नमूनों को भेजते समय यह निर्दिष्ट नहीं करते हैं कि जातीय दंगों अथवा हड़तालों के दौरान यह सामग्री उपयोग की गई थी अथवा इसका उपयोग किए जाने का इरादा था। किन्तु, वर्ष 1981 और 1982 की अवधि में विस्फोटक विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए विस्फोटक सामग्री के नमूनों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

विस्फोटक सामग्री के नमूनों की किस्म	**वर्ष**	
	1981	1982
1. विदेशी विस्फोटक सामग्री	283	10
2. प्रतिरक्षा संस्थानों में उत्पादित विस्फोटक सामग्री	160	107
3. जीवित (लाइफ) बम्ब तथा अन्य सजीव विस्फोटक सामग्री	14,255	21,200

(ख) वर्ष 1981 व 1982 के दौरान विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा पूर्वक रखने-उठाने में क्रमश: 1016 और 2264 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में वायु प्रदूषण

1724. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री के० एम० मधुकर : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम दिल्ली में नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के बारे में 'पेट्रियट', दिनांक 30 दिसम्बर, 1982 में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या क्षेत्र के अधिकतर उद्योगों के पास प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इन्स्टालेशन अथवा अन्य व्यवस्था नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय बोर्ड ने, दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श से, नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र सहित, दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के कार्यान्वयन के लिए उपाय किए हैं।

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

1725. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुभागों के वार्षिक निरीक्षणों में विशेष उपबन्ध करने तथा कार्यालय नियम पुस्तिका में पाक्षिक पुनरीक्षण की व्यवस्था करने के बावजूद संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर दिये जाने की स्थिति में कोई संतोषजनक परिवर्तन नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा, जो कि इस विषय पर आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी है, निगरानी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि सभी मंत्रालयों द्वारा आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये; और

(घ) पिछले 2 वर्षों में प्रत्येक मंत्री को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए, तथा क्या उन सभी पर कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तुरन्त कार्रवाई करने और ऐसे पत्रों के निपटान पर प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में उच्च स्तर पर निगरानी रखने के बारे में कार्यालय पद्धति पुस्तिका में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त 26.4.1982 को विस्तृत अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

विभिन्न विभागों, विशेष कर सम्बन्धित संयुक्त सचिव/निदेशक की जिम्मेदारी है कि वह यह देखें कि उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(घ) उक्त सूचना इस मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

बांदा (उ० प्र०) में उद्योगों की स्थापना

1726. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश का बांदा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा जिला है और यह एक पिछड़ा हुआ है तथा यह बेरोजगार, दरिद्रता और भुखमरी का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) बांदा जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ माना गया है। इसे "उद्योग रहित जिला" भी माना गया है। इस जिले में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी अखिल भारतीय सावधि ऋणदायी संस्थानों से रियायती वित्त आयकर में राहत, तकनीकी परामर्श, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनों की किराया-खरीद, बजाय राजसहायता सीमान्त/मूल मार्जिन (सीड) धनराशि सहायता तथा कच्ची सामग्री का आयात जैसी सुविधाएं पाने के पात्र हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य स्पिनिंग मिल्स कं० लि०, कानपुर ने ग्राम मवाई-बुजुर्ग, जिला बांदा में 50,000 तकुओं की क्षमता वाली एक कताई मिल की स्थापना करने के लिए सरकार से एक

आशयपत्र प्राप्त कर लिया है। इस कारखाने का निर्माण कार्य चल रहा है। इस जिले में एककों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र के अन्तर्गत दो आशयपत्र जारी किए गए हैं।

वर्ष 1981-82 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अधीन 745 एककों की स्थापना की गई थी, जिनमें 2059 व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। इस जिले में स्थापित लघु एककों को वित्तीय संस्थानों द्वारा 43.06 लाख रुपये का ऋण भी दिया गया है।

राज्यों द्वारा लाइसेंसों का उपयोग न किया जाना

1727. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यों में उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने औद्योगिक लाइसेंस हैं जो पिछड़े क्षेत्रों को जारी किए गए थे किन्तु उनका उपयोग नहीं किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन लाइसेंसों के उपयोग के लिए राज्यों को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विभिन्न राज्य में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किए गए अधिकांशत: औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग किया जा रहा है। किन्तु, अवस्थापना विकास, मशीनों और उपकरणों आदि की सुपुर्दगी की समयसूची जैसे विभिन्न कारकों के कारण, लाइसेंसों में मूलत: निर्धारित की गई अवधि के बाद कुछ एककों की अधिष्ठापना करने में देर हो जाती है।

(ख) लाइसेंस के कार्यान्वयन के लिए अनुमत सामान्य अवधि दो वर्ष होती है जिसे उपयुक्त मामलों में बढ़ाया भी जा सकता है। गत दो वर्षों अर्थात् 1981 और 1982 में, पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए 310 लाइसेंसों में से, 26 लाइसेंसों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। शेष लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

(ग) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान जारी किए गए लाइसेंसों की निरन्तर मानिटरिंग करने सम्बन्धी आवश्यकता की ओर दिलाया है। इस बारे में राज्य सरकारों की ओर से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है और वे लाइसेंसधारियों को सभी प्रकार की सहायता तथा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं ताकि लाइसेंसधारी अपनी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर सकें।

छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन

1728. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन कब पूरा किया गया था;

(ख) उसे प्रकाशित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) लोगों को वह कब उपलब्ध कराया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा किया जाना है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार

1729. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र का 40 लाख टन धातु पिण्ड तैयार करने के चरण का विस्तार कार्य वर्ष 1983 में आरम्भ किया जाएगा; और

(ख) इस विस्तार कार्य की प्राक्कलित लागत क्या है और यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड बनाने की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन करने का कार्य चल रहा है ।

(ख) इस विस्तार कार्यक्रम की संशोधित अनुमानित लागत 1637.55 करोड़ रुपये है । आशा है ठंडी बेलस मिल को छोड़कर विस्तार कार्यक्रम की सभी इकाईयां नवम्बर, 1983 तक तथा ठंडी बेलन मिल दिसम्बर, 1984 तक पूरी हो जाएगी ।

देश में पाए गए सोना निक्षेप

1730. **श्री राम अवध** : क्या **इ पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां गत दो वर्षों के दौरान सोने के निक्षेप मिले हैं; और

(ख) अब तक उन निक्षेपों से निकाले गए सोने की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के चिगारगुन्टा और मालप्पकोंडा क्षेत्र तथा अनन्तपुर जिले के कोटापल्ली ब्लाक में स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। कर्नाटक में हट्टी तथा गदाग स्वर्ण क्षेत्रों के विस्तार में भी स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है ।

बिहार के सोनापेट क्षेत्र, उड़ीसा के सलाईकोना, कालिमा और तेलकोई क्षेत्र, मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के कुछ भागों में; तमिलनाडु के धर्म पुरी जिला; केरल की नीलाम्बर घाटी; तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पट्टी में, जहां स्वर्ण खनिजीकरण की सूचना मिली है, भी स्वर्ण खोज का काम शुरू किया गया है।

(ख) इन भंडारों का वाणिज्यिक दोहन उनके व्यापक अन्वेषण के परिणामों तथा प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड

1731. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग मंत्री** अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के बारे में 3 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की आसाम और रामेश्वर नगर यूनिटों ने अब उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो आगे विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन उत्तरदायी है;

(घ) क्या दोनों यूनिटों के लिए रक्षित विद्युत उत्पादन रखने, आवश्यक कार्य पूंजी प्रदान करने तथा परिवहन अड़चनों को दूर करने का विचार किया गया है;

(ड़) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रामेश्वर नगर में भी मूल बेगन लुगदी यूनिट को बांस या भूसा या खोई से पुनः आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ज) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) नवम्बर, 1982 के मध्य से अशोक पेपर मिल्स के जोगीझोपा (आसाम) एकक में उत्पादन चालू हो गया था। किन्तु अशान्त वातावरण के कारण फरवरी, 1983 में उत्पादन नहीं हुआ। विद्युत बिलों के भुगतान न किए जाने के कारण अक्तूबर, 1982 से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली की पूर्ति रोक देने के कारण रामेश्वर नगर (बिहार) एकक में उत्पादन चालू नहीं हो सका।

(घ) से (च) बिहार एकक में आसाम एकक के पास 8.3 मेगावाट की केप्टिव पावर सुविधा है। एक पुराना 1 मेगावाट क्षमता का टी० जी० सेट है और एक पुराना कोयले से जलने वाला बायलर है किन्तु बायलर के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण बिजली उत्पादन नहीं

हो सका । पुनरुज्जीवित किए जाने की संभावनाओं पर विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् ही इन मामलों पर विचार किया जाएगा ।

(छ) और (ज) रामेश्वर नगर में रेशे के पुनः उपयोग (रिसाइक्लिड) पर आधारित लुगदी संयंत्र की स्थापना के लिए एक योजना बिहार सरकार को दी गई है और वित्तीय आवश्यकताओं सहित उनसे अन्य अनापत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है । कम्पनी पुनरुज्जीवित किये जाने की योजना पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही इस पर निर्णय किया जाएगा ।

"विशेष शांति बल" में अनुसूचित जातियों और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लोग

1732. **श्री जी० एन० बनातवाला** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष शांति बल को साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावकारी ढंग से निबटने के लिए उसे एक उत्तम बल बनाने की दृष्टि से इस बल की प्रत्येक टुकड़ी में अनुसूचित जातियों और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों की प्रतिशतता क्या है;

(ख) बल में भर्ती लोगों को किस तरह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ग) क्या शांति बल को उसकी स्थापना से किसी क्षेत्र में नियुक्त किया गया है; और यदि हाँ, तो कब और कहां तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तीन विशेष शांति बटालियनें हैं । इन बटालियनों की कानून और व्यवस्था टुकड़ियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत इस प्रकार है:—

अनुसूचित जाति	16.14%
अनुसूचित जनजाति	6.42%

बल में अन्य समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई विशेष प्रतिशत अपेक्षित नहीं है ।

(ख) बल में 'नए रंगरूटों' को एक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करना पड़ता है, जिसमें महत्वपूर्ण पहलुओं, जैसे पुलिस समुदाय सम्बन्ध, राष्ट्रीय और धार्मिक नेताओं के उपदेश, धर्मनिरपेक्षता की धारणा, व्यवहार और आचरण प्रशिक्षण और बचाव और राहत पर विशेष बल दिया जाता है ।

(ग) मई, 1982 के बाद शांति बटालियनों की जम्मू और कश्मीर, असम, हरियाणा और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में कानून और व्यवस्था की ड्यूटियों पर और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात राज्यों में साम्प्रदायिक और जाति तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में भी तैनात किया गया है । कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस की सहायता करने के अलावा, ये बटालियनें दंगाग्रस्त क्षेत्रों में तैनाती के दौरान मकानों, धार्मिक स्थानों, दूकानों, सड़कों, गली रोशनी इत्यादि की मरम्मत का कार्य करती हैं और

पीड़ितों की चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराती हैं । विशेष शांति बलों के कार्य की प्रशंसा की गयी है ।

मंगलौर में गैस पर आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करना

1733. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख कन्सन्ट्रेंटस के उपयोग को ध्यान में रखते हुए मंगलौर में गैस पर आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि कोई भी वर्तमान संयंत्र इसका उपयोग नहीं कर सकता और विश्व बाजार में भी इसकी कोई मांग नहीं है और जो ईरान सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ किए गये समझौते का पालन न किए जाने के कारण फालतू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) और (ख) जी, नहीं, लेकिन मंगलौर में कुद्रेमुख के साँद्रण से पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाया जा रहा है । कारखाने का निर्माण-कार्य चल रहा है । आशा है यह कारखाना अगस्त, 1984 तक चालू हो जायेगा ।

सिक्किम में लाइसेंस घोटाला

1734. **श्री बालकृष्ण वाष्णक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दिल्ली से एक दैनिक समाचारपत्र में सिक्किम में लाइसेंसों अथवा आशय पत्रों तथा सिगरेटों, प्रसाधन आदि में उद्योगों का अस्थाई पंजीकरण करने की जालसाजी में बड़ी संख्या में अधिकारियों का कथित हाथ होने का समाचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार ने रिपोर्ट देख ली है । किन्तु, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम को, जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार देश में कुछ उद्योगों के विनियमन और विकास पर नियंत्रण रखती है, अभी सिक्किम में लागू नहीं किया गया है । अतएव, सिक्किम में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों के मामले में किसी प्रकार का घोटाला होने का प्रश्न ही नहीं है ।

विजाग इस्पात परियोजना की प्रगति में विलम्ब

1735. **श्री दौलत राम सारन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजाग इस्पात परियोजना की प्रगति में किस सीमा तक विलम्ब हुआ है और परियोजना की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ख) परियोजना की लागत में विलम्ब के परिणामस्वरूप कितनी प्राक्कलित वृद्धि हुई है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) कुल मिलाकर अब तक विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति सन्तोषजनक है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करना

1736. **श्री उमा कान्त मिश्र** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के उत्तरी भाग में मिर्जापुर शहर के निकट कोई बड़ा उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित की जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं का विवरण जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है। छठी योजना प्रलेख के पृष्ठ 277 से 293 पर जोर दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। परियोजनाओं के स्थापना स्थलों का निर्धारण तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता के आधार पर किया जाता है।

तमिलनाडु में सीमेंट कारखाना स्थापित करना

1737. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार बार-बार पालायम, मदुरै जिले में चूना पत्थर के भण्डार की विशाल मात्रा की उपलब्धता पर आधारित सीमेंट कारखाने की स्थापना करने हेतु आशय-पत्र के लिए अनुरोध कर रही है, जोकि इस प्रयोजन के लिए सबसे उत्तम स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) पालायम, जिला-मदुरै (तमिलनाडु) में 4 लाख मी० टन क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास से प्राप्त आवेदन पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दिये जाने के खिलाफ एक अभ्यावेदन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है तथा इस पर शीघ्र निर्णय ले लिए जाने की आशा है।

प्रधान मन्त्री की बड़ौदा यात्रा

1738. **डा० महिपत राय एम० मेहता :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने 9 फरवरी, 1983 को बड़ौदा का दौरा किया था;

(ख) उनकी अचानक यात्रा के क्या कारण थे; और

(ग) यदि वह वहां कुछ महीनों से हो रहे साम्प्रदायिक दंगों के कारणों का पता लगाने गई थी तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रधान मन्त्री ने बड़ौदा की यात्रा वहां की वर्तमान स्थिति का पता लगाने और घटना से प्रभावित लोगों को व्यक्तिगत रूप से अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए की थी । उन्होंने अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित लोगों के विभिन्न वर्गों से भेंट की थी ।

महाराष्ट्र में पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित सीमेंट प्राप्त करने में एस० एस० आई० यूनिटों की कठिनाई

1739. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की एस० एस० आई० यूनिटों को पर्याप्त मात्रा में और सामान्य मूल्यों पर कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हर सम्भव सहायता देने की नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र में एस० एस० आई० यूनिटें सीमेंट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं और उसे पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित मूल्यों पर प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी समस्याओं को हल करने और पर्याप्त मात्रा में नियन्त्रित सीमेंट उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र के सीमेंट पर आधारित औद्योगिक एककों को लेवी सीमेंट की कम आपूर्ति के बारे में सूचनाएं मिली हैं ।

(ग) लेवी सीमेंट के वितरण की योजना के अन्तर्गत, लेवी सीमेंट की कुल उपलब्धता में से जनसंख्या को और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास आदि जैसे तत्वों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षत्रों को वितरित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को लेवी सीमेंट के इकट्ठे आवंटन किए जाते हैं । इसी आवंटन में से राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन उप-भोक्ताओं में उन वर्गों के बीच लेवी सीमेंट उप-आवंटन करते हैं जो स्वीकृत दिशा-निदेशों के अनुसार लेवी सीमेंट पाने के पात्र हैं ।

गंधमर्दन, उड़ीसा में नई खान का विकास

1740. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने उड़ीसा में गंधमर्दन में नई खान के विकास के लिए निवेश की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, हां ।

(ख) परियोजना का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) निवेश स्वीकृति की तारीख	...	26-7-1982
(2) क्षमता	...	6 लाख टन बोक्साइट प्रतिवर्ष
(3) अनुमानित पूंजी लागत	...	31.2 करोड़ रुपए ।
(4) चालू करने का कार्यक्रम	...	पूंजी निवेश की स्वीकृति से 33 महीने में ।
(5) स्थान	...	उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में पैकमल के निकट ।

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र, कोटा द्वारा विद्युत उत्पादन

1741. **राम सिंह यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान विद्युत परियोजना, कोटा के यूनिट संख्या 1 और यूनिट संख्या-2 प्रतिदिन सामान्य तथा 50 लाख यूनिट बिजली पैदा कर सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यूनिट संख्या-1 एक वर्ष से अधिक समय तक लगातार बन्द रहा है और यूनिट संख्या-2 वर्ष 1982 के लगभग आधे दिनों बन्द रहा है; और

(ग) परमाणु विद्युत संयंत्र कोटा, राजस्थान में तकनीकी खराबियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बिजलीघर के दोनों यूनिटों में समय-समय पर उपस्करों तथा ग्रिड सम्बद्ध समस्यायें सामने आती रहीं हैं, जिनके समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

बिजलीघर का पहला यूनिट इस कारण से बन्द किया गया है कि उसकी एक एंड-शील्ड

रिसने लगी थी। उसकी मरम्मत चल रही है।

दूसरा यूनिट टरबाइव ब्लेडों के सही ढंग से काम न करने के कारण सन् 1982 में और लम्बे समय के लिए बन्द रखा गया था। टरबाइन को नए ब्लेड लगाकर फिर से बनाया गया है। इस यूनिट को चालू किया जा चुका है और अब यह 150 मेगावांट बिजली सप्लाई कर रहा है।

विवाहित महिला वैज्ञानिकों को उनके पति की तैनाती वाले स्थानों पर तैनाती

1742. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के वृहद-योगदान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्मिक विभाग ने उपलब्ध सुविधाओं का विनियमन करने वाले सरकारी आदेशों और नियमों तथा कार्मिक नीतियों के मामलों पर सरकारी निर्णयों का कोई संकलन तैयार किया है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई निर्देश जारी किये हैं कि विवाहित महिला वैज्ञानिकों को उनके पति की तैनाती के स्थानों पर उपयुक्त कार्यों में लगाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात की निगरानी कर रही है कि निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) छठी योजना में 'महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" शीर्षक से एक स्कीम अनुमोदित की गई है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के मुख्य लक्ष्य हैं :—विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार प्रदान करके महिलाओं को लाभ दिलाने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, उनके जीवन में नीरस काम के वातावरण को कम करना, यथेष्ट चिकित्सा तथा पोषण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य रक्षा और पर्यावरणीय स्थितियों में सुधार करना, व्यावसायिक जोखिमों से महिलाओं की रक्षा करना। इस स्कीम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महिलाओं के योगदान की भी परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धायित परियोजनाएं : सर्वेक्षण, नई प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन के माध्यम से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का स्थानांतरण, क्षेत्रीय परीक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचना के प्रसार आदि से सम्बन्ध रखती हैं। विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्वयंसेवी अभिकरण और राज्य सरकार के विभाग इस स्कीम के कार्यान्वयन में जुटे हुए हैं।

(ग) सेवा शर्तें पर लागू होने वाले विभिन्न नियम जैसे भविष्य निधि, पेंशन, आचरण, छुट्टी आदि जो सरकारी सेवा में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से लागू होते हैं,

अधिसूचनाओं अथवा पुस्तिकाओं के रूप में उपलब्ध हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशाल संख्या में महिलाओं को शामिल करने के लिए कार्मिक नीतियों विषयक एक कार्यकारी दल ने भी इस बारे में कुछ सिफारिशें की हैं।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि जहां तक सम्भव हो विवाहित महिला वैज्ञानिकों को उसी स्टेशन पर ही तैनात किया जाये जहां कि उनके पति कार्य कर रहे हों।

इस्पात का उत्पादन और आयात

1743. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितने इस्पात का उत्पादन किया गया;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान कितना इस्पात आयात किया गया;

(ग) क्या आगामी वर्षों में उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के लिए इस्पात संयंत्रों के लिए कोई नवीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

	1979-80	1980-81	1981-82
मुख्य उत्पादक	6039.7	6285.4	7160.2
लघु इस्पात कारखाने	1324.7	1529.6	1643.5
कुल :	7364.4	7815.0	8803.7

(ख) गत तीन वर्षों में इस्पात के आयात की कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	मात्रा टन
1978-79	10,50,374
1979-80	23,46,494
1980-81	5,02,094

(अगस्त, 1980 तक के ही आंकड़े उपलब्ध हैं)

(ग) और (घ) वर्ष 1982-83 में स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (सेल) के उत्पादन-कार्यक्रम में समायोजन किया गया है, जिससे वार्षिक आयात 18 लाख टन से घटाकर 12 लाख टन तक करने में सहायता मिली है। वर्ष 1983-84 के लिए उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 'सेल' रेल की पटरी, संरचनात्मकों, जस्ती चादरें तथा कम गेज की गर्म बेलित

चादरें और क्वायल जैसी मदों के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। अब तक इन वस्तुओं का आयात किया जाता था।

दिल्ली नगर निगम द्वारा गृह-कर निर्धारण का पुनरावलोकन

1744. **श्री कमल नाथ** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वकीय मंडल ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पिछले सभी वर्षों के लिये गृह-कर निर्धारण का पुरावलोकन करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि परवर्ती वर्षों के लिये कर निर्धारण पूरा हो गया है अथवा अभी पूरा किया जाना है, निगम द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति का मानक किराया निर्धारित किया जाना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निगम द्वारा अविलम्ब अमल किया जाए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि निगम ने अपने रिकार्डस को जांच की है किन्तु ऐसे किसी पत्र का मिलना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम किए जा रहे सभी मूल्यांकनों में दीवान दौलत राय कपूर के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन कर रहा है। फिर भी दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अधीन मूल्यांकनों को अन्तिम रूप देते समय और उक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन प्रतिवर्ष आपत्तियों को निपटाने के प्रयोजन हेतु किसी सम्पत्ति का मानक किराया निर्धारित किया जाना जरूरी है।

तमिलनाडु में लिक्विड प्रोपलशन टेस्ट सुविधा परियोजना

1745. **श्री के० टी० कोसल राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर कोइल के पास लिक्विड प्रोपलशन टेस्ट सुविधा परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि ले ली गई है और उसे तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तमिलनाडु सरकार परियोजना के लिये अपेक्षित पोराम्बोक भूमि (360 एकड़) तथा वन भूमि (2998 एकड़) अन्तरिक्ष विभाग को सौंपने के लिये सहमत हो गयी है। जिसमें से 273 एकड़ पोराम्बोक भूमि औपचारिक रूप से हस्तान्तरित कर दी गई है; तथा शेष इलाके में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। वन भूमि

को औपचारिक रूप से अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया गया है, परन्तु निर्माण कार्य करने के लिए भूमि-क्षेत्र में प्रवेश के लिये अनुमति दे दी है। परियोजना के लिए आवश्यक निजी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्यवाई की गयी है। 913 एकड़ निजी भूमि में से 623 एकड़ भूमि का अभी तक अधिग्रहण करके इसको हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति में हैं।

(ख) इस मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष 1986 के प्रारम्भ में।

स्कूटरों का निर्माण और मूल्य

1746. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान और जनवरी, 1983 तक देश में स्कूटर निर्माताओं द्वारा कितने स्कूटरों का निर्माण किया गया और इन स्कूटरों का बिक्री मूल्य कितना है; और

(ख) स्वदेशी स्कूटर निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशी स्कूटर निर्माता कंपनियों के साथ सहयोग करके उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है; ये स्कूटर कब तक क्रेताओं को उपलब्ध हो जायेंगे और प्रत्येक मामले में मूल्य कितना होगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1982 में लगभग 2.5 लाख स्कूटरों का निर्माण किया गया था और जनवरी, 1983 में लगभग 21,300 स्कूटरों का उत्पादन हुआ था। दिल्ली में ग्राहकों के लिए कुछ प्रमुख ब्रांडों के स्कूटरों का खुदरा मूल्य निम्न प्रकार है :—

बजाज सुपर	8255.34 रुपये
प्रिया	8119.89 रुपये
लेम्बी 150	8515.30 रुपये
विजय सुपर	8492.87 रुपये

(ख) अन्य एकक जिन्हें विदेशी सहयोग से स्कूटरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है उनके नाम हैं—मै० आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड और मै० लोहिया मशीन्स। इन कम्पनियों ने बताया है कि जिस तारीख से इन्हें मंजूरियां दी गई थी उस तारीख से लगभग दो वर्षों के अन्दर वे अपने स्कूटर बाजार में ला सकेंगे। इन कम्पनियों ने अपने स्कूटरों के विक्रय मूल्य नहीं बताए हैं।

एशियाड के लिए स्टेडियम के निर्माण के लिए आयातित इस्पात

1747. **श्री रत्न सिंह राजदा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाड के लिए स्टेडियम के निर्माण के लिए कितना इस्पात आयात किया गया;

(ख) कितना अतिरिक्त आयातित इस्पात गोदामों में पड़ा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात के आयात के कारण स्वदेशी इस्पात उत्पादन को भारी हानि हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) एशियाई खेलों के लिए स्टेडियमों का निर्माण करने हेतु 2260 टन इस्पात आयात किया गया था।

(ख) 211 टन इस्पात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गोदामों में पड़ा हुआ है।

(ग) इस आयात के कारण देश में इस्पात के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

स्वतंत्रता सेनानियों की ओर बकाया सरकारी ऋण

1748. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिनकी ओर सरकारी ऋण बकाया है और जो ऋण वापिस करने की स्थिति में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके ऋण बट्टे खाते डालने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऋण माफ न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाड के दौरान आयात किये गये रंगीन टेलीविजन सेट

1749. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के दौरान कुल कितने रंगीन टेलीविजन सेट आयात किए गए और रंगीन टेलीविजन पर सीमा-शुल्क के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) क्या यह सच है कि इस आयात ने स्वदेशी टेलीविजन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है; और

(ग) यदि हां, तो टेलीविजन उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) एशियाड के लिए उपहार योजना के अन्तर्गत कुल 62,360 रंगीन दूरदर्शन सेटों के आयात किए जाने की जानकारी है। इनमें से 60,809 रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए अनुमति दी जा चुकी है तथा लगभग 55.80 करोड़ रु० आयात शुल्क की वसूली की जी चुकी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1750. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के कितने अनिर्णीत मामलों में अन्तिम निर्णय लिया जाना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82, 1982-83 (अद्यतन) के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के कितने मामलों पर अन्तिम निर्णय लिया गया;

(ग) क्या बड़ी संख्या में मामलों में 300 रुपए की पेंशन में से 100 रुपए रोक लिए गए हैं और केवल 200 रुपए का ही भुगतान किया गया है; और

(घ) अनिर्णीत मामलों पर अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 31 जनवरी, 1983 को 3934 मामले ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तिम रूप दिए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

1980-81	79
1981-82	270
1982-83 (31.1.83 तक)	409
जोड़	758

(ग) 1.8.80 से पूर्व कोई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए तभी हकदार था यदि उसकी वार्षिक आय 5000/- रुपये से कम थी । 1.8.80 से योजना को उदार बनाए जाने पर आय-सीमा को हटा दिया गया । फिर भी 1.8.80 से पूर्व बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने आय के बारे में गलत सूचना देकर पेंशन प्राप्त की थी, किन्तु जब यह ध्यान में आया तो उनकी पेंशन निलम्बित कर दी गई थी ।

1.8.80 से आय सीमा को हटाने के बाद जब उन्होंने अपनी पेंशन पुन: चालू करने के लिए आवेदन किया तो सम्बद्ध महालेखाकारों को पेंशन स्वीकृत करते समय 1.8.80 से प्रभावी 300/- रुपये में से 100/- रुपये प्रतिमास की आसान किश्तों में गलती से प्राप्त की गई राशि को कम करने के लिये कहा गया है ।

(घ) आवेदनकर्ता से अपेक्षित जानकारी / स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य और/अथवा राज्य सरकार से जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही अनिर्णीत मामलों को तय कर दिया जायेगा ।

नवें एशियाई खेलों एवम् गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा प्रबन्धों पर खर्च

1751. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री सूरज भान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाई खेलों के दौरान और दिल्ली में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान सूरक्षा प्रबन्ध करने हेतु आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिकी मशीनरी प्राप्त करने, कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने तथा अन्य शीर्षों के अधीन कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) उक्त खर्च में विदेशी मुद्रा का अंश कितना रहा;

(ग) किन-किन देशों ने ऐसी मशीनरी सप्लाई की; और

(घ) इस सम्बन्ध में अनुमानतः कितनी राशि खर्च निरन्तर बना रहेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) नवें एशियाई खेलों और गुटनिरपेक्ष शिक्षर सम्मेलन के सुरक्षा प्रबन्ध करने हेतु दिल्ली पुलिस और पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय के बजट में क्रमशः 189.96 लाख रुपए और 588.66 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा का अंश 229.99 लाख रुपए है ।

(ग) उपकरण अमेरीका, पश्चिम जर्मनी, इंग्लैंड और जापान से आयात किए गए हैं ।

(घ) कोई आवर्ती खर्च अंतर्ग्रस्त नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में ग्रुप केन्द्रों की स्थापना

1752. **श्री जैनुल बशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सुरक्षा बल के विस्तार को देखते हुए और अधिक ग्रुप केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) इन ग्रुप केन्द्रों को कहां स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रामपुर ग्रुप केन्द्र पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्तिम छोर में स्थित है पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ग्रुप केन्द्र स्थापित किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या गाजीपुर में ग्रुप केन्द्र स्थापित किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का उल्लेख कर रहे हैं । इस बल के लिए 17 ग्रुप केन्द्र पहले से स्वीकृत हैं और उनका स्थान बल की तैनातगी प्रतिमान को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। इस समय ग्रुप केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना का आकार और राज्यों द्वारा धनराशि का उपयोग

1753. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राज्यवार 1982-83 की वार्षिक योजना का आकार क्या है;

(ख) क्या राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई तथा केन्द्रीय सहायता का राज्यों द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों पर समय पर पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ग) इस चालू योजना अवधि में गैर-योजना व्यय को कम करने और विकास व्यय को बढ़ाने हेतु राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या 31 मार्च, 1983 से पूर्व पूरा करने हेतु राज्यों ने विकास कार्यों को तेज करने हेतु कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) अपेक्षित सूचना 1982-83 की वार्षिक योजना के दस्तावेज (पृष्ठ 27) में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल की 1982-83 की वार्षिक योजना का आकार इस दस्तावेज में दी गई 638 करोड़ रु० की अनन्तिम राशि के मुकाबले बाद में अंतिम रूप से 490 करोड़ रु० निर्धारित किया गया था।

(ख) यह स्थिति वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद पता चलेगी।

(ग) अनेक राज्य सरकारों ने विकासेतर और योजनेतर व्यय को वार्षिक योजना के अनुमानों के भीतर रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं ताकि विकास-संबंधी व्यय में वृद्धि की जा सके। इन उपायों में अधिकारियों/कर्मचारियों पर व्यय, आकस्मिक व्यय, वाहनों पर व्यय में मितव्ययिता, अनुदानों में कमी करना आदि शामिल हैं। इन उपायों के बावजूद सामान्य रूप से राज्य सरकारों के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मंजूरी, वेतनमानों में संशोधन, नई मदों आदि पर होने वाले व्यय जैसे अनेक उपादानों के कारण वार्षिक योजना अनुमानों से अधिक योजनेतर व्यय में वृद्धि को रोकना सम्भव नहीं हो सका है।

(घ) राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि धनराशियों के आवंटन के मामले में छठी योजना में पूरे किए जाने वाले विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और निर्माण कार्यों को अनुसूची के अनुसार पूरा किया जाए।

राज्यों को आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी योजना के दौरान धनराशियों का आवंटन

1754. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत वित्त आयोग ने देश के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और छठी योजना के लिए उपलब्ध कराने हेतु सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना की वार्षिक योजनाओं में केन्द्र द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) सिफारिशों के उद्देश्यों की कहां तक पूर्ति हुई है; और

(घ) राज्यों द्वारा क्या योजनाएं आरम्भ की गई हैं और राज्य योजना परिव्यय से कितनी राशियां उपलब्ध की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सातवें वित्त आयोग ने पांच वर्ष की अवधि 1979-84 के लिये राज्यों में जनजातीय प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिये धनराशि का आवंटन किया है। आयोग द्वारा किया गया कुल आवंटन और 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान दी गई राशि, राज्यवार विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5990/83]**। 1982-83 में धनराशि देने की स्थिति चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर मालूम होगी।

(ग) तथा (घ) सातवें वित्त आयोग के निर्णय में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई दो योजनाएं आवासीय मकानों के निर्माण और राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता देने के लिये है। सिफारिशों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति का मूल्यांकन उन कार्यों के पूरा होने के पश्चात् किया जाएगा जिनका सातवें वित्त आयोग ने निर्णय दिया था।

राज्य योजना धनराशि से सामान्यतः दोनों योजनाएं चलाने के लिये निर्णीत धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं होती।

हरिजनों पर हमले

1755. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 1983 तक हमलों में राज्यवार कितने हरिजन मारे गए और कितने घायल हुए;

(ख) इस अवधि में कितने हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ; और

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ा गया और उनमें से कितनों को दंडित किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जनवरी, 1982, के बाद राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों और जिस हद तक उपलब्ध हैं, उन पर आधरित अनसूचित जातियों की हत्या, गम्भीर चोट और बलात्कार के मामलों का विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

(ग) भारत सरकार द्वारा ये आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1982 के लिए अनुसूचित जातियों की हत्या, गम्भीर चोट और अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों का विवरण ।

क्रम सं०	राज्य का नाम	मामलों की संख्या			जिस महीने तक प्राप्त
		हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	7	16	(सितम्बर)
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	(नवम्बर)
3.	बिहार	63	182	79	(अक्तूबर)
4.	गुजरात	11	62	6	(नवम्बर)
5.	हरियाणा	1	11	27	(जून)
6.	हिमाचल प्रदेश	1	2	2	(दिसम्बर)
7.	जम्मू और काश्मीर	2	2	5	(अक्तूबर)
8.	कर्नाटक	19	5	6	(दिसम्बर)
9.	केरल	3	3	3	(जुलाई)
10.	मध्य प्रदेश	77	340	133	(नवम्बर)
11.	महाराष्ट्र	18	81	46	(नवम्बर)
12.	उड़ीसा	10	16	11	(दिसम्बर)
13.	पंजाब	13	8	8	(दिसम्बर)
14.	राजस्थान	37	174	58	(दिसम्बर)
15.	तमिलनाडु	5	4	1	(अक्तूबर)
16.	त्रिपुरा	शून्य	2	1	(नवम्बर)
17.	उत्तर प्रदेश	208	457	152	(दिसम्बर)
18.	पश्चिम बंगाल	6	शून्य	3	(अक्तूबर)

टिप्पणी :—अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है ।

जनगणना कर्मचारियों को स्थायी नौकरी

1756. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनगणना कर्मचारियों को स्थायी नौकरी के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर विचार किया है; और

(घ) इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभ्यावेदन छंटनी किए गए जनगणना के कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार में लगाने के बारे में हैं।

(ग) तथा (घ) अभ्यावेदनों की मानवीय आधारों पर जांच की गई है। छंटनी किए गए जनगणना के कर्मचारियों को जनगणना से सम्बन्धित समयबद्ध कार्यों के लिये भर्ती करते समय उन्हें यह स्पष्ट बतलाया गया था कि उनका रोजगार अस्थाई स्वरूप का है। किन्तु एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है और उनके पुनर्वास के लिये कुछ उपाय शुरू किये गए हैं जो इस प्रकार हैं—

(I) छंटनी किए गए जनगणना के कर्मचारियों के पुनः रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिये भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है।

(II) छंटनी किए गए जनगणना कर्मचारी जो आरम्भ में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और जिन्होंने न्यूनतम छः महीने की लगातार सेवा की थी और स्थापना में कमी होने के कारण जिनकी छंटनी की गई थी, वे जनगणना संगठन में उनके द्वारा की गई सेवा अवधि के बराबर आयु और खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम के अतिरिक्त सीधी भर्ती द्वारा पदों की भर्ती के लिए तीन वर्ष तक उच्चतम आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।

(III) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किये गए, छंटनी किए गए, जनगणना कर्मचारी जिन्होंने 6 महीने से अधिक सेवा की है और स्थापना में कमी होने के कारण जिनको सेवा से हटा दिया गया है, के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के लिए अग्रता-III के पात्र हैं।

(IV) छंटनी किये गए जनगणना कर्मचारी जो रोजगार कार्यालयों अथवा अन्य स्वीकार्य माध्यमों से आरम्भ में भर्ती किए गए थे और जिन्होंने लगातार न्यूनतम छः महीने की सेवा की हो और स्थापना में कमी के कारण जिनकी छंटनी कर दी है, वे 1983 के अन्त तक समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा देने के पात्र हैं चाहे उन्होंने विभिन्न पदों के लिये निर्धारित अधिकतम आयुसीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे जनगणना संगठन में अपनी आरम्भिक भर्ती के समय कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिये निर्धारित आयुसीमा में थे और वे अन्यथा सम्बन्धित पदों पर भर्ती के लिये नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हताओं के आधार पर इन परीक्षाओं में बैठने के पात्र हैं।

(V) छंटनी किए गए जनगणना के कर्मचारी जो आरम्भ में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए थे और उन्होंने लगातार न्यूनतम 6 महीने की सेवा की है और जिनकी स्थापना में कमी होने के कारण छंटनी कर दी गई है, वे अपने रोजगार कार्यालय द्वारा उनके नाम प्रायोजित किए बिना विभिन्न भर्ती प्राधिकरणों द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिये भर्ती हेतु

आवेदन देने के पात्र हैं यद्यपि चाहे उन्होंने स्वयं को अग्रता-III की रियायत प्राप्त करने के लिये रोज़गार कार्यालय में दर्ज करवा रखा हो।

(VI) छंटनी किए गए जनगणना के कर्मचारी जो आरम्भ में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती किए गए वे और जिन्होंने स्थापना में कमी होने के कारण अपनी छंटनी होने से पहले न्यूनतम लगातार 6 महीने की सेवा की है, उन पर रोजगार कार्यालयों से उनके नाम पुन: भेजे जाने की आवश्यकता के बिना दिसम्बर, 1982 के अन्त तक जनगणना संगठन में कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्राधिकार में न आने वाले समूह 'ग' पदों में रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये विचार किया गया है बशर्ते कि उन्होंने भर्ती नियम की शर्तों को पूरा किया हो।

समुद्र में खनिज भण्डारों की खोज

1757. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र में खनिज भण्डारों की खोज हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) क्या मैंगनीज नोड्यूल्स की खोज आरम्भ हो गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध से क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण जारी हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान। खोज-कार्य तभी शुरू किया जा सकता है जबकि हमारा स्थान प्रारम्भिक आयोग (प्रिपेरेटरी कमीशन) के साथ पंजीकृत हो जाए।

औद्योगिक उपकरणों में विकास दर

1758. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सभी उपक्रमों के लिए विकास दर बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं अथवा इन यूनिटों की दीर्घावधि योजना और उनके वार्षिक योजना तैयार करने के लिए कुछ मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वार्षिक योजना और दीर्घावधि योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं और उस आधार पर प्रतिवर्ष लक्ष्यों को निर्धारित किया जा रहा है।

बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1759. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बड़ी संख्या में स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन अनिर्णीत पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य से ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । बिहार राज्य से प्राप्त 92,299 आवेदनों में 39,144 मामले राज्य सरकार से जांच रिपोर्टें न आने के कारण अभी अनिर्णीत पड़े हैं । निपटाए गए मामलों के अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं—

स्वीकृत किए गए	20,627
अस्वीकृत किए गए	32,528

जिन मामलों में स्वीकृति जारी कर दी गई है उनमें से 671 मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से 81 मामलों में जाँच के बाद पेंशन रद्द कर दी गई है तथा आगे जांच किए जाने तक 465 मामलों में पेंशन निलम्बित कर दी गई है ।

(ग) जो व्यक्ति स्वतन्त्रता सेनानी होने का दावा करता है उसके लिए सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ दो आवेदन पत्र भरने आवश्यक हैं । उसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को सीधी भेजी जाती है और दूसरी राज्य सरकार को भेजी जाती है जो राज्य सरकार के माध्यम से जांच पड़ताल के बाद केन्द्रीय सरकार को भेज दी जाती है । इन आवेदनों की जांच करने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए अधिकांश राज्यों में राज्य सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं ।

1982 में स्थापित सीमेंट संयंत्रों का ब्यौरा

1760. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए वर्ष 1982 में सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) वर्ष 1982 के दौरान कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई और उनकी उत्पादन क्षमता सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) 161

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक अधिकाधिक सुविधाएं जुटाने हेतु सभी प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

1982 के दौरान सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए दी गई स्वीकृतियों के ब्यौरे

क्रमांक	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता लाख मी० टन
1	2	3	4
	(क) औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अनुमोदन		
1.	मै० मैसूर सीमेंट लि०	अम्मासान्द्रा (कर्नाटक)	1.90
2.	मै० इण्डियन रेयॉन कार० लि०	चितपुर (कर्नाटक)	5.4
3.	मै० जे० के० सिनथेटिक लि०	गोतन (राजस्थान)	0.50
4.	आई० डी० सी० उड़ीसा लि०	बरगढ़ (उड़ीसा)	1.65
5.	मै० के० टेक्समैको लि०	येरागुंतला (आन्ध्र प्रदेश)	5.00
6.	मै० जे० सिनथेटिकस लि०	निम्बाहेडा (राजस्थान)	4.20
	(ख) आशय पत्रों के लिए अनुमोदन		
7.	म० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम	सीधी (म० प्र०)	0.66
8.	कुमाऊं मंडल विकास निगम	उत्तराखंड क्षेत्र (उ० प्र०)	0.66
9.	-वही-	रानीखेत (उ० प्र०)	0.66
10.	-वही-	गंगोलीहाट (उ० प्र०)	0.66
11.	-वही-	गंगोलीहाट (उ० प्र०)	0.66
12.	सी० सी० आई० लि०	जगदलपुर (म० प्र०)	10.00
13.	श्री अम्बिका सीमेंट	जूनागढ़ (गुजरात)	0.66
14.	मै० ग्वालियर रेयॉन	जाबाद (म० प्र०)	8.00
15.	मै० ए० सी० सी० लि०	पोरबन्दर (गुजरात)	0.15
16.	मै० कम्बाइण्ड सीमेंट	(गुजरात)	0.66
17.	श्री एस० जी० हवान्नावर	बीजापुर (कर्नाटक)	0.66
18.	श्री जी० करीसिद्दप्पा	चित्रदुर्ग (कर्नाटक)	0.66
19.	मै० एमकेरे फार्म्स	होसदुर्ग (कर्नाटक)	0.66
20.	श्री एस० रामचन्द्र राव	गंतूर (आन्ध्र प्रदेश)	0.66
21.	श्री ओम प्रकाश एस० एस० अग्रवाल	मेहसाना (गुजरात)	0.66
22.	डा० एम० जहीरुद्दीन	हौजदुर्ग (कर्नाटक)	0.66
23.	मै० कशीराम इंडस्ट्रीज	सेरम (कर्नाटक)	4.5

1	2	3	4
24.	श्री गिरीश शास्त्री	मिर्जापुर (यू० पी०)	0.66
25.	मै० भारत फूड इंडिया	सिद्धि (म० प्र०)	0.66
26.	श्री एच० सी० कोहली	अमरेली (गुजरात)	0.66
27.	मै० ए० सी० सी० लि०	मंचेरियाल (आन्ध्र प्रदेश)	0.85
28.	मै० सदर्न पेट्रोकेमिकल्स	क्लीकनेरिन (तमिलनाडु)	1.23
29.	मै० लक्ष्माया जजी सीमेंट	चित्तपुर (कर्नाटक)	10.40
30.	मै० राजस्थान स्पि० एण्ड वेवि० मिल्स	भीलवाड़ा (राजस्थान)	10.42
31.	मै० पारस सीमेंट एण्ड केमिकल्स	जूनागढ़ (गुजरात)	0.66
32.	मै० रेमंडऊलन मिल्स	विलासपुर (म० प्र०)	5.00
33.	अरीहन्त स्टील एण्ड अलोयस	सिरमूर (हि० प्र०)	0.66
34.	श्री गोपाल शरण सिंह	रीवा (म० प्र०)	0.66
35.	मै० इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वे० कार० आफ उड़ीसा	सुदरगढ़ (उड़ीसा)	0.66
36.	श्री एस० एस० कौरों	मंडी (हि० प्र०)	0.66
37.	मै० जन लघु सीमेंट उद्योग लि०	सिरोही (राजस्थान)	0.66

(ग) त० वि० म० नि० में पंजीकरण द्वारा अनुमोदन

38.	श्री बी० आर० रेड्डी	मेडक (आन्ध्र प्रदेश)	0.20
39.	श्री टी० कोरा रेड्डी	कूर्नूल (आन्ध्र प्रदेश)	0.20
40.	श्री पी० सुब्बा राजू	कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश)	0.20
41.	श्री बी० के० सिन्हा	हजारीबाग (बिहार)	0.33
42.	मै० जे० के० सीमेंट	कच्छ (गुजरात)	0.10
43.	मै० स्वामी नारायन सीमेंट	कच्छ (गुजरात)	0.10
44.	मै० रूपारेल सीमेंट	भावनगर (गुजरात)	0.30
45.	मै० अहमेरा सीमेंट	जूनागढ़ (गुजरात)	0.30
46.	मै० पटेल एण्ड लालका	कच्छ (गुजरात)	0.108
47.	मै० एच० रामचन्द्र सीमेंट	कच्छ (गुजरात)	0.108
48.	डा० जी० एम० पटेल	जूनागढ़ (गुजरात)	0.30
49.	मै० सर्वोत्तम सीमेंट	मेहसाना (गुजरात)	0.30
50.	मै० दोशी सीमेंट	राजकोट (गुजरात)	0.30
51.	काला सीमेंट	कच्छ (गुजरात)	0.108
52.	श्री अशोक कुमार	सिरमूर (हि० प्र०)	0.10

1	2	3	4
53.	मैं० सराफइन्ड, एण्ड कमर्शल, एन्टरप्राइजेस	राजौरी (जे० एण्ड के०)	0.33
54.	मैं० खैबर इन्डस्ट्रीज	बारामूला [जे० एण्ड के०]	0.33
55.	मैं० लोकपुर सीमेंट	लोकपुर [कर्नाटक]	0.24
56.	मैं० बेद सीमेंट	मल्लपुर (कर्नाटक)	0.09
57.	मैं० कर्नाटक इंन्फ्रास्ट्रक्चर्स	चित्तपुर (कर्नाटक)	0.33
58.	मैं० सस्ता सीमेंट	गठोद (कर्नाटक)	0.165
59.	श्री अशोक कुमार	धारवाड़ (कर्नाटक)	0.30
60.	ग्वालियर सीमेंट	शिवपुरी (म० प्र०)	0.30
61.	मैं० रामपुर डिस्टलरीज	दमोह (म० प्र०)	0.33
62.	मैं० प्रोमीमेंट सीमेंट	दमोह (म० प्र०)	0.15
63.	श्री बी० एस० बशीन	बीरमित्रपुर (उड़ीसा)	0.297
64.	हरदानन्द बिस्वाल	सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)	0.30
65.	मैं० आर० पी० आनन्द एण्ड संस	कटरा (राजस्थान)	0.365
66.	मैं० बीनस सीमेंट	देहरादून (यू० पी०)	0.144
67.	मैं० एम० के० फूड	देहरादून (यू० पी०)	0.16
68.	मैं० शिवालिक सीमेंट	पोड़ी गढ़वाल (यू० पी०)	0.33

देश में इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव

1761. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्यमान इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन इस्पात संयंत्रों का विस्तार किए जाने की सम्भावना है और उनके लिए कितनी धनराशि रखी गई है; और

(ग) विस्तार कब किया जाएगा और उत्पादकता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) दुर्गापुर, राउरकेला तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस्पात कारखानों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अन्य इस्पात कारखानों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण, उनके विस्तार-कार्य पर आने वाली लागत, उनको चालू करने की समय-सूची तथा विस्तार के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में होने वाली वृद्धि का ब्यौरा इस प्रकार है—

(1) बोकारो इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड बनाने की वार्षिक क्षमता को 25 लाख

टन से बढ़ाकर 40 लाख टन किया जा रहा है। परियोजना की स्वीकृत लागत 1637.55 करोड़ रुपये है। ठंडी बेलन मिल को छोड़कर विस्तार-कार्यक्रम की सभी इकाईयां इस वर्ष के अन्त तक चालू हो जाएंगी। आशा है ठंडी बेलन मिल दिसम्बर, 1982 तक चालू हो जाएगी।

(2) भिलाई इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड बनाने की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन किया जा रहा है। परियोजना की स्वीकृत लागत 1600 करोड़ रुपये है। सातवीं धमन भट्टी को छोड़कर विस्तार कार्यक्रम की सभी इकाईयां मार्च, 1983 तक तैयार हो जाएंगी। आशा है सातवीं धमन भट्टी दिसम्बर, 1982 तक चालू हो जाएगी।

(3) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड तथा कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएन्टेड सिलिकान इस्पात की चादरों का उत्पादन करने हेतु राउरकेला इस्पात कारखाने में एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना की वार्षिक क्षमता लगभग 72,000 टन होगी। आशा है यह यह परियोजना सितम्बर, 1983 तक चालू कर दी जाएगी। परियोजना की स्वीकृत लागत 154.81 करोड़ रुपये है।

(4) 65.98 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजीगत लागत से दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के विस्तार के दूसरे चरण का कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। समय-सूची के अनुसार परियोजना वर्ष 1985 तक पूरी हो जाएगी। इससे मिश्र इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड बनाने की वार्षिक क्षमता 1,60,000 टन से बढ़कर 2,60,000 टन हो जाएगी।

(5) 220 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने के आधुनिकीकरण करने के प्रथम चरण का कार्य मार्च, 1983 में पूरा हो जाने की सम्भावना है। इससे कारकाने की द्रव इस्पात बनाने की वार्षिक क्षमता 20 लाख टन से बढ़कर 21.6 लाख टन हो जाएगी।

एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनीज द्वारा संचालित सीमेंट एककों का ब्यौरा

1762. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनीज द्वारा संचालित सीमेंट एककों की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है;

(ख) क्या एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनीज अपने संयंत्रों के विस्तार की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एसोशिएटिड सीमेंट कम्पनी आगामी पांच वर्षों के दौरान देश में किसी अन्य सीमेंट संयंत्र का निर्माण कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) मैसर्स ऐसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी (ए० सी० सी०) को अपने विद्यमान एककों में पर्याप्त विस्तार करने के लिए निम्नलिखित स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं—

	(क्षमता लाख मी० टनों में)
1. वाडी (कर्नाटक)	10.00
2. जामुल (मध्य प्रदेश)	2.00
3. मन्चैरियाल (आ० प्र०)	0.85
4. कैमोर (म० प्र०)	0.50
5. पोरबन्दर (गुजरात)	0.15

इनके अलावा, ए० सी० सी० द्वारा दो आवेदन—

एक सेवालिया (गुजरात) में पर्याप्त विस्तार करने के लिए तथा दूसरा आवेदन महगांव (मध्य प्रदेश) में नया एकक लगाने के लिए—प्रस्तुत किए गए हैं।

(घ) और (ङ) कम्पनी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य में गागल स्थित 5.6 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाली उनकी एक परियोजना के वर्ष 1983 की दूसरी तिमाही में कार्यान्वित हो जाने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 1982 में ए० सी० सी० एककों की क्षमता और उत्पादन

क्र० सं०	एकक का नाम और स्थापना स्थल	क्षमता मी० टन	उत्पादन मी० टन
1.	ए० सी० सी० भूपेन्द्र (हरियाणा)	406,360	480,535
2.	-वही- छीइबासा (बिहार)	782,000	596,050
3.	-वही- चांदा (महाराष्ट्र)	560,000	525,010
4.	-वही- द्वारका (गुजरात)	349,320	243,508
5.	-वही- जामुल (म० प्र०)	380,000	1056,939
6.	-वही-खलारी (बिहार)	101,590	99,960
7.	-वही- किस्तना (आ० प्र०)	259,050	266,246
8.	-वही- कैमोर (म० प्र०)	807,490	671,950
9.	-वही- लखेड़ी (राजस्थान)	365,710	285,064
10.	-वही- मदुराई (तमिलनाडु)	384,440	402,486
11.	-वही- मंचैरियाल (आ० प्र०)	335,240	271,103
12.	-वही- पोरबन्दर (ग्रे) (गुजरात)	200,000	182,555
13.	-वही- पोरबन्दर (सफेद) (गुजरात)	35,000	21,495
14.	-वही- सेवालिया (गुजरात)	203,180	223,382
15.	-वही- सिंदरी (बिहार)	304,760	198,320
16.	-वही- शाहबाद (कर्नाटक)	573,970	383,451
17.	-वही- वाडी (कर्नाटक)	600,000	437,826

नई इलेक्ट्रोनिक योजना

1763. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई इलेक्ट्रोनिक्स योजना के बारे में कर्मी दल के अध्यक्ष ने सरकार के पास कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मन्त्री (डा एम० एस० संजीवी राव) : (क) बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ (एल०एस०आई०/वी० एल० एस० आई०) सेमीकण्डक्टर प्रौद्योगिक पर गठित कार्य-दल की रिपोर्ट का प्रथम भाग सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(ख) तथा (ग) सरकार रिपोर्ट पर विचार कर रही है ।

मनी सेंट टू लोंगोवाल सीज्ड बाई गवर्नमेंट

1764. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "मनी सेंट टू लोंगोवाल सीज्ड बाई गवर्नमेंट" शीर्षक समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि जब्त की गई थी और धनराशि किस देश से भेजी गई थी; और

(ग) अकालियों को उनकी गतिविधियों को तेज करने के लिए भेजी जा रही धनराशि के प्रवाह को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) बैंक आफ मोन्ट्रीयल ने तलविन्दर सिंह, पंजाब का एक उद्घोषित अपराधी, और जो अब कनाडा राष्ट्रिक है, की तरफ से मोर्चा फंड के लिए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल के नाम एक लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश भेजे हैं । विदेशी अभिदान (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 4 के तहत राजनैतिक दल और उसके पदाधिकारी विदेशी अभिदान नहीं ले सकते हैं । अतः विदेशी अभिदान (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के तहत स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अमृतसर के शाखा प्रबन्धक को 25-10-82 को एक आदेश भेजा गया, जिसमें उन्हें उक्त एक लाख रुपये के विदेशी अभिदान को केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेशों के बिना श्री लोंगोवाल या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान करने, देने या हस्तांतरित करने से मना किया गया है । अतः सरकार द्वारा कोई धन जब्त नहीं किया गया है ।

(ग) जैसा कि भाग (ख) के उत्तर से देखा जा सकता है कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण की वर्तमान नीति में और परिवर्तन

1765. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सीमेंट उद्योग को सीमेंट की आंशिक विनियन्त्रण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत लेवी सीमेंट के उनके अनिवार्य अंशदान का पालन करने में असफलता के बारे में बताया है;

(ख) क्या सरकार इसे पुनः परिवर्तित करने का विचार कर रही है;

(ग) क्या लेवी अन्शदान में कमी महीनेवार निरन्तर बढ़ गई है जिससे कुल वायदे का अन्तर 7.35 लाख टन हो गया है;

(घ) क्या उन्होंने यह बताया है कि सितम्बर-नवम्बर के दौरान कुछ प्रमुख सीमेंट उपभोगी केन्द्रों में गैर-लेवी सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि समझौते और सीमेंट के आंशिक विनियन्त्रण नीति के निर्माण के समय सीमेंट मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप नहीं थी; और

(ङ) क्या सीमेंट की विनियन्त्रण नीति की असफलता को देखते हुए, सरकार इसमें और परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सीमेंट कारखानों द्वारा कुल 134 लाख मी० टन के वायदे में से लेवी सीमेंट की आपूर्ति में 31-12-1982 को उनका अंशदान 10 लाख मी० टन कम रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं। यह कहना सही नहीं है कि सीमेंट की विनियन्त्रण सम्बन्धी नीति असफल हो गई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक हुआ है। चालू वर्ष में 60-70 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होने की आशा है। खुले बाजार में सीमेंट अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध होने के कारण सीमेंट की कालाबाजारी में काफी हद तक कमी हुई है। आँशिक विनियन्त्रण योजना से सीमेंट कारखाने महत्वपूर्ण लाभ कमाने और अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने की स्थिति में हो गए हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नियन्त्रित भावों पर सीमेंट प्राप्त कर रहे हैं।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को हुई हानि

1766. **श्री पीयूष तिरकी** :

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को चालू वित्त वर्ष में 60 करोड़ रुपये की हानि होने जा रही है ।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त हानि के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त हानि को न्यूनतम करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि 'सेल' को घाटा होने का मुख्य कारण इसके उत्पादों की माँग में कमी होना है; और

(ङ) क्या इस्पात की आयात नीति के उदार होने के कारण ही 'सेल' के उत्पादों की माँग कम हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) इस वर्ष के लेखे बन्द करने के पश्चात् ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा, लेकिन इस बात की आशंका है कि वर्ष 1982-83 में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड को काफी हानि होगी ।

(ख) हानि होने के मुख्य कारण प्रत्याशित उत्पादन की तुलना में उत्पादन कम होना, मुख्य रूप से आदानों की अधिक लागत और ईंधन की अधिक खपत आदि जैसे तकनीकी-आर्थिक कारणों से उत्पादन लागत अधिक होना है ।

(ग) हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :

(1) संचित स्टाक में कमी करने के लिए इस्पात सामग्री के अपक्रय में वृद्धि करना ताकि स्टाक में लगी हुई पूंजी पर ब्याज के बोझ में कमी की जा सके ।

(2) उन मदों के उत्पादन में विशेष रूप से वृद्धि करना, जिनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है ।

(3) तकनीकी-आर्थिक पहलुओं में सुधार करना ।

(4) स्क्रैप, धातुमल और मिडलिंग्स और उत्पादों का शीघ्र निपटान करना ।

(5) कच्चे माल स्टोर, फालतू पुर्जों और अन्य आदानों की वस्तु-सूची पर कड़ा नियन्त्रण रखना ।

(6) प्रशासनिक खर्च में कमी करना ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रदेश में इस्पात की जिन श्रेणियों का उत्पादन उनकी मांग की तुलना में पर्याप्त नहीं है, केवल उन श्रेणियों का आयात करने की अनुमति दी जाती है ।

जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

1767. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में उप-योजना की संकल्पना के प्रारम्भ से ही जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को 1982-83 तक उनके मन्त्रालय द्वारा राज्य वार कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना, मध्यावधि योजना तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में जनजाति विकास पर कार्यदल द्वारा क्या सिफारिशें की गयीं तथा उन पर अन्तिम रूप से क्या सहमति हुई और राज्यों को कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या जनजाति उप-योजना के लिए निर्धारित धन असमाप्य तथा अपरिवर्तनीय हैं, यदि हां, तो 1981-82 तक पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के उनके मन्त्रालय तथा राज्यों द्वारा उपभोग किये गये धन में से कितनी राशि खर्च नहीं हुई है; और

(घ) विशेष केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए राज्यों को क्या मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5991/83]**

(ख) जनजाति उप-योजना की संकल्पना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। पांचवीं योजना अवधि में कोई कार्यदल नहीं था और किसी ऐसी समिति अथवा दल द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की मात्रा के बारे में सिफारिश नहीं की गई थी। पांचवी योजना अवधि के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मध्यावधि योजना 1978-83 संबंधी कार्य दल ने 350 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता की सिफारिश की थी और वह राशि दे दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना संबंधी कार्यदल ने 1,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की, जिसमें से 470 करोड़ रुपये दे दिये गये। दी गई राशि के आँकड़े संलग्न विवरण-I में दिये हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5991/83]**

(ग) जनजाति उपयोजना का धन सामान्यतः अपरिवर्तनीय होता है। उसे अपरिवर्तनीय बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभागीय बजटों में पृथक मांग शीर्ष अथवा उप शीर्ष जैसी बजट सम्बन्धी क्रिया विधि बनाई गई है। किसी योजना अवधि में जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता असमाप्य होती है। राज्य योजना राशि से जनजाति उपयोजना के लिए धन की व्यवस्था राज्य योजना का भाग है और इसलिए सामान्य राज्य योजना तथा बजट सम्बन्धी प्रतिक्रियाओं के अनुसार नियमित होता है। राज्यों द्वारा पहले के वर्षों के खर्च न किये धन को बाद के वर्षों में खर्च किये जाने के मामले जो इस मन्त्रालय को सूचित किये गये, अधिक नहीं हैं, जैसा कि संलग्न विवरण-II से देखा जा सकता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5991/83]

(घ) किसी राज्य को आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता का क्षेत्रवार वितरण योजना आयोग के संकेत पर किया जाता है। इस सहायता का उपयोग सामान्यतः कार्यक्रमों में नाजुक अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे विशेष केन्द्रीय सहायता का अधिकाधिक उपयोग परिवार/व्यक्तिगत लाभभोगी कार्यक्रमों के लिए करें।

अखिल भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था और खनिज खोज निगम द्वारा पता लगाए गए बाक्साइट निक्षेपों का मूल्यांकन

1768. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में ड्रिलिंग के पश्चात और भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था और खनिज खोज निगम द्वारा ड्रिलिंग किए जा रहे क्षेत्रों में अब तक के मूल्यांकन में कितनी मात्रा के तथा किस्म के बाक्साइट निक्षेपों का पता चला है;

(ख) वहां पर बाक्साइट के निक्षेप किन स्थानों पर उपलब्ध हैं;

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा ड्रिलिंग के लिए अब तक कितनी राशि दी गई है और काम पूरा होने का निर्धारित वर्ष क्या है;

(घ) दमनजोड़ी क्षेत्र में एल्यूमिनियम क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा घोट्टंगी तथा पंचपट माली क्षेत्र के बाक्साइट निक्षेपों के कार्य में क्या प्रगति प्राप्त की गई है; और

(ङ) इन दोनों क्षेत्रों के खनन और उनके संयंत्र तक परिवहन के लिए क्या आधार सुविधाएं स्थापित की गई हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में भारतीय भू-सर्वे तथा खनिज गवेषण निगम ने अब तक 1087 मिलियन टन बाक्साइट का आकलन किया है जिसमें 40-48% एल्यूमिना तथा 5% तक सिलिका है।

(ख) ये निक्षेप पंचपटमाली, पोटांगी, बफलीमाली, कोडिगमाली, बलाडा, कुटरुमाली, मालीपर्बत, सभामाली, पसांगमाली, सजिमाली तथा लांजीगढ़ में हैं। अन्तिम दो स्थानों का कुछ भाग कालाहांडी जिले से लगता है।

(ग) कोरापुट जिले में बाक्साइट की खोज पर खनिज गवेषण निगम के 485 लाख रुपए खर्च किए हैं। भारतीय भू-सर्वे खनिज स्रोतों का क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित करता है तथा खनिज विशेष की खोज पर खर्च का हिसाब नहीं रखता।

भारतीय भू-सर्वे द्वारा खनिजों की खोज लगातार चलने वाला काम है। लेकिन कोरापुट तथा कालाहांडी जिलों में वर्तमान बाक्साइट खोज कार्यक्रम 1984 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(घ) तथा (ङ) सरकारी क्षेत्र में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नालको) उड़ीसा के कोरापुट जिले के पोटांगी तथा पंचपटमाली बाक्साइट निक्षेपों के लिए दोहन एजेंसी है।

कोरापुट बाक्साइट निक्षेपों पर उड़ीसा में एक एल्यूमिना-एल्यूमिनियम कम्पलैक्स की स्थापना का अनुमोदन नवम्बर, 1980 में किया गया था। नालको ने पंचपटमाली बाक्साइट खान के विकास सहित परियोजना के मुख्य कार्यों हेतु सलाहकार नियुक्त किए हैं। स्थल पर कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है। दामनजोड़ी में एल्यूमिना संयंत्र स्थल तक बाक्साइट ढुलाई हेतु केबुल पट्टी सहित आधारभूत कार्य यथा निर्माण हेतु जल और विद्युत, पहुंच मार्ग, विस्तृत इंजीनियरिंग तथा (उपकरणों) के आर्डर देने का कार्य चल रहा है। पंचपटमाली खान 1985-86 तक चालू हो जाने की आशा है। पोटांगी बाक्साइट खान का विकास नालको द्वारा बाद में शुरू किया जाएगा।

हाथियों का संरक्षण

1769. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हाथियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों में कुल कितने हाथी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन हाथियों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) भारत में वन्य हाथियों की संख्या का स्थिति सर्वेक्षण चल रहा है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार, संख्या लगभग 15,950 है और राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:—

अरुणाचल प्रदेश	—	2,000
असम	—	1,900
मेघालय	—	2,500
मणिपुर	—	150
त्रिपुरा	—	150
नागालैंड	—	250
मिजोरम	—	250
उत्तर प्रदेश	—	500
कर्नाटक	—	2,100
तमिलनाडु	—	2,300
केरल	—	1,400
बिहार	—	300
उड़ीसा	—	2,000
पश्चिम बंगाल	—	150
	जोड़ :	15,950

(ग) भारतीय हाथी को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सम्मिलित किया गया है, इस कारण इसके पकड़ने, शिकार करने तथा व्यापार करने के विरुद्ध इसे पूर्ण वैद्य संरक्षण प्रदान किया गया है। इसे वन्य प्राणिजातों और वनस्पतिजातों की संकटग्रस्त स्पीशीज में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी अभिसमय (सी० आई० टी० ई०एम०) के अनुबन्ध 1 में भी सम्मिलित किया गया है, जो इन स्पोशीज और इनके उत्पादों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। आई० यू० सी० एन० का एशियन हाथी विशेषज्ञ समूह इस समय भारतीय हाथी की स्थिति और पारिस्थितिकी के सर्वेक्षण में रत है, जो कि स्पीशीज के लिए दीर्घकालीन संरक्षण कार्यक्रम का आधार होगा। हाथी अनिष्ट नियन्त्रण ऊपाय अपनाने के साथ साथ, वन्य हाथियों के आवास और प्रवासी मार्गों को संरक्षित करने के लिए विशेषज्ञ समूह की अन्तरिम सिफारिशों को समुचित कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

1770. **श्री जैनुल बशर :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में एक परमाणु उर्जा केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस स्थान का नाम क्या है, जहां इसे स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस उर्जा केन्द्र द्वारा कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होगा; और

(घ) इसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में नरोरा नामक स्थान पर दो रिऐक्टरों वाया एक बिजलीघर बनाया जा रहा है जिसमें से प्रत्येक रिऐक्टर की क्षमता 235 मेगावाट होगी। आशा है कि पहला रिऐक्टर वर्ष 1986-87 में और दूसरा वर्ष 1987-88 में तैयार हो जाएगा।

छोटा नागपुर डिवीजन में एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र

1771. **श्री ए० के० राय :** क्या **गृह मन्त्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर डिविजन (उत्तर और दक्षिण) और संथाल परगना में एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1982 में उससे कितनी जनता को लाभ पहुंचा तथा ऐसे ब्लाकों के नाम क्या हैं;

(ख) एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी क्षेत्र को शामिल करने का मानदण्ड क्या है; और

(ग) क्या 60 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या वाले सभी गांवों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए उसका क्षेत्र बढ़ाने की कोई योजना है; यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) छोटा नागपुर डिवीजन (उत्तरी तथा दक्षिणी) तथा संथाल परगना में एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर खंडों, गांवों की संख्या और शामिल की गई जनजातीय जनसंख्या के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जनजातीय उप योजना की संशोधित क्षेत्र विकास नीति (एमं० ए० डी० ए०) के अन्तर्गत सघन जनजातीय संख्या क्षेत्र निर्धारित करने के लिए जिस मानदण्ड का अनुसरण दिया जाता है वह यह है कि वह क्षेत्र 10,000 अथवा अधिक कुल जनसंख्या वाला सघन क्षेत्र हो और इसमें 50% अथवा अधिक जनजातीय संख्या हो ।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है ।

विवरण

सघन जनजातीय क्षेत्र जनसंख्या तथा गाँव

बिहार राज्य

क्र० सं०	प्रभाग/जिला	खंड/क्षेत्र	गावों की संख्या	जनसंख्या (1971 की जनगणना) कुल	अनु० जाति
1	2	3	4	5	6
छोटा नागपुर (दक्षिण) डिविजन					
	पलामऊ	चैनपुर	61	21364	11775
		छतरपुर	47	10020	5242
		रांका	90	33100	19457
		डाल्टनगंज	11	10979	5445
		धूरकी	29	11851	6873
छोटा नागपुर (उत्तरी) डिविजन					
	हजारीबाग	चूरची-I	37	10048	5439
		चुरची-II	12	10452	5535
		पतरातू	51	27465	15285
		गोला	29	22199	12648
		बारकागांव	18	10048	5903
	गिरीदी	पिरतांड	148	32285	19928
		तीसरी	97	14402	8102
		गांडे	75	16658	11590
		बेंगाबाद	46	10330	7808

1	2	3	4	5	6
		गुमिया	41	16901	10804
		पीटरबार	37	25509	14556
		जारीडीह	24	15534	8714
		कसमार	23	10987	5866
		गिरिडीह	42	13212	7350
		दूमरी	47	11862	6367
		देवरी	82	13360	8146
	धनबाद	टुंडी-1	102	21921	14893
		टुंडी-2	88	23290	14759
		निरसा-कम-चिरकुंडा	59	27351	15393
	संथाल परगना	पोलोजोरी-I	39	10009	5814
	संथाल परगना	पोलोजोरी-II	73	20395	13366
		सारथ	55	12800	6964
		पारेयाहाट	109	53131	35005
		माधुपुर	50	12553	6963
		कारों	66	17561	9082
		गोड्डा	51	26720	14030
		पाथरगामा	61	19932	10340
		महागामा	57	10044	5149
		मेहेरमा	68	14436	8246

समुद्री जल शोधक मशीनों की स्थापना

1772. **श्री के० मालन्ना** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए महानगरों, बड़े नगरों, जहां वास्तव में विशेष रूप से गर्मी के मौसम में पेयजल की कमी होती है, में लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए शुद्ध समुद्री जल का भण्डार करने के प्रयोजन के लिए विशाल पैमाने के जल के कार्यों के सम्बन्ध में प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कमी वाले क्षेत्रों में पानी की सप्लाई के लिए लम्बी दूरी की पाइप लाइनों से समुद्री जल शोधक मशीनों की स्थापना करने हेतु हमारे वैज्ञानिक आवश्यक मशीनरी और तकनीकी जानकारी से सज्जित किए जाते हैं; और

(ग) क्या हमारे देश के मरूस्थल वाले क्षेत्रों में कृषि, वृक्षारोपण और वनस्पति के उद्देश्य के लिए इस पानी को उपयोग में लाना सुविधाजनक होगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) समुद्र के पानी की लवणता दूर करने की अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के रेगिस्तान क्षेत्रों में काश्तकारी, वनरोपण तथा सब्जी उगाने के प्रयोजनों के लिए लवण रहित पानी का इस्तेमाल करना किफायती नहीं होगा।

मिजोरम में चकमा लोगों की घुसपैठ

1773. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी 1983 के "दि स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास चकमा लोगों की मिजोरम में घुसपैठ के कारण दोनों राज्य सरकारों और लोगों को चिन्ता हुई है;

(ख) यदि, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी केन्द्रीय दल को वहां जाने और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देने के लिए नियुक्त किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) मिजोरम के मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया है किया है कि 60 और 70 के दशकों में मिजोरम में चकमा लोगों के बड़ी संख्या में आने की जांच की जाये।

(ग) और (घ) मिजोरम में चकमाओं की घुसपैठ पर रिपोर्ट देने के लिए किसी केन्द्रीय दल को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। 1961-71 के दौरान मिजोरम में चकमाओं की जनसंख्या में वृद्धि 15.80% थी जब कि कुल जनसंख्या में वृद्धि 24.93% थी। 1971 की जनगणना के अनुसार मिजोरम में चकमाओं की कुल संख्या 22,393 थी 1981 के आँकड़ों को अभी संकलित किया जाना है अवैध रूप से सीमा पार करने वाली को रोकने के लिए सीमा पर आवश्यक सतर्कता रखी जा रही है।

दिल्ली में अनधिकृत गेस्ट हाउसेज

1774. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में चल रहे लगभग 95 से 98 प्रतिशत गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं अपना कारोबार अनधिकृत तरीके से कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अनधिकृत गेस्ट हाउसों में अपना कारोबार चलाने वाले मालिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) राजधानी में कितने गेस्ट हाउस पंजीकृत हैं;

(घ) गेस्ट हाउस का पंजीकरण करने का मानदंड क्या है; और

(ङ) पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राधिकारियों के पास लम्बित पड़े हैं और उनको पंजीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) प्रतिशत बताना कठिन है परन्तु यह सही है कि अनेक गेस्ट हाउस बिना उचित लाइसेंस के विद्यमान हैं। गत वर्ष दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 112 के अधीन अनधिकृत गैस्ट हाउसों के विरुद्ध 318 अभियोजन शुरू किए गए हैं और मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

(ग) सराय अधिनियम के अधीन 459 परिसर पंजीकृत हैं। किन्तु दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के लागू होने पर नये विनियमों के अन्तर्गत उनको भी नये लाइसेंस प्राप्त करने आवश्यक हैं।

(घ) गेस्ट हाउस चलाने के प्रयोजन के लिए आवेदन और परिसर की उपयुक्तता के बारे में स्थानीय निकायों, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, स्थानीय और यातायात पुलिस से स्वीकृत रिपोर्टें प्राप्त करने के पश्चात लाइसेंस जारी किये जाते हैं।

(ङ) विभिन्न प्राधिकरणों जैसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, मुख्य अग्निशमक अधिकारी, और दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण लगभग 200 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की आधुनिकीकरण और विस्तार योजनायें

1775. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की माँग में कमी लाने और भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास स्टाक के जमा हो जाने के कारण अनेक आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं की गति के धीमा पड़ जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस्पात की माँग में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1982-83 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को लगभग कितनी हानि हुई;

(घ) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में उत्पादन में भी गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो अप्रैल-दिसम्बर 1982 के दौरान कितनी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के०पी० साल्वे) : (क) स्टील

अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के पास स्टाक जमा हो जाने के कारण आधुनिकीकरण/विस्तार की चल रही योजनाओं की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी ।

(ख) इस्पात की माँग में कमी नहीं आई है लेकिन माँग में वृद्धि उत्पादन और उपलब्धि में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है;

(ग) वर्ष 1982-83 के लेखे बन्द करने के पश्चात् ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा, लेकिन इस बात की आशंका है कि वर्ष 1982-83 में "सेल" को काफी हानि होगी ।

(घ) और (ङ) जी, नहीं । अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में विक्रय इस्पात का उत्पादन 45.96 लाख टन हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में अधिक है ।

उड़ीसा के क्योंझर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 'इकनामिक रूरल रिहेब्लीटेशन प्रोजेक्ट' योजना का प्रारम्भ किया जाना

1776. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 'इकनामिक रूरल रिहेब्लीटेशन प्रोजेक्ट योजनाओं को प्रारम्भ किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो उस जिले में 'इकनामिक रूरल रिहेब्लीटेशन प्रोजेक्ट' कब प्रारम्भ किया गया;

(ग) उड़ीसा के उस जिले में उपर्युक्त ई० आर० आर० पी० योजना का वर्षवार कितने लोगों ने लाभ उठाया; और

(घ) उस जिले में 1983-84 के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वर्ष 1980-81 से ।

(ग) जिले में आर्थिक ग्रामीण पुनर्स्थापन परियोजना स्कीम के लाभग्राहियों की संख्या निम्नलिखित है:-

1980-81	1052
1981-82	2099
1982.83	1719

(दिसम्बर, 1982 तक)

(घ) क्योंझर जिले में इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में शामिल किए जाने वाले लाभग्राहियों की संख्या लगभग 6339 होगी । इस स्कीम में शामिल किए गए कार्यकलापों का प्रकार मछली पालने के इस्तेमाल न किए जा रहे तालाबों के विकास, भूमि के विकास आदि से सम्बन्धित है ।

परमाणु बिजली संयंत्रों का अन्तरिक्ष में उपयोग

1777. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो देश घातक पैकेजों (बाह्य अन्तरिक्ष में बिजली संयंत्रों) को अन्तरिक्ष में भेजते हैं उनके पास इसका कोई नियन्त्रण नहीं जान पड़ता कि वे पैकेज कब और कहां गिरेंगे, और मानव बस्तियों में विकिरण का खतरा हमेशा बना रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गिरता हुआ अधिकांश अन्तरिक्ष मलबा जब धरती के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जल उठता है, लेकिन उपग्रहों का आकार बढ़ते जाने के कारण बड़ी संख्या में टुकड़ों के पूरा जले बिना धरती की सतह पर पहुंचने की अधिकाधिक सम्भावनाएं हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या विकिरण के खतरों को कम करने के लिए परमाणु पैकेजों के आकार तथा क्षमता सम्बन्धी मार्ग निर्देशों पर सहमति के लिए, अन्तरिक्ष से परमाणु बिजली संयंत्रों के इस्तेमाल सम्बन्धी राष्ट्र संघ प्रायोजित अन्तरराष्ट्रीय समझौतों की सहायता के लिए कोई सहायता माँगी गई है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वायुमंडल एवं पुनः प्रवेश की गतिक्रियों के बारे में आधुनिक ज्ञान के सीमित होने के कारण सुनिश्चित पुनः प्रवेश के बारे में भविष्यवाणी करना एक जटिल परिघटना है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) ऐसे खतरों को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक व्यवस्थायें करने के लिए भारत विविध अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भाग लेता है ।

पंजाब में उग्रवादी गतिविधियाँ

1778. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्यमन्त्री ने कहा है कि पंजाब में उग्रवादी तत्व फिर से सिर उठा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उग्रवादियों ने विभिन्न स्थानों पर बम विस्फोट किये हैं तथा कुछ क्षेत्रों में लोगों के लिए आतंक उत्पन्न किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने उग्रवादी तत्वों का दमन करने में सहायता के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है तथा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या सहायता देने का निर्णय लिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) हाल ही में राज्य में बम विस्फोट की कुछ घटनाएं हुई हैं। राज्य में स्थिति नियन्त्रण में है ।

(ग) और (घ) पंजाब सरकार के अनुरोध पर, कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय पुलिस बलों की सहायता उपलब्ध कराई गई थी ।

पटेल समिति की सिफारिश

1779. **श्री जैनुल बशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा गठित पटेल समिति की सिफारिशें अभी भी उपयोगी समझी जाती है;

(ख) क्या इन सिफारिशों के आधार पर इन जिलों के विकास हेतु नये सिरे से कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या मशविरा दिया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) से (घ) विशिष्ट जिलों की विकास समस्याओं का अध्ययन व उप-राज्य स्तर पर आवंटन राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व हैं । पटेल कमेटी, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारी थे के गठन का उद्देश्य यह था कि वह इन जिलों के विकास के लिए उचित कार्यनीति बनाने में राज्य सरकार की सहायता करे । इस कमेटी की रिपोर्ट 1964 में प्रस्तुत की गई और 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के पश्चात् इस कमेटी की सिफारिशों के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने इन जिलों में विकास कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध व कार्यान्वित करने का काम आरम्भ कर दिया है ।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों द्वारा सोने की खोज

1780. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में चट्टानों में अयस्क सकेन्द्रनों में सोने के चिन्हों का पता लगाया है;

(ख) प्रति टन चट्टान में कितने सोने की मात्रा होने का अनुमान है; और

(ग) क्या इस चट्टान पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है और 10 ग्राम सोने पर अनुमानतः कितना व्यय होता है ।

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) नवम्बर 1982 में भारतीय भू-विज्ञान कांग्रेस में प्रस्तुत निबन्ध में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने उड़ीसा के क्योंझर जिले के कोलिहान चट्टानों समूह में प्रो-केम्बेरियन श्रेणी के बलुआ-पत्थरों में स्वर्ण चिन्ह होने का उल्लेख किया था।

(ख) और (ग) वह एक वैज्ञानिक निबन्ध था और उसमें स्वर्ण चिन्हों की मात्रा का आकलन नहीं दिया गया था।

रि-रोलिंग मिलों का बन्द होना

1781. **श्री एस० ए० दौराई सेबस्तियन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के 140 करोड़ रुपये की लागत वाली बार और राड मिल योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया तो क्या लगभग 1,000 रि-रोलिंग मिलों के बन्द होने की सम्भावना है जिससे 1,00,000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो रि-रोलिंग मिलों में ऐसे संकट को न होने देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा समयपूर्व सेवा निवृत्ति की मांग

1782. **श्री ईरा अनबारासु** :
श्री के० टी० कोसलराम : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु संवर्ग के अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने 1980 से समयपूर्व सेवानिवृत्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके त्यागपत्र देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने त्यागपत्र दिया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के छः अधिकारी स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हुए हैं।

(ख) यह सूचना अनुबन्ध I और II में दिये गये विवरणों में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5992/83]

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिस एक अधिकारी ने त्यागपत्र दिया है उसने अपने त्यागपत्र में यह उल्लेख किया था कि वह व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दे रहा है।

(घ) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (ग) के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर और अनुबन्ध II पर विवरण के कालम 5 में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस मामले में कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

1980 से 1982 के दौरान की गई आत्महत्याएं

1783. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1982 के दौरान (वर्षवार तथा राज्यवार) कितने लोगों ने आत्महत्याएं कीं; और

(ख) क्या सरकार ने आत्महत्याओं के मुख्य कारणों के बारे में कोई जांच की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) अपराधों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं। यह प्राथमिक रूप से राज्यों का विषय है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

विदेशों में सेवा के लिए कर्मचारियों को अवकाश की मंजूरी

1784. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को जो विदेशों में रोजगार चाहते हैं बिना वेतन तथा भत्तों का 10 वर्ष तक का अवकाश मंजूर किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को इस सुविधा का निवेदन करने का कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) विदेशों में रोजगार चाहने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारियों को 10 वर्ष तक बिना वेतन तथा भत्तों के अवकाश मंजूर करने की जो नीति कुछ राज्यों द्वारा अपनाई गई है उससे सम्बन्धित सूचना केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं है। विदेशों में रोजगार चाहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 10 वर्ष तक बिना वेतन तथा भत्तों के अवकाश की अनुमति देने के अनुरोध पर कई बार विचार किया गया है किन्तु इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकार की यह नीति रही है कि सरकारी कर्मचारियों को अवकाश के समय अन्यत्र कोई सेवा या रोजगार नहीं

करना चाहिए। यदि कोई सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के अधीन नौकरी को तरजीह देकर ऐसा रोजगार करना चाहता है तो उसे नौकरी से त्यागपत्र देने और देश के अन्य नागरिकों की भांति अन्यत्र नौकरी की ढूंढ़ खोज करने की छूट होती है।

बड़े शहरों में औद्योगिक प्रदूषण

1785. **श्री तारिक अनवर** :

प्रो० मधु दण्डवते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महानगरों में औद्योगिक इकाईयों द्वारा वातावरण में उत्पन्न किये गये प्रदूषण से आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक इकाईयों की संख्या कितनी है जिन्होंने वातावरण में प्रदूषण रोकने के लिए उपकरणों का उपयोग करने के बारे में कहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सरकार प्रदूषण समस्याओं के सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्तित है और वायु प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण के लिए सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय बोर्ड ने वायु प्रदूषण का दमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं। क्योंकि केवल कुछ बड़े उद्योगों ने वायु प्रदूषण उपशमन संयंत्र लगाये हैं, अतः केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों के साथ सहयोग से, आवश्यक उपशमन उपाय करने के लिए, प्रदूषण-कारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए समुचित उपाय कर रहा है।

पेरियार अभयारण्य में जानवरों की संख्या कम होना

1786. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में पेरियार अभयारण्य में जानवरों की संख्या में कमी के विषय में पता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अत्यधिक अतिक्रमण के कारण बाघों, हाथियों तथा अन्य दुर्लभ जानवरों की संख्या काफी घट गई है;

(ग) क्या वर्ल्ड-वाल्ड लाइफ फन्ड (इन्डिया) ने वहां की वर्तमान स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है; और

(घ) स्थिति को अधिक खराब होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1978-79 में इसके बाघ

परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने के बाद पेरियार बाघ रिजर्व में जानवरों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) जी नही । अप्रैल, 1979 में बाघों की संख्या 34 थी और दिसम्बर, 1980 में यह 35 थी । इसके बाद 6 और अर्ध-व्यस्क जानवर देखे गये हैं । 1979 में हाथियों की संख्या 903 थी और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है । गौर, सांभर और वनैला सूअर की संख्या में भी वृद्धि हो रही है । केवल सोनहा (वाइल्ड डॉग्स) की संख्या में कमी हुई है ।

(ग) वर्ल्ड-वाइल्ड लाइफ फंड की अभिकथित चिन्ता की समाचार रिपोर्टों को देखा गया था परन्तु ये निराधार हैं क्योंकि अभी हाल की प्रवृत्ति में जानवरों की संख्या में वृद्धि दिखाई दी है ।

(घ) संरक्षणात्मक उपाय पहले ही तीव्र किये गये हैं । इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. 350 वर्ग किलोमीटर के अभ्यन्तर क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करने के आशय की अधिसूचना जारी करना ।

2. राज्य सरकार के उन तीन इलायची एस्टेटों को उपार्जित करने के आदेश जो शिकार-चोरों को शरण देते हुए अभिकथित कहे गये थे ।

3. रिजर्व के सर्वत्र क्षेत्र में अनेक टुकड़ियों तथा पेट्रोल शिविरों की स्थापना की गई है ।

4. रात-दिन निगरानी रखने के लिए 15 बेतार संयंत्र (सेट) लगाये गये हैं ।

छोटा नागपुर तथा संथाल परगना (बिहार) के विकास के लिए आवंटित खनिज राजस्व की मात्रा

1787. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटा नागपुर तथा संथाल परगने (बिहार) के विकास के लिए आवंटित खनिज राजस्व की मात्रा कितनी है तथा विकास कार्यों पर वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : जानकारी बिहार राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

नए डिजाइन की बैलगाड़ियां

1788. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान परिषद ने नए डिजाइन की बैलगाड़ियों के दस प्रतिशत (प्रोटोटाइप) तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी क्या लागत है तथा क्या किसानों ने इसे पसन्द किया है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इन सुधरी हुई बैलगाड़ियों में कई नए सुधार किए गए हैं जैसे बेयरिंगों में कम घर्षण के लिए उन्नत हाउसिंग यूनिट लगाई गई हैं, ड्रा-बार एडजस्ट किये जा सकते हैं, इन्हे रूपान्तरण योग्य बनाया गया है और लोडिंग प्लेटफार्म हल्का निर्मित किया गया है, लकड़ी के चक्के रास्ते और उन्नत किस्म के हैं, लकड़ी के चक्कों पर रबर के पुराने बेकार टायर चढ़ाए गए हैं, ब्रेक लगाने की व्यवस्था की गई है, कीचड़ इत्यादि खुरचने के लिए सक्रेपर फिट किए गए हैं। इन नये सुधारों से आशा है कि बैलगाड़ियों की सड़क पर चलने की योग्यताएं बढ़ जाएंगी और पशुओं व उपयोगकर्ताओं को आराम मिल सकेगा। इनके उपयोग से सड़कों के टूट-फूट में महत्व-पूर्ण कमी की जा सकने की आशा है।

(ग) वास्तविक उपयोग द्वारा परीक्षण के लिए 1981-82 वर्षों में दिल्ली के आस-पास के कृषकों को इन संशोधित गुणों से सम्पन्न 10 बैलगाड़ियां बांटी गई। क्षेत्रीय परीक्षणों से ज्ञात हुआ कि इन बैलगाड़ियों के प्रोटोटाइपों में किए गए सुधारों के कई लाभ हैं। वास्तविक उपयोग के समय देखी गई कमियों को दूर किया गया और रूपांतरित प्रोटोटाइपों को दोबारा क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए भेजा गया। बैलगाड़ी प्रोटोटाइपों के क्षेत्रीय निष्पादन का मानांकन कार्य प्रगति पर है। तथापि, अब तक प्राप्त फीड-बैंक आंकड़ों तथा संस्थान में किए गए अन्य प्रायोगिक कार्यों के आधार पर 8 उन्नत डिजाइन तैयार किए गए। यह संस्थान उन्नत बैलगाड़ियों के निर्माण में रुचि रखने वाले उद्यमकर्ताओं को केवल एक बार रु० 500.00 मात्र के भुगतान पर उन्नत बैल-गाड़ी की प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रहा है। डिजाइन के अनुसार इस बैलगाड़ी की लागत रु० 2000/- से रु० 3500/- तक आती है।

एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली पुलिस के लिए तैयार की गई टेलीफोन प्रणाली का बेकार पड़ा रहना

1789. **श्री सुभाष यादव** :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री रामविलास पासवान :
श्री अर्जुन सेठी : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों की तैयारी के समय दिल्ली पुलिस के लिए तैयार की गई अत्यधिक खर्चीली टेलीफोन प्रणाली बेकार पड़ी हुई है और तेजी से सफेद हाथी बनती जा रही है;

(ख) क्या एम० आर० के० बी० प्रणाली जो 50 लाख रुपये की लागत से तैयार की गई थी, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चलते-फिरते समय भी एक दूसरे से सम्पर्क करने के लिए थी;

(ग) यदि हां, तो 50 लाख की टेलीफोन प्रणाली को बेकार पड़े रहने देने के लिए बाध्य करने वाले कारण क्या हैं; और

(घ) इसे अच्छे ढंग से उपयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान । एशियन खेल, 1982 से पूर्व स्थापित मल्टी एक्सस ओटोमेटिक मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम का प्रयोग दिल्ली पुलिस द्वारा चलती-फिरती वाहनों के मध्य संचार और पुलिस नियन्त्रण कक्ष के साथ सम्पर्क के लिए किया जाता है ।

(ख) प्रणाली में चलते-फिरते वाहनों के मध्य द्रुत अन्तर संचार की सुविधा है और उससे सीधे पुलिस नियन्त्रण कक्ष से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

छोटा नागपुर का पिछड़ापन

1790. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच हैं कि छोटा नागपुर जो बिहार का दक्षिणी भाग है तथा जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है और न केवल देश में बल्कि विदेश का भी खनिज उत्पादक क्षेत्र है, के लगभग 1 करोड़ श्रमिक वर्ग के लोग उक्त पिछड़े क्षेत्र में पिछड़ी स्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : पिछड़ापन न केवल छोटा नागपुर क्षेत्र में है परन्तु देश के अन्य अनेक भागों में भी है । आशा है कि सरकार के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों से स्थिति में सुधार होगा और पिछड़ेपन में कमी आएगी ।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को हुई हानि

1791. **श्री सूर्यनारायण सिंह** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में हुई भारी हानियों के कारण हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० (एच० एस० सी० एल०) बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बढ़ती हुई हानि के कारणों पर बातचीत करने तथा सरकारी क्षेत्र के इस एकक को बचाने के लिए नवम्बर, 1982 में नई दिल्ली में सरकारी स्तर पर एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) कम्पनी को वर्ष 1978-79 से हानि हो रही है ।

(ख), (ग) और (घ) यह बैठक कम्पनी के कार्यकरण की समीक्षा करने और इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उपायों पर विचार करने के लिए सांविधिक विभागीय बैठकों में

से एक बैठक थी। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस कम्पनी को सशक्त बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

वे स्थान जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार किए गए

1792. **श्री राम प्रसाद अहिरवार :**

श्री आर० एन० राकेश :

श्री भोगेन्द्र झा :

श्री कमल नाथ :

श्री टी० एस० नेगी :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री सूरज भान :

श्री मूलचन्द डागा :

श्री अनन्त रामुलु मल्लु :

श्री पीयूष तिरकी :

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अत्याचार किए गए; और

(ख) उनमें से वे स्थान कौन से हैं जहां केन्द्रीय गृह मन्त्रालय के एक मन्त्री ने दौरा किया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) पिछले तीन सालों के दौरान इस प्रकार की मुख्य घटनाएं पिपरा (बिहार) कफलता (उत्तर प्रदेश) देवली (उत्तर प्रदेश) साधोपुर (उत्तर प्रदेश) केस्तरा (मध्य प्रदेश) नारायणपुर (बिहार) बीरा (बिहार) कुटरुगुड्डा (उड़ीसा) अय्यापरम (तमिलनाडु), गेनी (बिहार) और सवानन और भागलपुर (बिहार) और पादिरिकुप्पम (आन्ध्र प्रदेश) में घटी। इन स्थानों में से पिपरा, कफलता देवली और साधोपुर और पादिरीकुप्पम का दौरा किया गया।

आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट की कमी

1793. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कीमतों में वृद्धि के बावजूद आन्ध्र प्रदेश में सीमेंट की कमी के बारे में पता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) जनता को पर्याप्त मात्रा में सीमेंट उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या उपाय अपनाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित देश में सीमेंट की सामान्यत: कमी है।

(ख) अधिकांशतः प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में बिजली की उपलब्धता-सम्बन्धी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने के कारण देश के सीमेंट उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) सरकार, अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके, विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की अनुमति देकर देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही है।

स्कूटरों की बुकिंग के लिए एकत्र जमाराशि

1794. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो दो पहिये वाले स्कूटर बना रही हैं तथा उन्हें किस तारीख को लाइसेंस मंजूर किए गए तथा उनकी वर्तमान या प्रस्तावित क्षमता क्या है; और

(ख) इन दुपहिया स्कूटरों के निर्माताओं द्वारा अपने बिक्री एजेंटों के माध्यम से दुपहिया स्कूटर की बुकिंग के लिए 15 फरवरी, 1983 तक निर्मातावार कितनी राशि अग्रिम राशि के रूप में एकत्र की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें इस समय स्कूटरों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण में दी गई कम्पनियों के अलावा मैं० लोहिया मशीन्स को एक लाख दुपहियों के लिए एक आशय पत्र दिया गया है और उनका इटली की मैं० पियागियों के सहयोग से स्कूटरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ख) कम्पनियों द्वारा दी गई जानकारी निम्नलिखित है—

(1) **स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड**

सेन्टो की बुकिंग के लिए—लगभग 5 करोड़ रुपये

(2) **बजाज आटो लिमिटेड और महाराष्ट्र स्कूटर्स**

मैं० बजाज आटो लिमिटेड और महाराष्ट्र स्कूटर्स ने देश के विभिन्न हिस्सों में नये बिक्री अभिकरण खोले हैं और इच्छुक खरीददारों से स्कूटरों की बुकिंग के लिए 1-2-1983 से प्रति गाड़ी 5 0 रुपये की दर से अग्रिमराशियां लेना शुरू कर दिया है। अब तक प्राप्त की गई जमाराशियों की मात्रा के बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इससे पहले मैं० बजाज आटो ने 50 सी० सी० की मोपेडों के लिए बुकिंग खोली थी और प्रति गाड़ी 500 रु० के हिसाब से 57 करोड़ रु० की राशि इकट्ठी की है।

(3) **मैं० कर्नाटक स्कूटर्स** ने उनके द्वारा निर्मित की जा रही 50 सी० सी० की मिनी मोटर साइकिलों की बुकिंग के लिए अग्रिम राशि के रूप में 2.3 करोड़ रु० की राशि इकट्ठी की है।

(4) **मैं० लोहिया मशीन्स** ने उनके द्वारा निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित स्कूटर के लिए

बुकिंग आमंत्रित की है और बताया है कि प्रति गाड़ी 500 रुपये के हिसाब से उन्होंने लगभग 96 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं।

विवरण

क्रमांक	पार्टी का नाम	मूल लाइसेंस की तारीख	वर्तमान या प्रस्तावित क्षमता
1.	मै० बजाज आटो लिमिटेड	28-5-63 i)	1,60,000 (विद्यमान क्षमता)
		ii)	3,00,000 (प्रस्तावित और स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता)
2.	मै० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड	23-2-73	48,000 (विद्यमान)
3.	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	31-10-73	1,00,000 (विद्यमान)
4.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स	26-8-74 i)	24,000 (विद्यमान)
		ii)	36,000 (प्रस्तावित और स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता)
5.	महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड	16-9-75	24,000
6.	कर्नाटक स्कूटर्स लिमिटेड	14-7-75	24,000
7.	गिरनार स्कूटर्स	1-10-72	24,000

भू-सर्वेक्षणों के माध्यम से यूरेनियम की गवेषणा

1795. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सुभाष यादव : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिजों की खोज के माध्यम से देशी यूरेनियम तथा अन्य परमाणु खनिजों की उपलब्धि के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ भू-सर्वेक्षण दल ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भू-सर्वेक्षणों के माध्यम से यूरेनियम तथा अन्य परमाणु खनिजों के लिए गवेषणा की है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग का परमाणु खनिज प्रभाग परमाणु खनिजों के निक्षेपों का, जिनमें यूरेनियम के निक्षेप भी शामिल हैं, पता लगाने के लिए सारे देश में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण करता रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि परमाणु खनिजों के जिन भंडारों का पता निश्चित रूप से अब तक लगाया जा चुका है वे हमारे परमाणु बिजली सम्बन्धी उस कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं जिनकी परिकल्पना इस समय की गई है।

(ख) तथा (ग) पिछले 3 वर्षों में परमाणु खनिज प्रभाग के सर्वेक्षण दलों ने भू-सर्वेक्षण की सहायता से बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम तथा मेघालय के विभिन्न क्षेत्रों में अन्वेषण-कार्य किया है।

भारत में भारी जल संयंत्रों की अधिक स्थापना

1796. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सुभाष यादव :
श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगले तीन वर्षों में देश में और अधिक भारी जल संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए चुने गए स्थान कौन से हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए यदि कोई धन नियत किया गया है तो कितना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) तीन चालू किए जा चुके और दो चालू किए जा रहे भारी पानी संयंत्रों के अलावा दो अन्य भारी पानी संयंत्रों का निर्माण भी शुरू किया जा चुका है—पहले का महाराष्ट्र में थाल वैशट नामक स्थान पर और दूसरे का आन्ध्र प्रदेश से मानुगुरू नामक स्थान पर। थाल वैशट में लगाई जा रही भारी पानी परियोजना की संस्वीकृत लागत 187.65 करोड़ रुपए है और मानुगुरू में लगाए जा रहे संयंत्र की 421.6 करोड़ रुपए।

दहेज के कारण मौतों में वृद्धि

1797. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री सुभाष यादव : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों में विशेषकर राजधानी में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों से निपटने तथा स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक विशेष एकक स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ग) क्या सरकार दहेज से पीड़ित को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) वर्ष 1981 में सूचित किए गए ऐसे 23 मामलों की तुलना में गत वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस को दहेज के कारण हुई मौतों के कथित 40 मामले सूचित किए गए हैं ।

(ख) विवाह के पहले दस वर्षों में नव-विवाहित महिलाओं की आत्महत्या अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के सभी मामलों पर गम्भीरता से ध्यान देने के लिए पुलिस अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं । ऐसे मामलों को विशेष रिपोर्ट मामले माना जाता है । और जांच ऐसे अधिकारी द्वारा की जाती है जो उप-पुलिस अधीक्षक (सहायक पुलिस आयुक्त) के पद से कम का न हो ।

ऐसे मामलों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस में भी हाल ही में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है ।

(ग) दहेज विरोधी योजना के अन्तर्गत एक मेल-मिलाप एवं मार्गदर्शन ब्यूरो विपत्ति में पड़ी विवाहित महिलाओं और दहेज के कारण उनके ससुराल वालों द्वारा पीड़ित की गई महिलाओं को सलाह और मार्गदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय द्वारा स्थापित किया गया है । निदेशालय विभिन्न माध्यमों से प्रचार भी शुरू कर रहा है । वे सभी महिलाएं जो अपराधों की शिकार हैं निशुल्क कानूनी सहायता की हकदार हैं ।

राष्ट्रीय एल्यूमिनियम, निगम में कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त स्थान

1798. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एल्यूमिनियम निगम, भुवनेश्वर में कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए बम्बई, भुवनेश्वर, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली केन्द्रों पर अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में केन्द्रवार कितने उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे और उनमें से केन्द्रवार सफल उम्मीदवारों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर के अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र में 4 से 5 हजार उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और प्रत्येक केन्द्र से केवल 10-12 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था जबकि भुवनेश्वर केन्द्र से 800 उम्मीदवारों में से 400 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त निगम में क्षेत्रवाद के नाम पर देश के प्रतिभाशाली युवा को अधिकारों से वंचित करने के लिए कोई षडयंत्र नहीं रचा गया था, कोई उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और क्या तब तक नियुक्तियों को रोक दिया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेट के कार्यकारी काडर के ग्रेड-I में भर्ती हेतु अखिल भारतीय स्तर पर हुई लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों तथा केन्द्रवार सफल उम्मीदवारों की संख्या सारणी में दी गई है :—

केन्द्र	परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवार	सफल उम्मीदवार
1. भुवनेश्वर	371	27
2. बम्बई	53	1
3. कलकत्ता	292	24
4. कटक	337	11
5. दिल्ली	250	20
6. मद्रास	95	7
7. वाल्टेयर	169	5
कुल	1567	95

ग्रेड-I स्तर के विभिन्न पदों हेतु मई, 1981 में कम्पनी द्वारी विज्ञापन के जवाब में 6792 आवेदन पत्र आए थे । आवेदन पत्रों की अधिक संख्या के कारण दो अलग सलाहकारों को प्राथमिक संवीक्षा का काम सौंपा गया । जो उम्मीदवार मूल्यांकन हेतु प्रथम दृष्टि में योग्य पाए गए, उन्हें इस प्रकार की परीक्षाएं करने में विशेषज्ञ एक अन्य स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में बैठने को कहा गया । लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया । साक्षात्कार समिति में सलाहकार, नालको, राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा विशिष्ट क्षेत्रों के तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे । इस प्रकार अपनाई गई प्रक्रिया से अपेक्षित उद्देश्य पूरा हो जाता है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों के बीच सीमा विवाद

1799. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** :क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गंगा और घाघरा नदियों के बीच दियारा क्षेत्र के बारे में बिहार के सारन और भोजपुर जिलों तथा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बीच सीमा विवाद को हल करने हेतु संसद मे बिहार, उत्तर-प्रदेश सीमा हस्तांतरण अधिनियम, 1968 पारित कराकर भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे आफ इन्डिया) द्वारा सीमांकन कराया गया था;

(ख) क्या उक्त अधिनियम की धारा 26 में यह उपबन्ध है कि सीमांकन के बाद भूमि के एक राज्य से दूसरे राज्य को हस्तांतरण से किसानों के भूस्वामित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिनियम का उल्लंघन कर अभी तक बिहार के किसानों के रियायती अधिकारों को स्वीकार नहीं किया है हालांकि 12 वर्ष बीत गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भूमि विवाद कर स्थायी हल ढूंढने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधीन एक आयोग गठित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा अदला-बदली) अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच भूतपूर्व अस्थिर अन्तर-राज्य नदी सीमाओं के स्थान पर स्थिर सीमाओं का सीमांकन किया था ।

(ख) उपर्युक्त अधिनियम की धारा में ऐसे कानूनों को जारी रखने की व्यवस्था है जो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य की ओर उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार राज्य को हस्तांतरण से तुरन्त पहले हस्तांतरित क्षेत्र में लागू थे, जब तक किसी विधान मण्डल अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की जाये ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार सरकार ने खतियांस अथवा हस्तांतरित कुछ क्षेत्रों के बारे में अधिकार अभिलेख हस्तांतरित नहीं किये हैं । राज्य सरकार उत्तर प्रदेश भूमि कानूनों के अनुसार बिहार काश्तकारी को बदलने और भूमि अभिलेख अद्यतन बनाने के उद्देश्य से हस्तांतरित क्षेत्रों और बलिया जिले के आसपास के गांवों में उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 के अधीन सर्वेक्षण तथा अभिलेख सम्बन्ध कार्य कर रही है । चूंकि ये न्यायिक कार्रवाइयां हैं, इसलिए कोई पीड़ित पक्ष आवश्यक होने पर अभिलेख अधिकारी और ऐसा न करने पर राजस्व बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है ।

(घ) भूमि में मालिकाना हक और खेती करने के सम्बन्ध में व्यक्तियों के अधिकार अलग-अलग राज्यों के तत्सम्बन्धी कानूनों द्वारा नियमित होते हैं । ऐसे अधिकारों के सम्बन्ध में विरोधी दावे करने वाले व्यक्तियों के बीच विवाद न्यायालय द्वारा तय किये जाते हैं । इस स्थिति को ध्यान में रखकर सरकार ऐसे विवादों की जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र गठित करना आवश्यक नहीं समझती ।

दून घाटी में खनिज पदार्थों के निकालने के कारण पारिस्थितिकी पर प्रभाव

1800. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दून घाटी में खनिज पदार्थों के निकालने के कार्यक्रम का उस क्षेत्र की पारिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां तो नवम्बर, 1982 में वाराणसी में सम्पन्न चतुर्थ भूवैज्ञानिक कांग्रेस के विशेष-

कर इन घाटी में फैली जहरीली गैसों तथा घाटी के वातावरण में उनके प्रभाव के सन्दर्भ में निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) घाटी में पारिस्थितिकी को बचाने के लिए चूना पत्थर और जिप्सम को निकालने और "लाइम प्रोसेसिंग प्लांट" से जहरीली गैसों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की वांछनीयता पर विचार किया गया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) वाराणसी में आयोजित चतुर्थ भूवैज्ञानिक काँग्रेस ने कोई अन्तिम सिफारिश किए बिना, विचार व्यक्त किया कि दून घाटी में चूना-पत्थर और राक फास्फेट का बड़े पैमाने पर खनन दून घाटी के पर्वतीय पारि-तंत्र और इसके बोधात्मक सौन्दर्य को हानि पहुंचाने के लिए उत्तरदायी रहा है। चूना-पत्थर के उत्खनन ने अनेक गड्ढे और खोखले स्थान बना दिये हैं जिससे क्षेत्र कमजोर हो गया है और यह क्षेत्र धंसन तथा भू-स्खलन के प्रति प्रकार्य बन गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अगले क्षेत्रीय मौसम में खनन कार्य और सम्बन्धित परिचालनों के कारण पारिस्थितिकी परिवर्तनों के अध्ययन करने का प्रस्ताव रखता है।

(ग) अगस्त, 1981 में संगठित दून घाटी बोर्ड की सिफारिशों पर, घाटी में अव्यवस्थित खनन परिचालन को रोकने के निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:—

(1) क्रांतिक क्षेत्रों में खनन पट्टों का नवीनीकरण न करना;

(2) चूने-पत्थर की खदानों और भट्टियों (किल्न) को ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित करना जो पर्यावरणीय हानि के प्रति कम ग्रहणशील है;

(3) प्रदूषणकारी उद्योगों के स्थान निर्धारण पर नियंत्रण;

(4) घाटी में हरित आच्छादन को बहाल करने के लिए अनाच्छादित क्षेत्रों में विस्तृत वन-रोपण।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

सम्बलपुर जिले में भारत एल्यूमिनियम के लिए बाक्साइट निष्कर्षण परियोजना

1801. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर जिले में "भारत एल्यूमिनियम कंपनी" के लिए बाक्साइट निष्कर्षण परियोजना के निष्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसमें उत्पादन कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे): (क) कोरबा एल्यूमिनियम कारखाने को बाक्साइट की पूर्ति हेतु उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में एक खनन के विकास

हेतु पूंजी निवेश की मंजूरी, जुलाई, 1982 में दी गई थी। परियोजना कार्यान्वयन के लिए अब तक निम्नलिखित उपाय किए जा चुक हैं :—

(1) खान आयोजन और बस्ती निर्माण हेतु विस्तृत इन्जीनियरी अध्ययन समन्वेषण के लिए सरकारी सेक्टर के परामर्शकों की नियुक्ति;

(2) दीर्घ सुपुर्दगी सामान के लिए टेंडर मांगे जा चुके हैं। कुछ प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच हो रही है।

(3) खान स्थल से वर्तमान रेल शीर्ष के बीच 26 कि० मी० लम्बा रेल लिंक के निर्माण का काम दक्षिण-पूर्व रेलवे को सौंप दिया है;

(4) खान स्थल पर जल-बिजली, अस्थाई आवास और पहुंच मार्ग की सुविधाएं जुटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है; और

(5) रायपुर में एक प्रोजेक्ट कार्यालय और पेकमलमें स्थल कार्यालय खोल दिया है।

(ख) अप्रैल, 1985।

इलेक्ट्रानिकी टाइपराइटर और टेलीप्रिण्टर का निर्माण

1802. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर और टेलीप्रिंटर के निर्माण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सरकार ने देश में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों और इलेक्ट्रानिक दूरमुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) के विनिर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस समय लघु उद्योग क्षेत्र में निम्नलिखित दो एकक इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों का उत्पादन कर रहे हैं :

1. मैसर्स इण्डियन कम्यूनिकेशन नेटवर्क, नई दिल्ली।

2. मैसर्स लॉजिक सिस्टम्स (प्राइवेट) लिमिटेड।

इस समय जो इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाए जा रहे हैं उनकी विशिष्टताओं में निम्नलिखित शामिल हैं : 8-10 पृष्ठों के मूल पाठ के भण्डारण के लिए अन्तर्निर्मित मेमोरी (स्मृति-तंत्र) सम्पादन तथा फार्मेट क्षमता तथा विभिन्न आकार के टाइपों का चयन।

तमिलनाडु में हासुर नामक स्थान पर संचार मंत्रालय की मैसर्स हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी की स्थापित की जाने वाली नई यूनिट में इलेक्ट्रानिक टाइपराइटर बनाने का प्रस्ताव है। सरकार ने वर्ष 1980 में हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड

के उस कार्यक्रम को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया था, जिसके अन्तर्गत विदेशी तकनीकी सहयोग से प्रतिवर्ष 8.000 इलेक्ट्रानिक दूरमुद्रक बनाने का प्रस्ताव था। तदनुसार मई, 1981 में विश्वस्तर पर एक निविदा आमंत्रिक की गई थी जिसमें विदेशी सहयोग के लिए आवेदन मंगाए गये थे। संचार मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रानिक टाइपराइटरों पर नियुक्त समिति ने निविदा के उत्तर में प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया है और समिति की रिपोर्ट पर इस समय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

औद्योगिक लाइसेंसों को जारी किया जाना।

1803. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में क्षेत्र-वार और राज्य-वार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) इस अवधि में पिछड़े क्षेत्रों या पिछड़े राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये;

(ग) क्या लाइसेंस जारी करने के लिए औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को प्राथमिकता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करना सरकार की नीति और औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सरकार ने इस बारे में कई अभ्युपाय किये हैं यह निर्णय भी लिया गया है कि ऐसे जिले में जिसमें अभी तक कोई भी मझौला या बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, उनमें एककों की स्थापना क लिए औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों को अन्य स्थापना स्थल सम्बन्धी आवेदनों की अपेक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जायेगी। 11 जनवरी, 1982 से 31 जनवरी, 1983 के बीच स्वीकृति किये गये कुछ 1101 आशयपत्रों में से 624 आशयपत्र (57%) देश क औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में स्थापना के लिए हैं, तथा इनमें "उद्योग रहित जिलों" के लिए विशिष्ट रूप से जारी किए गए 161 आशय पत्र शामिल हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़ क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए निम्नलिखित विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:—

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रियायती पुनर्वित्त योजना।

(2) केन्द्रीय निवेश राजसहायता।

(3) आयकर सम्बन्धी राहत।

(4) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।

(5) ब्याज राजसहायता।

(6) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधा।

(7) राष्ट्रीय लघु विकास निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों का संभरण।

(8) परिवहन राजसहायता आदि।

विवरण

अप्रैल 1982 से जनवरी, 1983 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की क्षेत्रवार/राज्यवार संख्या तथा पिछड़े क्षेत्रों/राज्यों के अंश का दर्शाने वाला विवरण।

क्षेत्र/राज्य का नाम	स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या	पिछड़े क्षेत्रों का अंश
उत्तरी क्षेत्र	71	27
जम्मू और कश्मीर	10	10
पंजाब	15	2
हिमाचल प्रदेश	3	3
राजस्थान	12	8
हरियाणा	21	4
चण्डीगढ़	4	—
दिल्ली	6	—
केन्द्रीय क्षेत्र	30	12
मध्य प्रदेश	10	8
उत्तर प्रदेश	20	4
पश्चिमी क्षेत्र	129	48
गुजरात	47	16
महाराष्ट्र	70	10
गोवा दमन और द्वीप	6	6
दादरा और नागर हवेली	—	—
दक्षिणी क्षेत्र	86	48
आंध्र प्रदेश	22	9
कर्नाटक	32	17
तमिलनाडु	22	8
केरल	9	5
पाँडिचेरी	1	1
पूर्वी क्षेत्र	38	12
बिहार	9	1
उड़ीसा	10	3
पश्चिम बंगाल	19	8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1	1

1	2	3
असम	1	1
मिजोरम	—	—
मणिपुर	—	—
त्रिपुरा	—	—
नागालैंड	—	—
मेघालय		—
अरुणाचल प्रदेश		—
सिक्किम		—
एक से अधिक राज्य/	3	1
विनिर्दिष्ट न किए गये राज्य		—
अण्डमान तथा निकोबार	—	—

आधारभूत उद्योगों की स्थापना

1804. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के नाम क्या हैं जिनका आधारभूत संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन औद्योगीकरण किया जाएगा;

(ख) क्या केन्द्रीय दल ने सभी स्थानों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) क्या कृतिक बल ने पेज-वार अपनी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों/संघ प्रशासित प्रदेशों की सिफारिशों पर 69 जिले चुने गये गए हैं। इन जिलों में स्थापित किए जाने वाले केन्द्रस्थ कम्पलैक्सों का पता लगाने के लिए 33 कृतिक बल स्थापित किए गए। 35 स्थापना स्थलों के लिए गठित 19 कृतिक बलों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। जिलों का और दी गई रिपोर्टों का विवरण संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत गृहत औद्योगिकीकरण के लिए राज्य सरकारों/संघ प्रशासित प्रदेशों द्वारा चुने गए जिलों/क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	चुने गए जिला/क्षेत्र	रिपोर्ट प्राप्त हो गई या नहीं
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		2. मेडक	-वही-
		3. श्रीकाकुलम	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
2.	आसाम	4. गोलकपारा	
		5. कामरूप	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
3.	बिहार	6. मधुबनी	
		7. पालामऊ	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
4.	गुजरात	8. कच्छ	
		9. अमरेली	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		10. साबरकंठा	
5.	हरियाणा	11. महेन्द्रगढ़	
		12. हिसार	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		13. जिंद	
6.	हिमाचल प्रदेश	14. कांगड़ा	
		15. सोलन	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		16. सिरमूर	
7.	जम्मू और कश्मीर	17. बारामूला	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		18. उधमपुर	
8.	कर्नाटक	19. तुमकुर	
		20. साउथ कनारा	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		21. गुलबर्गा	
		22. बेलगांव	
9.	केरल	23. एलेप्पी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		24. मालापुरम	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	25. औरंगाबाद	
		26. चन्द्रपुर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		27. रत्नागिरी	
11.	मध्य प्रदेश	28. सीधी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		29. झबूआ	
		30. मुरैना	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		31. धार	
12.	मेघालय	32. पूर्वी गारो हिल्स	पूर्वी खासी हिल्स के
		33. पूर्वी खासी हिल्स	बारे में रिपोर्ट प्राप्त
		34. जयन्तिया हिल्स	हो गई
13.	नागालैन्ड	35. मोन	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		36. त्वेनसांग	
14.	उड़ीसा	37. पुरी (चांडक क्षेत्र)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		38. बोलनगीर	
		39. कालाहांडी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		40. ढेंकानल	
		41. मयूरभंज	
15.	पंजाब	42. अमृतसर (गोइन्दवाल साहिब)	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		43. होशियारपुर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
16.	राजस्थान	44. जोधपुर	
		45. चुरू	केवल जोधपुर के लिए
		46. नागौर	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		47. भीलवाड़ा	
17.	सिक्किम	48. गंगटोक	
		49. मतगान	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		50. ग्यालसिंग	
		51. नामची	
18.	तमिलनाडु	52. पुड्डुकोटइ	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		53. मदुरई	
19.	त्रिपुरा	54. उत्तरी त्रिपुरा	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		55. दक्षिणी त्रिपुरा	

1	2	3	4
20.	उत्तर प्रदेश	56. झांसी	रिपोर्ट प्राप्त हो गई
		57. ललितपुर	
		58. बलिया	
		59. बस्ती	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		60. फैजाबाद	
		61. अल्मोड़ा	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		62. रायबरेली	
21.	पश्चिमी बंगाल	63. जलपाइगुडी	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		64. बाँकुरा	
22.	पांडिचेरी	65. पांडिचेरी	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
23.	मिजोरम	66. मिजोरम	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
24.	मणिपुर	67. मणिपुर दक्षिण	
		68. मणिपुर उत्तर	रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई
		69. मणिपुर केन्द्रीय	

उड़ीसा के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एकक में नियुक्त व्यक्ति

1805. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एकक में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के उड़ीसा स्थित कार्यालय में छः कर्मचारी हैं ।

(ख) से (ग) चूंकि इन कर्मचारियों में से तीन कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, इसलिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व है ।

राज्यों में उद्योगों की स्थापना

1806. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए उद्योगों की रिपोर्ट उनके मंत्रालय में प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (ग) छठी योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में स्थापित लघु एककों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1980-81 और 1981-82 में जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत स्थापित नए लघु औद्योगिक एककों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	स्थापित किए गए नए लघु औद्योगिक एककों की संख्या	
		1980-81	1981-82
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3266	4560
2.	असम	730	323
3.	बिहार	3413	3031
4.	गुजरात	4824	5805
5.	हरियाणा	4360	5720
6.	हिमाचल प्रदेश	670	791
7.	जम्मू और कश्मीर	574	759
8.	कर्नाटक	4321	3055
9.	केरल	4173	3141
10.	मध्य प्रदेश	5116	5793
11.	महाराष्ट्र	7178	6958
12.	मणिपुर	909	1599
13.	मेघालय	उ० न०	18
14.	नागालैण्ड	298	240
15.	उड़ीसा	2003	2600
16.	पंजाब	4899	8211

1 2	3	4
17. राजस्थान	2267	2921
18. सिक्किम	9	8
19. तमिलनाडु	3737	3305
20. उत्तर प्रदेश	4893	8422
21. त्रिपुरा	175	270
22. पश्चिम बंगाल	2309	2108
23. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	21	उ० न०
24. अरुणाचल प्रदेश	107	82
25. चंडीगढ़	उ० न०	127
26. दादरा और नागर हवेली	उ० न०	30
27. गोवा दमन और द्वीव	उ० न०	उ० न०
28. मिजोरम	19	12
29, पांडिचेरी	57	91
योग :	60328	69980

एन० आर०—उपलब्ध नहीं ।

(उ० न०)

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

1807. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश के विभिन्न पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है, यदि नहीं, तो सम्बधित राज्य सरकारों के सहयोग से उठाए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के छः पहाड़ी जिलों अर्थात अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमौली, पौढ़ी, टिहरी और उत्तर काशी, पृथक-पृथक के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय तथा सरकार ने क्रमशः वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) इन जिलों में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में उपर्युक्त तीन वर्षों में कितने नए उद्योग स्थापित किए गए हैं और पहले से स्थापित कितने उद्योग बन्द कर दिए गए हैं;

(घ) क्या अल्मोड़ा के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले में स्थापित तारी खेत ब्रांच फैक्टरी बन्द कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) पहाड़ी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा केन्द्रीय सरकार भी रियायती वित्त, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनों की किराया-खरीद, आयकर सम्बन्धी राहत, मूल/सीमांत (सीड/मार्जिन) धनराशि सहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, ब्याज राजसहायता तथा जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

(ख) से (ङ) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में इसी अवधि में स्थापित किए गए औद्योगिक एककों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार विवरण-I में दी गयी है ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी थी कि अल्मोड़ा जिले में स्थापित किया गया तारी-खेतो ब्रोंज कारखाना विभिन्न करणों से रुग्ण हो गया है, किन्तु, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा पी० आई० सी० यू० पी० ने एकक को अपने पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत ले लिया है ।

विवरण

वर्ष 1980-81 और 1981-82 में उत्तर प्रदेश के छः पहाड़ी जिलों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि और स्थापित औद्योगिक एककों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण ।

व्यय की गई राशि :

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	जिले का नाम	1980-81			1981-82		
		केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	योग	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	अल्मोड़ा	2.10	2.10	4.20	3.09	3.09	6.18
2.	पिथौरागढ़	1.65	1.65	3.30	2.68	2.68	5.36
2.	पौढ़ी गढ़वाल	2.03	2.03	4.06	3.71	3.71	7.42
4.	टिहरी गढ़वाल	1.60	1.60	3.20	2.62	2.62	5.24
5.	उत्तरकाशी	1.65	1.65	3.30	2.72	2.72	5.44
6.	चमौली	1.65	1.65	3.30	2.83	2.83	5.66

स्थापित एककों की संख्या :

क्र. सं.	जिले का नाम	स्थापित नए एकक						बन्द किए गए एककों की संख्या	
		1980-81			1981-82			1980-81	1981-82
		कारीगर प्रधान एकक	लघु एकक	योग	कारीगर प्रधान एकक	लघु एकक	योग		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	अल्मोड़ा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	965	75	1040	उ.न.	उ.न.
2.	पिथौरागढ़	91	107	199	810	62	872	उ.न.	उ.न.
3.	चमौली	179	83	262	182	122	304	उ.न.	उ.न.
4.	टिहरी गढ़वाल	139	—	139	उ.न.	उ.न.	उ.न.	21	उ.न.
5.	पौड़ी गढ़वाल	144	49	193	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
6.	उत्तर काशी	64	46	110	397	—	397	उ.न.	उ.न.

"उ.न." जानकारी उपलब्ध नहीं ।

पिथौरागढ़ जिला, उत्तर प्रदेश के धारचूला और मनुस्यारी खण्डों के लिए आदिवासी उपयोजना

1808. **श्री हरीश रावत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ जिला, उत्तर प्रदेश के धारचूला और मुनस्यारी खण्डों के आदिवासियों के लिए कोई आदिवासी विकास उपयोजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, क्या केन्द्रीय सरकार इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या उनका मंत्रालय क्षेत्र के आदिवासियों के पुनर्वर्गीकरण के लिए तैयार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अभी तक ऐसी कोई आदिवासी विकास उप-योजना प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) चूंकि उक्त आदिवासी उप-योजना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए गृह मन्त्रालय द्वारा उसके लिए आर्थिक सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मामले की जांच की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के आर्थिक विकास के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक आयोग के गठन का प्रस्ताव

1809. **श्री हरीश रावत** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के आर्थिक विकास के लिए सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु विशेषज्ञों के एक अस्थाई आयोग के गठन के प्रस्ताव पर बातचीत करने का है ताकि योजना क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जा सके;

(ख) क्या सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित धनराशि के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों और प्रति व्यक्ति औसत आय में सम्भावित वृद्धि न होने के कारणों की मौके पर जाँच करने हेतु योजना आयोग से एक दल भेजेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त स्थिति का सामना करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण): (क) विशेषज्ञों का अस्थाई आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित की गई धनराशियों के दुरुपयोग के बारे में कोई विशेष शिकायत योजना आयोग के ध्यान में नहीं आई है । तथापि योजना आयोग द्वारा आवधिक विवरणियों के जरिए धनराशियों के उपयोग का प्रबोधन किया जाता है । उप-योजना विचार-विमर्शों के समय योजना आयोग में निष्पादन की वार्षिक समीक्षा भी की जाती है । इसके अतिरिक्त, योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर क्षेत्रों का दौरा भी करते हैं ।

देश में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का उत्पादन और खपत

1810. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में वर्ष 1982 और 1983 में (अब तक) अलग-अलग कितने मूल्य की इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और कितने मूल्य की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की खपत हुई; और

(ख) सरकार इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के उत्पादन और मांग के अन्तराल को पूरा करने तथा इस उद्योग को और अधिक उपभोक्ता अभिमुखी बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया जाएगा :

गोआ, दमन और दीव को राज्य का दर्जा

1811. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव को राज्य का दर्जा प्रदान करने की दृष्टि से इस क्षेत्र का पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन में घाटा

1812. **श्री तारिक अनवर** :

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की चालू वित्तीय वर्ष में शुद्ध 50 करोड़ रुपये का घाटा होगा;

(ख) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन में पिछले तीन महीने से उपयुक्त मुख्य कार्यकारी नहीं है;

(ग) इस विशाल इन्जीनियरिंग काम्पलैक्स को लगातार हो रहे घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इसके विकास के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्णा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हानियां मुख्यत: कम उत्पादन और उत्पादकता, अपर्याप्त कार्यभार, बेशांत औद्योगिक सम्बन्धों, बिजली की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई, कार्य संचालन पूंजी की कमी और सरकारी ऋणों पर ब्याज के भारी बोझ के कारण हुई हैं ।

(घ) सरकार और निगम द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) बिजली की नियमित और पर्याप्त सप्लाई का सुनिश्चय करना;

(2) अधिक क्रयादेश प्राप्त करना विशेषरूप से पुनरावृत्तिमूलक वस्तुओं के लिए जिससे संयंत्र को निरन्तर और संतुलित कार्यभार मिल सके;

(3) क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए उत्पाद-मिश्र का विविधीकरण करना;

(4) उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से एच० ई० सी० में औद्योगिक सम्बन्धों और अनुशासन में सुधार लाना;

(5) नियमित आधार पर संयंत्र के रखरखाव और मशीनों की पूरी मरम्मत की व्यवस्था करना;

(6) उत्पादन आयोजन, जाब मार्स्टिग, कम्प्यूटर उपयोग का और अधिक प्रयोग करने की अद्यतन प्रणालियाँ लागू करना;

(7) वस्तुसूची प्रबन्ध में सुधार लाना; और

(8) कार्य संचालन पूंजी आदि के लिए योजनेतर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में बम विस्फोट

1813. **श्री तारिक अनवर :**
श्री के० लकप्पा :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली में हुए दो बम विस्फोटों, जिनमें फ्रांस एयरवेज तथा इराकी एयरवेज के कार्यालय क्षतिग्रस्त हो गये थे, के सुराग का पता चला है;

(ख) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है; और

(ग) क्या इसमें बाहरी आंतकवादियों या देश की विघटनकारी ताकतों का हाथ है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और जांच की जा रही है। इस अवस्था में कुछ नहीं कहा जा सकता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उद्यमवृत्ति को बढ़ावा

1814. **श्री अमल दत्त** . क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे संगठनों या स्वयंसेवी एजेंसियों के सर्वेक्षण के लिए एक कार्यक्रम बनाया है जिनके माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को उद्यमवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ऐसी एजेंसियों के उपयोग हेतु आगे यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) का दुरुपयोग

1815. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत (एल. टी. सी.) की सुविधा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है विशेषकर उन कर्मचारियों द्वारा जो स्वयं यात्रा तो करते नहीं हैं बल्कि ऐसी एजेंसियों के जाली यात्रा कागजात पेश करके रियायत का दावा करते हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं और जिनके नाम नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा भेजे गए रजिस्टर्ड पत्र बिना उनको मिले वापस आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा जिसमें मन्त्रालय/विभाग कार्यालय-वार उन कर्मचारियों की संख्या दी गई हो जिन्होंने इस सुविधा का दुरुपयोग किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चतुर कर्मचारी उचित दण्ड पाने से नहीं बचे हैं; और

(घ) कानून के अन्तर्गत ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम दण्ड क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास कोई सूचना नहीं है। छुट्टी यात्रा रियायत दावों का भुगतान करने वाले प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए दावों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में स्वयं तसल्ली कर लें।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) ऐसे अपराध के लिए कोई न्यूनतम दण्ड निर्धारित नहीं है। तथापि, झूठा दावा पेश करने वाले सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। उपयुक्त मामलों में उसके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकती है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के उपनियम

1816. **श्री मनोहर लाल सैनी : क्या गृह मन्त्री** केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के बारे में 24 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के उप नियमों को अब दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 1982 के अनुरूप बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे;

(ग) क्या सरकार ने एन० सी० सी० एफ० के परामर्श और पदोन्नति कक्ष की शेष सिफारिशों पर विचार किया है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या समिति के भर्ती तथा सेवा नियम बना लिये गये हैं, यदि हां, तो क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और

(ङ) समिति तथा इसकी शाखा स्टोरों में कार्यरत कर्मचारियों के ग्रेड उनके वेतनमान तथा पदोन्नति की प्रक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, नई दिल्ली के उप-नियमों को मार्च, 1982 को हुई पिछली आम सभा की बैठक में दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अनुरूप संशोधित कर दिया गया था। सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा इनका पंजीकरण कर लिए जाने के बाद ये उप-नियम 22 फरवरी, 1983 को सभा पटल पर रख दिए गए थे।

(ग) एन० सी० सी० एफ० के परामर्श और प्रोत्साहन कक्ष की ऐसी सभी सिफारिशें, जिन्हें समिति के विकास तथा उन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया था, समिति की कार्य प्रणाली में पहले ही कार्यान्वित कर दी गई थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि समिति ने, जिसे वर्ष 1979-80 के दौरान कुल 9.10 लाख रुपये की हानि हुई थी, वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 7 लाख रुपए का कुल लाभ कमाया, और वर्ष 1982-83 के दौरान समिति का कुल लाभ लगभग 15 लाख रुपए होने की सम्भावना है।

(घ) इस समिति की सेवाएं सामान्यतया दिल्ली शोपस एण्ड इस्टेबलिशमेंट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों और साथ ही निदेशक बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णयों से शासित होती हैं। चूंकि इस समिति के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए उपर्युक्त अधिनियम और निर्णय समुचित रूप से पर्याप्त थे, इसलिए अलग से ऐसे कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। फिर भी जब कभी ऐसी आवश्यकता उत्पन्न होगी, यह समिति अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक सेवा नियम बनाएगी।

(ङ) समिति के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतनमान तथा अन्य भत्ते संलग्न विवरण (अनुबन्ध-I) में दिए गए हैं। उच्चतर ग्रेड में पदोन्नतियां योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5993/83]**

अनुसूचित जातियों की सूची में पासी जाति को सम्मिलित करना

1817. **श्री रामलाल राही** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर पासी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में कोई जांच की गई है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर अनूसूचित जातियों को सूची में इस जाति को सम्मिलित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जहाँ पासी जाति इस समय अनुसूचित नहीं है अनुसूचित जातियों की सूची में इसको शामिल करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव और अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके तथा मामले में अपनाये गये संगत मानदण्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के सन्दर्भ में विधिवत विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में आगे कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (1) को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा बनाये गए अधिनियम द्वारा किया जा सकता है।

देश में भारी जल संयंत्रों में दुर्घटनायें

1818. **श्री रामलाल राही :**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में स्थापित पाँच भारी जल संयंत्रों में अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं और यदि हाँ, तो दुर्घटनाओं का संयंत्र-वार इसके आरम्भ से अब तक का ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं, (नार्थ इण्डिया पत्रिका, 15 जनवरी 1983)

(ख) प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता इसके प्रारम्भ होने से अब तक का प्रतिशत औसत उत्पादन क्या है और प्रत्येक मामले में उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार मामले की जांच के लिए एक "पैनल" बनाएगी और प्रत्येक मामले में योजना, क्रियान्वयन आदि की असफलता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करेगी;

(घ) अपने अनुभव के आधार पर भारी जल के प्रयोग के लिए वैकल्पिक संसाधन/प्रक्रिया स्थापित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके प्रारम्भ से लेकर अब तक कितने भारी जल का आयात किया गया है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं। भारी पानी संयंत्रों में उनके आरम्भ से लेकर अब तक केवल दो ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनसे कोई क्षति पहुंची हो। इनमें से पहली दुर्घटना सन् 1962 में नांगल संयंत्र में हुई थी और दूसरी सन् 1977 में बड़ौदा संयंत्र में। पहले मामले में हाई प्रैशर सिस्टम के एक वाल्व से हाइड्रोजन के लीक करने की वजह से आग लग गई थी तथा दूसरे मामले में हाई प्रैशर सिंथेसिस गैस लाइन का एक इन्जेक्शन ब्लाक अपनी

जगह से हट गया था, जिसके कारण आग लग गई थी और विस्फोट हुआ था। अभी हाल ही में भारी पानी संयंत्र तूतीकोरिन की क्रेकर ट्यूबों ने सही ढंग से काम करना बन्द कर दिया था किन्तु इस दोष को उपस्करों के क्षतिग्रस्त हुए बिना ही दूर कर दिया गया था।

(ख) नांगल, बड़ौदा और तूतीकोरिन स्थित संयंत्रों की स्थापित क्षमता क्रमशः 14,67.2 और 71.2 टन हैं। तलचर और कोटा के संयंत्रों को चालू किया जा रहा है। औसत उत्पादन की मात्रा घटती-बढ़ती रही है। भारी पानी के उत्पादन के कम रहने के कारण निम्नलिखित हैं: (1) बिजली का कम मात्रा में मिलना, (2) भारी पानी संयंत्र को मिलने वाली गैस में ड्यूटी-रियम की मात्रा का कम तथा ज्यादा होते रहना, (3) गैस का कम मात्रा में मिलना तथा (4) संयंत्रों में तकनीकी समस्याओं का सामने आना। वर्तमान भारी पानी संयंत्रों में सामने आई समस्याओं का समाधान करने और उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करने के उपाय संयंत्रों के चालू रहते हुए भी दोषों को दूर करने के तरीके अपना कर, अनुरक्षण का काम समय से और प्रभावी ढंग से करके तथा संयंत्रों के प्रभावी प्रचालन की सहायता से किए जा रहे हैं।

(ग) ऐसा कोई भी कदम उठाना जरूरी नहीं समझा गया है।

(घ) भारी पानी का उत्पादन चार ऐसी अलग-अलग विधियों से करने की कोशिश की गई है जो तकनीकी दृष्टि से सम्भव और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं। इनमें से दो विधियों को और अधिक क्षमता के संयंत्रों के लिए चुना गया है।

(ङ) परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए अब तक 81.50 करोड़ रुपए की लागत का 547.6 टन भारी पानी आयात किया जा चुका है।

राज्यों को प्लान योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन और प्रति व्यक्ति व्यय

1819. **श्री आर० प्रभु** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 प्रत्येक वर्ष के लिए राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत प्लान योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्यों में प्लान योजनाओं संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय में पर्याप्त असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो इन असन्तुलनों को ठीक करने के लिए योजना आयोग कौन से विशिष्ट उपाय करेगा ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) और (ग) असमानता की समस्या को हल करने के लिए छठी योजना में विभिन्न उपाये किए गए हैं। केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित नीतियां और कार्यक्रम अपनाए गये हैं :—

(1) संसाधन अन्तरण; जो कि पिछड़े राज्यों के पक्ष में हैं।

(2) विशिष्ट पिछड़े/समस्याग्रस्त क्षेत्रों में चलाये गए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम; और

(3) क्षेत्रों में निजी निवेश के संवर्द्धन के लिए प्रोत्साहन उपाय ।

विवरण

राज्य	प्रति व्यक्ति योजना व्यय (रु०)		
	1980-81	1981-82	1982-83
आंध्र प्रदेश	88	96	122
असम	132	143	163
बिहार	67	80	97
गुजरात	177	199	224
हरियाणा	191	225	249
हिमाचल प्रदेश	226	280	289
जम्मू तथा कश्मीर	326	357	441
कर्नाटक	106	120	136
केरल	117	119	121
मध्य प्रदेश	112	126	152
महाराष्ट्र	145	177	211
मणिपुर	281	297	380
मेघालय	306	335	404
नागालैंड	457	497	550
उड़ीसा	94	104	118
पंजाब	180	205	231
राजस्थान	91	103	104
सिक्किम	642	764	851
तमिलनाडु	94	125	162
त्रिपुरा	195	234	277
उत्तर प्रदेश	90	101	109
पं० बंगाल	82	91	105

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति योजना व्यय की गणना के लिए राज्यों के योजना विभागों द्वारा 1983-84 के प्रारूप योजना प्रस्तावों में बताया गया वास्तविक व्यय तथा 1981 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है । असम तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में जहां 1981 की जनगणना नहीं हुई थी, 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लाए गये हैं ।

पूंजी निर्माण और बचत पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट

1820. **श्री आर० प्रभू :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी निर्माण और बचत पर सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने इन निष्कर्षों का निर्णय लिया है;

(ग) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा अतिरिक्त राशि को बचत मानने के बारे में सदस्यों में मत विभिन्नता है, और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) देश में बचत एवं पूंजी निर्माण के वर्तमान अनुमान के सम्बन्ध में कार्यकारी दल का विचार था कि इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि शताब्दी के पिछले पच्चीस वर्षों में प्रचलित भावों के आधार पर घरेलू बचत की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, इस अवधि के दौरान पूंजीगत मालों के भावों के तीव्र गति से वृद्धि तथा 1960 के दशक के अन्त से विदेशी बचत के अन्तःवाह की दर में कमी के कारण, स्थाई पूंजी निर्माण की प्राप्त की गई वृद्धि दर पिछले दशक में बहुत धीमी रही। दल की विशेष महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखत है:- (एक) कृषि परिवारों, एकीकृत-निगमित उद्यम तथा परिवारों के लिए पूंजी निर्माण एवं बचत के अलग-अलग अनुमान तैयार करने की आवश्यकता (दो) मूल्यहास प्रावधान के अनुमान तैयार करने के रीति विधान में सुधार। (तीन) माल निवेश के अनुमान में सुधार (चार) समांतर अर्थ व्यवस्था जिसका अक्सर सन्दर्भ दिया जाता है, के आयाम को समझने के लिए अध्ययन आरम्भ करने की आवश्यकता। (पांच) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनियों को दिए गये वित्त एवं इसके परिणामों की नियमितता के अध्ययन सम्बन्धी क्षेत्र एवं प्रतिचयन कार्यविधि में सुधार (छः) क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी निर्माण एवं बचत का अनुमान तैयार करने के लिए क्षेत्रीय लेखा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना तथा (सात) इस बात को सुनिश्चित करना कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गये अनुमानों में भिन्नता नहीं है। कार्यकारी दल की रिपोर्ट तथा इसके निष्कर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़ा संग्रहण तथा राष्ट्रीय लेखा के संकलन एवं विश्लेषण सम्बन्धी सलाहकार समिति के विचार-विमर्श तथा सलाह हेतु दिनांक 28 फरवरी 2 मार्च 1983 के दौरान आयोजित की जाने वाली इसकी ग्यारहवीं संयुक्त बैठक के समक्ष रखे जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इस विषय की जांच ऊपर (ख) में बताई गई सलाहकार समिति द्वारा की जा रही है। समिति की सलाह को ध्यान में रखकर राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी।

लाइसेंस जारी करना

1821 **श्री आर० प्रभु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, और 1982 में सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) इन लाइसेंसों का राज्यवार विवरण क्या है;

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) :- एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980, 1981 और 1982 के दौरान निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे देने वाला विवरण।

राज्य	1980 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या		1981 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या		1982 में जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	
	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र
1 2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	28	14	28	11	14	12
2. असम	2	11	2	2	—	1
3. बिहार	3	1	7	3	7	2
4. चंडीगढ़	1	—	1	—	3	—
5. गोवा दमन और द्वीप	2	—	4	1	6	1
6. दिल्ली	5	—	2	—	7	—
7. गुजरात	79	6	75	4	64	5
8. हिमाचल प्रदेश	2	—	1	—	6	—
9. हरियाणा	18	2	21	—	20	1
10. जम्मू और कश्मीर	—	1	3	—	3	—
11. कर्नाटक	31	9	20	5	31	3
12. केरल	7	4	9	6	4	5
13. मध्य प्रदेश	14	4	14	1	8	1
14. महाराष्ट्र	105	2	107	7	88	7
15. मणिपुर	—	—	—	1	—	—
16. उड़ीसा	6	2	3	2	5	5

1 2	3	4	5	6	7	8
17. पांडिचेरी	—	—	1	—	1	—
18. पंजाब	16	2	13	4	11	3
19. राजस्थान	14	1	23	3	12	2
20. तमिलनाडु	34	3	30	—	35	6
21. उत्तर प्रदेश	22	8	18	6	19	3
22. पश्चिम बंगाल	20	3	30	4	25	2
23. राज्य जो सूचित नहीं किया गया है/एकाधिक राज्य हैं	1	—	4	—	3	1
योग :-	412	63	416	60	372	60

* सरकारी क्षेत्र में राज्य औद्योगिक विकास निगम, राज्य सरकार के अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सम्मिलित हैं।

सरकारी क्षेत्र में आशय-पत्र जारी करना

1822. **श्री आर० प्रभु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश के आशय पत्र जारी किए गये हैं; और

(ख) उनका पिछले तीन वर्षों यथा 1980, 1981 और 1982 का राज्य वार विवरण क्या है;

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) प्रत्येक मामले में निहित वास्तविक पूंजी निवेश सम्बन्धी सूचना औद्योगिक विकास विभाग के औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केंद्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान केन्द्र के और राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुल 515 आशय पत्र स्वीकृत किए गये हैं। इनका राज्य-वार विभाजन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के (राज्य केन्द्र) उपक्रमों को वर्ष 1980 से 1982 के दौरान स्वीकृत किए गये आशय पत्रों का राज्य-वार कुल संख्या का ब्यौरा बताने वाला विवरण।

क्र. सं राज्य	1980	1981	1982
	(के दौरान स्वीकृत आशय-पत्रों की संख्या)		
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	22	23	23
2. असम	1	1	—

1 2	3	4	5
3. बिहार	6	8	6
4. दिल्ली	—	—	1
5. गोवा दमन और द्वीप	2	1	1
6. गुजरात	18	7	7
7. हरियाणा	1	6	8
8. हिमाचल प्रदेश	2	3	1
9. जम्मू और कश्मीर	3	1	2
10. कर्नाटक	9	16	20
11. केरल	11	15	17
12. मध्य प्रदेश	1	3	10
13. महाराष्ट्र	14	15	8
14. मेघालय	—	1	1
15. उड़ीसा	5	12	25
16. पंजाब	10	13	20
17. राजस्थान	6	9	10
18. तमिलनाडु	3	14	7
19. उत्तर प्रदेश	10	24	27
20. पश्चिम बंगाल	10	8	2
21. राज्य का उल्लेख नहीं किया/एक राज्य से अधिक	1	2	1
योग	135	182	198

रंगत, मिडल अन्दमान में गोलीबारी

1823. **श्री ईरा अनबारासु** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिडल अन्दमान में रंगत में स्कूल के छात्रों पर 28 जनवरी, 1983 को पुलिस द्वारा गोलीबारी की गई थी;

(ख) क्या कुछ छात्र पुलिस गोलीबारी में मर गये थे और बहुत से अन्य घायल हो गये थे;

(ग) यदि हां, तो कितने छात्र मारे गये और कितने घायल हुए और उनके माता पिता को कितनी राहत दी गई, और

(घ) गोलीबारी के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। गोली-बारी में दो छात्र मारे गये और 11 जख्मी हुए। दोनों मृतकों के परिवार को, प्रत्येक को 10,000 रुपये की दर से उदारतापूर्वक राहत दी गई। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 500 रुपये दिए गए। इस राहत को बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है।

(घ) मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर गोलीबारी के कारणों का पता लगेगा।

इस्पात संयंत्रों के मजदूर संघों का मांग-पत्र

1824. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में काम कर रहे मजदूर संघों द्वारा सरकार को कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (ग) इस्पात उद्योग में मजूरी सम्बन्धी समझौता 1 सितम्बर, 1978 को लागू हुआ था। इस समझौते की अवधि 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो गई है। श्रमिकों के श्रमिक-संघों ने मजूरी सम्बन्धी समझौते के बारे में फिर से बातचीत करने के लिए "सेल" को अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया था। मांग-पत्र में न्यूनतम मजूरी, महंगाई भत्ता, सवारी भत्ता, बोनस, आवास, परिवहन आदि जैसी कई मांगें शामिल हैं। इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति, जिसमें श्रमिक संघों और इस्पात कारखानों के प्रतिनिधि शामिल हैं, में इन मांगों के बारे में बातचीत चल रही है। मजूरी सम्बन्धी समझौते के बारे में सरकार इस्पात उद्योग के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत नहीं करती है।

देश में कोकिंग कोल का आयात

1825. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोकिंग कोल का आयात किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान आयातित कोयले के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने कोकिंग कोल का उत्पादन बढ़ाने हेतु नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : जी, हां ।

(ख) अप्रैल 1982 से जनवरी, 1983 की अवधि में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने 11.5 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया है ।

(ग) और (घ) जी, हां । इस्पात कारखानों में इस्तेमाल करने के लिए बढ़िया व मध्यम किस्म के कोककर कोयले की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार ने दो नई योजनाओं को स्वीकृति दे दी है । इन योजनाओं पर 130.32 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है ।

नरोरा परमाणु परियोजना का कार्यकरण

1826. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरोरा परमाणु परियोजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी और इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मुख्य भवन का सिविल निर्माण-कार्य पूरा होने वाला है । प्राकृतिक बात-प्रवाह की सहायता से ठंडा करने वाले टावर बनाए जा रहे हैं । कैलेन्ड्रियां, एण्ड-शील्डों, वाष्प-जनित्रों तथा हैंडरों जैसे प्रमुख न्यूक्लियर उपस्कर विभिन्न निर्माताओं की कार्यशालाओं में बनाए जा रहे हैं । पाइप लगाने का काम चल रहा है । इस समय कुल मिलाकर 69.86 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है ।

(ख) बिजलीघर की स्थापित क्षमता 470 मेगावाट होगी । निर्माण-कार्य सम्बन्धी वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार दोनों यूनिटों को क्रमश: वर्ष 1986-87 और वर्ष 1987-88 में पूरा करने की योजना है ।

देश में भारी जल संयंत्र

1827. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन स्थानों पर भारी जल संयंत्र स्थित हैं;

(ख) भारी जल की कुल कितनी आवश्यकता है और क्या वर्तमान संयंत्रों में पूरी क्षमता से कार्य हो रहा है और वे परमाणु विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने की स्थिति में हैं; और

(ग) और अधिक भारी जल संयंत्र स्थापित करने और वर्तमान संयंत्रों की क्षमताएं बढ़ाने का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारी पानी संयंत्र निम्नलिखित स्थानों पर हैं:—

(1) पंजाब में नांगल,

(2) राजस्थान में कोटा,

(3) गुजरात में बड़ौदा,

(4) तामिलाडु में तूतीकोरिन, और

(5) उड़ीसा में तलचर

कोटा और तलचर के संयंत्र चालू किए जा रहे हैं ।

(ख) रिऐक्टरों के चालू किए जाने के कार्यक्रम के आधार पर भारी पानी की आवश्यकता भी अलग-अलग वर्षों के लिए अलग-अलग रहेगी । चालू वर्ष के लिए भारी पानी की मांग 426 टन है । उत्पादन-रत भारी पानी संयंत्रों में भारी पानी का उत्पादन, विभिन्न आंतरिक तथा बाहरी कारणों से, निर्धारित क्षमता से कम रहा है । फलस्वरूप, वे संयंत्र भारी पानी की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं हैं ।

(ग) वर्तमान भारी पानी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में थाल वैशट में और आंध्र प्रदेश में मानुगुरु में दो नए भारी पानी संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

लघु क्षेत्र के लिए पृथक कानून

1828. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु क्षेत्र के लिए पृथक कानून लागू करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कानून लागू करने के क्या कारण हैं और इससे लघु एककों को कैसे लाभ मिलेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) और (ख) सरकार, अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है । बोर्ड ने लघु उद्योगों के लिए कानून बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए नीतियां और कार्यक्रमों पर एक स्थाई समिति गठित की थी ।

लाइसेंसों और आशय-पत्रों का जारी करना

1829. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में राज्यवार कितने आशय पत्र जारी किये गये;

(ख) वर्ष 1982 में राज्यवार कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेस जारी किए गए ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1982 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा तथा इसमें प्रत्येक राज्य के पिछड़े जिलों के अंश को दर्शाने वाला विवरण :

राज्य	वर्ष 1982 के दौरान जारी किए गए आशय पत्र		1982 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस	
	कुल	पिछड़े क्षेत्रों का अंश	कुल	पिछड़े क्षेत्रों का अंश
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	66	47	26	9
2. अण्डमान और निकोबार				
3. अरूणाचल प्रदेश	1	1	—	—
4. असम	5	4	1	1
5. बिहार	22	12	9	—
6. चंडीगढ़	4		3	—
7. दादर और नागर हवेली	4	4	—	—
8. दिल्ली	9	—	7	—
9. गोवा, दमन और दियू	9	9	7	7
10. गुजरात	121	62	69	25
11. हिमाचल प्रदेश	15	14	6	5
12. हरियाणा	66	33	21	4
13. जम्मू और कश्मीर	8	8	3	2

1	2	3	4	5
14. कर्नाटक	85	40	34	16
15. केरल	29	15	9	6
16. लक्षद्वीप, मिनिकाय और अण्डमान द्वीप समूह				
17. मध्य प्रदेश	63	52	9	5
18. महाराष्ट्र	143	42	95	21
19. मणिपुर	—	—	—	—
20. मेघालय	—	—	—	—
21. मिजोरम	—	—	—	—
22. नागालैण्ड	1	—	—	—
23. उड़ीसा	43	25	10	2
24. पांडिचेरी	2	2	1	1
25. पंजाब	39	20	14	3
26. राजस्थान	55	49	14	9
27. सिक्किम	1	1		
28. तमिलनाडु	66	29	41	15
29. त्रिपुरा		—	—	—
30. उत्तर प्रदेश	111	62	22	5
31. पश्चिम बंगाल	31	19	27	8
32. राज्य अनिर्दिष्ट/एक से अधिक राज्य	29	29	4	1
योग	1043	583	432	125

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० द्वारा किए गए निर्माण कार्य

1830. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० उड़ीसा में दैतारी में नीलाचल इस्पात निगम के लिए जल सप्लाई योजना और कस्बे का निर्माण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो एच० एस० सी० एल० की निर्माण कार्य कब सुपुर्द किया गया था; और

(ग) वहां निर्माण कार्य के कब पूरा होने की आशा है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) जी, नहीं।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० ने दैतारी में नीलाचल इस्पात निगम लि० के लिए केवल जल आपूर्ति योजना और अस्थाई बस्ती के रूपाँकन और उनसे सम्बन्धित अनुमान तैयार करने का कार्य ही अपने हाथ लिया है ।

(ख) दैतारी में अस्थाई बस्ती और जल आपूर्ति योजना से सम्बन्धित कार्य हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि० को क्रमशः नवम्बर, 1982 और दिसम्बर, 1982 में सौंपा गया था ।

(ग) ग्राहक (नीलाचल इस्पात निगम लि०) द्वारा रूपाँकन और अनुमान के अनुमोदनों के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू होने की सम्भावना है ।

सिक्किम आने वाले विदेशियों पर प्रतिबन्ध

1831. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने हाल ही में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि पर्यटन से होने वाली आय बढ़ाने की दृष्टि से राज्य में आने वाले विदेशियों पर लगे प्रतिबन्धों में छूट दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । मामले पर कार्रवाई की जा रही है ।

देश में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना

1832. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अब तक देश में विभिन्न स्थानों पर कितने एल्यूमिना संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार चालू योजना अवधि में ऐसे कुछ और एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों में कौन से स्थान चुने गए हैं; और

(घ) उनमें से संयंत्र की लागत के अनुमानों का ब्यौरा क्या है और इन संयंत्रों की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) से (घ) छठी योजना अवधि में कोई एल्यूमिना संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है । परन्तु सरकारी क्षेत्र में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० उड़ीसा में एक समेकित एल्यूमिना-एल्यूमिनियम परियोजना

कार्यान्वित कर रही है। एल्यूमिना संयंत्र की क्षमता 800,000 टन वार्षिक है और यह उड़ीसा में कोरापुट जिले के दामनजोडी स्थान पर लगेगा। एल्यूमिना खंड की अनुमोदित लागत 320 करोड़ रुपये है।

कम्पनी ने मुख्य कार्यकलापों के लिए तकनीकी सलाहकार नियुक्त किए हैं जिनमें बाहरी सहायता आवश्यक है। स्थल पर परियोजना कार्य शुरू हो गया है। आधारभूत सुविधाओं का निर्माण प्रगति पर है। मुख्य उपकरणों के आर्डर देने के काम में भी काफी प्रगति हुई है। समूचे काम्पलैक्स को 1985-86 के दौरान बना कर चालू करने का कार्यक्रम है।

उड़ीसा परियोजना के अलावा आन्ध्र प्रदेश में एक निर्यात प्रधान एल्यूमिना संयंत्र लगाने की सम्भावना पर विचार चल रहा है। 6-8 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिना संयंत्र हेतु सोवियत सहायता के बारे में एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। रुपया-स्रोत सम्बन्धी बाधाओं के कारण इस संयंत्र का कार्यान्वयन शीघ्र ही शुरू नहीं किया जा सकता। परियोजना के लिए सम्भावित वित्तीय प्रबन्ध तथा उत्पादन के निर्यात के बारे में सोवियत रूस के साथ बातचीत चल रही है।

उड़ीसा में इलेक्ट्रानिक उद्योगों का प्रसार किया जाना

1833. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रानिक उद्योग के प्रसार पर अधिक बल दिया है;

(ख) क्या उड़ीसा में 1983-84 में उन उद्योगों की स्थापना करने पर बल दिया गया है;

(ग) क्या उस राज्य में टेलीविजन कार्यक्रम के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के भिन्न-भिन्न स्थानों पर टी. वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) भौगोलिक आधार पर उड़ीसा सहित देश के सभी राज्यों में इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास करना सरकार की नीति का अब भी एक महत्वपूर्ण अंग बना हुआ है।

(ख) आज उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र की एक उड़ीसा लघु-क्षेत्रीय औद्योगिक निगम लिमिटेड नामक कम्पनी की प्रमुख इलेक्ट्रानिकी गतिविधि "कोणार्क" ब्राँड नाम से दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करना है। हाल ही में उस कम्पनी को मानीटरों सहित वीडियो कैसेट रिकार्डरों (वी. सी. आर.) का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस भी प्रदान किया गया है। जहां तक निजी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उड़ीसा में लघु क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए जारी किए गए अनुमोदनों की सूचियाँ क्रमशः **विवरण-एक और दो** में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) इस समय उड़ीसा में दूरदर्शन सेवा सम्बलपुर स्थित दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र तथा भुवनेश्वर स्थित कम शक्ति वाले दूरदर्शन रिसीवर एवम् प्रसारण प्रणाली से उपलब्ध कराई जाती है। सम्बलपुर दूरसंचार प्रसारण कार्यक्रम कटक स्थित मूल उत्पादन केन्द्र द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। भुवनेश्वर केन्द्र से दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से उपग्रह सेवा के माध्यम से प्राप्त कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन ट्रांसमीटरों से नीचे दिये अनुसार क्षेत्र में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं :

क्रम	केन्द्र का नाम	शक्ति	क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	जनसंख्या शहरी (लाख में)	जनसंख्या ग्रामीण (लाख में)	कुल	जिन गाँव में कार्यक्रम प्रसारित होता है उनकी सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
(क)	सम्बलपुर	1 किलोवाट	5,000	1.19	6.17	7.36	650
(ख)	भुवनेश्वर	100 वाट	300	2.20	0.12	2.32	108
			5,300	3.39	6.29	9.68	758

छठी योजना के दौरान कटक में 10 किलोवाट का एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित हो जाने पर यह प्रसारण-सेवा 15,400 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त क्षेत्र तथा 54.24 लाख की आबादी (जिसमें 6.29 लाख की शहरी आबादी तथा 7,200 गांवों में 47.95 लाख की ग्रामीण आबादी शामिल है) को उपलब्ध होने लगेगी। इस सेवा के अन्तर्गत कटक (80%) पुरी (65%) और ढेंकानल (45%) के जिले आ जाएंगे। इस प्रसारण केन्द्र के वर्ष 1984-85 तक शुरू हो जाने की आशा है और इससे सीधे रंगीन प्रसारण किया जाएगा। मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिकी लिमिटेड को इस केन्द्र के लिए संप्रेषण (ट्रांसमिटिंग) उपस्कर देने के लिए आर्डर दे दिया गया है। इस केन्द्र के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है।

छठा योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह की दूरदर्शन उपयोग-योजना के अन्तर्गत सम्बलपुर, बोलगीर तथा ढेंकानल जिलों के 400 गाँवों में भी कार्यक्रमों को सीधे पकड़ने वाले सेटों की सहायता से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी।

देश में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की परिप्रेक्ष्य योजना (1985-2000) में राऊरकेला में डाक-तार विभाग के सूक्ष्मतरंग-मार्ग पर एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है। तथापि, इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता तथा सम्बद्ध प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विवरण-एक

लघु उद्योग क्षेत्र में इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जारी किए गए अनुमोदनों की सूची

क्रम सं०	पार्टी का नाम	वस्तु	अनुमोदन की तारीख
1.	मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स इण्डिया, 5058, रामेश्वर पटना, भुवनेश्वर-2 ।	पराश्रव्य उपचार इकाईयां-300	29-3-76
2.	मैसर्स जी. सी. टांइम इण्डस्ट्रीज, ए/एम – 19, बसन्ती कालोनी, राऊरकेला 769012	इलेक्ट्रानिक क्वार्टज द्वारा नियन्त्रित एनालॉग/अंकीय दिवार घड़ियां-अलार्म घड़ियां-5000	1-10-80
3.	मैसर्स उड़ीसा लघु उद्योग औद्योगिक निगम लिमिटेड, किला मैदान, कटक ।	दूरदर्शन रिसीवर-20,000	19-2-73

विवरण-दो

संगठित क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जारी किए गए अनुमोदनों की सूची

क्रम सं०	पार्टी का नाम	वस्तु	स्थान
1.	मैसर्स कमलिनी महापात्र	मृत्तिका संधारित्र (सिरेमिक कैपेसिटर) 70 एम०	भुवनेश्वर
2.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि०	विभिन्न प्रकार के अनुयोजक (कनेक्टर) 15,00,000	भुवनेश्वर
3.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि०	इलेक्ट्रानिक अंकीय घड़ियाँ 2 लाख	भुवनेश्वर
4.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लि०	व्यावसायिक ग्रेड के चुम्बकीय टेप एवं श्रव्य आवृत्ति (ओडियो टेप-450 एम० आर० एम०)	भुवनेश्वर

5.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि०	लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) वस्तुएं वार्षिक उत्पादन की कीमत 2.0 करोड़ रुपये	भुवनेश्वर
6.	मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०	सर्मेट परिवर्तनीय प्रतिरोधक 1.5 एम०	भुवनेश्वर
7.	मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०	एल्यूमिनियम विद्युत अपघटनी संधरित्र 50 एम०	भुवनेश्वर
8.	मैसर्स कोणार्क दूरदर्शन	मानिटर सहित वीडियो कैसेट रिकार्डर-500	भुवनेश्वर
9.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि०	पूर्व रिकार्डित कैसेट	भुवनेश्वर
10.	मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०	श्रव्य चुम्बकीय टेप (6.35 मि. मी.) 2,400 एम० आर० एम०	भुवनेश्वर
11.	मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०	पोलिस्टर फिल्म इत्यादि पर धातु लेपन-150 टन	भुवनेश्वर
12.	मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०	श्रव्य टेप रिकार्डर तथा उसके साथ रेडियो-60,000	उड़ीसा में एक गैर-औद्योगिक जिला
13.	मैसर्स इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि०	हार्ड फेराइट-12,000 टन	भुवनेश्वर
14.	मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि०	मुद्रित परिपथ बोर्ड-20,000 वर्ग मी०	उड़ीसा में एक गैर-औद्योगिक तथा पिछड़ा जिला

देश में प्रति व्यक्ति आय और गरीबी

1834. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सकल-राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति-व्यक्ति आय क्या है;

(ख) देश में कितने लोग आधे भूखे सोते हैं; और

(ग) कितने लोग अधनंगे हैं तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में मकान और कपड़े के अभाव में कितने लोग मर जाते हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 1981-82 के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय क्रमश: 130795 करोड़ और 1749.50 करोड़ रुपये आंकी गई है। वर्ष 1982-83 के लिए अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, भोजन, आवास और वस्त्र की मूल आवश्यकताएं जुटाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों का विकास कार्यक्रम आरम्भ करने और कार्यान्वित करने का सतत प्रयत्न रहता है।

कुमारधुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स, धनबाद का अधिग्रहण

1835. **श्री ए० के० राय** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता चला है कि बिहार के धनबाद जिले में स्थित कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स अभी भी बन्द पड़ा है जिससे जिले में श्रमिकों को भारी कष्ट हो रहा है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने वह कारखाना अधिग्रहीत करने और उसका कार्य चालू करने के लिए कानून पारित किया है;

(ग) क्या यह विधेयक इस समय केन्द्र के समक्ष महीनों से लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो विधेयक की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सरकार को कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स के बन्द होने की जानकारी है। बिहार विधान मण्डल ने इसे अधिगृहीत करने के लिये एक विधेयक पारित किया। बिहार सरकार ने इसे अगस्त, 1982 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा। विधेयक के कुछ उपबन्धों पर स्पष्टीकरण और राज्य सरकार द्वारा आगे विचार करने की जरूरत है। मामले पर राज्य सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

बोकारो स्टील लि० से चुराई गई सम्पत्तियों का मूल्य

1836. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लि० से 1982 में चुराई गई सम्पत्तियों की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में चोरी की किसी घटना की कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह सच है कि 1981 में महाप्रबन्धक, वर्क्स तक को चोरी के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है, ब्यौरेवार तथ्य क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र साल्वे) : (क) वर्ष 1982 में बोकारो इस्पात कारखाने से चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य 23,55,000 रुपए था ।

(ख) और (ग) जी, हां । पुलिस द्वारा 34 व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं । 5 व्यक्तियों से सम्बन्धित मामलों की पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है और विभागीय कार्यवाही के लिए 24 व्यक्तियों को आरोप-पत्र जारी किए गए हैं ।

(घ) जी, हां । राज्य के गुप्तचर विभाग ने इस मामले की जाँच की थी और महाप्रबन्धक (वर्क्स) के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके इसलिये ये आरोप वापिस ले लिए गए ।

1983-84 के लिए योजना का परिव्यय

1837. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए 1983-84 का योजना परिव्यय कितना है;

(ख) क्या विकास परियोजनाओं की आवश्यकता और दिल्ली में बहुमुखी सुधारों और तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को देखते हुए परिव्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) दिल्ली में विकास स्कीमों की आवश्यकता बहुमुखी सुधारों व तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में देखते हुए वर्ष 1983-84 के लिए दिल्ली की वार्षिक योजना में कुल परिव्यय 250 करोड़ रुपये रखा गया है ।

(ग) दिल्ली की वार्षिक योजना का ब्यौरा भारत सरकार के 1983-84 के योजना बजट दस्तावेज में जो संसद में 28 फरवरी को पेश किया गया है, देखा जा सकता है ।

आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के रहन-सहन के ढंग में अन्तर

1838. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के रहन-सहन के तरीकों,

रीति-रिवाजों और वेश-भूषा और बोलियों की तुलना में आदिवासी लोगों के रहन-सहन के तरीकों, रीति रिवाजों और वेश-भूषा और बोलियों के बीच अन्तर के बारे में विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ लोग आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संस्कृति की रक्षा करने और उनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को जनजातीय लोगों की भिन्न-भिन्न प्रकार की संष्कृति, भाषा और रहन-सहन के तरीकों के बारे में जानकारी है ।

(ख) कुछ जनजातीय समूह अधिक पिछड़े हुए हैं और ऐसे 71 समूहों का पता लगाया गया है जिनके विकास पर विशेष ध्यान देना है ।

(ग) सरकार की नीति उनके जीवन के तौर-तरीकों में हस्तक्षेप किए बिना उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिये जनजातीय विकास कार्यक्रम चलाने और उनकी अपनी विशिष्टता के साथ-साथ राष्ट्र की मुख्य धारा की ओर उन्हें अग्रसर करने के लिये उनको सक्षम बनाने की है ।

राज्यों के संसाधनों में अन्तर

1839. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के संसाधनों में राज्यवार अन्तर क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : अनुमानतः यह प्रश्न वर्तमान वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित है । इस बारे में अन्तिम स्थिति केवल इस वर्ष के समाप्त होने के बाद ही पता चलेगी । केवल पांच राज्य सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारें वर्ष को घाटे के बिना समाप्त करने की आशा करती हैं । इन पांच के मामले में जिनकी सूची नीचे दी गई है प्रत्याशित घाटे प्रत्येक के सामने दिए गए हैं ।

वर्ष 1982-83 के अन्त में प्रत्याशित घाटा

		(करोड़ रुपये)
1.	हरियाणा	15.00
2.	पंजाब	14.00
3.	मणिपुर	1.25
4.	मेघालय	4.00
5.	सिक्किम	0.52

इन मामलों में अगले वर्ष की वार्षिक योजना के लिए संसाधनों के परिकलन में इस प्रत्याशित घाटे को ध्यान में रखा गया है ।

एल्यूमिना उद्योग में विश्वव्यापी मंदी

1840. **श्री के० मालन्ना :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब फ्रांसीसी सहयोग से उभर रही सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा उत्पादित एल्यूमिना का भारी मात्रा में निर्यात करने का सम्भावना पर गम्भीर रूप से विचार किया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना को उस समय आरम्भ किया गया था जब एल्यूमिनियम उद्योग विश्व स्तर पर मंदी का सामना कर रहा था और बहुराष्ट्रीय बड़ी-बड़ी कम्पनियां तीसरे विश्व से अपने प्रगलन कार्यों को हटा रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है और यह परियोजना किस समय तक पूरी हो जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : (क) और (ख) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी के एल्यूमिनियम कम्पलेक्स में 800,000 टन एल्यूमिना और 218,000 टन एल्यूमिनियम के उत्पादन का लक्ष्य है। परियोजना में 379.000 टन एल्यूमिना का निर्यात योग्य अधिशेष होगा।

यह सही है कि विश्व एल्यूमिनियम उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ा है लेकिन इसमें शीघ्र सुधार के संकेत मिले हैं। दीर्घकालीन एल्यूमिना निर्यात के अनुबन्ध करने के लिए कम्पनी पहले से अनेक सम्भावित विदेशी खरीदारों से सम्पर्क कर रही है। कम्पनी द्वारा उत्पादित एल्यूमिनियम घरेलू मांग को पूरा करने के लिए होगा और एल्यूमिनियम के निर्यात का कोई विचार नहीं है।

(ग) उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलेक्स की स्वीकृत परियोजना लागत 1242.4 करोड़ रु० है जिसमें 167.5 करोड़ रु० का विदेशी मुद्रा घटक होगा (वर्ष 1980 की प्रथम तिमाही के मूल्यों के आधार पर)। परियोजना के 1985-86 में बनाकर चालू करने की योजना है।

संयुक्त परामर्शदाता तंत्र में लम्बित विवादों के निपटान हेतु किए गए उपाय

1841. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त परामर्शदाता तंत्र में गत अनेक वर्षों से लम्बित सभी विवादों का निपटाने करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : गत कई वर्षों के दौरान ऐसी संयुक्त परिषदों के समक्ष विवादों पर चर्चा करने और आपसी बातचीत के जरिए उन्हें निपटाए जाने के लिए राष्ट्रीय परिषद के अतिरिक्त बहुत सी विभागीय परिषदों और कार्यालय/क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें हुई हैं। आपसी बातचीत से निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय परिषद की उपसमितियों, मन्त्रियों

की समिति और राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की स्थायी समिति की भी कई बैठकें बुलाई गई हैं। इसके अलावा, लम्बित विवादों को निपटाने के प्रयास के रूप में कर्मचारी पक्ष के सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक (मंत्रिमण्डल सचिव), वित्त सचित कार्मिक सचिव आदि के साथ प्राय: औपरिक तथा अनौपचारिक बैठकें हुई हैं। वास्तव में इन सभी उपायों द्वारा संयुक्त परामर्श तंत्र के पास लम्बित बहुत से महत्वपूर्ण विवादों को निपटा लिया गया है।

सिक्किम विधान मण्डल में जाति समूहों का प्रतिनिधित्व

1842. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम की सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि सिक्किम विधान मंडल में सभी जाति समूहों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले; और

(ख) यदि हां, तो इन सभी सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सिक्किम के राज्यपाल ने इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव रखे थे। जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं एक सिक्किम कांग्रेस (आर०) के अध्यक्ष श्री आर० सी० पोदयाल तथा दुसरी श्री सोमनाथ पोदयाल द्वारा दायर की गई है, उच्चतम न्यायालय में विचारण के लिए लम्बित हैं। इस रिट याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा है।

उत्तर प्रदेश के लिए मोम का कोटा

1843. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आयातित मोम का कितना कोटा निर्धारित किया था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : आयातित मोम की आपूर्ति के लिए कोई नियतांश (कोटा) नहीं निर्धारित किया गया है। किन्तु वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश को 125 मी०टन आयातित पैराफिन मोम की मात्रा आवंटित की गई थी। आयातित और विदेशी मोम का अलग-अलग आवंटन 1981 की अन्तिम तिमाही से समाप्त कर दिया गया था।

दक्षिणी ध्रुव के लिए तीसरा अभियान

1844. **श्री रेणुपद दास :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर विकास विभाग दक्षिणी ध्रुव के लिए तीसरा अभियान चलाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रोनिजी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दक्षिणी ध्रुव को गये दूसरे अभियान-दल, जिसके मार्च, 1983 के अन्तिम सप्ताह में वापिस लौटने की संभावना है, द्वारा प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर दक्षिणी ध्रुव पर तीसरा अभियान-दल भेजने की योजना के बारे में विचार किया जाएगा ।

समुद्री वनस्पति से सम्बन्धित उद्योगों की स्थापना करना

1845. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री वैज्ञानिकों ने एक समुद्री वनस्पति से तरल उर्वरक तैयार करने की विधि की खोज की है (9 नवम्बर, 1982 का टाइम्स आफ इण्या) और यदि हां, तो अब तक तैयार और खेतों में उपयोग की गई कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है और इस विस्तृत परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत अधिक प्रोटीन युक्त "अल्वा" का पता लगाया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन खोजों का लाभ उठाने के लिए सक्षम समुद्री वनस्पति उद्योग स्थापित करने की कोई योजना बनायी जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, प्रयोगशाला स्तर पर तरल समुद्री खरपतवार उर्वरक (आई० एस० एफ०) तैयार करने के लिए सरगैलम नामक भूरे समुद्री खरपतवार का उपयोग कर एक प्रयोगशाला प्रक्रम विकसित किया गया है । इसे अब निर्जलित ठोस में रूपांतरित किया है और इसे उपयोग के समय ठंडे जल में घोला जा सकता है । इसमें पादप पोषण के लिए कई महत्वपूर्ण ट्रेस तत्व हैं । फसल और खाद्य पौधों के लिए इसकी उपयोगिता जांचने के प्रयोग प्रगति पर हैं ।

(ख) जी हां । "अल्वा" नामक समुद्री हरित शैवाल प्रोटीन समृद्ध पाया गया और शैवाल से प्रोटीन निष्कर्षण की प्रयोगशाला तकनीक तैयार कर ली गई है । सुपाच्यता और विषालुता के इस निष्कर्षित प्रोटीन का जांच किया जाना है ।

(ग) यह कार्य आरंभिक प्रयोगशाला स्तर पर चल रहा है । इन अनुसंधानों के दोहन के लिए खरपतवार उद्योग की स्थापना का प्रश्न उपयुक्त समय पर लिया जाएगा ।

दिल्ली में जाली ट्रान्सपोर्ट परमिटों के कारण गिरफ्तार व्यक्ति

1846. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने 18 जनवरी, 1983 को जाली ट्रान्सपोर्ट परमिटों, लाइसेंसों

जारी बैंक रसीदों और बीमा फार्मों आदि को तैयार करने के लिए जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 जनवरी, 1983 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यह ठग अपने क्षेत्र के पुलिस कर्मियों को प्रतिमाह 10,000 रु० से लेकर 20,000/- रुपये तक दिया करता था;

(घ) यदि हां, तो क्या ठग से इस बारे में कोई ब्यौरा मिला है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । एक टी० मोहम्मद को उसके चार साथियों के साथ, झूठे परिवहन पारपत्र, लाइसेंस, बैंक ड्राफ्ट आदि बनाकर धोखाधड़ी और जालसाजी करने के अभियोग में 18.1.83 को गिरफ्तार किया गया । उनसे, परिवहन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अनेक टिकटें और प्रपत्र बरामद किए गए ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) और (ड़) जांच पड़ताल के दौरान यह ध्यान में नहीं आया कि अभियुक्त पुलिस को धन दिया करते थे ।

गोआ छोड़ो आन्दोलन

1847. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में कतिपय उग्रवादी तत्वों ने उस संघ शासित क्षेत्र में कार्यरत गैर-गोवावासियों के विरुद्ध "गोवा छोड़ो" आन्दोलन चलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) इस संघ शासित क्षेत्र में गैर-गोवावासियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) वास्को-डी-गामा बंदरगाह शहर में, कर्नाटक, महाराष्ट्र केरल आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कामगारों की काफी बड़ी संख्या है और ये कामगार विभिन्न अर्ध कुशल कार्यों में लगे हुए हैं । ये अधिकांश श्रमिक गन्दी बस्तियों में कुटियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में रह रहे हैं । सरकारी भूमि पर भी अनेक अनधिकृत निर्माण हुए हैं ।

गोवा प्रशासन ने यह सूचित किया है कि विशेष रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर स्थानीय लोगों और इन कामगारों के मध्य तनाव बढ़ गया था। उन्होंने अपने-अपने हितों को बढ़ाने के लिए संगठन बनाए। नवम्बर, 1982 के प्रथम सप्ताह में वहां आगजनी, लूट-मार और झोपड़ियों को जलाने की घटनाएं हुई। स्थानीय प्रशासन द्वारा समय पर कार्रवाई करने से सामान्य स्थिति शीघ्र बहाल हो गई थी। दंगों के कारण लगभग 5000 मजदूर पड़ौसी जिलों में चले गये। प्रशासन के जान व माल की पूरी सुरक्षा के आश्वासन से इन लोगों में से लगभग 75 प्रतिशत लोग अपने कार्य के स्थान को लोट आये हैं। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जा रही है।

ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1848. **श्री सूर्य नारायण सिंह :**
श्री कमला मिश्र मधुकर :
श्री हरीश कुमार गंगवार :
श्री आर० एन० राकेश : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया में "ग्रेट निकोबार सेटलर्स डिसिलूजन्ड" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की योजना संकट में है; और

(ग) क्या सरकार का विचार, स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कार्यवाही करने तथा फसल की कटाई के बाद के लघु प्रौद्योगिकीय उद्योगों, जैसे डिब्बा बन्दी, और अन्य कुटीर उद्योगों की स्थापना करके, पुनर्वासित लोगों के उत्पादों को लाभकारी मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) गत वर्ष के बाद पोर्ट ब्लेयर और ग्रेट निकोबार के बीच अन्तद्वीप जल-यान सेवा में सुधार हुआ है। पहले से चल रहे दो जलयानों के अतिरिक्त एक नये जलयान ने कार्य करना शुरू कर दिया है और ये प्रति मास लगभग 3 चक्कर लगाते हैं तथा द्वीप से यात्रियों और उत्पाद के परिवहन के लिए उपलब्ध हैं। एक अन्य जहाज के जुलाई, 1983 में प्राप्त होने की सम्भावना है। बेड़े में एक बैंक एवम् अस्पताल एवम् डाक जहाज भी शामिल किये जाने का प्रस्ताव है और इस समय निर्माणाधीन है।

सुरक्षा, मछली उद्योग बन्दरगाह विकास की स्थापना से सब्जियों के लिए स्थानीय मार्कीट में उसी अनुपात से वृद्धि हो रही है तथा भविष्य में और सुधार होने की सम्भावना है। नौसेना

प्राधिकारियों को ग्रेट निकोबार से कमोरता और अन्य द्वीपों में सब्जियों के लिए अपनी जरूरतों की पूर्ति करने का अनुरोध किया गया है और ऐसा ही किया जा रहा है। कुछ उद्योग स्थापित करने वालों ने एक आरा मिल और आटा मिल स्थापित किया है तथा दूसरों को स्थानीय साधनों पर आधारित कुटीर उद्योग शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दिल्ली में हरिजनों को जाति प्रमाण-पत्र

1849. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय से हरिजनों को जाति के प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं;

(ख) क्या केवल बाल्मिकी समुदाय के लोगों के मामलों में जाति प्रमाण-पत्रों में एक अपमानजनक शब्द "चूहड़ा" लिखा जाता है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) हरिजन मजदूर जागृति-पंचायत, बलजीत नगर ने उनसे और प्रधान मंत्री से तथा अनेक समाचारपत्रों के माध्यम से इस "चूहड़ा" शब्द को हटाने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो उनके अनुरोधों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस अपमानजनक शब्द "चूहड़ा" को हटाने के लिए सरकार को क्या आपत्ति है और इसे कब तक हटा दिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय से अनुसूचित जातियों के प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

(ख) संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951 (सी०ओ०32) की अनुसूची, भाग-I दिल्ली के तहत अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की गयी जातियों के नामों में 11-चोहड़ा (मेहतर) और 12-चूहड़ा (बाल्मिकी) हैं "इन प्रविष्टियों के आधार पर अनुसूचित जातियों के प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) तथा (ड़) संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची से ऐसे अपमानजनक शब्द हटाने के साथ कोई शब्द संसद के अधिनियम द्वारा जोड़ा या हटाया जा सकता है। सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के लिये कार्यवाही शुरू कर दी है और इसके लिये अनुसूचित जाति आदेश की अनुसूचियों से "चोहड़ा (मेहतर)" और चूहड़ा (बाल्मिकी) जैसे अपमानजनक शब्द हटाने के लिये दिल्ली प्रशासन समेत संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से टिप्पणियां मांगी हैं। इस प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

1850. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्यों में वृद्धि के आधार पर समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कारखानों के श्रमिकों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन और इसकी राज्य यूनिटों ने अपनी पेंशन को प्रतिमाह 300 रु० से बढ़ाकर 500रु० करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांग स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) सरकार को विभिन्न संगठन से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं जिनमें स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने के सुझाव हैं । स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवा पत्नियों की पेंशन में 1.8.80 से 100/- रु० मासिक वृद्धि की गई थी । इसके अतिरिक्त, दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की अविवाहित पुत्रियों को भी, प्रत्येक को 50/- रु० मासिक पेंशन दी जा रही है लेकिन यह विधवा पत्नी और अविवाहित पुत्रियों के लिए कुल मिलाकर 300/- रु० से अधिक नहीं होगी अधिकांश राज्यों की पेंशन (केन्द्रीय पेंशन, यदि कोई हो, के अतिरिक्त) की अदायगी के लिए और डाक्टरी इलाज, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, भिन्न-भिन्न प्रयोजनों इत्यादि हेतु एकमुश्त भुगतान जैसे अन्य लाभों की स्वीकृति के लिए अपनी योजनाएं हैं । अखिल भारतीय प्रतिष्ठा के स्वतंत्रता सेनानियों के पात्र मामलों में अधिक रकम 500/- रु० मासिक स्वीकृत की जाती है ।

दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण सम्बन्धी नीति

1851. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार ने सचिवों के एक कार्यकारी दल को दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करने और एशियाई खेलों के रंगीन प्रसारण से जनता में रंगीन टी० वी० के प्रति अत्यधिक रुचि की दृष्टि से इसकी रिपोर्ट को शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप-मन्त्री (डा एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) सरकार ने रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों का विनिर्माण करने के लिए औद्योगिक लाईसेंसिंग तथा प्रौद्योगिकी नीति पर विचार करने के उद्देश्य से सचियों की एक समिति का गठन किया था।

(ग) तथा (घ) उस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की क्षमताओं के लिए लाइसेंस अनुमोदन प्रदान करने की नीति को अन्तिम रूप दे दिया है। उक्त नीति सभा पटल पर 25 फरवरी, 1983 को रख दी गई है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिये। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जो इस सदन के सदस्यों के दिमाग को पिछले दो अथवा तीन दिनों से आन्दोलित करता रहा है। श्री दण्डवते द्वारा सदन में एक रिवोल्वर प्रस्तुत कर देने से सदन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए किये सभी प्रबन्ध निष्क्रिय से हो गये हैं। इस सदन में प्रधान मन्त्री जी मन्त्री जी तथा संसद सदस्य भी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य के लिए आप क्या सुस्पष्ट व्यवस्था करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : गृह मन्त्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। अवैध रूप से हथियार रखने के बारे में उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। उनको एक वक्तव्य देना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप मुझे सदन से निष्कासित करके उनको सन्तुष्ट कर सकते हैं। केवल ऐसा करने से ही उनको सन्तुष्टि होगी।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपने कल अपनी व्यवस्था दी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : वह सम्मान की भाषा को नहीं समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पिछले दो दिनों से हम इस समस्या को हल कर रहे हैं। मैं स्थिति से अवगत हूं। मैं इस सदन तथा सदस्यों की सुरक्षा तथा सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए जिम्मेदार हूं। मैं प्रत्येक पूर्व सावधानी से कार्य लूंगा तथा मैंने गृह मन्त्री महोदय से भी इस बात के लिए सतर्क रहने को कहा है ताकि इस सदन में कोई अवाँछित बात न हो।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) लाइसेंस दिलवा दीजिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : लाइसेंस देने अथवा न देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरी पूर्व अनुमति के बिना एक छड़ी को भी सदन में नहीं लाया जा सकता।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न कहिये । वह जो कुछ भी कह रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाये । यह ऐसा नहीं है जैसा कि वह बता रहे हैं । यह गलत है ।

श्री रामविलास पासवान : दण्डवते जी ने रिग्रेट कर लिया है और आपने अपनी रूलिंग दे दी । उसके बाद भी यह मामला उठाया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने उसे मान लिया है । हम इसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं ।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया है । आप अपनी व्यवस्था दे चुके हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस अध्याय को समाप्त कर दिया है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप एक गलती को किसी अन्य गलती से सुधार नहीं सकते । यह एक बहुत ही बुरी बात है । मैं ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी बात रिकार्ड न की जाये ।

(**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : एक सदस्य को यह अधिकार है

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

(**व्यवधान**)**

श्री रामविलास पासवान : आपने अपनी रूलिंग दे दी । फिर यह क्या हो रहा है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उस बात के बारे में बात नहीं कर रहा हूं । कृपया बैठ जाइये । मैं इसके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं । मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं । वह बात समाप्त हो चुकी है । मैं इस सम्बन्ध में भविष्य की बात कर रहा हूं । मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं । आप कुछ बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं ? यदि यहां पर एक छड़ी भी लानी हो तो वह भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लाई जा सकती । श्री हाल्दर जी ने ऐसा ही किया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय आपने मुझे इसको लाने की अनुमति दे रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैंने अनुमति दी है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या जो बात स्टिक के लिए लागू है वह लिपस्टिक के लिए भी लागू है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भविष्य के बारे में प्रत्येक पूर्व-सावधानी बरत रहा हूं। मैंने गृह मन्त्री को सतर्क रहने के लिए कहा है क्योंकि सदन की सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा के बारे में मैं कोई ढील देना नहीं चाहता हूं।

श्री रामविलास पासवान : दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की क्या स्थिति है ?

प्रो के० के० तिवारी : मेरा दूसरा मुद्दा गृह मन्त्रालय द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग बात है। यह बात गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित है। मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया उनको एक वक्तव्य देने का निदेश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, आपको याद होगा कि कल जब श्री दलबीर सिंह ने उस अधिसूचना को सभा पटल पर रखा था तो आपने यह कहा था कि आपको इस पर बोलने की अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसके लिए नोटिस दीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका यहां पर उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया मेरी बात को शांति से सुनिये। आपने मुझे नियम 377 के अधीन एक मामले को उठाने की अनुमति देने की कृपा की है। यह बात उन शरणार्थियों से सम्बन्धित हैं जो असम से पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। आपने समाचारपत्रों में भी यह देखा होगा कि पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा एक संकल्प पास किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तथा पश्चिम बंगाल

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं ? क्या हो रहा है ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, क्या आप मुझे एक नम्र निवेदन करने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य गृह मन्त्री जी से सम्बन्धित है । न कि मुझसे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं एक बहुत ही मानवीय समस्या का उल्लेख कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सरकार का भी है

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हजारों शरणार्थी लोग आ रहे हैं। शरणार्थियों के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?···(**व्यवधान**)·· यह एक राष्ट्रीय समस्या है···अब तक केन्द्रीय सरकार ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है ··

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी बोलें उसको रिकार्ड न किया जाये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूं । मैंने श्री दण्डवते को बोलने की अनुमति दी है ।

प्रो० मधु दण्डवते : पिछले एक वर्ष से मैं एक विषय को उठाता आ रहा हूं । वह मामला आपके अधीन है । एक वर्ष पूर्व ··

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह मामला आपके अधीन है । जब श्री अन्तुले मुख्य मन्त्री थे तब, मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार का एक प्रस्ताव विधान सभा में लाया गया था और वह आपके विचाराधीन है । आपने मुझे यह बताया था कि चूंकि मामला वहां पर मेरे विरुद्ध विचाराधीन है ··

अध्यक्ष महोदय : आप एक परिपक्व सांसद हैं । आपने इस विषय पर मुझसे चर्चा क्यों नहीं की ? आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आप ऐसी बातें करते हैं जिनको अनावश्यक रूप से उठाने पर मुझे दुःख होता है । आप मेरे पास आ सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह मामला विधान सभा में निपट चुका है । इसको यहां पर भी निपटाया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं । हम इस विषय पर बातचीत करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रत्येक बात निजी में है कुछ भी बात सार्वजनिक रूप में नहीं है ।

श्री रामविलास पासवान : सर, विगत दो सत्रों से, आपको याद होगा कि पिछले सत्र और उसके पहले सत्र से भी सरकार की तरफ से यह अश्योर किया गया था कि कैपिटेशन फीस···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए ।

(**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे सुन सकता हूं। मैं आपकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा।

श्री रामविलास पासवान : सरकार की तरफ से यह एश्योरेंस दिया गया है कि वे इसे हटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। कृपया एक प्रस्ताव दीजिये। अनुमति नहीं है। ऐसा मत कीजिए, कालिंग अटेंशन के सवाल उठाकर बिला वजह आप समय जाया करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जनजाति से सम्बन्धित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ? क्या इसके लिए आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : नहीं महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : निवेदन का कोई प्रश्न ही नहीं है। अनुमति नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : गांवों में मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई मोशन दिया है, नोटिस दिया है ? क्या आपने और किसी रूप में कोई नोटिस दिया है ? कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। आप कृपया करके इसके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दें और इसका अब उल्लेख न करें। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरा कहना यह है कि सरकार ने कैरोसिन तेल का दाम तो बढ़ा दिये हैं **(व्यवधान)** सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दे दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी है। श्री रामस्वरूप राम।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ, चुनाव होने के बाद वहां पर आतंक का वातावरण बना हुआ है। आन्ध्र प्रदेश के एक गांव

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल आया था

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप राम : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी सभा पटल पर पत्र रखें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्मज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटेड, ऊटकमण्ड तथा नेशनल इंस्टीच्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद को वर्ष 1981-82 की वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 202 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 जनवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 12 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या का० आ० 797 (अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन करने सम्बन्धी आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5942/83]

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का आ 745 (अ) जो 14 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 763 (अ) जो 25 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स प्लाइबोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंपोर, जम्मू के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 772 जो 2 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो मैसर्स गणेश फलौर मिल्ज कम्पनी लिमिटेड तथा दिल्ली के प्रबन्ध ग्रहण की अवधि पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 778 (अ), जो 3 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पीनिंग मिल्ज मुथानेन्डल, तमिलनाडु के प्रबंध-ग्रहण की अवधि पांच वर्ष से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5943/84]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्ज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उट्टकमण्ड के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्ज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उट्टकमण्ड का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5944/83]

(4) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5945/83]

(5) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5946/83]

(व्यवधान]

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगर कुरनूल) : महोदय, मैंने धारा 193 के अन्तर्गत हरिजनों के विरुद्ध अत्याचारों के सम्बन्ध में पूर्व सूचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सवाल करने के बाद उपस्थित नहीं होते। मैंने सवाल एडमिट किया था, सदस्य उपस्थित नहीं होते तो क्या मैं जिम्मेदार हूं।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मैंने प्रश्न नहीं पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : किसी और ने किया होगा। मैं क्या कर सकता हूं ? मैं आपको इस तरह से अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मैंने पूर्व सूचना दी हुई है और आपने सभा को यह आश्वासन दिया हुआ है कि आप इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे।

(व्यवधान)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

पद्मजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्युनोलोजी तथा श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेन्द्रम् के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा, आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पदमजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) (क) पदमजा नायडू हिमालयन जूलोजिकल पार्क, दार्जिलिंग के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5947/83]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इम्युनोलाजी के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) (क) नेशनल इंस्टीच्यूट आफ इम्युनोलाजी के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5948/83]

(3) (एक) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केरल के वर्ष 1981-82 के लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) (क) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, केरल के वर्ष 1981-82 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5949/83]

(4) (एक) इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) (क) इण्डियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 5950/83]

इण्डियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड दुर्गापुर की वर्ष 1981-82 की समीक्षा, आदि

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीरभद्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इण्डियन प्लाइवुड इण्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1981-82 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डियन प्लाइवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5951/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5952/83]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में तेलगूदेशम के लोगों ने आतंक मचा रखा है। हरिजन-आदिवासी आतंकित हैं। एक गांव में 86 घर जला दिए गए हैं, इसमें कई हरिजनों की मौत हुई है। अगर उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो भविष्य में और घटनाएं घट सकती हैं। **(व्यवधान)**

अगर मेरी बात नहीं सुनी जाती है तो मैं वाक-आउट करता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए, मिस्टर रामस्वरूप राम, मैं आपसे कह रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। सुनते क्यों नहीं हैं ? आपका सवाल था, लेकिन उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब आप हाफ एन आवर का नोटिस दे दीजिए, मैं उस पर चर्चा करवा दूंगा।

श्री रामस्वरूप राम : ठीक है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय सिविल सेवा खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग के 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के 32वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5953/83]

(2) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवा खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5954/83]

(3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5955/83]

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली का 31-3-82 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं श्री दिग्विजय सिंह की ओर से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिनेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5956/83]

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

54 वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (**मद्रास उत्तर**) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 54वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पांचवाँ प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (**ब्रह्मपुर**) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (**बक्सर**): महोदय, गृह मन्त्री जी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको कहा नहीं। इससे मेरा कोई, मतलब नहीं। मेरे लिए यह खत्म है। अब इसमें मेरा कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का सरकार को कथित-आदेश

श्री सोमनाथ चटर्जी (**जादवपुर**) : मैं वित्त मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष करने का सरकार का कथित आदेश।"

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (**श्री जनार्दन पुजारी**) : सेवा निवृत्ति की आयु के मामले में सरकार की नीति सुस्पष्ट है। रक्षा कार्मिकों और वज्ञानिकों जैसे विशेष वर्गों को छोड़कर कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। इस नीति के अनुरूप, 1976 में सरकार ने यह निर्णय किया कि वित्तीय संस्थाओं में भी सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। यह निर्णय विशेष रूप से, उन अधिकारियों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किया गया है जो राष्ट्रीयकरण के बाद भर्ती किए गए हैं। लेकिन यह रीति तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के साथ प्रबन्धकों द्वारा किए गए विभिन्न समझौतों के कारण अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों से भिन्न है।

2. जहां तक बीमा उद्योग का सम्बन्ध है, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम, अर्थात् इन दोनों निगमों में राष्ट्रीयकरण के बाद भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों की सेवा-निवृति की आयु 58 वर्ष है। साधारण बीमा निगम में अन्य श्रेणियों अर्थात् तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए भर्ती किए गए नए कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 1980 में 58 वर्ष कर दी गई थी। लम्बे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी ही कार्रवाई करना सम्भव नहीं हो सका। अब यह विसंगति दूर कर दी गई है और सरकारी अधिसूचना संख्या 96 (अ) दिनांक 22 फरवरी, 1983 [प्रति संलग्न—**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 6032/83**] के द्वारा सरकार ने जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करने वाले नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जैसी कि हमें उम्मीद थी, सरकार ने ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे श्रमिकों के प्रति उनकी शत्रुता प्रदर्शित होती है। सरकार का यह निर्णय उसके श्रमिक विरोधी रुख तथा जीवन बीमा कर्मचारियों तथा इसके श्रमिक संघ 'अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ' के प्रति शत्रुता की दूसरी अभिव्यक्ति है।

अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार तथा जीवन बीमा निगम प्रबन्धन द्वारा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित करने के कितने प्रयास किये गये, इसकी संक्षित रूपरेखा जानना आवश्यक है। यह समझौता जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ केन्द्रीय सरकार की सहमति से सामुहिक सौदेबाजी द्वारा वैध तरीके से किया गया था। 1974 में यह गम्भीर समझौता जीवन बीमा निगम तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ तथा अन्य संघों के बीच किया गया था।

यह सेवा की शर्तों, सेवा निवृत्ति की आयु, वेतनमानों तथा बोनस आदि के भुगतान सम्बन्धी समग्र करार था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है कि यह जीवन बीमा निगम तथा केन्द्र सरकार द्वारा किया गया समग्र करार था यह उस समय की बात है जब यदि मुझे ठीक से याद है तो, श्री यश्वन्त राव चह्वाण वित्त मन्त्री थे तथा श्री रघुनाथ रेड्डी श्रम मन्त्री थे।

केन्द्र सरकार ने उस स्तर पर समझौते का अनुमोदन किया था। यदि मैंने गलत नहीं समझा है तो उन्होंने इस बात पर बहुत ही खुशी प्रकट की थी कि सरकार के हस्तक्षेप से जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा निगम के बीच समझौता हो गया है।

1977 में इसकी तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी आपातकाल की घोषणा किये जाने पर इस समझौते को समाप्त करने तथा कर्मचारियों के बोनस, महंगाई भत्ता तथा अन्य सुविधायें प्राप्त करने के अधिकार को छीन लेने के प्रयास किये गये थे।

क्या मैं सभा को याद दिला सकता हूं कि 1976 में एक कानून पारित किया गया था जिसका नाम जीवन बीमा निगम (समझौते का संशोधन) अधिनियम था। हमारे देश के सबसे काले दिनों में से एक दिन जीवन बीमा निगम (करार का संशोधन) अधिनियम नामक कानून पास करके एक करार को रद्द किये जाने की चेष्टा की जा रही है जिसके द्वारा करार के दो प्रावधानों का लोप किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम किये गये करार के खंड के एक प्रावधान का लोप किया जाना है जिसके द्वारा 15 प्रतिशत बोनस सम्बन्धी प्रावधान का लोप किया गया है। उसके विरुद्ध कर्मचारी 1978 में अदालत में गये जबकि आपातकालीन स्थिति समाप्त हुई थी। मामला न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के सामने आया। उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से जीवन बीमा निगम (करार का संशोधन) नामक कानून को रद्द करके इसे भारत के संविधान के विरुद्ध कहा।

आपकी अनुमति से मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कुछ अंशों को पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मामला महत्वपूर्ण है और इस पर अभी हाल के हालातों को भूल कर पृथक करके विचार नहीं किया जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भगवती, जिन्होंने मुख्य निर्णय की घोषणा की, ने 1976 के अधिनियम की व्याख्या इस प्रकार की है—

"इस असाधारण कानून को संसद ने उस आपात्तकालीन स्थिति में पास किया जब मुश्किल से कोई प्रभावशाली चर्चा होती होगी और इसका उद्देश्य उस करार को निष्प्रभावी बनाना था जो बोनस की नकदी अदायगी करने हेतु जीवन बीमा निगम तथा इसके 4 कर्मचारी संघों के बीच हुये थे। उन विभिन्न धारणाओं को समझना जरूरी है, जो रिट याचनाओं से पैदा हुई हैं और जिनका सम्बन्ध जीवन बीमा निगम (करार का संशोधन) अधिनियम 1976 से है।"

अत: इसकी निंदा उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार से की थी और न्यायमूर्ति भगवती ने कहा था कि यह करार जीवन बीमा निगम तथा इसके कर्मचारियों के बीच काफी वार्ताओं के बाद हुआ था और निर्णय में कहा गया—

"जीवन बीमा निगम ने जुलाई 1973 तथा जनवरी 1974 के बीच इन संघों के साथ बात-चीत की थी जिसमें पालिसी-धारियों तथा लोगों के प्रति जीवन बीमा निगम के दायित्वों सहित कई मामलों पर स्वतन्त्र और खुली चर्चा परिचर्चा हुई और बाद में इन वार्ताओं के फलस्वरूप 24 जनवरी 1974 को जीवन बीमा निगम तथा इन संघों के बीच एक करार हुआ था।"

अत: वह महत्वपूर्ण था और केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति को उच्चतम न्यायालय ने नोट किया। फिर विभागीय परिपत्र जारी करके इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया जिसका अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघों ने विरोध किया और इस विरोध का उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में जिक्र किया है। मैं केवल उन्हीं अंशों को पढ़ूंगा जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं। यहां न्यायमूर्ति बेग के विचारों को उद्धृत करना भी जरूरी है। उस समय श्री बेग मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने नीति निदेशक सिद्धान्तों का जिक्र किया। यद्यपि नीति निदेशक सिद्धान्त लागू किये जा सकने वाले नहीं हैं, फिर भी उन्होंने इस प्रकार अनुभव किया —

"उनमें बुनियादी बातों का जीवन तथा ताकत है । उन्हें प्रत्यक्षत: लागू किये बिना अदालतों में प्रभावशाली तथा सशक्त बनाने का सर्वोत्तम तरीका औचित्य के मापदंड के साथ उनका उपयोग करना है, जैसे कि हम करते आ रहे हैं । यदि अनुच्छेद 39 तथा 43 के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो स्वेच्छापूर्ण बिना उचित कारण बताये मजूरी दरों में कमी नहीं होनी चाहिये, जैसे कि इस मामले में हुआ है । मेरे विचार में यह कहना बिलकुल उचित है कि जिन उपायों का उद्देश्य औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किये गये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत करार के लाभों से श्रमिकों को वंचित करना है, उन्हें विशेष करार को निरार्थक बनाने वाले अधिनियम द्वारा बेकार नहीं होने देना चाहिये ।" भारत के मुख्य न्यायाधीश का विचार वही था ।

न्यायमूर्ति भगवती ने बहुमत प्राप्त निर्णय दिया । वह प्रयत्न आपातकालीन स्थिति के दौरान बोनस छीनने वाले एक कानून द्वारा असफल हुआ । इसके बाद हम उच्चतम न्यायालय में सफल हुए । मुझे कर्मचारियों की ओर से वकालत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।

फिर अधिसूचना तथा आदेश जारी करके दूसरा प्रयास किया गया । कर्मचारियों को पुन: उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ा; उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ा । उसमें भी उच्चतम न्यायालय ने, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा दिये गये बहुमत प्राप्त निर्णय द्वारा स्पष्टत: कहा कि कानून में समझौते को रद्द करने की अनुमति नहीं है और उच्चतम न्यायालय ने उन अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों को अवैध ठहराया और यह भी कहा गया कि यद्यपि 1974 से 1977 तक के करार की तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, फिर भी सेवाओं के ठेके के भाग के रूप में समझौते की शर्तें अभी तक भी चल रही हैं । वे सेवाओं की शर्तों के रूप में अभी तक भी बनी हुई है और उन्हें उचित अथवा वैध कानून अथवा औद्योगिक पंचायत के बिना संशोधित नहीं किया जा सकता । उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा :

"एक बार जब पहला ठेका समाप्त हो जाता है और किसी समझौते के पंचायत द्वारा सेवा की नई शर्तें बनाई जाती हैं तो इसका निश्चित परिणाम यह होता है कि ठेके को समाप्त करने के नोटिस पर कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी उक्त समझौता पक्षों के सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए उस समय तक जारी रहता है जब तक समझौते द्वारा या संविधिक ठेके द्वारा अथवा निर्णय द्वारा एक नया समझौता न बने ।"

मैं इसे सभा के सामने इस बात पर बल देने के लिए रख रहा हूं कि करार किया गया था; इसे केन्द्रीय सरकार ने वित्त मन्त्री के उच्चतम स्तर पर स्वीकार किया था और फिर उस समझौते को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया । 1981 में भी उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया जिसे 1982 में कानून में परिवर्तित किया गया । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब 1981 के नये अधिनियम के अन्तर्गत वे बोनस सम्बन्धी सेवा शर्तों को संशोधित कर सकते हैं । वह नाताने का मामला था; पहले मामले पाठक, मंचदा के थे डी० जे० बहादुर तथा चन्द्रशेखर बोस के थे । नाताने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें बोनस सम्बन्धी शर्तों को संशोधित करने के लिए अनुमति दी ।

इसके बाद अब और प्रहार शुरू हो गये हैं। अब सेवानिवृत्ति की आयु में भी संशोधन कर दिया गया है। मैं उसकी चर्चा करूंगा लेकिन उससे पहले यह कहना जरूरी है कि जीवन बीमा निगम के विकास के लिए इसके कर्मचारियों का क्या योगदान रहा है। मेरे पास यहां जीवन बीमा निगम के चेयरमैन का वर्ष 1981-82 का प्रतिवेदन है; मेरे पास कुछ और आंकड़े भी हैं। मैं इस सभा के सामने कुछ तथ्य रखने की अनुमति चाहता हूं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। 1955 में कुल 260 करोड़ रुपये का नया व्यय हुआ; 1974 में जब नया समझौता हुआ यह कारोबार 4895 करोड़ तक पहुंच गया। और 1974-75 से 1980-81 तक यह कारोबार 10,197 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जहां तक पालिसियों की संख्या का सम्बन्ध है, यह 1955 में 48 लाख थी जो 1981-82 तक बढ़कर 236.57 करोड़ हो गई। 1974-75 में जब समझौता हुआ था, जीवन निधि 3033 करोड़ रुपये थी, वह अब बढ़कर 7582 करोड़ रुपये हो गई है। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री इस बात का श्रेय लेंगे कि उन्होंने यह सब करवाया है या अधिकारियों ने करवाया है। 1979-80 में बीमा निधि 702 करोड़ रुपये की थी जो 1981-82 में 922 करोड़ रुपये हो गई। और आप देखेंगे, महोदय, कि अन्य आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 27 वर्षों के दौरान नये व्यापार में 34 गुना वृद्धि हुई है, बीमा निधि 18 गुना बढ़ गई है; कुल आय 13 गुना बढ़ी है। यह निगम की उपलब्धि है। महोदय कुल आय तुलना में वेतन और भत्तों पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात क्या है ? 1974-75 में कुल आय से वेतन और भत्तों का व्यय 13.48 प्रतिशत था। यह 10.02, 9.20, 8.95 तक कम हो गया। इस समय यह 6.2 प्रतिशत है। अत: कर्मचारियों पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। 1974-75 के बाद से यह आधे से भी अधिक कम हो गया है। कृपया श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों की कुल संख्या देखिये। 1974-75 में इनकी संख्या 46,130 थी। 1981-82 में यह घट कर 45,502 पर आ गई है। किसके प्रयास से ऐसे परिणाम मिल रहे हैं ? इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सोचती है कि इस तरह का विकास और विस्तार कर्मचारियों की स्वेच्छा से किए गए सहयोग और समर्पित भाव के बिना संभव है या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे दावा करते है कि सरकार ने यह उपलब्धि किसी जादू से की है ? महोदय सभापति की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है :

,'हमारी सबसे अधिक विशिष्ट उपलब्धि दावों को निपटाने के क्षेत्र में हुई है। देय दावों तथा बकाया दावों का प्रतिशत पिछले वर्ष 18.49% से कम 14.35% तक कम हो गया है, जिसकी पश्चिमी देशों से तुलना की जा सकती है।"

महोदय, एल० आई० सी० के कर्मचारियों को प्रतिदिन गालियां दी जाती हैं मानो वहां कोई काम नहीं किया जा रहा। महोदय अध्यक्ष ने स्वयं स्वीकार किया है कि दावों के निर्णय की स्थिति पश्चिमी देशों की स्थिति से बहुत अच्छी है। महोदय, अध्यक्ष के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है।

"ये उपलब्धियां ध्यान देने लायक हैं। इनकी महत्ता यह है कि ये परिणाम अत्यधिक किफायत से प्राप्त किए गए हैं। इसका पता इससे चलता है कि हमारा नवीकरण पर किए जाने

वाले व्यय का अनुपात पिछले वर्ष 12.62% की अपेक्षा 11.75% तक कम हो गया है, जो कि निगम के इतिहास में न्यूनतम है और 15% तक की सांवैधानिक सीमा से काफी कम है। कुल व्यय के अनुपात में भी पिछले वर्ष के 24.24% के मुकाबले इस वर्ष 23.37% व्यय हुआ है और अब इसकी तुलना पश्चिम और जापान की प्रसिद्ध बीमा कम्पनियों से की जा सकती है। नवीकरण पर किए जाने वाले व्यय के अनुपात पर इन देशों में ध्यान नहीं दिया जाता।"

महोदय, प्रीमियम से होने वाली आय पहली बार 1000 करोड़ रुपये अधिक हुई है और 1092.90 करोड़ का रिकार्ड स्थापित किया है। जीवन निधि ,562.61 करोड़ रुपये तक चली गई है अर्थात 13.87% की वृद्धि हुई है। ये उपलब्धियां हुई हैं। हमें बहुत खुशी है और इन पर गर्व है।

महोदय कल हमें भारत सरकार से सरकारी उद्यम सर्वेक्षण सरकारी उद्यम ब्यूरो, 1981-82, खण्ड 1 की प्रति मिली है जिसमें उन्होंने जीवन बीमा निगम की उपलब्धियों के आँकड़े दिए हैं महोदय, मैं आगे और विवरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं इसका एक पैराग्राफ पढ़े बिना नहीं रह सकता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है :

प्रीमियम की आय से प्रबन्ध पर व्यय का अनुपात वर्ष 1980-81 में एजेंटों को कमीशन 8.01 प्रतिशत था। यह कम होकर 7.8% तक रह गया है। अन्य कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य लाभ : 1980-81 में यह 13.55% था। यह घटकर 12-81%रह गये हैं।"

महोदय, कुल मिलाकर अनुपात घटा है। नवीकरण पर होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आई है। महोदय, आप यह भी देखेंगे कि दावों के निपटान में अभूतपूर्व रिकार्ड हासिल हुआ है।

अब अपेक्षाकृत अधिक दावों का निपटान किया जा रहा है। बकाया दावों को निपटाया जा रहा है। 1981-81 में बकाया दावों की संख्या 1.72 लाख थी और 1981-82 में 1.51 लाख मामले रह गए। इस ओर स्वयं अध्यक्ष महोदय ने ध्यान दिया है।

अतः यह कर्मचारियों का सहयोग है। सरकार का क्या रुख है? कृपया, विवरण देखिये। इसमें कहा गया है कि सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में सरकार की नीति सुस्पष्ट है। हम जानना चाहते हैं कि यह नीति कब बनाई गई थी।

एक माननीय सदस्य : आपातकाल के दौरान।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह नीति बनाते समय क्या सरकार ने भारत के एक सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारियों के साथ किए गए पवित्र समझौते को ध्यान में रखा था। उस निर्णय को सुरक्षित बनाये रखने के लिए कर्मचारियों को डटकर मुकाबला करना पड़ा और उच्चतम न्यायालय में उन्हें दो बार सफलता मिली। उच्चतम न्यायालय ने इस समझौते की वैधता का अनुमोदन किया और इस बात पर बल दिया कि भारत के संविधान में

बनाए गए राज्य की नीति निदेशक सिद्धान्तों में यह अनिवार्य माना गया है कि बिना चर्चा किए, बिना किसी वैध कारण के, भारत सरकार या एल० आई० सी० को सेवा के इन नियमों-विनियमों तथा शर्तों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

उन्होंने यही अपराध किया है। एक समझौता हुआ था। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह नीति कब अपनाई गई थी। अब वे कहते हैं कि जहाँ तक एल० आई० सी० के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हम इस नीति को लागू नहीं करेंगे जो कि विभिन्न दीर्घकालिक मुकदमों के कारण अधिकारियों पर लागू की गई थी। कर्मचारियों को न्यायालय में जाने के लिए किसने विवश किया था ? आपने समझौता किया है। आप स्वेच्छा से उसका एक खण्ड या अन्य बदल सकते हैं : आप कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करते, आप उनके साथ वार्तालाप नहीं करते। आपातकाल के दौरान उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे उनका कुछ अस्तित्व न हो, मानो एल० आई० सी० के विकास के सम्पूर्ण गौरव का श्रेय मन्त्रियों अथवा कुछ गिने चुने अधिकारियों को प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय ने सरकार के प्रयासों की बार-बार अवहेलना की।

दूसरे, जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन्होंने उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष कर दी है और इसे वे अपवाद कहते हैं। विवरण का यह सबसे अधिक आपत्तिजनक भाग है। यहां तक कि मन्त्रियों ने भी इन प्रक्रियाओं पर विचार करना छोड़ दिया है। अधिकारियों द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, उसे यहां पढ़कर व्यक्त किया जा रहा है। अपवाद क्या है ? अपवाद यह था कि आपने एक पवित्र समझौता किया था कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी; आपने स्वेच्छा से बिना बात किए उसमें परिवर्तन कर दिया। और आप कहते हैं कि उन्होंने इसके साथ ही जो निर्णय लिया है' सेवानिवृत्ति की आयु उचित होनी चाहिए। अतः सेवानिवृत्ति की पहले निर्धारित की गई आयु ही अपवाद है। यह रुख अपनाया जा रहा है : यही कारण है कि मैं कहता हूं कि यह श्रम-विरोधी और कर्मचारी विरोधी रुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

आपने बिलकुल चर्चा नहीं की। कर्मचारियों के साथ इस तरह से व्यवहार किया गया है मानो वे समाज के दुश्मन हों। वे इस देश तथा एल० आई० सी० के विकास के लिए अन्य लोगों की भांति ही अपना खून-पसीना बहा रहे हैं। और अब मैं केवल अधिकारियों और कर्मचारियों विशेषकर श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों द्वारा एल० आई० सी० की महान उपलब्धियों और प्रगति के लिए दिए गए योगदान पर बल देने के लिए उन आँकड़ों को पढ़ता हूं, जो कि पश्चिमी देशों, के रिकार्ड की तुलना में काफी अच्छे हैं जहां उनके काम करने का तरीका, मशीनें आदि अति आधुनिक हैं।

परिणामस्वरूप वे कह रहे हैं : सेवानिवृत्ति की यह आयु केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगी, जो इन नियमों के प्रारम्भ होते ही या उसके बाद नियुक्त किया जायेगा। 45,000 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। अब आप कर्मचारियों की एक नयी श्रेणी बनाना आरम्भ कीजिए जिनकी इसी संस्थान में सेवानिवृत्ति की आयु भिन्न होगी। जहां तक वर्तमान कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सरकार के पास उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कम करने का साहस नहीं है। हम

पर उन्होंने यह प्रभाव छोड़ा है। लेकिन हम देखते हैं कि इन नियमों के लागू होने की तिथि अर्थात 22 या 24 फरवरी को या उसके बाद नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति आयु पृथक होगी। आप वहाँ पर उचित और संपूर्ण कार्य की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जबकि कर्मचारियों के एक वर्ग को सेवा की भिन्न शर्तों, तथा सेवानिवृत्ति की भिन्न आयु के अन्तर्गत काम करना होगा ?

मान लीजिए, अचानक ही आप न्यायाधीशों की आयु में कमी करने का निर्णय लेते हैं तो उच्चतम न्यायालय के एक ही पीठ के कुछ न्यायाधीश हैं, 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे जबकि अन्य 60 अथवा 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। किसी संगठन का मनोबल बनाये रखने का क्या यही तरीका है ? क्या किसी संगठन के कर्मचारियों में एकता लाने अथवा गतिविधियों में तालमेल बिठाने का यही तरीका है ? अतः हमारा यह आरोप है कि यह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर सुनियोजित प्रहार है, के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि वे उनकी सेवा की शर्तों और सरकार के साथ हुए उनके समझौतों पर होने वाले प्रहारों को वे साहसपूर्ण, कानूनी रूप से सफलतापूर्वक चुनौती देते रहे हैं; इसीलिए वे कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनमें मतभेद पैदा कर रहे हैं जिसका हम विरोध करते हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के संगठनों, विशेष रूप से बहुमत संगठन, जिनका अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ एवं अन्य संघों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, के साथ कोई विचार विमर्श किया है। हम चाहते हैं कि किसी भी संगठन को न छोड़ा जाये। क्या कभी विचार विमर्श किया गया, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या आप कर्मचारियों की स्वीकृत सेवा शर्तों में से एक सेवा शर्त में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं अर्थात् आप सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष की आयु में परिवर्तन कर रहे हैं ? अब आप इस शर्त को बाद में भर्ती होने वालों के बारे में लागू कर रहे हैं इस प्रकार निश्चय ही यह सेवा शर्तों में परिवर्तन करना है क्योंकि समझौता यह है कि यह सेवा की शर्त बाद के नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगी। बाद में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर इसे लागू नहीं किया जा रहा। आपने उनके साथ इस बारे में विचार विमर्श नहीं किया और आप एक ही प्रकार का कार्य करने वाले कर्मचारियों में विभिन्न वर्ग पैदा कर रहे हैं। क्या सरकार की यही नीति है ? हम जानते हैं कि वे स्वयं को मेहनतकश वर्गों का मित्र कहते हैं, किन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा अनिनियम, अनिवार्य वस्तु अधिनियम तथा अन्य उपबन्धों के अन्तर्गत कर्मचारियों पर प्रहार होते रहे हैं और यह दूसरा प्रहार है। स्पष्ट तौर पर इससे एक असन्तुलन को स्पष्ट करने की बात की गई है किंतु देता है, वास्तव में वह है नहीं। यदि हम गहराई से देखें तो हमें सरकार के उस श्रमिक विरोधी पक्ष का पता चलेगा जिसके बल पर वह देश पर शासन करना चाहती है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं वे हमें यह बताए कि जब तक इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जाती और कर्मचारियों के विचार नहीं जान लिये जाते तब तक वे इस परिपत्र अथवा विनियम को, यदि उसे रद्द नहीं किया जाता, तो कम से कम स्थगित रखें।

श्री जनार्दन पुजारी : श्री सोमनाथ चटर्जी, जो देश के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं में से हैं, मैं

उनका बहुत ही सम्मान करता हूं। साथ ही मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे बेतुकी बात नहीं कहनी चाहिए। मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय पर ही बोलना चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष करने के बारे में है।

जहां तक भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य-निष्पादन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने कुछ आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। यदि कोई चर्चा की जानी है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि जीवन बीमा निगम का कार्य-निष्पादन खराब है। किन्तु यदि चर्चा की जानी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। हम जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों एवं तथा प्रबन्धकों की कार्य कुशलता के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

सेवानिवृत्ति की आयु कम कर 58 वर्ष करने के बारे में जहाँ तक वर्तमान कर्मचारियों का सम्बन्ध है, हमने यह विनियम उन पर लागू नहीं किया है। जहाँ तक जीवन बीमा निगम में भविष्य में आने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है हमने बताया है कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी। इस मामले में कानूनी मामला कोई नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप उनकी आयु 58 वर्ष नहीं कर सकते। आपको सेवानिवृत्ति आयु कहना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : सेवानिवृत्ति आयु। यदि मुझसे यह शब्द छूट गया हो तो मैं अपना खेद व्यक्त करता हूं।

महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां तक जीवन बीमा निगम में भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वे यहां पर खूब सोच समझ कर और खूब देख-दाख भी सकते हैं। उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि जीवन बीमा निगम में भविष्य में उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी। अब यह निर्णय कैसे किया गया। 1976 में मन्त्रिमंडल अर्थात् सरकार ने यह निर्णय लिया था। इस निर्णय के अनुसार उसे लागू किया जा रहा है। 1947 में क्या हुआ था? मेरे माननीय मित्र ने 1977 वर्ष का उल्लेख किया तथा उन्होंने 1974 एवं 1977 के बीच की अवधि में भी जिक्र किया। उस अवधि में एक समझौता हुआ था। अतः हम उस समझौते की अवधि की समाप्ति पर ही इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते थे। हम कर्मचारियों की यूनियनों के साथ बात चीत करने में सफल हो गये। सदन की सूचना के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की कोई मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। इसके बावजूद भी हमने उनसे समझौता किया। बातचीत 21-8-1978, 22-8-1978, 19-3-1979, 6-9-1979 7-4-1980 तथा 8-4-1980 को हुई। किन्तु यह समूची बातचीत असफल हो गई। हमें सफलता नहीं मिल सकी। अतः अन्त में उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के अनुसार हम संसद में 1981 में एक विधान लाये। इसी सदन ने उस विधान पर ब्यौरेवार बहस की और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय जाने के बाद उच्चतम न्यायालय में भी इन सभी मुद्दों पर

ब्यौरेवार बहस हुई और उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम को वैध ठहराया। और अधिनियम की वैधता स्थापित हो जाने के बाद हमने कुछ नियम प्रस्तुत किये और उनमें से एक नियम बोनस सम्बन्धी सीमा निर्धारण के बारे में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस मामले में केवल इसी बात पर बहस हुई थी।

श्री जनार्दन पुजारी : केवल उसी मामले पर नहीं। इसमें महगाई भत्ते पर सीमा निर्धारण के बारे में भी बात हुई थी। उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ उच्चतम न्यायालय ने नियमों को भी वैध ठहराया। सरकार को उस याचिका में भी सफलता मिली और आपकी सूचना के लिए मैं यह बता दूं कि हम उसके बाद ही उन विकृतियों को दूर करने के लिए यह अधीनस्थ विधान लाए हैं।

अब माननीय सदस्य ने 'विसंगति' शब्द के प्रति कैसे आपत्ति उठाई है? उनकी आपत्ति को मैं नहीं समझ सका? किन्तु कम से कम विकृति तो थी। जहां तक जीवन बीमा निगम के श्रेणी एक एवं श्रेणी दो अधिकारियों का सम्बन्ध है, सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। सामान्य बीमा निगम में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। जहां तक सामान्य बीमा निगम में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। इसे भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। इस मामले पर अभी निर्णय किया जाना है। और जहाँ तक इस अधीनस्थ विधान का सम्बन्ध है, यह अधिसूचना जारी होने की तारीख अर्थात् 22-2-1983 से लागू हो गया है और यह केवल भविष्य में आने वाले लोगों पर लागू होगा। अत: मेरा यह निवेदन है कि जहां तक वर्तमान कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें कोई चिन्ता नहीं, वे बिलकुल प्रभावित्त नहीं हैं। अत: मैं इस बात को समझ नहीं सका कि उन्होंने संसद सदस्य होने के नाते यह मामला सदन में क्यों उठाया। जहां तक वर्तमान कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं। वे इससे बिलकुल प्रभावित नहीं होते।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व): आपको किसने बताया?

श्री जनार्दन पुजारी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्यों में से आप एक हैं। मैं उस समय आपको बताऊंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह अग्रिम नोटिस है।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने वेतन के बारे में एक और संगत प्रश्न पूछा है। मैं उनके वेतन की तुलना सरकार में उनके समकक्ष अधिकारियों के वेतन से नहीं करना चाहता। 25 से 30 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात डाक और तार विभाग अथवा रेलवे में एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को कितना वेतन मिलता है? मैं इस सबका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

श्री सुनील मैत्रा : आप इसकी तुलना रिजर्व बैंक अथवा सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया से क्यों नहीं करते?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने किसी मामले को अलग से नहीं लिया है। वह कहते हैं कि वेतन का बिल अब कम हो गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने आपके प्रतिवेदन से पढ़ा है।

श्री जनार्दन पुजारी : जीवन बीमा निगम में एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का मूल वेतन यदि 920 रुपए है तो उसे 2042 रुपए मंहगाई भत्ते के मिलते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : 920 रुपए मूल वेतन किसको मिलता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को।

श्री सुनील मैत्रा : वहां 585 की उच्चतम सीमा है।

श्री जनार्दन पुजारी : क्या जीवन बीमा निगम का अधीक्षक तृतीय श्रेणी कर्मचारी नहीं होता है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने यहां वेतन मान का प्रश्न नहीं उठाया। अर्थव्यवस्था के विकास में उनके योगदान के बावजूद व्यय अनुपात में कमी आई है। वह यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उच्च वेतन प्राप्त करने वाले तथाकथित बड़े व्यक्तियों को विशेष लाभ मिल रहे हैं। सरकार उन्हें दान नहीं दे रही है। परन्तु यह तो प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों के साथ किए गए समझौते के परिणामस्वरूप है। वह यह आंकड़े बिना यह बताए दे रहे हैं कि कुछ ही लोगों को इतना वेतन मिलता है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह कह कर कि सरकार की कर्मचारियों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रशासन लागत में कमी आई है। मैं सभा का ध्यान केवल एक उदाहरण की ओर आकर्षित करता हूं 920 रुपए मूल वेतन पाने वाले जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को कुल कितनी राशि मिलती थी। उसे 3460 रुपए मिलते थे। भारत सरकार के एक संयुक्त सचिव का वेतन कितना है ? संयुक्त सचिव को 3200 रुपये मिलते हैं। जबकि जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को 3460 रुपए वेतना मिलता है।

(व्यवधान)

इसलिए मैंने आरम्भ में कहा था कि मैं अन्य मुद्दों को नहीं लेना चाहता हूं। यदि आप जीवन बीमा निगम की कार्य कुशलता पर चर्चा करना चाहें तो मैं तैयार हूं।

उन्होंने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का बिलकुल स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। परन्तु जीवन बीमा निगम की अधिक पालिसियां कराकर अधिक कारोबार करने हेतु कौन उत्तरदायी है ? प्रारम्भिक रूप में ये विकास अधिकारी और एजेंट है। ये लोग ही क्षेत्र में काम करते हैं। ये कर्म-

चारी तो कार्यालय में ही बैठे रहते हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि वे कोई कार्य नहीं करते हैं। उनका भी योगदान है। इसके साथ-साथ हम इन श्रेणियों के कर्मचारियों को नहीं भूल सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रत्येक को याद रखो और प्रत्येक का वेतन बढ़ा दो।

श्री जनार्दन पुजारी : हमें यह तो अवश्य याद रखना चाहिए कि वे संगठित क्षेत्र में हैं। विपक्ष के कुछ सदस्य सभा के भीतर और बाहर यह शोर करते रहते हैं कि इस देश के 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बीता रहे हैं।... (**व्यवधान**) मैंने इसके बारे में सुना है। उनके अपने वक्तव्य के अनुसार उन लोगों को 60 रुपए से अधिक नहीं मिलते हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय सदस्य गलत आंकड़े देने के लिए दोषी हैं। इनकी संख्या 30 मिलियन नहीं अपितु 300 मिलियन है।

(**व्यवधान**)

श्री रशीद मसूद—खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे हैं। यह कोई आम चर्चा नहीं है।

सूची में जिन सदस्यों के नाम हैं, वे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप नहीं। मुझे खेद है कि मैं आपको हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे सभा का ध्यान रखना है। आपको मेरा कर्त्तव्य निबाहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : उनके अपने वक्तव्य के अनुसार आम बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने यहां तक कह दिया था कि इस देश में 31 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह रिकार्ड में भी है कि उन्हें 60 या 65 रुपए से अधिक नहीं मिलते हैं क्योंकि वे असंगठित क्षेत्र में हैं।

अब सरकार ने क्या किया है ? सरकार द्वारा अपनाए गए कड़े उपायों के परिणामस्वरूप हम कार्यकुशलता लाने में सफल रहे हैं। हम जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से केवल यही अनुरोध कर रहे हैं कि वे बिना समय नष्ट किए 10 से 5 तक कार्य करें। क्या सरकार से देश के निर्धन लोगों के हित में इतना कहने की अपेक्षा नहीं की जाती है ? हम केवल यह बात कहना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह तो उत्पीड़न है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह उत्पीड़न नहीं है। हमने किसी को भी उत्पीड़ित नहीं किया है। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात तक सीमित रहिए कि आपने इसे 60 से घटाकर 58 क्यों किया है। और दूसरी ओर को इस बात तक सीमित रहना चाहिए कि इसे 60 से घटाकर

58 क्यों नहीं किया जाए। सरकार को इसे कम करने का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। परन्तु बहुत सी असंगत बातों पर चर्चा हो रही है। यह कर्मचारियों के कुशलता से कार्यकरण के बारे में बजट पर आम बहस नहीं है। आप विषय तक सीमित रहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार की यह नीति है कि वाजिब सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्रियों को छोड़कर

श्री जनार्दन पुजारी : यह मंत्रिमंडल की स्वीकृति नीति है और हम इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं। हमने मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में ही अपने भविष्य हेतु इस उपाय को क्रियान्वित किया है। मैंने जैसा कि कहा है कि हमने मौजूदा कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं किया है। क्योंकि यह केवल भावी कर्मचारियों पर लागू होती है। अतः यह कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही करने का कारण नहीं है जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में हुआ है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कोई आम चर्चा नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह सरकार की स्वीकृत नीति है। हम इसे क्रियान्वित करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा।

श्री रामवातार शास्त्री (पटना) : महोदय, मध्याह्न अवकाश का क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बज कर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई। उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सुनील मैत्रा बोलेंगे श्री मैत्रा जी आपके मित्र ने पहले ही अधिक समय ले लिया है और पर्याप्त पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी है, इसलिए आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री सुनील मैत्रा : वह पृष्ठभूमि नहीं जो मैं देना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपकी पृष्ठभूमि अलग है।

श्री सुनील मैत्रा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : एक भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते ?

श्री सुनील मैत्रा : जी हां, भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते।

उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह बेहतर होता यदि वित्त मन्त्री स्वयं सभा में उपस्थित

होते क्योंकि जिस मामले पर हम आज चर्चा कर रहे हैं उस पर हमने, मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम की सबसे बड़ी यूनियन के पदाधिकारी होने के नाते तथा प्रो० मधु दण्डवते ने भारतीय जीवन बीमा निगम की एक अन्य बड़ी यूनियन के पदाधिकारी होने के नाते श्री प्रणव मुखर्जी से पहले बात की है। इंटक यूनियन सहित पांच यूनियनों ने जुलाई महीने में श्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और वार्ता आरम्भ की। मैं चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रकाश डालने के लिए श्री मुखर्जी यहां उपस्थित होते।

विषय की ओर आते हुए, मैं केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि (I) मंत्री महोदय ने यहां कहा है कि···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा ---

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्री डागा यहां अपनी संसद चला रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : हम आपकी समस्या समझना चाहते हैं।

श्री सुनील मैत्रा : मंत्री महोदय ने कहा है कि अधीक्षक का मूल वेतन 920 रुपए होने पर उसे कुल 3421 रुपये वेतन मिलता है। सबसे पहले उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 46000 कर्मचारियों में से अधीक्षकों की संख्या 300 से कुछ ही अधिक है। उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम में वेतन की उच्चतम सीमा 2750 रुपए निर्धारित की गई है। इस तथ्य के बावजूद कि यदि एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी गणना के पश्चात् 2750 रुपए अधिक पाने का हकदार है तो उसे 2750 रुपए से अधिक नहीं मिलेंगे। यह उच्चतम सीमा भारतीय जीवन बीमा निगम में पहले से ही लागू है।

उपाध्यक्ष महोदय : आज के बाद आप उससे अधिक वेतन नहीं देंगे जितने का आपने उल्लेख किया है।

श्री सुनील मैत्रा : भारत सरकार का संयुक्त सचिव 3000 रुपए वेतन पाता है। मैं उनसे प्रस्ताव करता हूं कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव और भारतीय जीवन बीमा निगम के अधीक्षक को परस्पर स्थान परिवर्तित करने दीजिए। जीवन बीमा का अधीक्षक भारत सरकार का संयुक्त सचिव बनकर अत्यन्त प्रसन्न होगा। मैं प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। उन्हें स्वीकार करने दीजिए।

यह विधि सम्मत होने या न होने का प्रश्न नहीं है। परन्तु क्या यह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बदलना नैतिक दृष्टि से उचित था ? कानूनन जो कुछ उन्होंने किया है वे उसके हकदार थे। जनवरी 1981 में जीवन बीमा निगम संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। फरवरी, 1982 में यह विधेयक के रूप में आया। यह सेवा शर्तों, बोनस और महंगाई भत्ते से सम्बन्धित था। उस विधेयक पर हुई बहस के दौरान मुझ सहित हम सबने बार-बार एक मुद्दा स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सरकार स्वयं को अनधिकार से उन सभी शक्तियों को अपना रही है जिससे जीवन बीमा निगम के कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने जीवन बीमा निगम की स्वायत्ता के प्रत्येक तत्व को समाप्त कर दिया।

सरकार ने शक्तियां अर्जित की और बोनस तथा महंगाई भत्ते पर हमला किया। हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि सरकार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की उन शेष सेवा शर्तों पर भी हमला करेगी जो उनके लिए लाभप्रद हैं। हमने जब इन बातों का उल्लेख किया था तब तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री वेंकटरामन ने कतिपय मुद्दों इन शक्तियों को प्राप्त करने का आधार क्या था। नोट किया।

लोक सभा में प्रस्तुत किये गये व्याख्यात्मक टिप्पण में विशेषरूप से इस बात का उल्लेख था कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बोनस और महंगाई भत्ते से सम्बद्ध केवल सेवा शर्तों के सम्बन्ध में सरकार शक्ति अर्जित कर रही है और फिर वाद-विवाद के दौरान श्री वेंकट-रामन ने यह विचार व्यक्त किया था (यह विधेयक के पुरःस्थापन के समय की बात है) :

> "हम उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं जो अध्यादेश की विषय-वस्तु है; अर्थात महंगाई भत्ता और बोनस। मैं बोनस को अन्य सभी कर्मचारियों के समान स्तर तक ले आया हूं। मैं महंगाई भत्ते की दर को सर्वाधिक दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के स्तर तक अर्थात बैंक के स्तर तक ले आया हूं। मुझे आश्चर्य है कि मैंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ क्या अहित किया है···।"

विधेयक के पाठ में, जिसके माध्यम से उन्होंने शर्तों को बदलने की शक्ति प्राप्त की है, कहा गया है कि यह तो केवल महंगाई भत्ते और बोनस के सम्बन्ध में परिवर्तन लाने के लिए किया गया है।

तथापि, वाद-विवाद का उत्तर देते समय श्री वेंकटरामन ने यह विचार व्यक्त किया है :

> "···यह कहना कि सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिससे सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार छिन गया है तो यह तो जो कुछ हुआ है उससे हटकर बढ़ा चढ़ा कर बात करने जैसा है।"

सरकार ने महंगाई भत्ते की अधिकतम दर को और बोनस विधि के उन पर लागू करना अधिसूचित करने की शक्ति प्राप्त की है। अतः इससे यह अनुमान लगाना कि सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार वापिस ले लिया गया है और समस्त कर्मचारी-वर्ग पर प्रहार किया गया है, इसके विरुद्ध लड़ाई हो रही है, संघर्ष किया जा रहा है ऐसी भावना भड़काना है जो कि इन परिस्थितियों में अपेक्षित नहीं है।"

मैं अपनी इस एक बात को सही ठहराने के लिए पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ उद्धृत कर सकता हूं कि श्री वेंकटरामन ने सदन को सूचित किया था कि सरकार द्वारा इस प्रकार की व्यापक शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और बोनस की युक्तिसंगत व्यवस्था करना मात्र (उनके शब्दों में) था।

यहां तक कि जब भारत के महान्यायवादी ने भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले की पैरवी करते समय यही बात कही थी। भारत के महान्यायवादी ने भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत संघ की ओर से निम्नांकित बातें कहीं थीं :

"धारा 2 औद्योगिक विवाद अधिनियम का निरसन नहीं करती है। इसमें केवल यह निश्चित किया गया है कि एक विशिष्ट मामले में अर्थात 'बोनस' और महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति में बनाये गये नियम लागू होंगे।"

श्री वेंकटरामन द्वारा इस सदन में दिये गये इन सभी आश्वासनों, कि सरकार द्वारा अर्जित की गई शक्ति केवल बोनस और महंगाई भत्ते से सम्बद्ध मामलों पर ही लागू की जाएगी, का घोर उल्लंघन करते हुए वे ही शक्तियां जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में प्रयोग की गई है। अब यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे वर्तमान कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे और इसका प्रभाव केवल उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो फरवरी, 1983 में या बाद में सेवा में आते हैं, यदि आप आज एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटा कर 58 वर्ष तक करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं तो क्या आप उसी शक्ति का प्रयोग कर्मचारियों का वेतनमान कम करने और बाद में उनके भत्तों को कम करने में नहीं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन बातों का पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : उन्होंने पूर्वानुमान लगाना अनिवार्य बना दिया है। यह स्वयं श्री वेंकटरामन जी जैसे व्यक्ति द्वारा दिए गए इस आश्वासन का घोर उल्लंघन है, जिसमें इन शक्तियों के महंगाई भत्ते और बोनस के मामले में प्रयोग किए जाने के सिवाय और कहीं नहीं किया जायेगा क्योंकि शक्तियों का वास्तव में प्रयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुजारी आपको आश्वासन कैसे दे सकते हैं ?

श्री सुनील मैत्रा : क्या वेंकटरामन महोदय द्वारा दिए आश्वासनों को पूरा करना श्री पुजारी का काम है। सरकार एक सतत प्रक्रिया है। उन्हें सभी आश्वासनों को पूरा करना चाहिए। यदि प्रत्येक मन्त्री महोदय के बदलने से नीति भी बदल जाती है और उसके द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन का कोई मूल्य नहीं रहता है तो फिर तो यह सरकार अपने नाम को सार्थक नहीं करती है और इसे हट जाना चाहिए।

तीसरे, इस देश के श्रमिक संघों ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से शिकायत की थी और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार से पूछा था कि क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर प्रहार किया जा रहा है। भारत सरकार ने कुछ उत्तर भेजा था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तिम पत्र में निम्नांकित बात कही गई है। इस मामले की संख्या 1100 है। समिति का निष्कर्ष अर्थात अ० श्र० सं० का यह है—मैं उद्धृत करता हूं :

"समिति सरकार द्वारा दिये गये इस आरोप के उत्तर को नोट करती है कि यह सरकारी क्षेत्र में सामूहिक समझौतों को मनमाने ढंग से संशोधित करती है। विशेषकर उस तथ्य को कि जब विधायी संदर्भ में किए गए इस प्रकार के संशोधनों का उच्चतम न्यायालय ने समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में, समिति अतीत में व्यक्त कर चुकी है कि एक विधायी उपबन्ध जिसे इस उद्देश्य से लागू किया जा सकता है कि सामूहिक समझौतों में

निर्धारित उपबन्धों को चुनौती दी जा सके अथवा कर्मकारों को भावी सामूहिक करारों के विषय में अपनी इच्छानुसार ऐसी शर्तें मनवाने से रोका जा सके जो वे अपने मजदूर संघों के माध्यम से मनवाना चाहते हैं जिससे कर्मकारों के अधिकार का उल्लंघन होता हो। तदनुसार समिति सरकार का ध्यान इस सिद्धान्त की ओर इस आशय के साथ आकृष्ट करती है कि वह भविष्य में ऐसी कार्यवाही का सहारा नहीं लेगी।"

जहां तक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा 24 जनवरी, 1974 को किए गए उस समझौते का सम्बन्ध है जो कि सामूहिक करार का अन्तिम परिणाम था, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह टिप्पणी की थी। भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन करते हुए, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की आयु कम करने वाली नवीनतम अधिसूचना जारी की गई है।

और फिर, 28 जनवरी, 1983 को सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों की एक अखिल भारतीय हड़ताल होनी थी। 15 जनवरी, 1983 को वित्त मन्त्री महोदय ने सभी केन्द्रीय श्रमिक संघों को हड़ताल न करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बुलाया था और जहां तक श्रमिक संघों की मांगों का सम्बन्ध है वह कुछ मुख्य मुद्दों पर मान भी गये थे। उस विचार-विमर्श के दौरान केन्द्रीय श्रमिक संघों ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के प्रश्न को भी उठाया था। प्रश्न के उठाए जाने के बाद, वित्त मन्त्री महोदय ने निम्नांकित बात कही थी। मैं भारतीय श्रमिक संघों के केन्द्र (सीटू) द्वारा वित्त मन्त्री महोदय को लिखे गये पत्र से उद्धत कर रहा हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"जब हमने विभिन्न सम्बद्ध और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मामलों का उल्लेख किया तो आपने हमें सूचित किया कि विभिन्न कारणों से, मुख्यतया समयाभाव के कारण आप उस चर्चा पर आगे अनुवर्ती कार्यवाही न कर सके जो आपने 6 जुलाई, 1982 को आपने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से की थी। आपने हमें यह भी सूचित किया था कि आप मामले पर और आगे भी कार्यवाही करना चाहेंगे और यथाशीघ्र सुभीते अनुसार संघों को आगे बातचीत के लिए आमन्त्रित करेंगे।"

जब पुजारी महोदय, आमुक दिनांक की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि संसद भवन में वित्त मन्त्री महोदय के कमरे में 6 जुलाई, 1982 को वित्त मन्त्री महोदय और स्वयं हमारे बीच सही ढंग से बातचीत हुई थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी महोदय ने हमें बताया कि सरकार के कुछ अन्य काम में पहले से ही उलझे होने के कारण, आप कुछ देर इन्तजार कीजिए और फिर उन्होंने बताया कि वह चर्चा को जहाँ से छोड़ी है वहीं से फिर से शुरू करके बातचीत करेंगे। जब यह बात उठाई गई कि कर्मचारी बातचीत करने के इच्छुक हैं और जबकि स्वयं वित्त महोदय हमें बता चुके थे – मैं वहां उपस्थित था और प्रो० दण्डवते भी वहाँ पर थे—कि बातचीत होगी तो फिर वज्रपात हुआ।

सरकार ने तुरन्त सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 कर दिया ।

मैं आपसे और उप-वित्त मन्त्री महोदय से पूछ रहा हूं कि क्या यह उचित है ? क्या यह स्वयं वित्त मन्त्री महोदय द्वारा दिए गये उन आश्वासनों के अनुरूप है जो श्री वेंकटरामन महोदय द्वारा इस सदन में और श्री प्रणव मुखर्जी ने तब दिये जब हमने उनसे बातचीत की थी ?

अत: मेरा प्रश्न यह है कि वेंकटरामन महोदय द्वारा पहले ही दिये गये और फिर 6 जुलाई को श्री मुखर्जी द्वारा दिये गये इन आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार सेवा-निवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष कर देने के आदेश को वापिस लेगी और सभी श्रमिक संघों से बातचीत शुरू करेगी ?

मैं श्री पुजारी से निवेदन करता हूं कि वह फरवरी-मार्च, 1981 में इस सदन में होने वाले वाद-विवाद का अवलोकन करें । वाद-विवाद के दौरान, श्री वेंकटरामन ने मुझे निरन्तर यही बताया था कि "मैंने आपको भारतीय रिजर्व बैंक के महंगाई भत्ते के ढांचे को दिया है ।" मैंने लगातार श्री वेंकटरामन को चुनौती दी थी कि "आपको गलत समझाया गया है । जो कोई भी आपको समझाता हो वह सही नहीं समझाता है ।" अत: मैं फिर इस प्रश्न को उठा रहा हूं । आप बारम्बार कह रहे हैं कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को अधिक मिल रहा है । उन्हें किस पहलू से अधिक मिल रहा है ? क्या यह महंगाई भत्ते के रूप में है ? किस तरह से उन्हें अधिक मिल रहा है ? क्या यह सेवानिवृत्ति आयु के रूप में मिल रहा है ? क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनों को एक समान बनाना आपका उद्देश्य है, स्पष्ट कहिये ? यदि ऐसी बात है,तो श्री वेंकटरामन महोदय ने जो आश्वासन दिए थे उन पर हम विचार कर लेते हैं । क्या आप जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को रिजर्व बैंक ग्रेड ढांचा देने को तैयार हैं ? मैं जीवन बीमा निगम के 6,000 कर्मचारियों की ओर से आपको बता रहा हूं कि "हम इसे स्वीकार करने को तैयार हैं । क्या आप देंगे ?" यदा-कदा, यह कहने में कोई तुक नहीं है कि "आपको अधिक मिल रहा है, इसलिए हम इसे घटा रहे हैं । महंगाई भत्ता में आप अधिक ले रहे हैं, इसलिए हम इसे घटा रहे हैं ।" चिकित्सा सहायता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ते और मकान किराये भत्ते के बारे में क्या कहना है ? जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को 40/- रुपये की अधिकतम की शर्त पर मूल वेतन का 10% मकान किराया भत्ते के रूप में मिलता है । जीवन बीमा निगम के एक कर्मचारी को कितना नगर क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है ? 20/- रुपये । बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे नगर में यह 20/- रुपये है । यह निर्धारित किया हुआ है । उन्हे कितनी चिकित्सा सहायत मिलती है ? एक वर्ष के लिए 100 रु० । ठीक हैं । यदि आप वेतनों को समान बनाना चाहते हैं तो इसको भी इसके अनुरूप बनाइये । हमें रिजर्व बैंक के ग्रेड दीजिए । हम इसको स्वीकार करेंगे । मैंने जीवन बीमा उद्योग में 34 वर्षों तक कार्य किया है । जी० बी० नि० को सितम्बर 1956 में स्थापित किया गया था । मैं जी बी० नि० उद्योग में वर्ष, 1945 में आया था । 1945 से 1956 के दौरान मैंने 40-45 रु० तथा 50 रु० प्रति माह पर कार्य किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय :आपने जीवन बीमा निगम को कब छोड़ा था ?

श्री सुनील मैत्रा : मैंने इसको अक्तूबर 1979 में छोड़ा था और चुनाव लड़ा तथा सीधे एक क्लर्क की कुर्सी से मैंने एक सांसद का स्थान प्राप्त किया है और मुझे इस पर गर्व है ।

जीवन बीमा निगम को 1 सितम्बर, 1956 में स्थापित किया गया था । आपको यह मालूम होगा और जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं उनको भी यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने 118 डिग्री तथा 120 डिग्री के रिकार्ड तापमान में दुर्गापुर तथा आन्ध्र प्रदेश में भीषण गर्मी के दिनों में टिन के शेडों में कार्य किया है जहा कि शौचालय आदि की भी कोई व्यवस्थाएं नहीं थीं । इस तरीके से जीवन बीमा निगम आगे आया है और यह एक बड़ी संस्था जिस पर हम आज गर्व करते हैं और आज जिसके लिए आप नीतियाँ तैयार कर रहे हैं और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जा रहे हैं, कर्मचारियों को अनुशासित कर रहे हैं, कर्मचारियों का उपहास कर रहे हैं, तथा कर्मचारियों की निन्दा की जा रही है उनको गालियां दी जा रही हैं । कर्मचारियों की मिथ्या निन्दा की जा रही है और आप जनता की नजरों में कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए प्रत्येक उपाय का सहारा ले रहे हैं । अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको बन्द करें ।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या कृपा आप इस सिलसिले पर आगे बात करेंगे जिस पर 6 जुलाई, 1982 को श्री प्रणब मुखर्जी ने बातचीत बंद कर दी गई थी । तथा आप अपने संघ आई० एन० टी यू० सी० सहित सभी संघों से बातचीत करेंगे ताकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों का एक शांतिपूर्ण हल ढूंढ़ा जा सके तथा आपसी बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचा जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय इसको सीमित करना चाहते हैं, तो वह इसको इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष ने घटाकर 58 वर्ष करना से तक सीमित कर सकते हैं ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी को एक विस्तृत उत्तर दे दिया है । माननीय सदस्य श्री सुनील मैत्रा जो जीवन बीमा निगम के एक कर्मचारी थे वह कुछ भावुक हो गये थे.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्वाभाविक ही है ।

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैंने विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों तथा जीवन बीमा निगम के कार्य-निष्पादन की प्रशंसा सुनी है अर्थात मैं यह कह सकता हूं कि बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था के लिए वे भारत सरकार को श्रेय दे रहे हैं । मैंने इससे पूर्व विपक्षी दलों को सरकार के कार्य-निष्पादन की प्रशंसा करते नहीं देखा है ।

श्री सुनील मैत्रा : हमने इसको संरक्षण दिया है । आप जीवन बीमा निगम के संस्थापक

नहीं है। हमने इसका संरक्षण किया है और इसका विकास किया है। इस समय अब यह काफी प्रगति कर चुका है। (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं किसी भी संस्था का संस्थापक होने का दावा नहीं करता हूं। मेरा यही निवेदन है कि मुझ पर जो यह आरोप लगाया गया है मैं वित्तीय संस्थाओं का आकस्मिक तौर पर निरीक्षण करता हूं, यदि मैं उसका उत्तर नहीं देता हूं तो यह ठीक नहीं रहेगा। संसद के अन्दर तथा संसद के बाहर भी यह कहा गया है तथा समाचारपत्रों के 'सम्पादकीय में भी यह प्रकाशित हुआ है कि मैंने इस पद का कार्य भार संभालने के तुरन्त पश्चात् ही समाचारपत्रों की तथा वाद-विवाद कतरनों तथा सदन के प्रतिष्ठित सांसदों के भाषणों का अध्ययन किया है और जब मैंने यह देखा कि कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें की गई हैं। तो मैंने यह सोचा कि इन शिकायतों की सत्यता अथवा असत्यता का पता लगाना मेरा कर्त्तव्य है, इसलिए मैंने आकस्मिक दौरा किया। जैसा कि आपने सुना होगा सामान्तः यह शिकायत की जाती है कि मंत्री महोदय अपने विवेक के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, मंत्री कार्य नहीं करते हैं, मंत्री किन्ही अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सोचा कि आकस्मिक निरीक्षण करके तथा समाज के लोगों द्वारा की गई शिकायतों की सत्यता को सत्यापित करना मंत्री जी का कर्त्तव्य है, और मैंने यह सोचा कि यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसी कारण से मैंने आकस्मिक निरीक्षण किये। मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे। मैंने एक वक्तव्य रिकार्ड किया है, यह मेरा वक्तव्य नहीं है, यह उन लोगों का वक्तव्य है जो संस्था के कार्य भारी अधिकारी हैं। मेरे पास सभी विवरण मौजूद हैं। मैं यह जानता हूं कि मुझे चुनौती दी जायेगी। मुझे माननीय सदस्य श्री सुनील मैत्रा जी ने चुनौती दी। यह पूरी तरह से जानते हुए कि पर्याप्त प्रमाण प्राप्त करना मेरा कर्त्तव्य है, मैंने सभी पर्याप्त प्रमाण प्राप्त किए हैं, और यदि आवश्यकता हो तो मैं इनको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने को तैयार हूं—कि इन सार्वजनिक संस्थाओं में क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वित्तीय संस्थाओं में भीड़-भाड़ के समय कर्मचारी अपनी दोनों टांगों को मेज पर रख लेते हैं और धूम्रपान करते रहते हैं—एक अथवा दो मिनट के लिए नहीं...।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूं। यह बात सही नहीं है। जो बात सत्य नहीं है, उनको कहा जा रहा है। वह कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? यदि आप किसी बात से सहमत नहीं हैं तो अपने विचार को रख सकते हैं। इस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है। मैं किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति

नहीं दूंगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। जब आपकी बारी आये तब आप भी उनकी बात का उत्तर दे देना...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मंत्री द्वारा नियमों का किस प्रकार उल्लंघन किया गया है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह तर्क का एक मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को कोई भी हस्तक्षेप न करे। ये सभी बातें रिकार्ड में नहीं जायेंगी। आप कृपया उत्तर दें। आप श्री मैत्रा के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। केवल मंत्री जी का उत्तर ही रिकार्ड किया जायेगा ..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अवसर मिलने पर आप भी अपने विचार व्यक्त कर देना। आपका नाम भी वक्ताओं की सूची में है। यही कारण है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में यदि हम नियमों के अनुसार चलें...(व्यवधान) कृपया सुनिए। कृपया नियमों का पालन कीजिए।... (व्यवधान)

यदि आप कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो मैं चर्चा के लिए दूसरे विषय को लूंगा। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस विषय पर पहले ही 1½ घंटे का समय लिया जा चुका है। यदि आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने देंगे, तो मैं अलगे विषय को ले लूंगा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। आप कृपया उत्तर दीजिए। व्यवधानों को रिकार्ड न किया जाये। आप केवल उत्तर को ही रिकार्ड करें।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं उनके मुद्दे का ही उत्तर दे रहा हूं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील मैत्रा ने कुछ मुद्दे उठाये हैं और वह उत्तर दे रहे हैं और मुझे याद है कि श्री सुनील मैत्रा जी ने ही यह उल्लेख किया है कि मंत्री महोदय एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जा रहे हैं, और कुछ कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, जो कार्यवाही वृत्तान्त में है। मंत्री तथा सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वे श्री सुनील मैत्रा की बात का उत्तर दें। जब इसका उत्तर दिया जाता है और वह इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तब सदन की कार्यवाही कैसे चलाई जा सकती है ?...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री दत्त साहब क्या मैं आपको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में नियम को पढ़ कर सुनाऊ ? (**व्यवधान**) "इस प्रकार के वक्तव्य दिये जाने के समय किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की अनुमति नहीं है ।" यह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । प्रत्येक सदस्य को 3 मिनट का समय दिया जा सकता है । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं...(**व्यवधान**) मैंने उनसे उत्तर देने के लिए कहा है । मैं आपको किसी को भी अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं । मैं प्रो० रूप चन्द पाल तथा श्री अमल दत्त को अनुमति दूंगा...

(**व्यवधान**)

केवल आपका उत्तर ही रिकार्ड किया जायेगा । मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा किसी अन्य का वक्तव्य रिकार्ड न किया जाये ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त जी, मंत्री जी के द्वारा किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री अमल दत्त : महोदय मंत्री जी अपने पद का तथा इस सदन का दुर्पयोग कर रहे हैं । उन्होंने अपने अधीन एक विशेष सरकारी संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बारे में कुछ वक्तव्य दिया है जबकि उन्होंने कोई विशेष आरोप पत्र नहीं दिया है । यहाँ पर इस वक्तव्य को देकर वह उनके भविष्य के पदोन्नति के अवसरों को स्वाभाविक रूप में प्रभावित कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । उन्होंने अपने वक्तव्य में किसी विशेष व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया है और जब मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य दिया जाता है तो उस वक्तव्य के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार होता है । आप इसकी चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? बोलने की स्वतन्त्रता तो कायम रहनी ही चाहिए । यदि इस ओर से व्यक्त किये गये विचारों को आप सहन नहीं कर सकते है तो वे भी आप लोगों के द्वारा व्यक्त किये जाने वाले विचारों को कैसे सहन कर सकते हैं ? श्री दत्त साहब यह रिकार्ड किया जायेगा । आपको इसकी क्या चिन्ता है ? यदि माननीय सदस्य इस नियम का पालन करें कि उनमें से प्रत्येक सदस्य अपने प्रश्न को कहने के लिए केवल तीन मिनट का समय लेगा । श्री मैत्रा द्वारा कुछ मुद्दे उठाये गये हैं और सरकार को उनका उत्तर देता चाहिए । यदि मैत्रा जी यह उल्लेख न करते कि मंत्री जी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जा रहे हैं तब मंत्री जी के द्वारा भी इस पहलू को नहीं उठाया जाता । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के अतिरिक्त कुछ अन्य मुद्दे उठाये गये हैं, अतः सरकार को उनका उत्तर देना है और जब सरकार द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है तब आपको उसे सहन करना चाहिए । अब मंत्री जी उत्तर देंगे ।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ,

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि वित्तीय संस्थाओं के एक जिम्मेदार संघ के अध्यक्ष द्वारा मुझे चुनौती दी गई है और आज भी सदन में मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने आकस्मिक निरीक्षण किया है। और मैं एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय गया हूं और उन्होंने मुझे पर यह भी आरोप लगाया है कि मैंने कुछ बेहूदा आरोप लगाये हैं। यह आरोप मेरे विरुद्ध लगाया गया है।

क्या उसका उत्तर देना मेरा कर्त्तव्य नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस बारे में कह चुका हूं। यहाँ तक कि उस पक्ष को भी, यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उत्तर देने का अधिकार है। कृपया अपनी बात जारी रखिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने, कुछ वित्तीय संस्थानों में जो कुछ देखा, मैं उस बारे में बता चुका हूं। मैंने यह नहीं कहा कि सभी कर्मचारियों का निष्पादन वैसा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे प्रशासन से फिरौती ले रहे हैं। क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं कि वह इसे दूर करें ? अथवा हमें मात्र मौन दर्शक ही बने रहना है ? अतः उस सम्बन्ध में हमने कुछ उपाय किये हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रशासन का खर्च अर्थात व्यय अनुपात में कमी आई है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी लोकतांत्रिक संस्थान में, राजनैतिक नेता मात्र इन बातों पर नजर रखने के लिए ही होता है। आपने क्या किया है अथवा क्या नहीं किया उस बारे में यहां नहीं पूछा जा सकता। एक राजनतिक नेता के रूप में आपने जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभायी है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप सत्ता में आते हैं, तो आपको भी वैसा ही करना होगा।

मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जैसा कि मैंने बताया, यदि सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन कर रही थी तो उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से करना चाहिये था लेकिन उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं किया गया। इसकी कोई भी प्रतिशोधात्मक बात नहीं हैं। किसी वर्तमान कर्मचारी पर प्रभाव नहीं पड़ा है। केवल भविष्य में आने वाले नए कर्मचारियों पर असर होगा जैसा कि मैंने पहले बताया, केन्द्र द्वारा अब यह नीति अपनाई गई है। यह नीति पहले बनाई गई थी। वर्ष 1976 में, मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया था, लेकिन उससे पहले यह नीति 1962 में बनाई गई थी। हमने मन्त्रिमंडल के उस निर्णय को लागू किया है। हमने किसी को हानि नहीं पहुंचायी है। किसी वर्तमान कर्मचारी के लिए कठिनाई पैदा नहीं की गई है। मैं नहीं जानता कि कर्मचारियों द्वारा यह कार्यवाही करने का कारण क्या है। हम केवल इस विकृति को समाप्त करना चाहते हैं। हमने ऐसा ही किया है; यही कारण है कि हमने यह अधीनस्थ कानून बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, प्रो० रूप चन्द, केवल प्रश्न।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा;

वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है :

"सेवानिवृत्ति के मामले में सरकार की नीति सुस्पष्ट है ।

ठीक है, हमें इसका मूल्यांकन करने दीजिए । कम से कम एक जगह पर सरकार की नीति सुस्पष्ट है ।

फिर अन्त में, विवरण में कहा गया है :

"लम्बे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के कारण जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के संबंध में ऐसी ही कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो सका ।"

महोदय, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में मेरे सहयोगी श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री सुनील मैत्रा आदि बता चुके हैं । अतः मैं इस बारे में अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा ।

अन्त में वक्तव्य में कहा गया है :

"यह विसंगति दूर कर दी गई है और सरकार ने जीवन बीमा निगम के श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित करने वाले नियम अधिसूचित कर दिए हैं ।"

महोदय, यदि हम सरकार के प्रशासन के किसी भी क्षेत्र को देखें, तो उसमें विसंगति है । यदि हम मजदूरी के बारे में देखें, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई राष्ट्रीय वेतन नीति बनाई है ? नहीं । आपको शायद याद होगा कि कुछ माह पूर्व बंगलौर में, सरकारी कर्मचारी अन्य सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ समानता किए जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे । काफी समय तक, लाखों कर्मचारी आंदोलन करते रहे । सरकार ने उनके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया । सरकार की कोई राष्ट्रीय वेतन नीति नहीं है । अब वह कहते हैं :

"यहां विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया है"

क्या मैं उनसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या यह भी उसी सरकार से सम्बन्धित नहीं हैं जो सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी से चलती है और उसी मंत्रिमंडल में क्या श्री आर० वेंकटरमन नाम के मंत्री नहीं है ? क्या यह सच नहीं है ? क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं कि वर्तमान रक्षा मंत्री, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने इस सदन में आश्वासन दिया था ? एक माननीय मन्त्री आश्वासन दे रहा है और दूसरा मंत्री उससे इन्कार कर रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय टिप्पणी कर रहे हैं और अगली सुबह मन्त्री महोदय इन्कार कर रहे हैं । यह बहुत गम्भीर प्रश्न है । सरकार की विश्वसनीयता पर सन्देह किया गया है । जब आप सत्ता में थे तो आपने आश्वासन दिया था । फिर सरकार ने, वे शक्तियां प्राप्त करने के बाद, विशिष्ट रूप से केवल मंहगाई भत्ते और बोनस के अतिरिक्त और कोई सीमांकन दर अधिसूचित नहीं की । उस समय यह महत्वपूर्ण शक्ति केवल इस उद्देश्य के लिए ही प्राप्त की गई थी । मान लीजिए, एक व्यक्ति

को अपने किसी सम्बन्धी के दाह संस्कार में उपस्थित होने की छुट्टी दी है और यदि वह उस अवसर का उपयोग अन्य व्यक्ति को मारने में करता है तो क्या आप इसे नैतिक कहेंगे ? क्या आप इसे उचित और वैध कहेंगे ? यहाँ सरकार उन शक्तियों का प्रयोग कर्मचारियों के विरुद्ध कर रही है। क्या इसमें कुछ विश्वसनीयता है ? क्या वे आप पर विश्वास करेंगे, विशेषकर इस वातावरण में ? उनकी दीर्घकालिक मांगे हैं।

कुछ ही दिन पहले, माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि वे उन मांगों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उनके साथ बैठकर कर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप पूरे वातावरण और मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रदूषित कर रहे हैं तथा जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के सम्बन्ध में औद्योगिक सम्बन्धों को बिगाड़ रहे हैं। इन मांगों पर उनके साथ चर्चा की जा सकती थी और सरकार उन्हें उनकी कठिनाई बता सकती है तथा सेवानिवृत्ति की आयु के सम्बन्ध में किसी तरह का मतैक्य ला सकती है। लेकिन अब मैत्रीपूर्ण वातावरण में व्यवधान हो गया है। आपको जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मत लेने चाहिए थे। वे निगम की असीम सेवा कर रहे हैं। उनके सहयोग से आज निगम ने इतना विकास किया है। लेकिन इस सदन में आप उनकी निन्दा कर रहे हैं। क्या यह श्रम-समर्थक नीति है ? आप श्रमिक वर्ग को बन्धुआ बनाने के लिए एक के बाद एक श्रम-कानून में संशोधन कर रहे हैं। सरकार की सारी कार्य प्रणाली आज पूर्णत श्रमिकों को अपने नियंत्रण में करने की है। आल इण्डिया रेडियो के कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उनके विरूद्ध 'आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम' लागू किया है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के मामले में, जो अपनी कुछ मांगे पूरी करवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पर ध्यान देने की बजाय, आपने आवश्यक सेवाएं बनाये रखना अधिनियम लागू किया है। अत: आप की कार्यक्षमता पर हमें संदेह है। अतः मेरा निवेदन है : क्या सरकार अपने निर्णय पर पुर्नविचार करेगी और आदेश को रद्द करेगी और जब तक जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत नहीं हो जाती तब तक इसे स्थगित रखेगी ? यह मेरा विशिष्ट प्रश्न है।

श्री जनार्दन पुजारी : अपने पहले दिए गए उत्तर में मैंने बताया है कि प्रबन्धकों के साथ चर्चा की गई थी और प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच भी बातचीत हुई थी। केवल इतना ही नहीं। यहाँ तक कि श्री सुनील मैत्रा ने माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी के तर्क का खण्डन करते हुए कहा कि उनकी वित्त मन्त्री के साथ भी चर्चा हुई थी। अत: मुद्दा बिलकुल स्पष्ट है कि चर्चा की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से चर्चा पूरी नहीं हुई थी, श्री सुनील मैत्रा आपने यही कहा था।

श्री सुनील मैत्रा : उस समय चर्चा केवल आरम्भ ही हुई थी।

श्री जनार्दन पुजारी : चर्चा 1978 में आरंभ हुई थी ।

श्री सुनील मैत्रा : लेकिन आप जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ कोई सौहार्द-पूर्ण समझौता करने में असफल रहे । तब हमने वित्त मन्त्री, श्री प्रणव मुखर्जी से मिले । उन्होंने वार्ता आरम्भ की, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पूर्व-व्यस्तता के कारण वे चर्चा जारी नहीं रख सकते । उन्होंने कहा, कुछ महीनों बाद वे बुलायेंगे और बातचीत आरम्भ करेंगे । इस अवस्था में मामला स्थगित हो गया ।

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार द्वारा यह उपाय किया गया है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस बात के लिए सम्बन्धित मन्त्री का अनुमोदन प्राप्त है । यह भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही है ।

यह चर्चा 1978 में शुरू हुई थी और तभी से यह जारी है मैंने तिथियां भी दी हैं । यह 1980 तक चली और इसके बाद 1983 में हमने यह उपाय प्रस्तुत किया । इससे पहले हमने महंगाई भत्ते तथा बोनस अधिकतम सीमा से सम्बन्धित उपाय प्रस्तुत किया था । उस पर भी चर्चा की गयी । जिस प्रसंग में वित्त मन्त्री ने वक्तव्य दिया था मैंने उस पर पूरे वाद-विवाद को नहीं पढ़ा । मुझे नहीं मालूम कि उच्चतम न्यायालय में किस संदर्भ में क्या तर्क पेश किये गये थे ।

मुद्दा यह है कि यह उपाय प्रशासनिक व्यय पर नियन्त्रण करने के लिए किया गया है । विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रशासनिक लागत 15% तक कम जानी चाहिए, आज यह 24% है । यह प्रशासनिक व्यय पर नियन्त्रण करने के लिए किया गया एक उपाय है । अब हमने यह उपाय किया है और अब इसके पीछे कोई वादविवाद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री सुनील मैत्रा : जो कुछ उन्होंने कहा है वह वास्तविकता नहीं है ।

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री ने वक्तव्य दिया है जिसको उन्होंने यह कह कर शुरू किया है कि यह सरकार की नीति है कि सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए । सेवानिवृत्ति की आयु नीति सम्बन्धी मामला कैसे हो सकता है ? पहले आप अपनी नीति के बारे में निर्णय करते हैं और निर्धारण करते हैं और उस नीति के आधार पर आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं । परन्तु मन्त्री इस बात को समझ नहीं पाये कि नीति क्या है और उस नीति का निष्कर्ष क्या है ।

फिर भी, इस मामले में सरकार की भी कोई समान नीति नहीं है । अंग्रेजों के समय में सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष थी और अब यह 58 वर्ष कर दी गयी है । अंग्रेजों को भी व्यक्ति की कार्यकुशलता के बारे में ज्ञान था और उन्होंने 55 वर्ष की आयु को उचित आयु माना था । भारत सरकार निश्चित रूप से भिन्न मत की थी और उन्होंने इसको 58 वर्ष तक बढ़ा दिया । यह इसलिए कि क्योंकि भारत तथा अन्य देशों में भी आयु बढ़ गयी है । वास्तव के दूसरे देशों में यह और अधिक बढ़ गयी है और इसीलिए पाश्चात्य देशों में पुरुषों की सेवानिवृत्ति की आयु 65

वर्ष है स्त्रियों के लिए यह कुछ कम है। यह ऐच्छिक है और वे 63-64 वर्ष की अवस्था में सेवा-निवृत्ति का पूरा लाभ उठा सकती है। मुख्य तर्क यह है कि किस हद तक और कब तक कोई व्यक्ति कुशलतापूर्वक काम कर सकता है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सेवानिवृत्ति की यह आयु विशेष अर्थात 58 वर्ष स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद 1950 के दशक के प्रारम्भ में निर्धारित की गयी थी। परन्तु तब से 30 वर्ष बीत गए हैं और काफी परिवर्तन आ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये सम्बन्धित वेतन आयोग सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में स्वयं निश्चय करते हैं यह भी उनके समक्ष प्रश्नों में से एक प्रश्न है।

श्री अमल दत्त : सरकार की इस सम्बन्ध में कोई समान नीति नहीं हैं। अतः मन्त्री को सरकार की नीति का कोई प्रश्न नहीं लाना चाहिए था।

मंत्री ने स्वयं अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद से अधिकारियों के सम्बन्ध में एक ही सेवानिवृत्ति की आयु लागू की जा रही है। परन्तु तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले सेवानिवृत्ति की भिन्न आयु लागू की जा रही है।

यह भी एक स्वीकृत वास्तविकता है कि संघ तथा जीवन बीमा निगम प्राधिकारियों के बीच हुए समझौते के द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गयी थी अब इसको एक पक्षीय निर्णय से 58 वर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वित्त मन्त्री के साथ जो इस सम्बन्ध में सर्वोच्च प्राधिकारी है इस सम्बन्ध में चर्चा जारी थी मुझे खेद है कि इस बात के बावजूद भी वित्त मन्त्री के साथ चर्चा चल रही थी और किसी कारण वश इसको स्थगित कर दिया गया था सरकार ने यह एकपक्षीय कार्यवाही की है उन्होंने इस संगठन के लिए जिसके कर्मचारियों की संख्या—जैसा साथी मैत्रा ने कहा—46,000 है, यह कार्यवाही करना उचित समझा।

अब महोदय, श्री पुजारी ने एक बात यह कही है कि इससे उन कर्मचारियों के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं जो अब वहां पर कार्य कर रहे हैं। और जो कोई भी आयेगा वह आंखें खोल कर ही आयेगा। महोदय यह बात भारत के सम्बन्ध में संगत नहीं है जहां पर केवल एक ही जीवन बीमा निगम है। यहां अमेरिका की तरह नहीं है जहां पर 25 जीवन बीमा निगम हैं और जो लोग इन संस्थाओं की सेवाओं में सेवानिवृत्ति की भिन्न आयु के साथ आंखें खोलकर आयेंगे। भारत में ऐसा कोई चयन नहीं है। आपको जीवन बीमा पर एकाधिकार प्राप्त है। एक बार किसी अवसर के मिल जाने पर लोगों को उसके लिए भागना पड़ता है। अतः आपको इसे उस अर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में देखना है जहां पर वास्तव में ही कोई चयन नहीं है। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं उससे उन श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा जो आज इसकी सेवा में आ रहे हैं और जो पहले ही चुने जा चुके हैं और जिन्होंने चयन के लिए परीक्षा पास की हो और जो प्रतीक्षा कर रहे हों और जिनको इसलिए नहीं बुलाया जा सका हो क्योंकि कोई पद रिक्त नहीं था। उन श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा है।

दूसरे में, आपने कहा है कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं परन्तु, महोदय, आप हर क्षेत्र में पक्षपात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप जजों की सेवानिवृत्ति की आयु ले लीजिए। क्योंकि मैं एक वकील हूं इसलिए इस बात को ला रहा हूं। जजों के मामले में उच्चतम न्यायालय का जज 65 वर्ष की आयु तक काम करता है। उच्च न्यायालय का जज 62 वर्ष की आयु तक; जिला उच्च न्यायालय का जज 58 वर्ष तक। इसका निर्धारण किसने किया ? महोदय, वेतन आयोग ने इसका निर्धारण किया या न्यायिक विभाग ने ? क्या कार्यकुशलता जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में भिन्न-भिन्न होती है। और यदि कार्यकुशलता में भिन्नता नहीं होती तो इस अन्तर की आवश्यकता ही क्या थी ? महोदय कार्यकुशलता में इस प्रकार का अन्तर नहीं हो सकता। अतः कोई नीति नहीं है। आपने कुछ मनमानी बातें की हैं और अब आप कह रहे हैं कि जिन संस्थाओं में सेवानिवृति की आयु उन मनमाने निर्णयों के अनुरूप नहीं है वहां पर विसंगति है। यह एक विसंगति नहीं है। विसंगति तो आपने स्वयं पैदा की है अतः मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं कि क्या वे इस अधिसूचना को रद्द करेंगे और उस चर्चा को पुनः शुरू करेंगे जो वित्त मन्त्री के तत्वाधान में चल रही थी ताकि एक इतनी बड़ी वित्तीय संस्था के साथ लाखों लोगों का साझा सम्बन्धित है, एक मैत्रीपूर्ण समझौता किया जा सके। ये श्रमिक अजनबी नहीं हैं और सरकार से पृथक नहीं है। क्या ऐसा करके सरकार श्रमिकों में तथा उनके माध्यम से जनता में अपनी विश्वसनीयता नहीं खो बैठेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय इस देश के लोगों के हित में जिसमें पालिसी धारक तथा कर्मचारी दोनों के हित में हैं, सरकार ने यह निर्णय लिया है। महोदय, मैंने विस्तार में उत्तर दिया।

मेरे माननीय मित्र वकील हैं मैं भी वकील था और मुझे माननीय सदस्य के तर्कों का खण्डन करना आता है। और यदि कोई गूढार्थ है तो मुझे दूसरों को इंगित करना भी आता है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यदि वे उत्तर को समझने से इन्कार करते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता और यदि उनका सभा के सामने स्वयं को प्रस्तुत करने का यह तरीका है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सौभाग्य से दोनों ही वकील हैं अतः गूढार्थ उनसे बहुत ही सामान्य है।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : 1947 में जब हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की थी तब से सरकार इसी नीति की घोषणा करती रही है कि मजदूरों से सम्बन्धित विवादों को वार्ताओं के द्वारा ही सुलझाया जायेगा। परन्तु अब इस वर्तमान मामले से ही हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की आयु एक पक्षीय घोषित की है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, क्या वह रेलवे बजट पर बोल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर। श्री गिरि इस पर अन्तिम वक्ता हैं। मैंने उनको विशेष रूप से अनुमति दी है। श्री गिरि सीधा प्रश्न पूछिए।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्यों ने कंकरीट तथा सीमेंट की बहुत अच्छी नींव रखी है। और आप सब एक ही पार्टी के हैं।

श्री सुधीर गिरि : इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विभिन्न श्रमिकों के साथ बैठकर बात करके वार्ताओं के द्वारा समझौता करने के लिए तैयार हैं। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है और मैं इसका विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री जनार्दन पुजारी जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है यह तय है, और इसमें चर्चा के लिए कुछ नहीं है।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले उठाये जायेंगे। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

(एक) राजस्थान में लिग्नाइट निक्षेपों का उपयोग

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान, विशेष रूप से कापुर्डी (बाड़मेर जिला) तथा मेर्ता रोड़ (नागौर जिला) में लिग्नाइट के विपुल भंडार हैं। राजस्थान सरकार ने अपने खान और भूविज्ञान निदेशालय के माध्यम से इन दोनों चुने गये खंडों में लिग्नाइट निक्षेपों की प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है।

इस समय तक प्राप्त हुए परिणाम बड़े उत्साहवर्धक हैं और यह आशा है कि मेर्ता में 9 वर्ग किलोमीटर तथा कापुर्डी में 6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खनिज गवेषणा निगम द्वारा विस्तृत जांच पूरी कर ली जाएगी। यह अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में इन जाँचों के परिणामस्वरूप लगभग 300 से 350 लाख टन के भंडार मिलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध लिग्नाइट की किस्म नेवेली में उपलब्ध लिग्नाइट जैसी ही है। पहले कापुर्डी क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए क्योंकि यह बताया गया है कि इसमें अधिक लिग्नाइट उपलब्ध होने की आशा है।

केन्द्रीय खनिज गवेषणा निगम से अनुरोध है कि वे विस्तृत जांच का कार्य आरम्भ करें और भारत सरकार के कोयला विभाग से अनुरोध है कि वह खनिज गवेषणा निगम को इस उद्देश्य के लिये धनराशि दे।

चूंकि लिग्नाइट का प्रयोग प्रमुख रूप से बिजली उत्पादन के लिए होगा, आर्थिक एवं ऊर्जा विभाग से अनुरोध है कि वे न केवल गवेषणा के लिये बल्कि इस क्षेत्र में तापीय संयन्त्र स्थापित करने के लिये किसी उपयुक्त विदेशी संस्था से दीर्घ-कालीन सहयोग कार्यक्रम पर विचार करें।

राजस्थान की मरुभूमि में लिग्नाइट संसाधनों के दोहन से राज्य के अन्ततः विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

(दो) शिक्षा संस्थानों में, विशेषरूप से तमिलनाडु में, प्रवेश हेतु छात्रों के चयन में व्याप्त कदाचार

डा० वी० कुलनदेई वेलु (चिदम्बरम्) : मैं शिक्षा संस्थानों में, विशेष रूप से तमिलनाडु के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के मामले में गरीब एवं असहाय लोगों की गम्भीर समस्या की ओर केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गरीब छात्र, जिनका कहीं कोई प्रभाव नहीं होता, पूर्व वृत्त एवं शैक्षिक जीवन अच्छा होने पर भी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। उन्हें प्रवेश से इसलिए वंचित रहना पड़ता है क्योंकि कुप्रशासन के कारण गड़बड़ी की जाती है। अपवादस्वरूप कुछ समर्पित सहयोगियों को छोड़कर, निजी संस्थानों में इस स्थिति से सामान्य तौर पर लाभ उठाया जा रहा है। चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, कृषि, पोलिटेकनिक तथा औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि जैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में चुनाव और परिणामों के प्रकाशन में भी इसी कारण से अनावश्यक विलम्ब किया जाता है और निर्दोष जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। संस्थान उन अभिलेखों के बारे में, जिससे चुने गये उम्मीदवारों की पात्रता का पता चलता है, गोपनीयता का दावा कर सकते हैं किन्तु तथ्य तो यह है कि शोषण और गड़बड़ियां निरन्तर जारी हैं।

जब तक समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक गरीब एवं असहाय लोगों को न्याय नहीं मिल सकेगा। अतः मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बुराई का जोरदार ढंग से उन्मूलन किया जाए।

(डा० राजेन्द्र कुमार वाजपेयी पीठासीन हुए)

(तीन) कर्नाटक के बीदर जिले में लघु उद्योगों की आवश्यकता

श्री नरसिंह सूर्यवंशी** (बीदार) : केन्द्रीय योजना आयोग ने बीदर जिले को बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया है। यहां पर उद्योगों का अभाव है इसके साथ ही यह शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। बीदर जिला उद्योग विहीन क्षेत्र है। दुर्भाग्य से बीदर सूखा प्रवण क्षेत्र भी है। वहां की जनता बेरोजगारी तथा केन्द्र की उपेक्षा के कारण टूट रही हैं। केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र को दिल खोलकर आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि शुष्क क्षेत्र के अनुकूल

**कन्नड़ में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वहाँ लघु उद्योगों की स्थापना की जा सके क्योंकि राज्य सरकार संसाधन जुटाने में असमर्थ है। खादी एवं ग्रामीण आयोग को भी निदेश दिये जाएं कि वे स्थानीय जनता को स्व-नियोजन के लिए प्रोत्साहित करे। स्थानीय जनता को शुष्क क्षेत्र में कृषि करने की तकनीकों के बारे में शिक्षित करना होगा। यहाँ पर सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों को लागू करना होगा। लघु उद्योगों के विकास आयुक्त तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग आयोग के विकास आयुक्त को निदेश दिया जाए कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए ताकि उपयुक्त एकक स्थापित किए जा सकें। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को यहां औद्योगिक विकास के लिए एक अथवा दो तालुक अपनाने के लिए निदेश दिए जाएं। इस प्रकार अर्द्ध शहरी और शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना की जाए और इस जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी इकाईयाँ स्थापित की जायें जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। केन्द्र सरकार को इस जिले को नष्ट होने से पहले ही शीघ्र बचाने का प्रयास करना चाहिए।

(चार) हथकरघा बुनकरों की समस्याएं

श्री हृषिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, हथकरघा उद्योग से सम्बन्धित करोड़ों बुनकरों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है और सरकार की उदासीनता के कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। सूत और केमिकल्स की कीमतें आसमान छू रही हैं जिससे बुनकरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण सूत और केमिकल्स की मूल्य वृद्धि पर सरकार अपना नियन्त्रण खो चुकी है। वर्तमान स्थिति सम्पूर्ण हथकरघा उद्योग के विकास पर विनाशकारी प्रभाव डाल रही है। कम दाम पर बुनकरों को सूत प्रदान करने के लिए अत्यन्त कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में सूत का उत्पादन बढ़ाया जाना अत्यन्त अनिवार्य है। अन्यथा बुनकरों को सस्ते दाम पर सूत उपलब्ध कराना असम्भव हो जाएगा। साथ ही सरकारी क्षेत्र की दूकानों से सूत और केमिकल्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाना चाहिए और बुनकरों को अपना कार्य चलाने हेतु आसान शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध कराना चाहिए। इस समय उ० प्र० के कुछ स्थानों पर बुनकरों से ऋण वसूली हेतु जो बल प्रयोग किया जा रहा है, उसे बैंकों को निर्देश देकर रोका जाना चाहिए।

(पाँच) बिहार राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत हेतु बिहार राज्य को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री राम स्वरूप राम (गया) : आवागमन के दृष्टिकोण से बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां की आबादी 7 करोड़ के लगभग है। यों तो देश के खनिज स्रोतों में से बिहार तीन हिस्सा अकेले राष्ट्र को देता है और बराबर केन्द्र से इसे उतनी सहायता नहीं मिलती है, जितनी मिलनी चाहिए। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लम्बाई 2100 किलोमीटर है

और यही उच्च पथ ही आवागमन का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण साधन है, पर राशि के अभाव में 2100 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ की मरम्मत और निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में सिर्फ 80 लाख रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है। जबकि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-2 के मजबूतीकरण पर ही कुछ वर्षों के लिए 7-8 करोड़ रुपये व्यय होना अति आवश्यक है। तत्काल बिहार के राष्ट्रीय उच्च पदों पर ख्याल नहीं किया गया और पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो इसका चौतरफा प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी।

वर्णित हिन्दुओं की गम्भीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया जाये कि जल्दी ही राज्य सरकार से विचार-विमर्श कर इस समस्या का समाधान करें।

(छः) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक को वर्तमान सत्र में पुनः पुरःस्थापित करने तथा पास करने की आवश्यकता

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन त्रिवेन्द्रम में प्रस्ताव सं० 6 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संशोधन की मांग की गई। प्रधान मन्त्री ने 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली में संशोधन की घोषणा की, अनेक बार कृषि मन्त्री लोक सभा, राज्य सभा और समितियों और अन्य स्थानों पर वक्तव्य दे चुके हैं। करोड़ों किसान और अनेक संसद सदस्य मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने 30 अप्रैल, 1982 को एक संशोधन लोक सभा में पुरःस्थापित किया। मैंने और अनेक संसद सदस्यों ने उसे अपूर्ण बताया। मैंने, कृषि मन्त्री और प्रधान मन्त्री से उसे पास न कराने की प्रार्थना की। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने उसे वापिस लेने और इस बजट-सत्र में दूसरा पूर्ण विधेयक पुरःस्थापित करने की घोषणा की है।

भारत सरकार से प्रार्थना है कि अभी उसे पुरःस्थापित करने की घोषणा की है, पास करने की नहीं, उसे इसी सत्र में पास किया जाये। दूसरी प्रार्थना यह है कि कृषक समाज के प्रस्ताव, प्रधान मन्त्री की घोषणा, कृषि मन्त्री के वक्तव्यों और संसद सदस्यों तथा किसानों की मांगों को दृष्टि में रखते हुए उसमें कमी न रहने दी जाये। जैसे :

1. उत्तर प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 व 6 की अधिसूचना और घोषणा में तीन वर्ष के प्रतिबन्ध की अवहेलना करके आवास विकास परिषद् के मकानों की भूमि ले रही है, न ले सकें। कोई सरकार अपने किसी अधिनियम द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 व 6 की अवहेलना करके भूमि न ले सके।

2. भूमि पर जब कब्जा हो तब से एक वर्ष से अधिक के समय का बाजार भाव न माना जाये।

3. बाजार भाव तय करते समय भूमि बिक्री के सबसे अधिक के भाव का भी ध्यान रखा जाये।

सरकार से प्रार्थना है कि इन मांगों को ध्यान में रखते हुए ही संशोधन का विधेयक पुरःस्थापित और पास करे ।

(सात) समुद्र तटों पर मछुआरों की सुरक्षा के उपाय

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : पश्चिमी घाट के साथ-साथ विशेषकर उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात में रहने वाले हजारों मछुआरों को नवम्बर में आये समुद्री तूफान का कोपभाजन होना पड़ा । सम्पत्ति एवं उपकरणों को हुए नुकसान के अतिरिक्त एक सौ से भी अधिक मछुआरों को समुद्र में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े । अनेक मछुआरे समुद्री तूफान में घिर गये थे और पर्याप्त चेतावनी के अभाव में उनमें से अनेक मछुआरे मारे गये । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में बसई और पालघर में 19 मछुआरों को उनकी नौका "वैभर" के गायब हो जाने से अपनी जान गंवानी पड़ी और पालघर में डांडी में 5 मछुआरों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी । हमारे पश्चिमी तथा पूर्वी घाट पर करोड़ों मछुआरे रह रहे हैं जिन्हें तट पर अथवा दूर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है और जो इस प्रकार के समुद्री तूफानों का शिकार होते रहते हैं । पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में उड़ीसा, आन्ध्र, तमिलनाडु तथा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे विशेष रूप से हर वर्ष आने वाले समुद्री तूफानों का शिकार बनते रहते हैं । तकनीकी विकास से यह सम्भव हो गया है कि मौसम सम्बन्धी जानकारी एकत्रित कर उसका प्रसार किया जाये । अतः सरकार को निम्नलिखित के सम्बन्ध में पर्याप्त कदम उठाने चाहिएं :

(1) एक चेतावनी पद्धति की शीघ्र ही स्थापना की जाए ।

(2) इस सूचना का बेतार पद्धति के जरिये प्रसार किया जाए;

(3) सभी मोटर-चालित नौकाओं के लिए, जो समुद्र में दूर तक जाती है, बेतार के सेट लगाना अनिवार्य कर दिया जाए और ऐसी नौकाओं में ऐसे सेट लगाने की व्यवस्था की जाए ।

(4) एक ऐसे विशेष अनुभाग की स्थापना की जाए जो आपातकाल में तटीय गार्ड, सीमा शुल्क पेट्रोल नौकाओं एवं नौ सेना की सेवाएं प्राप्त कर समुद्र में गई नौकाओं को चेतावनी देने और उन्हें बचाने की व्यवस्था करे; और

(5) मछली पकड़ने वाले समुदायों में मछुआरों के लिए समूह बीमा की व्यवस्था करने के लिए विशेष बीमा योजना लागू की जाए ।

मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कदम उठाएगी ।

(आठ) जे० के० सिन्थेटिक्स, कोटा (राजस्थान) के मजदूरों की छटनी से उत्पन्न स्थिति

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, राजस्थान में कोटा स्थित जे० के० सिन्थेटिक्स ने लगभग तीन हजार मजदूरों की छटनी करके नौकरी से निकाल दिया है,

जिनमें अनेक श्रमिकों का अवधि काल 20 वर्ष तक का है। इस विशाल स्तर पर छटनी का कार्य जनवरी के दूसरे सप्ताह व फरवरी के प्रथम सप्ताह के बीच किया गया है। इस छटनी के कारण बेरोजगार हुए तीन हजार श्रमिकों पर आश्रित बीस हजार व्यक्तियों के समक्ष दो समय रोटी खाने तक की समस्या पैदा हो गई है। मालिकों ने इस छटनी का कारण कारखाने में नुकसान होना बताया है, जो नितान्त असत्य है, जबकि गत समय में उक्त कारखाने ने करोड़ों रुपए का लाभ कमाया है। उक्त कारखाने के मालिकों ने इस छटनी के पूर्व राज्य सरकार से भी पूर्व अनुमति नहीं ली जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (एन) में लेना आवश्यक था और इस प्रकार मालिकों ने धारा 25 (क्यू) के अधीन अपराध किया है। परन्तु दुःख है कि सरकार ने मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रतिशत मजदूरों को ले आफ के नाम पर बिजली कटौती की आड़ में कारखाने से बाहर खदेड़ दिया और इसी मध्य इतने विशाल स्तर पर मजदूरों की छटनी कर दी। इस छटनी के कारण केवल श्रमिकों में ही नहीं अपितु समूचे क्षेत्र के अन्दर असुरक्षा पैदा हो गई है। राज्य सरकार अभी तक मौन है। ऐसी स्थिति में श्रम न्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य देकर सरकार की स्थिति को स्पष्ट करें।

———

रेल बजट, 1983-84 -- सामान्य चर्चा—जारी

सभापति महोदय : अब हम रेल बजट पर आम बहस आरम्भ करेंगे।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे देश के विकास के लिए तथा ऊर्जा की बचत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऊर्जा प्रयोग के मामले में रेलवे रोड़ परिवहन की उपेक्षा पांच अथवा छः गुणा कम ऊर्जा का प्रयोग करता है। यदि हम देश को आर्थिक अराजकता से बचाना चाहते हैं, हमें रेलवे की दशा की ओर शीघ्र ही ध्यान देना होगा। पिछले 25 वर्षों में क्या किया गया है ? रेलवे को उसका देय नहीं दिया गया है। मैं श्री सरीन की अध्यक्षता में बनी रेल सुधार समिति द्वारा दिये गये आंकड़ों का ही उल्लेख कर रहा हूं। पहली पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे के लिए राष्ट्रीय योजना के कुल परिव्यय का केवल 11.23 प्रतिशत ही रखा गया था जबकि यह परिवहन क्षेत्र के कुल परिव्यय का 46.77 प्रतिशत था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस आवंटन को बढ़ाकर राष्ट्रीय योजना के कुल परिव्यय का 18.68 प्रतिशत कर दिया गया तथा यह परिवहन क्षेत्र का 66.91 प्रतिशत था। किन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थिति बड़ी दुःखद हो गई क्योंकि परिव्यय की प्रतिशतता में निरन्तर गिरावट आती जा रही है। तीसरी योजना में इसे कम करके राष्ट्रीय योजना के कुल परिव्यय का 11.86 प्रतिशत कर दिया गया। चौथी योजना में यह कम होकर 6.6 प्रतिशत रह गया। पांचवी योजना में इसमें और गिरावट आई और इसे 5.6 प्रतिशत कर दिया गया। यह दुर्भाग्य

और दुःख की बात है कि छठी योजना में कुल परिव्यय का केवल 5.23 प्रतिशत ही रखा गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि रेलवे वित्त की ओर कितना ध्यान दिया गया है। योजना आयोग ने इसके साथ न्याय नहीं किया है। परिवहन क्षेत्र में एक मद के नाते रेलवे का परिव्यय केवल 32.59 प्रतिशत है जबकि दूसरी योजना में यह 66.91 प्रतिशत का तथा तीसरी योजना में 59.89 प्रतिशत तक था। जब तक रेल वित्त की स्थिति में सुधार करने के लिए शीघ्र ही कुछ नहीं किया जाता और छठी योजना की पुन-र्समीक्षा के परिणामस्वरूप और अधिक आवंटन नहीं किया जाता रेलवे की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण ही रहेगी।

रेलवे भारतीय अर्थ-व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वह राष्ट्र के आवागमन की स्थिति सुनिश्चित कर रहे हैं। उसकी वे उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलवे को उसका देय देने के लिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री से अपील करता हूं कि रेल मन्त्री को योजना आयोग का सदस्य बनाया जाए ताकि योजना आयोग द्वारा रेलवे वित्त की इस प्रकार उपेक्षा न की जा सके।

रेलवे अभिसमय समिति के बाद दो सदस्य मन्त्रालयों से है अर्थात् वित्त मन्त्री तथा रेल मन्त्री हैं। मैं यह सुझाव देता हूं कि योजना मन्त्री को इस समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि रेलवे की समूची आयोजना एवं वित्त व्यवस्था की समुचित समीक्षा की जा सके और राष्ट्र हित में उसमें सुधार किया जाए।

इन दो सुझावों को मैं आपके द्वारा प्रधान मन्त्री के सामने रखना चाहता हूं ताकि रेलवे पूर्ण अव्यवस्था से बच सके।

अब रेलवे वित्त के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करता हूं जो नई रेल लाइनों से सम्बन्धित है। सारा देश इनकी काफी वर्षों से इन्तजार कर रहा है। रेलवे द्वारा बनाई गयी नई लाइनों की पाँचवी लोक सभा की लोक लेखा समिति ने अपने 171 वें प्रतिवेदन में जो 1974-75 में प्रस्तुत की गई थी जाँच की गई। इस प्रतिवेदन से मालूम हुआ है कि रेलवे प्रसार असमान हुआ है। चीन की तुलना में हमारा प्रसार बहुत कम है। केवल 700 किलोमीटर रेल लाइन की वृद्धि हुई है जो बहुत कम है। रेलवे के पास पर्याप्त पैसा नहीं है। क्षेत्रीय विषमता भी व्याप्त है। मैं रेल मंत्री को सुझाव दूंगा कि इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें। मैंने कुछ आंकड़े एकत्र किये हैं जो उनके अपने दस्तावेज से है। केन्द्रीय रेलवे की नई लाइनों के लिए 4.62 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। पूर्वी रेलवे के लिए 1.78 करोड़ रुपये है, उत्तरी रेलवे के लिए 4.23 करोड़ रुपये है, पूर्वोत्तर रेलवे के लिए केवल 2 करोड़ रुपये है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए 14 करोड़ रुपये, दक्षिणी रेलवे के लिये 5 करोड़ रुपये, दक्षिणी मध्य रेलवे के लिए 10 करोड़, दक्षिणी पूर्व रेलवे के 19 करोड़ और पश्चिम रेलवे के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी पृष्ठभूमि में, मैं आपके ध्यान में पश्चिम रेलवे, जो सबसे बड़ी रेलवे है, और जिसका मार्ग 10,972 किलोमीटर है की बात लाना

चाहता हूं । बजट में जिसे योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया है, ये लाइने रेलवे यातायात तथा रक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । ये लाइनें निर्माणधीन हैं और अभी तक इनके लिए अधिक पैसा नहीं दिया गया है । मैं विशेषकर एक समाचार का जिक्र करूंगा जो ट्रिब्यून में जो चंड़ीगढ़ से निकलता है प्रकाशित हुआ था । इस समाचार का शीर्षक यह है:—बजट में उत्तरी रेलवे की उपेक्षा की गयी है ।" इसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब के लोगों के बीच असन्तोष बढ़ रहा है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । चंडीगढ़ के इस यातायात कार्य के लिए केन्द्रीय स्थल बनाया गया है और वहाँ एक डिविजन गठित किया जाना चाहिए । दूसरे, जालन्धर में भी एक दूसरा डिविजन होना चाहिए क्योंकि जालंधर पंजाब, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर तथा चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के लिए केन्द्रीय स्थल है । जब तक ये दो डिविजन न बनाये जायें और प्रशासनिक एककों का पुनर्नवीकरण न किया जाये ताकि जालन्धर मुख्यालय के साथ पश्चिमी रेलवे के पश्चमोत्तर रेलवे तथा उत्तरी रेलवे में विभाजित किया जा सके, उस समय तक इन क्षेत्रों के लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता । जिन लाईनों के लिए योजना आयोग ने स्वीकृति दी है, उनके लिए राशि का आवंटन किया जाये । अतः मैं सूझाव दूंगा कि इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमें रेलवे सुधार समिति की कुछ लाइनों की मरम्मत सम्बन्धी सिफारिश संख्या 19.2 को जांच करने के लिए सावधान होना चाहिए । यदि यह सिफारिश की गई तो सारे देश में असन्तोष फैल जायेगा । लगभग 14 लाइनें निर्माणाधीन हैं और आप उनके लिए कुछ राशि भी दे रहे हैं । इस समय दी जा रही राशि बहुत कम है । नई लाईनों के लिए केवल 70 करोड़ रुपये दिए गये हैं जबकि अकेली परिवहन योजना, महानगर परिवहन परियोजना कलकत्ता, के लिए 62 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है । परिवहन परियोजना के लिए राशि देने के बारे में कोई भी संकोच नहीं करता । लोग यही जानना चहाते हैं कि सारे देश में रेल विस्तार के समूचे कार्य के लिए क्यों केवल 70 करोड़ रुपयों का आवंटन किया जाये और एक अकेली महानगर परियोजना के लिए इतना क्यों दिया जा रहा है ? इसके अतिरिक्त, उपनगरीय यातायात के लिए काफी राजसहायता भी मिलती है । आपको घाटा हो रहा है और घाटे बहुत अधिक हैं । मैं आपको आंकड़े दूंगा । सामाजिक दायित्व के लिए आपके पास 593.61 करोड़ रुपये हैं जो 1982-83 का घाटा है । इसमें से उपनगरीय तथा गैर उपनगरीय परिवहन सेवाओं का घाटा 502 करोड़ रुपये है । यह घाटा बहुत अधिक है और इसका ध्यान रखा जाना चाहिए । मैं सुझाव दूंगा कि निर्यात समिति में की गयी कुछ सिफारिशों की ओर आप ध्यान दें, जिसका गठन 1978 में किया गया था । भारतीय रेलवे के पूंजी ढाँचे सम्बन्धी निर्यात ग्रुप प्रतिवेदन की एक सिफारिश इसी बारे में है । मैं आपकी सूचना के लिए ही पढ़ता हूं । यह सिफारिश संख्या 10-16 है ।नई लाइनें, जो जरूरी हैं परन्तु अलाभप्रद हैं विकास निधि प्रभावित होनी चाहिए जैसे कि 1.4.1955 सेपहले किया जाता था । अतः यदि 1.4.1955 से पहले यह स्थिति थी तो राजधानी पर और अधिक कर क्यों लगाया जाता है । इस सिफारिश को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

मैं पिछले वर्ष आपके पूर्वा मंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी द्वारा दिये गये भाषण का जिक्र करूंगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा है:—

"तथापि रेलवे की जरूरतें प्राप्त आय से कही अधिक हैं। 1979-80 के मूल्यों के अनुसार सम्पत्तियों का प्रतिस्थापन मूल्य 30,000 करोड़ रुपये था।"

उन्होंने कहा है कि रेलवे को अभी तक बाहर से धन लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

"अब ऐसा पतीत होता है कि रेलवे के लिए विशेष पूंजी निवेश निधि बनाने की कार्यवाही की जा रही है जो एक अच्छी बात है।"

श्री सेठी के उस सुझाव का क्या बना ? इसकी जांच की जानी चाहिए। निर्यात ग्रुप की यह रिपोर्ट है और यहां आपके पूर्वा मंत्री का यह भाषण है। इन दोनों को साथ-साथ रखा जाना चाहिए और नई रेलवे लाईनों के मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार कुछ रेल लाइनों के लिये बिना लागत का मिट्टी डालने, जमीन, तथा तख्ते देने के लिये सहमत हो गयी है। कुछ रेलवे लाइनों के लिये आपके मंत्रालय ने अविलम्बनीय प्रमाण पत्र जारी किये हैं। मैं कहूंगा कि उन लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

मेरे 3.9.81 के मेरे प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में रेल मंत्री ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने हिमाचल प्रदेश की नंगल-तलवाड़ा तथा पश्चिम बंगाल की बड-बड-नामरकना लाइनों के लिये बिना लागत जमीन, मिट्टी डालने तथा तख्ते आदि देने के लिये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है जिससे इन लाइनों का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके। इस प्रकार आपके अपने मापदण्ड के अनुसार जिन लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर आपके प्रशासन के अविलम्बनीय प्रमाण पत्र जारी किये हैं और जिन लाइनों के लिए राज्य सरकारों ने निःशुल्क जमीन तथा बिना लागत मिट्टी डालने की पेशकश की है, उन्हें समोचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कालका से परमाणु तक एक छोटी सी परियोजना है। हमारे राज्य के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। राज्य सरकार ने जमीन तथा मिट्टी डालने सम्बन्धी रियायतें भी दी हैं, फिर भी इसके लिये अभी तक धनराशि प्रदान नहीं की गयी है।

इसी प्रकार नंगल-तलवाड़ा लाइन के लिये अपने केवल 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है, यद्यपि हिमाचल के मुख्य मंत्री ने कम से कम 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसी प्रकार कालका-परमाणु लाइन के लिए भी केवल 1 लाख रुपये दिये गये हैं। इस तरह इन्हें पूरा होने के लिये 30 वर्ष लगेंगे। इसी प्रकार पश्चिमी पंजाब की फाजिलका-कोटकपुरा लाइन को ब्राड ग्रेज लाइन में परिवर्तित किया जाये और बम्बई को पंजाब से खाद्यान्न ले जाने के लिये कुछ अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की जायें।

नई गाड़ियां शुरू करने के बारे में भी कई मांगें हैं। पठानकोट तथा दिल्ली के बीच एक मेल गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि सारी गाड़ियाँ जम्मू तक बढ़ा दी गयी हैं और हिमाचल प्रदेश के लिये कोई भी गाड़ी नहीं है। यह बहुत जरूरी है। नंगल डैम, होशियारपुर तथा काल्का से भी बम्बई के लिये सीधी गाड़ियां होनी चाहिये।

आपने उपनगरीय क्षेत्र के लिये काफी राशि का आवंटन किया है और इन क्षेत्रों के लिये काफी परियोजनायें दी गयी हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उपनगरीय क्षेत्रों के मासिक टिकट-धारियों पर लगाये अधिभार को कम किया जाये। उपनगरीय टिकटों के फासले को भी 80 से 100 मिलोमीटर बढ़ाया जाये और मौसमी टिकटों के अधिभार में भी 50 प्रतिशत कमी की जाये। मैं जानता हूं कि उपनगरीय यात्री प्रति मिलोमीटर 4.5 पैसे देता है जबकि गैर उपनगरीय यात्री 7 पैसे देता है। यह विषमता समाप्त होनी चाहिये। फिर भी वर्तमान अधिभार बहुत है और इसे लोग ठीक नहीं मानेंगे। अतः इसे कम किया जाना चाहिये।

मैं आपसे अपील करूंगा कि रेलवे वित्त को केवल एक लेखाकार के दृष्टिकोण, जैसे कि प्रो० मधु दंडवते ने कहा, से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। सारे ढांचे को नये सिरे से बनाना तथा रेल मन्त्री को योजना आयोग का सदस्य बनाना जरूरी है। इसी तरह योजना मंत्री को भी रेलवे अभिसमय समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिये और उस समिति को, जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति को कार्य तथा शक्तियां सौंपी जानी चाहियें ताकि सारे मामले की जांच हो सके और प्रणाली के ढांचे को पुनः निर्मित किया जा सके ताकि देश एक अच्छी तथा स्वस्थ रेलवे ढांचे के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ सके।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रेल मंत्री जी के द्वारा जो रेल बजट पेश किया गया है, उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

रेल बजट में जो सुधार के काम बताये गये हैं, उनकी चर्चा करना भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि 1982-83 वर्ष में माल की ढुलाई 1959.3 टन थी जो कि अनुमान के अनुसार 1983-84 में बढ़कर 2270 टन के लगभग होगी। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

यही नहीं, एक जबर्दस्त बात यह हुई है कि जहां 1981 में 870 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, वहां 1982 में केवल 644 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में 26 प्रतिशत की कमी आयी है। यह इस बात का सबूत है कि रेल मंत्री जी ने कितनी कर्मठता से काम किया और रेल विभाग की तरफ कितना ध्यान दिया।

रेलों में दुर्घटनाएं ही कम हुई हों, यही नहीं बल्कि रेल विभाग की साख भी दुनिया के देशों में बढ़ी है। आज हम संसार में सिर बुलन्द करके चल सकते हैं। विदेशों में नयी लाइनें बिछाने का ठेका हमें प्राप्त हो रहा है, नई नई रेल लाइनें बनाने का ठेका हमें मिल रहा है। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम दूसरे देशों में कल-पुर्जों के नये नये कारखाने बना रहे हैं।

वियतनाम से 15 डीजल इंजिन भेजने का हमें आर्डर प्राप्त हुआ है। बंगला देश से 9 सवारी के डिब्बे भेजने का आर्डर प्राप्त हुआ है। फिलीपींस से भी सवारी गाड़ी के डिब्बे भेजने का आर्डर हमें प्राप्त हुआ है। मुस्लिम देशों में भी कई जगहों पर हमें रेल लाइनें बिछाने का ठेका प्राप्त हुआ है। ये जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, इन पर हमें गर्व है। इन सब उपलब्धियों के लिए हमारे मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

अब मैं रेल मंत्री जी को बधाई के साथ साथ कुछ सुझाव भी दूंगा। जहां हमारी रेल सेवाओं में कुछ सुधार हुआ है, वहां वहाँ रेल के डिब्बों में कुछ कमियां भी पायी जाती हैं। डिब्बों में बत्तियां नहीं होती हैं। खास कर जो गाड़ियां जंगली इलाकों और छोटे-छोटे शहरों से गुजरती हैं उन रेलों में पानी नहीं होता, बिजली नहीं रहती है। इस पर भी मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए।

आज सबसे बड़ा जो भय रेलों में उत्पन्न हो रहा है वह है आये दिन ट्रेन डकैती का। अक्सर सुनने में आता है कि कहीं पांच लाख की, कहीं छह लाख की डकैती पड़ गयी। इससे आज हम सभी लोग भयभीत हैं। हमें यही चिंता बनी रहती है कि किस ढंग से निरापद होकर हम रेल यात्रा करें।

इसके अलावा समय पर रेलों का चलना भी मुनासिब बात होगी। रेलों को समय पर चलाया जाए और उनमें खाने-पीने की व्यवस्था में भी समुचित सुधार किया जाए। यही मैं आप से निवेदन करूंगा।

श्रीमन् जिस क्षेत्र से मैं आता हूं और जो यह रेल बजट पेश किया गया है, उसके बारे में मुझे क्षमा करेंगे कि इस से कुछ क्षेत्रीय असंतुलन हो गया है। बिहार की आबादी 7 करोड़ है, राजस्थान की आबीदी तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख है, मध्य प्रदेश की 6 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ आबादी है। महोदया, आप वहां के लिए, नयी रेल लाइनों की बात तो छोड़ दीजिए, वहां सर्वे की भी गुंजाइश नहीं है। साथियों से बात होती है, लोगों से बात होती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बिहार की करोड़ों करोड़ों की आबादी है और उसमें सर्वे का भी कहीं कोई पता नहीं है। मैं बिहार से आता हूं। मैं आपको उदाहरण पेश कर दूं। जब मैं यहां पर संसद सदस्य चुन कर आया था उस वक्त 30 संसद सदस्यों ने इंदिरा जी को एक पत्र लिखा था। उसका इंदिरा जी ने जवाब दिया था– प्रिय श्री साहू, मुझे 6 मई का पत्र मिला। रांची से लोहरदगा बड़ी लाइन बनाने का सुझाव रेल मंत्री जी को उचित विचार के लिए भेजा जा रहा है। यह मैंने आपको इंदिरा जी की चिट्ठी पढ़कर सुनाई है। इसके बाद दिनाँक 7.8.80 को एक प्रश्न पूछा गया जो श्री सत्यनारायण जटिया जी का प्रश्न था। उसमें पूछा गया था कि क्या रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कहां-कहां छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा रहा है। उस पर मंत्री जी ने जवाब दिया था कि राँची से लोहरदगा लाइन को 1980 में सर्वे के लिए रखा गया था, जब सम्भवतः केदार पाण्डे जी रेल मन्त्री थे और उन्होंने इस लाइन के सर्वे के वास्ते सम्भवतः 4 लाख 21 हजार रुपया सर्वे के लिए दिया था।

दूसरी नई लाइन इसी जिले में रांची से गिरड़ी, हजारी बाग, कोडरमा होते हुए, इस लाइन के लिए हजारी बाग की आम सभा में इन्दिराजी ने घोषणा की थी कि यह लाइन अवश्य बनेगी। पर अभी तक कुछ नहीं हुआ दूसरी यह भी है कि अभी जो चण्डीगढ़ एक्सप्रेस चलती है रांची से दिल्ली तक, अगर रांची से लोहदरगा और लोहदरगा से टोरी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाए तो (टोरी जो पलामू) में है, इसको बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाए तो रांची से दिल्ली तक की दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर कम हो जाएगी।

इस बारे में मैं यह बता दूं कि इसका सर्वे 1980-81 में हुआ, 1954 में भी हुआ, 1975 में भी किया गया और आजादी के पहले अंग्रेजों के समय में भी इसका सर्वे किया गया। हर बार लोगों को उम्मीद हुई कि इस बार बड़ी लाइन बनेगी, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं हुआ।

मैं आपको यह भी बता दूं कि यह इलाका आदिवासी इलाका है। ऐसे आदिवासी जो देश के आदर्श आदिवासी हैं। इनका नाम आपने सुना होगा "टाना भगत" जिन्होंने गांधी जी की एक आवाज पर शराब पीना और मांस खाना छोड़ दिया था और तिरंगा लेकर गांधी जी के साथ आन्दोलन में शामिल हो गए थे और जेलें भरी थीं। सूत कातकर ये लोग अपने कपड़े बनाते थे। ये लोग जो जंगलों में बसते हैं, अशिक्षित हैं इनके लिए हमारी सरकार कहती है कि हमारे अन्दर इनके लिए बहुत दर्द है, गरीबों से हमको बहुत प्यार है, इन आदिवासियों को ऊपर उठाया जाएगा।

मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा बाक्साइड का भण्डार लोहदरगा क्षेत्र में है। वहां से ही हिन्दुस्तान को सबसे बड़ी कम्पनी इंडियन एल्यूमिनियम कम्पनी और रेनूकूट उत्तर प्रदेश में बिड़ला बन्धुओं को सबसे बड़ा कारखाना है, एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया इतने बड़े बड़े कारखानों को बाक्साइड लोहदरगा से जाता है। इसी से वहाँ के कारखाने चलते हैं। चाइना के लिए फायर के लिए सारे मिनरल्स यहां से ही जाते हैं और यहीं से बांस डालमियां नगर को जाता है जहां पर पेपर बनता है। कई नदियाँ हमारे इलाके में हैं।

इतने स्रोतों के बावजूद भी मैं बड़े दुःख के साथ आपको बताना चाहता हूं कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। लाखों लोग उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा के गांवों में रोजगार के लिए चले गए हैं। गाँव के गांव खाली हो गए हैं। भुखमरी फैली हुई है। आप जाकर देख सकते हैं कि बाजारों में वहां की महिलाओं के साथ किस तरह का सुलूक होता है और भट्टों में उनके साथ किस तरह का सुलूक किया जाता रहा है।

कई लड़कियों को लखनऊ के बाजार में बेचा जा रहा है और उनके साथ बलात्कार हो रहा है। पढ़े-लिखे न होने के कारण पेट की आग की भूख में चले आते हैं। ऐसे लोगों का जीवन-स्तर कैसे उठ सकता है ? मन्त्री जी ने कहा है कि जब 1975 में सर्वे कराया था तो 10.8 करोड़ के लगभग यह घाटा था यानी अनुमानित व्यय का कुल 6.96 प्रतिशत ही प्रतिफल मिलेगा जो 10.4 प्रतिशत से भी न्यूनतम 3.4 प्रतिशत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां 3.4 प्रतिशत घाटा है जो नाममात्र का है। इस पार्लियामेंट के हाल में मैं चिल्लाते-चिल्लाते हार गया और

अपने मन्त्रिमण्डल के सभी लोगों से अनुरोध किया कि उन गरीबों के जीवन को सुधारने के लिए हमारे यहां सब कुछ है लेकिन रेल लाइन दे दो। हम उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठा लेंगे नौकरी दे देंगे लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूं कि हिन्दुस्तान में और कोई जिला ऐसा नहीं है जो ज्यादा प्रभावित हो और जहां से दो-ढाई लाख आदमी बाहर जाते हों, सिर्फ एक ही रांची जिला है। यह एक अजीब स्थिति वहां पर है। मैंने पहले ही कहा है कि कोयला हमारे यहां काफी मात्रा में है। सिर्फ लोहरदगा इलाके से 20 लाख टन से अधिक बॉक्साइट का लदान होता है। रेल मंत्री जी ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं। जब वे रांची जिले में गए थे तो उनसे हमारी बात हुई थी। हमने बताया था कि रांची से लोहरदगा और रांची से हजारीबाग का पूरा इलाका कोयले से भरा हुआ है। महोदया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हर हाल में इसी योजना में इस रेल लाइन को स्वीकृत कर लिया जाए, इसके लिए मैं आपसे भीख मांगता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस रेल लाइन को टेक-अप कर लिया जाए चाहे वह दस वर्ष में बने।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा का इलाका भी बहुत बैकवर्ड इलाका है। मैं मन्त्री जी की तारीफ करता हूं कि इन्होंने सर्वे में एक नयी लाइन दी है। जिस तरह से लोहरदगा का सर्वे किया उसी तरह से कर रहे हैं - सर्वे करके छोड़ा नहीं जाये बल्कि उस कार्य को पूरा किया जाए। दूसरी नई लाइन संभलपुर से तालचर तक इस लाइन को बना दिया जाए। कटक से तालचर बड़ी लाइन वहां पर है लेकिन संभलपुर से नहीं है। कटक, भुवनेश्वर जाने के लिये ही खड़गपुर से होकर या फिर आन्ध्र प्रदेश का इलाका घुमाकर ही पहुंचा जा सकता है। वहां पर काफी माइन्स हैं जैसे ग्रेफाइट, बाक्साइट आदि इसलिए मैं चाहूंगा कि उस इलाके के दुख को भी दूर कर दिया जाए। आपके यहां जो घाटा है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि व्यापक रूप से कोयले की चोरी हो रही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया है, आप 15 मिनट बोल चुके हैं, अब बैठ जाइए। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि समय का ध्यान रखें। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो यह पूरा नहीं होगा।

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं चाहता हूं कि इस चोरी पर कन्ट्रोल किया जाए जिससे करोड़ों रुपए की बचत रेल विभाग को होगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, इस सदन में रेल बजट के अलावा आम बजट भी प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं यहां पर रेल बजट के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले संसदीय प्रणाली के बारे में छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा। सरकार जो कुछ कर रही है वह संसदीय स्वस्थ परम्पराओं को बनाने का काम है। रेल मंत्री ने यह रेल बजट लाकर वज्रपात किया है। अगर इससे भी बढ़िया बजट लाकर यहां पर वे पेश करते तो भी वे जनता को कोई सुविधा देने वाले नहीं थे और न ही यह उनके बस में है। कारण यह है कि प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी

और उनकी पूरी कार्यपालिका का यह रवैया रहा है कि हर वर्ष कानून का सहारा लेकर बजट के पहले ही अध्यादेश द्वारा चीजों के दाम बढ़ा दिए जायें। कानून की दृष्टि में आपका यह कार्य उचित माना जा सकता है हम उसको कानूनन चैलेन्ज भी नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या जनतन्त्र की स्वस्थ परम्पराओं को चलाने में यह सहायक होगा ? इस प्रकार से तो आप संसदीय परम्पराओं को समाप्त कर रहे हैं। आपने बजट लाने से पहले ही कैरोसिन, डीजल, डाक तार व टेलीफोन की दरों को बढ़ा दिया। संविधान के आर्टिकल 123 के अन्तर्गत सरकार को यह शक्ति है कि यदि कोई इमर्जेन्सी हो तो सरकार अध्यादेश लाकर ऐसा कर सकती है। कोई भी सरकार ऐसा कर सकती है लेकिन जब राष्ट्रपति जी ने संसद बुलाने की घोषणा कर दी और दो दिन बाद ही संसद का अधिवेशन आरम्भ होने वाला हो उस समय यदि आप माल-भाड़ा, कैरोसिन या अन्य चीजों के दाम बढ़ा दें तो यह असंसदीय है, भले ही गैर कानूनी न हो। हमारे संविधान बनाने वाले हमसे अधिक अकलमन्द थे। जब इस आर्टिकल पर संविधान सभा में बहस चल रही थी तब श्री कामत और श्री कुंजरू ने यह शंका व्यक्त की थी कि इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है परन्तु उस वक्त डा० बाबासाहब अम्बेदकर ने जवाब दिया था कि मुल्क के सामने कभी ऐसी स्थिति आ सकती हैं जबकि संसद के दोनों सदन न चल रहे हों और तब इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यदि इस प्रकार से कार्यपालिका संसद को सुपरसीड करे तो इसको संसदीय नहीं कहा जा सकता।

मैं रेल मन्त्री जी से कहूंगा कि डीजल के दाम बढ़ने से उनकी परेशानी भी बढ़ती है। हर महीने आप 15 डीजल इन्जन बना रहे हैं, उनको चलाने के लिए रेलवे को बढ़े हुए दाम पर डीजल लेना पड़ेगा फिर क्या आप भाड़े और किराए नहीं बढ़ायेंगे ? इसलिए दोष आपका तो है ही, उसके अलावा पूरी कार्यपालिका और प्रधान मन्त्री का दोष है। उनको इस तरह से बजट से पहले कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए।

डीजल के मामले में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया में डीजल के दाम घट रहे हैं। अमरीकन लाबी और रूस भी 20 डालर पर-बैरल तेल दे रहा है। फिर यहां पर आप क्यों मंहगा करते जा रहे हैं ? मैं समझता हूं यह अन्याय है

जहां तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है, उस पर भी यह सरकार कन्ट्रोल नहीं कर सकती है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार आज रोज तीस करोड़ रुपए का ब्लैक मनी पैदा करवा रही है। ऐसी स्थिति में आप काले धन पर भी कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

मैं खास तौर से माननीय रेल मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मासिक पास से यात्रा करने वाले लोग हैं, जो दूर-दूर के इलाकों से दिल्ली में नौकरी करने के लिए आते हैं, उन पर आपको पुनः विचार करना चाहिए। आप दिल्ली के चारों तरफ 150 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन्स की स्थिति को देखिए। आपने पांच किलोमीटर पर मासिक 6.50 रु० से 15 रु० किराया बढ़ा दिया, 25 मिलोमीटर पर 15 रु० से 29 रु० किराया बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर पर यात्रा करने वाले के लिए 28 रु० से 42 रु० कर दिया और 80 किलोमीटर पर

यात्रा करने वाले के लिए 36 रु० से 59 रु० किराया कर दिया—जो सरकारी नौकरी 500-600-700 या 800 रु० मासिक प्राप्त करता है, उस पर आपने कितना बड़ा बोझ डाल दिया। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस पर पुनर्विचार करें। एक तरफ तो सरकार उनके लिए दिल्ली में मकान उपलब्ध नहीं करा सकी है, जो दूर-दूर इलाकों से आते हैं और देहातों में जाकर अपने बच्चों का पालन पालन-पोषण करते हैं। सुबह निकल कर शाम को आठ-नौ बजे घर पहुंचते हैं, उनकी कठिनाइयों की तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो पिछले बजट में व्यवस्था थी, उसी को दोबारा लागू करिए, वरना इस देश के लोगों के साथ आप न्याय नहीं करेंगे।

मालभाड़े का रेट बढ़ाकर दूसरी चीजों पर पड़ने वाले असर को आप नहीं रोक सकते हैं। अनाज जैसी अन्य वस्तुओं पर इसका असर पड़ेगा। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे, दूसरी तरफ बजट को देखते हुए आप कीमतों के बढ़ने को रोक नहीं सकते हैं इसलिए चौधरी साहब से मैं अपील करूंगा···

श्री कमल नाथ (**छिदवाडा**) : आप चौधरी साहब कह रहे हैं, कहीं वे चौधरी चरण सिंह न समझ जायें।

श्री जगपाल सिंह : आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन वे ऐसी गलती नहीं करेंगे।

मैं चौधरी साहब से अपील करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ट्रेनों को आगे चलने न दिया जाए। यह सही है कि इससे आपको तकलीफ नहीं हो सकती है, मुझे तकलीफ नहीं हो सकती है, संसद के किसी भी सदस्य को नहीं हो सकती है, लेकिन मंहगाई से लोगों की कमर टूट रही है। इस प्रकार की स्थिति से वे लोग बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे। जब आपको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि विरोधी पार्टियों के लोग इन लोगों को उकसा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (**पटना**) : उकसाने का मौका मत दीजिए।

श्री जगपाल सिंह : मैं चौधरी साहब से अपील करना चाहूंगा कि उनको इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए।

देश की इकानामी को डेवलप करने के लिए आप उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिए आश्वासन दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप माल भाड़े में वृद्धि कर रहे हैं। जब आप रॉ-मैटीरियल मंहगा दिलवायेंगे, तो प्रोडक्शन मंहगा होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दाम आपको बढ़ाना भी है, तो पक्के माल पर बढ़ाइए, लेकिन यदि आप कच्चे माल पर इसको थोपेंगे तो कोई भी चीज आप सस्ती नहीं कर पायेंगे। इसको आपने 4.4 प्रतिशत से बढ़ाकर आपने आठ प्रतिशत कर दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि देश के पूरे इकानामी स्ट्रक्चर को देखते ही आपको इस पर विचार करना चाहिए कि हम कहां पर खड़े हैं।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि रेल के मामले में हमारा सिर दुनिया में ऊंचा है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में आपकी डीजल इन्जन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। अभी भी आप डीजल इन्जन के स्पेयर पार्ट्स विदेशों से मंगवाते हैं।

एशियाड के एप्पू की वजह से तो हो सकता है, लेकिन रेलवे की वजह से मैं नहीं मानता हूं।

श्री कमल नाथ : चलिये, कुछ तो मानते हैं।

श्री जगपाल सिंह : इस बजट में जिस तरह से हैवी-टैक्सेशन हुआ है -जिस तरह से आप ने रेलों के किरायों को बढ़ाया है, वह इस बात को स्पष्ट जाहिर करता है कि आपने विश्व बैंक से कर्जा लिया है, इन्टरनेशनल मानिटरी फण्ड से आपने जो लोन लिया है, मेरा मन्त्री महोदय पर आरोप है, आप पूरी तरह से उनकी शर्तों के दबाव में हैं, क्योंकि आपको उनका कर्जा चुकाना है। आप दुनिया से कर्जा लेकर एशियाड और दूसरी चीजों पर खर्च कर रहे हैं—आज वक्त का तकाजा है कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। जो पैसा आपको रेलवे के विकास के लिए मिलने जा रहा है, हमने रेलवे की सलाहकार समिति में भी इस बात को कहा था, उस पैसे को आप रेलों के विकास पर खर्च करें। हिन्दुस्तान में जो 1 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन है उसमें से 20 हजार किलोमीटर रेलवे-लाइन को तुरन्त बदलने की जरूरत है। छठी पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन सालों के अन्दर आप सिर्फ 3400 किलोमीटर रेलवे लाइन को बदल पाये हैं। अगर इसी रफ्तार से पुरानी लाइनों को बदलने का सिलसिला जारी रहा तो अगले 50 सालों के अन्दर भी आप इन लाइनों को नहीं बदल सकते हैं। जिस समय यह योजना शुरू हुई थी, उस समय आपने पुनर्निर्माण की संज्ञा देकर इस कार्य को शुरू किया था। सलाहकार समिति में भी हमने मांग की थी, हमने उस समय पांडे जी से कहा था कि 10 हजार किलोमीटर तो तुरन्त बदली जानी चाहिए, लेकिन पांडेजी ने कहा कि केवल दो-तीन हजार किलोमीटर लाइन ही बदलने के लिए ड्यू हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं—जिन ट्रैक्स पर आपकी सुपरफास्ट ट्रेन चल रही हैं जिन ट्रैक्स पर आज आप 20 और 25 वैगन्ज की गुड्स ट्रेन चला रहे हैं, उनके ट्रैक्स को बदलिये, अन्यथा किसी दिन भी एक्सीडेंट हो सकता है।

आपने ट्रैक्स और दूसरे कामों के लिए केवल 1 हजार करोड़ रुपया बजट में रखा है, जिसके लिए आप कहते हैं कि इसको नवीनीकरण पर खर्च करेंगे, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर खर्च करेंगे, नया वकशाप लगायेंगे, साथ ही आपको ट्रैक्स को बदलना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप यें सब काम इतनी कम धनराशि में कैसे कर सकेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के अब दो साल बाकी रह गये हैं, आपने योजना में जो लक्ष्य रखे थे, आप उन टार्गेट्स को कैसे पूरा कर सकेंगे। अभी भी 17 हजार किलोमीटर रेल लाइन को बदलना है—आप इस काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए।

जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है मैं देखता हूं कि सुविधाओं के नाम पर इस बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है। आपके पास 60 हजार के लगभग ऐसी वैगन्ज हैं जिनके लिए रिपेअर की जरूरत है। 20 हजार वैगन्ज जिनको आप खराब होने के बावजूद भी चला रहे हैं, वे कभी की कण्डेम हो चुकी हैं, उनके साथ किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी आप

चलाये जा रहे हैं, 20 हजार के लगभग पैसेन्जर डिब्बे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। जिनकी लाइफ समाप्त हो चुकी है लेकिन आप फिर भी उनको चला रहे हैं। दुनिया का कोई भी असभ्य से असभ्य देश ऐसे डिब्बों को नहीं चलायेगा। पिछले दिनों हमारी कमेटी पटना गई थी, वहां आपने एक फर्स्ट क्लास की कोच गाड़ी में लगाई, एमर्जेन्सी ब्रेक लगाने के बावजूद भी वह डिब्बा स्मैश हो गया। 30-30 साल पुराने डिब्बे हैं, उनकी कोई मेंटेनेन्स नहीं की जाती है, कोई रिपेअर नहीं की जाती है। 20 हजार वैगन्ज, 20 हजार कोचेज और 20 हजार किलोमीटर लाइनों का काम होना है। कितना आप कर पायेंगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है।

आपने अपने भाषण में तीन बातों का उल्लेख किया है—सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुएलिटी। मैं यह नहीं कहूंगा कि पिछले डेढ-दो सालों में कोई सुधार नहीं हुआ है—मालगाड़ियों की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है—लेकिन यह सुधार निरन्तर होता रहे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। आपने पहले भी इस तरह के वायदे किये थे, लेकिन इस तरह से निर्माण कार्य हुए कि 1981 में माल ढोने की व्यवस्था इतनी बिगड़ गई थी जिससे पूरे हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था चकनाचूर हो गई थी। कारखानों के लिए कोयला नहीं पहुंचा, अन्य रा-मैटीरियल नहीं पहुंच पाया। अगर अब भी इस स्थिति को सम्भालने की कोशिश नहीं गई तो आने वाले दो वर्षों में स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। आप जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक्स को बदलने का इन्तजाम कीजिए, रेलवे के लाखों मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधायें दिलाने का काम कीजिए।

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए]

आज जो वर्कर हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, वे जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनके रहने के जो स्थान हैं, उनके जैसे क्वार्टर बने हैं उन सब पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उनके पास छोटे छोटे क्वार्टर हैं। उन क्वार्टरों की स्थिति को आप सुधारिये तभी मैं समझता हूं कि आप रेल के छोटे-छोटे कर्मचारियों को कुछ राहत दे पायेंगे।

आपने रेल यात्रा का किराया बढ़ा दिया। आपने मेल और एक्सप्रेस का किराया 40 परसेंट बढ़ा दिया और पेसेंजर ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का किराया 25 परसेंट बढ़ा दिया। अब एक यात्री पेसेंजर ट्रेन में सौ रुपये के स्थान पर सवा सौ रुपये का टिकट लेकर ही यात्रा कर सकता है। आप कम से कम तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और लोगों की परेशानी को तो ध्यान में रखिये। आपको पता होगा कि आपकी ट्रेनों में पेसेंजर डिब्बों की छतों पर चढ़ कर यात्रा करते हैं और टिकट लेकर यात्रा करते हैं उनका आपने 25 परसेंट किराया बढ़ा दिया है। मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे विशेष करके इन यात्रियों के बारे में तो सोचें।

मैंने रेल मंत्री जी से एक और मांग की थी कि फसल की कटाई के समय उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत से यात्री हरियाणा और पंजाब जाते हैं। उनको ट्रेनों में जगह नहीं मिलती, वे छतों पर बैठकर सफर करते हैं। छतों पर बहुत से तो बिजली के तार से मर जाते हैं। उनकी सुरक्षा की आप व्यवस्था कीजिए और फसल आने के समय उनके लिए विशेष रेलगाड़ियों का

प्रबंध कीजिए जिससे कि उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पंजाब, हरियाणा आ जा सकें। यह समय ऐसा है जब कि उन्हें जरूरी काम से आना-जाना पड़ता है।

मैं एक चीज की और अपील करूंगा। आपने माल ढुलाई भाड़े का रेट भी बढ़ा दिया है। अब आपने लोगों को मजबूर कर दिया है कि वे अपना माल ट्रकों से भेजें। मुझे नहीं पता कि कहीं आप पर ट्रांसपोर्टर का भार तो नहीं है जो आपने रेलों से माल की ढुलाई पर इतना पैसा बढ़ा दिया है। पहले ही आपकी रेलों में अच्छी सर्विस नहीं है, उनमें पंक्चुअलिटी नहीं है। अब लोग रेलों से माल न भेज कर ट्रकों से माल ढोयेंगे। दुनिया के हर मुल्क में बसों और ट्रकों से रेलों का किराया काफी कम होता है। दुनिया में रेलों से माल लाना-ले-जाना सस्ता पड़ता है, ट्रकों से माल लाने-ले-जाने के। लेकिन आपने रेलों के किराये और माल भाड़े में जो बढ़ोतरी की है उससे आपने हिन्दुस्तान के प्राइवेट आप्रेटरों और ट्रकों के मालिकों को मालामाल करने का प्रयास किया है। आपके जितने भी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के कारखाने हैं वे अपना माल ट्रेनों से नहीं भेजते, ट्रको से भेजते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दुनिया के किसी भी देश में रेलों का किराया अधिक नहीं है लेकिन आपने इसे ज्यादा कर दिया है। मैं मांग करूंगा कि इस पर आप पुनर्विचार करें।

मैं आपसे यह भी अपील करूंगा कि मैंने जिन चीजों की तरफ इशारा किया है, खास तौर से मासिक पास लेने वालों की कठिनाइयों की ओर, आप उनकी कठिनाइयों को देखते हुए मासिक पासों के किराये कम कीजिए ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : मुझे कल भूतपूर्व रेल मन्त्री प्रो० दण्डवते को वादविवाद में भाग लेते समय सुनने का अवसर मिला। प्रो० दण्डवते भौतिकी के प्रोफेसर हैं और भौतिकी में गति के नियमों पर विचार किया जाता है। अतः मैं रेलवे में, जिसे सफल होने के लिए गति में रहना आवश्यक है, उनकी दिलचस्पी और जानकारी को समझ सकता हूं।

मैं प्रो० दण्डवते के रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। पिछले कई वर्षों— ठीक ठीक कहा जाए तो पिछले तीन वर्षों में मैंने यहां बैठकर बहुत से वादविवादों को सुना है परन्तु विपक्षी सदस्यों से रचनात्मक सुझाव हमें बहुत ही कम सुनने को मिले हैं। इस प्रकार हम प्रो० दण्डवते द्वारा दिए गए सुझावों और बहुमूल्य सुझावों की सराहना करते हैं। उन्होंने लेखा प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए हैं और मुझे विश्वास है कि रेल मन्त्री उन पर ध्यान देंगे।

महोदय, रेलवे बजट पेश करने का अर्थ केवल लेखा जोखा का यह ब्यौरा पेश करना नहीं है कि धनराशि कहां से प्राप्त होगी और उसे कैसे व्यय किया जाएगा, अपितु रेलवे के कार्यचालन का ब्यौरा पेश करना है। रेलवे देश की आर्थिक धमनियां हैं और इस तथ्य को बहुत पहले मान्यता दे दी गई थी। जहां अन्य मन्त्रालयों की माँगों और अनुदानों को वार्षिक बजट में सम्मिलित किया जाता है वहीं रेलवे की मांगों और आवश्यकताओं को लेकर एक पृथक रेलवे बजट

तैयार किया जाता है जिस पर अलग से वादविवाद होता है। रेलवे बजट के सम्बन्ध में एक बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है।

महोदय, रेलवे के उचित और प्रभावी कार्यचालन के बिना देश की अर्थ-व्यवस्था ठप्प हो जाएगी। खाद्यान्नों का आवागमन रुक जाएगा। हमारे विद्युत संयंत्र नहीं चलेंगे। संक्षेप में सम्पूर्ण देश ठप्प हो जाएगा। यह इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध है और इसे दृष्टि में रखते हुए तथा आवश्यकता को देखते हुए रेलवे के मामलों की पुनरीक्षा करनी चाहिए।

महोदय, माननीय रेल मंत्री ने इस वर्ष बहुत काम किया है और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने हमें अपनी चिन्ताओं और प्राथमिकताओं से अवगत कराकर सभा को विश्वास में लिया है। अत: मैं इस सब की पुन: चर्चा करके सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा।

महोदय, मैं केवल दो या तीन मुख्य मुद्दों को लूंगा। सबसे पहले, रेलवे को काम करने के लिए अवश्य ही काम करने वाली प्रणाली अपनानी चाहिए। मेरा मतलब प्रशासनिक प्रणाली से है। रेल अधिकारियों के इरादे चाहे कितने ही नेक क्यों न हों, रेल मन्त्री के पास चाहे कितनी ही योजनाएं क्यों न हों, उनकी इच्छाएं चाहे कैसी ही क्यों न हों, वे सब बेकार हो जाएंगी जब तक कि पूरी प्रणाली काम करने वाली न हो, प्रशासनिक व्यवस्था काम न करे। वादविवाद में भाग लेने वाले मेरे एक मित्र ने इस तथ्य का जिक्र किया है कि रेलवे में जिन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है वे उपनिवेशवाद के समय की हैं और मेरे विचार में यह सच है। जहाँ तक रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं महसूस करता हूं कि रेल बोर्ड की धारणा तथा रेलवे प्रशासन के समग्र प्रबन्ध ढांचे की पुनरीक्षा की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड 1905 में वायसरायों के जमाने में स्थापित किया गया था। मेरे विचार में माननीय रेल मन्त्री उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। महोदय, प्रश्न यह है कि जिस व्यवस्था के अन्तर्गत 1905 में रेल बोर्ड की स्थापना की गई थी क्या इतनी अच्छी है अथवा इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया गया ? वही ढांचा है, वही रेलवे बोर्ड है। इसमें अमुक के लिए सदस्य और अमुक के लिए सदस्य हैं और शीर्ष पर रेल बोर्ड अध्यक्ष हैं। इसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ? मेरे विचार में इसमें इसलिए परिवर्तन नहीं किया गया है। क्योंकि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस समय रेलवे के विभिन्न सैक्शन हैं जैसे पूर्वी क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और इसके अलावा अंचल और प्रभाग डिविजन हैं। इसके बाद आता है रेलवे बोर्ड और इसके बाद रेल मन्त्रालय।

महोदय, प्रबन्ध विज्ञान का मुझे जो थोड़ा-बहुत ज्ञान है उसके आधार पर मैं यह महसूस करता हूं कि इस सम्पूर्ण प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और मैं रेल मंत्री को जानता हूं, और मेरे विचार में रेलवे की इस प्रशासन प्रणाली की पुनरीक्षा हेतु कुछ कदम उठाए जाने चाहिएं। प्रश्न यह है कि क्या हमें रेलवे बोर्ड की कोई आवश्यकता भी है ? जब रेल मन्त्रालय है तो हमें इस पूरी श्रृंखला की कोई आवश्यकता है ? अन्य मन्त्रालयों का व्यापक कार्यचालन है। मेरे विचार में उस दिशा में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए और तत्काल विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ठीक प्रकार से काम न करने वाली प्रणाली को बदलना आवश्यक है। यदि

हम यह चाहते हैं कि रेलवे चले तो हमें अवश्य ही ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जो चलने वाली हो। उन्हें प्रणाली की पुनरीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय रेल मन्त्री इस पहलू पर विचार करें।

महोदय, रेलवे में देश भर में प्रमुख सिविल और निर्माण कार्य चलते रहते हैं। इन कार्यों का अधिकांश हिस्सा ठेकेदारों को दिया जाता है। ये ठेकेदार मजदूरों को काम पर रखते हैं परन्तु वे इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं। उन्हें कानून के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए परंतु वे कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। हमारे कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में यह नियम है कि ठेकेदारों द्वारा काम समाप्त करने पर और ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को मजदूरी देने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का कोई जिम्मेवार अधिकारी मजदूरी भुगतान रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। रेलवे में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हैं। मैं कोई व्यापक वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। मैं स्वयं जानता हूं कि मेरे अपने जिले में आदिवासियों का किस प्रकार शोषण किया जाता है। उन्हें प्रतिदिन 3 रु० या 4 रुपए दिए जाते हैं। जब हम इसे रेलवे अधिकारियों के ध्यान में लाते हैं तो वे कहते हैं हमने ठेकेदार को दे दिया है। हम किसी को भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब मैं केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ सार्वजनिक उपक्रमों तथा सरकारी विभागों में प्रचलित प्रणाली की तरह रेलवे में भी यह सुनिश्चित करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि ठेकेदार मजदूरों का शोषण न करें और उन्हें कानून में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिले।

महोदय, हमने नई रेलवे लाइनों की आवश्यकताओं के बारे में सभा के अन्दर और बाहर बहुत सी बातें सुनी हैं और बहुत से आन्दोलन चल रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने तथा कई सरकारी प्रवक्ताओं ने कई अवसरों पर ऐसे आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने पर बल दिया है जो पिछले 30 वर्षों से पिछड़े हुए हैं। यह प्रधान मंत्री और रेल मंत्री की चिन्ता का विषय है। मैं रेल मंत्री के समक्ष देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने की आवश्यकता रखना चाहता हूं। रेलवे को जितना सामाजिक खर्च वहन करना पड़ता है उतना ही उसे सामाजिक जिम्मेवारियों के प्रति जागरुक रहना पड़ता है। कभी-कभी सामाजिक उत्तरदायित्वों को निबाहने में आर्थिक पहलू की उपेक्षा करनी पड़ती है। सबसे बड़ा और पहला सामाजिक उत्तरदायित्व सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है। जो क्षेत्र अब भी रेलों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें रेलों से जोड़ा जाए। वहाँ कोई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वे अभी उपनिवेशवादी शासन की बेड़ियों में मुक्त नहीं हुए हैं; उन्हें अभी तक स्वतन्त्रता का लाभ नहीं मिला है। महोदय, इन क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसा एक क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र छिन्दवाड़ा जिले में भी पड़ता है। पिछले तीन वर्षों से, मैं रेल मन्त्री को प्रत्येक उचित ढंग से छिन्दवाड़ा से पारासिया तक सकरी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता के बारे में बताता हूं। वर्ष 1980 के बजट में हमारे माननीय रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने सर्वेक्षण की घोषणा की थी। यह एक बड़े काम की छोटी शुरूआत थी। छिन्दवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ है। इसे 'उद्योग रहित जिला' घोषित किया गया है। यह जिला खनिज

संसाधनों से समृद्ध है । यहां एशिया में सबसे अच्छे सन्तरे पैदा होते हैं, यहाँ भारत में सबसे अच्छी सागौन की लकड़ी होती है ।

यह एक बहुत बड़ी कोयला पट्टी है । इस जिले का विकास आधारभूत-ढांचे के विकास के बिना नहीं हो सकता है । विकास कोई चाहने भर से ही नहीं हो सकता है । केवल भाषणों और नीतियों की घोषणामात्र से स्थिति नहीं बदलेगी, अब हमें काम करके सिद्ध कर देना चाहिये । एक जिला जो कि प्राकृतिक साधनों में इतना धनी है वह पिछड़ रहा है क्योंकि आधारभूत-ढांचे की सुविधाओं की कमी है । प्रधान मन्त्री महोदया कई अवसरों पर घोषणा कर चुकी हैं और रेल मन्त्री महोदय ने पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता प्रदान करने की घोषणाएं की हैं । यह बात इस देश के लोगों को कैसे स्पष्ट की जा सकती है ? क्या यह जिले के लोगों को स्पष्ट की जा सकती हैं ? रेलवे ने कठिन और दुष्कर भूभागों में कार्य करने की महान परम्पराएं कायम की हैं । उन्होंने देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है, जिसकी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी प्रसंशा हुई है । उन्होंने देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है । परन्तु मेरे विचार से यह सब निर्थक हो जाता है, यदि हम उन मुख्य प्राथमिकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं जिनकी कि सरकार समय-समय पर निरन्तर घोषणा करती रही है । रेलवे ने इस परियोजना को अपने हाथ में लेने के लिए सर्वेक्षण कराया है । इस परियोजना की रेलवे द्वारा प्राक्कलित कुल लागत लगभग 12 करोड़ रुपये है । यह अनुमान लगाते हुए कि इस लाइन को पूरा करने में 4/5 वर्ष लग जायेंगे तो 1350 करोड़ रुपये में से प्रति वर्ष लगभग 2.5 करोड़ के परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी । क्या यह भारी परिव्यय है ? क्या वर्ष 1983-84 में 1350 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष निकालना कठिन काम है ? मेरे विचार से 25 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की छोटी सी परियोजना को नवीन परियोजना नहीं कहा जा सकता है । मैं यह जोर देकर कह सकता हूं कि इस थोड़े से परिव्यय से हमारे देश को उससे कहीं अधिक मील मार्ग का विकास किया जा सकता है जो कि किसी भी समान राशि से प्राप्त हो सकती है । अतः मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि थोड़े परिव्यय वाली उन लघु परियोजनाओं को अधिक मील दूरी का विकास होता है, उन पर नये शीर्षक "सीमान्त और सन्तुलनकारी निर्माण कार्य ।" के अधीन विचार किया जाना चाहिये, "सीमान्त और सन्तुलनकारी कार्य" शीर्षक के अधीन एक वर्ष का कुल परिव्यय 8 या 10 करोड़ रुपये हो सकता है । इस प्रकार के सभी कार्यों को इस वर्ग के अधीन रखा जाना चाहिये और उन्हें स्वीकृति हेतु रेल-भवन और योजना भवन के बरामदों का चक्कर न काटना पड़े । मुझे विश्वास और आशा है कि रेल मन्त्री महोदय अपने उत्तर में हमें आश्वस्त करेंगे कि इस लाइन पर शीघ्र कार्य चालू कर दिया जायेगा । मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमें धन के अभाव, तकनीकी जांच और आर्थिक क्षमता आदि की आम आंय-बांय भाषा में नहीं टकरायेंगे ।

यद्यपि मैं छिन्दवाड़ा की समस्या पर बोल रहा हूं, मैं कुछ थोड़ा सा हटकर इन्दौर की समस्या पर भी बोलना चाहता हूं । महोदय, क्या देश में इन्दौर जितना बड़ा और भी कोई नगर है जो बम्बई या दिल्ली से किसी रेल से न जुड़ा हो ? इन्दौर देश के सबसे बड़े नगरों में से

एक है और फिर भी यदि किसी को इन्दौर से दिल्ली आना हो तो उसे गाड़ी पकड़ने के लिए रतलाम आना पड़ता है। मेरे विचार से गत 30 वर्षों के दौरान रेलवे ने मध्य प्रदेश के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय किया है। महोदय, यह कहना कोई बड़ी बात न होगी यदि मैं इन्दौर को तीव्रगामी रेलों द्वारा दिल्ली और बम्बई से सीधे जोड़ने में 30 वर्ष तक असफल रहते हुए कर्त्तव्य-पालन न करने का दोषारोपण रेल मन्त्रालय पर मढ़ता हूं। हमारे रेल मन्त्री महोदय न केवल तर्कसम्मत बात कहने के लिए जाने जाते हैं, परन्तु उनसे कई वर्षों के परिचय के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह न्यायप्रिय और साहसी भी हैं। मैं इस माँग की आवाज उठाता हूं और अपनी ओर से पूरा बल देकर इस आवाज को बुलन्द करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि इन्दौर को देश के मुख्य रेलवे जाल से अलग-अलग रखने की इस असंगत स्थिति को समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा सही कर दिया जायेगा। इसे हमारे, आपके और प्रत्येक वस्तु के समयबद्ध जीवन की तरह समयबद्ध होना चाहिए।

महोदय, क्षेत्रफल के आधार पर मेरा राज्य मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यह सबसे अधिक पिछड़े हुए राज्यों में से भी एक है। क्षेत्रफल के लिहाज से यहां रेलवे लाइनों का प्रतिशत भी देश में सबसे कम है। क्या इन अनुपातों के आधार पर परिव्यय तैयार करने का कोई मापदण्ड नहीं है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस राज्य के आकार और इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर नई लाइन बिछाने के बारे में किसी मापदण्ड का अनुसरण किया जाता है। क्या इसका निर्णय केवल आर्थिक क्षमता के प्रश्न पर ही लिया जाता है ? आर्थिक बहाने जिन्हें हम पहले ही कई बार सुन चुके हैं कि क्षेत्र अर्थक्षमता विहीन है, साधन उपलब्ध नहीं हैं आदि, आदि को हम भली-भांति जानते हैं। इन शब्दावलियों को हम सभी जानते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है ? मैं एक भारी चेतावनी के साथ कहता हूं कि यदि चुने हुए प्रतिनिधि उस क्षेत्र के लोगों की मांग को मनवाने में असफल रह जाते हैं जिसे हमने सदन में उठाया है तो फिर लोग इसकी मांग गलियों में करने लगते हैं चाहे वह हमारी आकांक्षाओं के विरुद्ध ही क्यों न हों। ऐसा न हमने चाहा है और न हम चाहते हैं कि कोई पार्टी ऐसा करे। परन्तु अन्तिम विश्लेषण में, इस सदन में उठाई गई कोई माँग गलियों में लोगों की मांग बन जाती है, यदि मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को देश में फैले मुख्य रेल-जाल में उसका उचित स्थान नहीं दिया जाता है।

रेल मन्त्री महोदय द्वारा अपने चुनाव-क्षेत्र मालदा जिले पर विशेष ध्यान दिये जाने के बारे में प्रेस में और इस सदन में भी कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं मालदा जिले के लिए रेल मन्त्री महोदय की चिन्ता को लम्बे समय से जानता हूं और इस बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि हम सभी को इस बात पर गर्व और प्रसन्नता होनी चाहिये कि यहाँ पर एक तो ऐसा मन्त्री है जिसे अपने चुनाव-क्षेत्र की चिन्ता है और अपने जिले की प्रगति के लिए हर सम्भव प्रयास करता है और कोई अक्सर नहीं चूकता है। मेरे विचार से उनके पदचिह्नों पर चलना अन्य मन्त्रियों के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि एक ऐसा मन्त्री जो अपने जिला के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता है, मैं नहीं समझता हूं कि वह अपने देश के लिए भी कुछ कर सकता है। जबकि हम रेल मन्त्री महोदय से ईर्ष्या

करते हैं और हम उनसे लड़ भी सकते हैं, परन्तु उसी के साथ ही साथ हमें उनके अपने चुनाव-क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति मुख्य उत्तरदायित्वों के प्रति उनकी सजगता की भी सराहना करनी चाहिये।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : प्रो० मधु दण्डवते भी ऐसा ही कर रहे थे।

श्री कमलनाथ : उन्हें भी मेरा बधाई सन्देश मिला था।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री महोदय को उनके द्वारा उठाए गये साहसी कदमों और साहसिक घोषणाओं के लिए जो उन्होंने अपने भाषण में की हैं तथा इससे पूर्व की अवधि में उनके द्वारा की गई उन कार्यवाहियों के लिए बधाई देता हूं जिन पर मैं अब सविस्तार नहीं बोल सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या मैं शुद्धि कर सकता हूं, क्योंकि कुछ हस्तक्षेप हुआ था ? मैंने पश्चिमी घाट रेलवे के लिए काम नहीं किया था, यह तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और अन्ततः तमिलनाडु और केरल को मिलती थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि वह तो राष्ट्रीय एकता के लिए एक सर्वोत्तम प्रयास था··· (**व्यवधान**)

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : माननीय सभापति महोदय, रेलवे बजट पेश करते हुए रेल मंत्रीजी ने इस संकल्प का इजहार किया कि वे सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुयलिटी स्थापित करेंगे। हम लोगों ने सोचा रेलवे बजट ऐसा पेश किया जाएगा, जिससे जनसाधारण को राहत मिलेगी, उनकी सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन सुविधाओं में वृद्धि के विपरीत उन्होंने रेल-फेयर, मालभाड़े में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी है। 4 अरब, 88 करोड़ 90 लाख रु० का भार अतिरिक्त भार आम जनता पर लाद दिया गया है। यात्री भाड़े का बोझ द्वितीय श्रेणी पर और भी ज्यादा है, जो कि 14 परसेंट है, कहने के लिए यह 11 परसेंट है मासिक टिकट पर ढ़ाई गुना वृद्धि कर दी गई है। माल भाड़े में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में चार गुना अधिक कर दी गई है। इस वृद्धि से जन उपयोगी सामान की कीमतों में बेहद वृद्धि होगी। आम जनता को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा और मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। एक तरफ सरकार इस बात का दावा करती है कि वह जनहित में लगातार काम करती जा रही है और उनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप आम जनता के जीवन में प्रगति हो रही है, खुशहाली हो रही है, लेकिन लगातार यह कोशिश हो रही कि साधन के संकट और बजट के संतुलन को कैसे कायम रखा जाए।

सभापति महोदय, सरकार की यह जो नीति है यह वर्ल्ड बैंक के इशारे पर चलती आ रही है। पिछले 30 सालों से विकास के पूंजीवादी पथ पर चल कर तथा उस का बोझ आम जनता पर लाद कर, यह सरकार आम जनता के फायदे के कामों से लगातार कतराती रही है। मुझे मालूम नहीं हमारे रेल मंत्री जी इस बात को जानते हैं या नहीं, पिछले सालों में माल-भाड़े और यात्री-भाड़े में जो वृद्धियां हुई उनके नाम पर विकास की कितनी योजनायें लागू की गई तथा कितनी योजनाओं का अब तक कार्यान्वियन हुआ ? रेलवे में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि जो कुछ भी खर्चा योजनाओं के विकास के नाम पर हो रहा है उसका समुचित उपयोग जिस रूप में होना चाहिये, वह नहीं हो पा रहा है। किरायों में वृद्धि के

बावजूद अतिरिक्त सुविधाओं का नितान्त अभाव है। आज आक्यूपेन्सी रेशो 100 परसेन्ट है। 1950-51 से लेकर 1981-82 के बीच पैसेन्जर ट्रेफिक में 189 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि पैसेन्जर ट्रेवलिंग फ्लीट में केवल 120 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह से 1950-51 से 1981-82 के बीच वैगन्ज-फ्लीट में 42 परसेन्ट की वृद्धि हुई है जब कि फ्रेट-ट्रेफिक में ढाई गुने की वृद्धि हुई है।

इतना ही नहीं आज रेलवे की स्थिति कितनी चिन्ताजनक है उस का पता इस बात से चलता है कि पिछले तीस वर्षों में ट्रेक रिन्यूअल का इनके ऊपर जो उत्तरदायित्व था, ये उसको भी पूरा नहीं कर सके हैं। चौथे प्लान में 1660 किलोमीटर, पांचवें प्लान में 1240 किलोमीटर और छठे प्लान में अब तक 1096 किलोमीटर बीमार ट्रेकों का रिन्यूअल हुआ है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक एन्टायर-रेलवे ट्रेक का पांचवां हिस्सा बीमार हो जायेगा। मतलब यह कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया। यह प्रगति हमारे रेल मंत्रालय ने की है --प्रगति के नाम पर आम जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के बावजूद भी बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका कोई निदान इनके पास नहीं है। इनका प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि चाहे जो साधन इनको उपलब्ध कराए जायें ये उनका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार के गर्त में पूरा प्रशासन डूबता जा रहा है।

रेलवे बोर्ड ने खुद मंजूर किया है कि 14 हजार किलोमीटर ट्रेक का रिन्यूअल विलम्बित है। इन्होंने इस बात को भी कुबूल किया है कि इनके पास जितनी कोचेज की संख्या है उसका 21 प्रतिशत यानी 8 हजार कोचेज और 13 परसेंट वैगंज यानी 65 हजार वैगन्ज के रिप्लेसमेण्ट की आवश्यकता है। इन्होंने इस बात को भी कुबूल किया है कि 18 परसेंट कोचेज और 25 परसेंट वैगन्ज में मेजर-ओवर-हालिंग की जरूरत है। वर्कशाप में मशीनरी की 90 परसेंट की जिंदगी करीब-करीब खत्म हो चुकी है, ये मशीनें काम के लायक नहीं रह गई हैं—यह स्थिति आज हमारे रेल विभाग की है।

छठी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने रेलवे के लिए जो लक्ष्य घोषित किया था कि औद्योगिक और कृषि मालों के मूवमेंट के लिए जो भी व्यवधान रेलवे में है उसको हटाया जाएगा। उन्होंने इस बात के लिए भी घोषित किया था कि ट्रैफिक में एडीशनल केपेसिटी, अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। इस लक्ष्य की घोषणा छठी पंचवर्षीय योजना में रेलवे के लिए की गई थी लेकिन अभी स्थिति क्या है ? रेलों को 35 सौ टन माल ढोने के लिए दो लाख बैगन, एक हजार लोकोमोटिब्ज और एक हजार कोचेज चाहिए और इनका निर्माण करने का लक्ष्य सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में रखा गया है। इस लक्ष्य के मुकाबले में एक लाख बैगन बनाने और 480 डीजल लोकोमोटिब्ज का नतीजा यह होगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के खत्म होते-होते माल की ढुलाई के लिए और यात्रियों की सुविधाओं के लिए जितने बैगंज और कोचेज की आवश्यकता होगी उनमें नितांत कमी आयेगी।

दूसरे, रेलवे में ओवरक्राउडिंग की प्राब्लम भी है। इससे यह प्राब्लम और भी बढ़ती

जाएगी : जो लोग डिस्टेंस के यात्री हैं उनको और भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। रेल मंत्री जी ने अपने बजट के माध्यम से इस कठिनाई को दूर करने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, एक तरफ तो यह स्थिति है और मंत्री जी ने बहुत जोरदार शब्दों में घोषणा की थी कि पिछले दिनों औद्योगिक सम्बन्ध काफी अच्छे रहे हैं। मगर स्थिति क्या है। इस बारे में मैं कुछ बातों की चर्चा करना चाहता हूं जिससे सबको पता चलेगा। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो कर्मचारियों की कमी है मगर उनकी नियुक्ति नहीं होती है। वेकेंसीज हैं, मगर कोई अपोइण्टमेण्ट नहीं ! जहां 1951-52 में अफसरों की संख्या 2.3 हजार थी वहां वह 1981-82 में बढ़कर 11.6 हजार हो गई। ये ए० एण्ड० बी० कैटेगरी के अफसरों में पांच सौ परसेंट की वृद्धि हुई है। इनकी बहुत भारी फौज खड़ी कर दी गई है। इससे रेलवे में एफीशियेंसी कैसे आयेगी, रेलवे परिचालन का काम कैसे चलेगा, रेलवे का विकास कैसे होगा ? दूसरी तरफ चिंता की बात है कि सी० एण्ड० डी० कैटेगरी के कर्मचारियों की संख्या जयां 1951-52 में 911.3 हजार थी वहां 1981-82 में 1563.4 हजार बढ़कर हुई। इनकी संख्या में मात्र 175 परसेंट की वृद्धि हुई। आपने एक टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया। है, अफसरों की फौज खड़ी कर दी है। यह एक नई बात हो रही है।

रेलवे के अन्दर जो अफसर रिटायर कर जाते हैं वे ठेके का काम करने लगते हैं। आप रेलवे में अपने लोगों से काम लेने के बजाय ठेकेदारों से काम कराते हैं। ट्रेक रिन्युअल और दूसरे तरह के काम ठेकेदारों से कराये जाते है। ठेकेदारों में ज्यादा संख्या इन रिटायर्ड अफसरों की होती है।

इंडस्ट्रिअल रिलेशंस के बारे में मंत्री जी ने कहा कि औद्योगिक शांति है। अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन परिस्थिति क्या है ? परिस्थिति आप जानते होंगे 19 4 से रेलवे एम्प्लाइज के संगठनों ने अपनी बहुत सी मांगों को उठाया हुआ है जो कि अभी तक लम्बित पड़ी हुई हैं। उनके बारे में कोई निदान नहीं निकल पा रहा है। इसके कारण कर्मचारियों में काफी असंतोष है। चाहे बोनस का सवाल हो, चाहे वेज रिलीजन का सवाल हो, चाहे डियरनैस अलाउंस का सवाल हो, इन तमाम समस्याओं का निदान अभी तक नहीं निकला है। लगता है कि रेल मंत्रालय कुम्भकरण की तरह पड़ा हुआ है और मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसका बड़ा भयानक नतीजा निकलने वाला है। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनको लांगू करने के बजाए उनके साथ उल्टा सुलूक किया जा रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरौनी जंकशन के गरहरा यार्ड में जो कि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यार्ड है, वहां ट्रांशिपमेंट मजदूरों को, जो पहले ठेकेदार के मजदूर थे उनको बाद में रेलवे मजदूर का दर्जा दे दिया गया। कैजुअल के रूप में उनकी बहाली फिर हुई। उनको रेलवे की सहूलियतें दी गयीं, लेकिन अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया। यूनियन और मैनेजमैंट का एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन आज तक उस एग्रीमेंट को लागू नहीं किया गया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक उन मजदूरों में से 400 मजदूरों को रेगुलर करना था और शेष को दूसरे विभाग में अब्जार्ब करना था और किसी की भी छटनी नहीं की जानी थी। इसके लिए अभी तक एजीटेशन चल रहा है। हो सकता

है कि उनको हड़ताल पर जाना पड़े ओर कोई बबंडर पैदा हो सकता है। इस बारे में कई बार वर्तमान रेलवे मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखा गया, इनके पहले जो मंत्री थे उनको भी पत्र लिखे थे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ जाकर बातचीत भी की, लगातार बातचीत करने के बाद भी आज तक वह एग्रीमेंट लागू नहीं हुआ है। एग्रीमेंट की कोई कीमत नहीं है।

अभी आपको मालूम होगा कि मुकामाघाट में ए० आई० आर० एफ० का कन्वेंशन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर अविलंब कार्यवाही नहीं की गई, वार्ता शुरू नहीं हुई, कोई निदान नहीं निकलता है तो वे स्ट्राइक करेंगे। पता नहीं किस आधार पर सरकार कहती है कि देश में शांति कायम है। ये कहते हैं कि इनका रेलवे कर्मचारियों से प्रेम है। लेकिन जब एग्रीमेंट लागू करवाने के लिए लोको कर्मचारियों ने हड़ताल की तो किस बेरहमी के साथ डिसिप्लेन एण्ड अपील रूल 14(2) के मुताबिक 1400 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। टिकिट चेकर्स के किस बेरहमी के साथ तबादले किये गए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं या ट्रेड यूनियन के संवैधानिक अधिकार के द्वारा आंदोलन करते हैं तो ये इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी माँगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करने के बजाए डिसिप्लेन एण्ड अपील रूल 14(2) के अन्तर्गत उनकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। जब चाहे जिसको चाहे ये निकाल सकते हैं। इस हथियार के जरिए हिंदुस्तान के रेलवे मजदूरों के अन्दर एक दहशत का वातावरण कायम है। इसके बाद ये कहते हैं कि शान्ति है।

आज मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि सरकार इस तरह की नीति अख्तियार करे जिसके मुताबिक मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपके सम्बन्ध सुधरें। इसके लिए जो दमनात्मक कार्यवाही पिछले दिनों की गई है उसको समाप्त किया जाए. उनकी मांगों के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। यात्री भाड़े और माल भाड़े वृद्धि को समाप्त किया जाए और छठी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा से ज्यादा धन रेलवे की प्रगति के लिए रखा जाए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि टेक्स बढ़ाने के बजाए छठी पंचवर्षीय योजना में रेलवे को ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि अविकसित इलाकों का विकास हो सकें। वहाँ पर नई रेल लाइनें बन सकें और नवीनीकरण हो सके।

श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे (खलीलाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत 1983-84 के रेलवे बजट का अनुमोदन करता हूं।

रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सुरक्षा, संरक्षण और समय पालन का जो आश्वासन दिया उससे देश की जनता में यह आस्था उत्पन्न हुई है कि अब 'रेल-गाड़ियां समय से चलेंगी और यात्री सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। इस आर्थिक संकटकालीन परिस्थिति में रेलमंत्री जी ने जिस तरह से बजट पेश किया उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमारे जो भी संसद सदस्यगण बोलने के लिए खड़े होते हैं, नयी-नयी रेल लाइनों की माँग करते हैं और निर्माण कार्यों पर जोर देते हैं। अगर भाड़ा कुछ बढ़ जाता है तो उसको

साथ ही साथ खत्म करने की बातें किया करते हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, या तो रेल लाइनें बनें, विकास कार्य हो, तो इसको करने के लिए कुछ-न-कुछ भाड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

मान्यवर, हमारे शास्त्री जी बहुत चिंतित हैं कि मन्थली टिकट पर क्यों 6 से 15 रूपए कर दिया गया। हमें मालूम है कि एक टिकट पर दिन भर में तीन-तीन और चार-चार बार आते हैं और अगर 6 रूपए से 15 रूपए कर दिया गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं आपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्रीजी, रेल मंत्रीजी, और योजना मंत्री जी. का ध्यान आकृष्ट कराया है। हम समस्त उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों की मांग है कि गौरखपुर में एक कोच फैक्टरी की स्थापना की जाए। रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में इस पर विचार करने के लिए कहा भी है।

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक पूर्वी उत्तर प्रदेश ने कुछ नहीं पाया। भारत सरकार द्वारा केवल फर्टिलाइजर फैक्टरी गोरखपुर में स्थापित की गई, उसके बाद कुछ नहीं दिया गया। हम सब संसद सदस्यों की एकमत से मांग है कि कोच फैक्टरी पर जो विचार चल रहा है, रेल मंत्रालय और योजना आयोग में, वह अवश्य गोरखपुर में स्थापित की जाए जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता में एक आस्था उत्पन्न हो कि उनके साथ भी भारत सरकार न्याय कर रही है। हमें आशा पूर्ण और विश्वास है कि हमारे रेल मंत्रीजी जो चाहते हैं उसको करा लेते हैं इसलिए हम लोग मांग करते हैं वह कोच फैक्टरी स्थापित कर, हमारी मदद करें।

गोरखपुर से बम्बई जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति में हम सब संसद सदस्यों एक स्तर से मांग की कि पूर्वी उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है वहां के लोग बम्बई और कलकत्ता में रोजी-रोटी ढूंढने के लिए जाते हैं परन्तु वहां जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि गोरखपुर से दिल्ली आने के लिए और लखनऊ की ट्रेन में इस तरह से परिवर्तन किया जाये जिससे एक रेल से दूसरी रेल में बैठा जा सके।

इस तरह का संकट पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। बार बार रेल मंत्री जी ने सलाहकार समिति में आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जायेगा परन्तु रेलवे बोर्ड ने हमारी मांग के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया—केवल एक शब्द कहा कि कोच नहीं है, लाइन खाली नहीं है इस नाते नहीं चलाई जाती। मैं मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को न्याय दिया जाए और कम से कम एक ट्रेन सीधी गोरखपुर से बम्बई के लिए चलाने का आश्वासन रेल मन्त्री जी की ओर से यहां पर दिया जाए।

गोंडा से गोरखपुर की ब्रांच लाइन जो नेपाल बार्डर से होकर आती है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आज हमारा देश बड़े गम्भीर खतरे से गुजर रहा है, अतः बार्डर की इस ब्रांच लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करने की बड़ी आवश्यकता है। यदि यह लाइन ब्राड गेज में परिवर्तित हो जायेगी तो रेल विभाग द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा में एक बड़ा योगदान हो सकेगा।

डी० एस० से डी० आर० एम० बना दिया गया परन्तु इससे कार्य-कुशलता, कार्यदक्षता और कार्यक्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई । केवल मात्र ग्रेड ही बड़ा दिये गये । इससे अच्छा यह होता कि रेलवे में एक-दो डिवीजन बना दिए गए होते, उससे रेलवे की कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी हो सकती थी । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । पूर्वोत्तर रेलवे में बराबर यह माँग करने के बाद भी एक भी डिवीजन नहीं बढ़ाया गया । हमारी अपील है कि गोरखपुर में एक मण्डल कार्यालय खोला जाए जिससे कि उस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके ।

सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1974 में हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने बगहा-छितौनी पुल का शिलान्यास किया था परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि 1974 में किए गए शिलान्यास के बाद वहां पर जो पत्थर और लोहे की लाइनें गिराई गई थीं वह वहां से उठकर आपके मध्य प्रदेश में चली गई हैं ।

सभापति महोदय : मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : सलाहकार समिति में जब हमने मांग की तो हमें आश्वासन मिला कि बगहा-छितौनी पुल के लिए फिर से सर्वेक्षण किया जा रहा है और उस पुल का निर्माण कैसे हो, उसके लिए पूना के किसी कार्यालय में नकशा तैयार किया जा रहा है । 1971 से 1977 तक का पीरियड तो समाप्त हो गया और अब 80 से 85 का पीरियड है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूज्य प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा दिए गए आश्वासन और शिलान्यास को कार्य रूप में हमारे रेल मन्त्री परिवर्तित करेंगे । इस पुल के बन जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी भाग की दूरी कम हो जायेगी तथा लोगों को आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकेंगे ।

सभापति जी, सलीलाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है । प्रतिदिन हजारों रेल कर्मचारी खलीलाबाद से गोरखपुर रेलवे हैडक्वार्टर पर नौकरी के लिए जाते हैं और शाम को खलीलाबाद लौटते हैं । कारण यह है कि गोरखपुर में रहने के लिए क्वार्टर बहुत कम हैं । खलीलाबाद में जमीन भी उपलब्ध है । उत्तर प्रदेश सरकार ने खलीलाबाद को इन्डस्ट्री टाउन भी घोषित किया है । जब श्री केदार पांडे जी रेल मन्त्री थे, तो उनसे मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने सर्वे भी करांया था और हमें आश्वासन भी मिला कि खलीलाबाद में रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी बनाया जाएगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने भी भारत सरकार को इस सम्बन्ध में लिखा था, लेकिन वह कोरा आश्वासन रह गया । मेरी आपसे प्रार्थना है कि खलीलाबाद में रेल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए जायें । छोटी लाइन पर एक शाने-ए-अवध नाम की ट्रेन गोरखपुर से सुबह छः बजे चलती थी और सुबह दस बजे लखनऊ पहुंचती थी । और शाम को 4.30 पर चलकर सात बजे गोरखपुर पहुंचती थी । लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ब्राडगेज लाइन हो जाने के बाद भी सुबह आने के लिए लखनऊ से कोई ट्रेन नहीं है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है । मेरी आपसे अपील है कि जो ट्रेन पहले चलती थी, उसको पुनः चालू किया जाए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके ।

माननीय रेल मन्त्री जी ने जी० आर० पी० की संख्या को बढ़ा दिया है। जब तक जी० आर० पी० पर रेल का कन्ट्रोल न हो, जब तक जी० आर० पी० पर आपके अधिकारियों का कन्ट्रोल न हो और वे उनकी बातों को न सुनें, तब तक उनकी संख्या बढ़ाना या न बढ़ाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें मेरी आप से अपील है कि जब तक आप रेल एक्ट में सुधार न कर सकें और उस को संसद में लाने में देरी हो तो प्रदेश सरकारों से बात करके रेल अधिकारियों को जी० आर० पी० के अधिकारियों को करैक्टर सोल लिखने का अधिकार दे दीजिए। चोरी करते हैं, जी० आर० पी० के लोग और उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, रेल मन्त्री और रेलवे बोर्ड को। मैं अपील करता हूं कि जी० आर० पी० की संख्या बढ़ाने से जो अच्छा था कि आप आर० पी० एफ० की संख्या बढ़ाते और उनको अधिकार देते। मेरी अपील है कि माननीय मन्त्री महोदय को इसमें कोई कदम शीघ्र से शीघ्र उठाना चाहिए।

माननीय रेल मन्त्री महोदय ने बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकने के लिए भी आश्वासन भी दिया है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि रेल के एक जोन में दो या तीन मैजिस्ट्रेट रहते हैं। कभी उनको लखनऊ डिवीजन जाना पड़ता है, तो कभी उनको आइजक डिवीजन में जाना पड़ता है, तो कभी उनको समस्तीपुर डिवीजन में जाना पड़ता है। यदि आपको रेल में बिना टिकट यात्रा करने वालों को रोकना है तो प्रत्येक डिवीजन में एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति कीजिए और उनको जिम्मेदारी दीजिए कि बिना टिकट के लोग रेल में यात्रा नहीं करेंगे।

कुछ शब्द मैं आपसे ए० एस० एम० के बारे में भी कहना चाहता हूं। इन लोगों को एक जगह ड्यूटी करनी पड़ती है, तो दूसरी जगह फिर ड्यूटी करनी पड़ती है। इसकी वजह से रेल सर्विस कमीशन को जिस तरह का काम करना चाहिए, वह नहीं कर पाती है। उदाहरण के लिए मैं आपका ध्यान एक मुख्य बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इलाहाबाद में रेलवे सर्विस कमीशन है, जिसके चेयरमैन साहब 8 महीने पूर्व रिटायर हो चुके हैं, परन्तु अभी तक उन्होंने पूरा चार्ज नहीं दिया है। अधूरा चार्ज लेकर एक अधिकारी महोदय वहां पर बैठे हुए हैं। अभी तक जो भूतपूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने रिजल्ट्स अपने पास रोक रखे हैं। मेरी प्रार्थना है कि भूतपूर्व चेयरमैन को तत्काल निर्देश दिया जाए कि उनके पास जो कापियां और रिजल्ट शीट्स हैं, वे उनको तुरन्त रेलवे सर्विस कमीशन को लौटायें। कमीशन को यह निर्देश भी दिया जाना चाहिए कि उसके अन्तर्गत जो भी परीक्षायें हों उनके रिजल्ट समय से निकाले जायें।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल-बजट का समर्थन करता हूं।

श्री टी० नागरत्नम (श्री पेरम्बदूर) : सभापति महोदय मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेलवे बजट 1983-84 पर वाद-विवाद में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया है, यद्यपि मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, लेकिन फिर भी मैं, इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के लोग किरायों में वृद्धि, विशेषतः रियायती टिकटों के किरायों में वृद्धि तथा भाड़े में वृद्धि से बहुत चिन्तित हैं। निर्धन तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर लगाये गये कर

भार से 488.90 करोड़ रु० की प्राप्ति होने की आशा है। प्रस्तावित कर संशोधन से यात्री यातायात से 178.09 करोड़ रु० तथा माल यातायात से 310 करोड़ रु० वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।

मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं इसकी सराहना करता हूं कि मंत्री जी ने एक नया नारा दिया है—बचाव, सुरक्षा तथा समय की पाबन्दी। यदि गाड़ियों में सुरक्षा के पहलू को मजबूत किया जाये तब स्वाभाविक रूप से हमारी सुरक्षा होगी। जहां तक समय-पाबन्दी का सम्बन्ध है यह न केवल गाड़ियों के गन्तव्य स्थान पर समय पर पहुंचने के मामले में ही होनी चाहिए बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं में होनी चाहिए।

सुरक्षा सम्बन्धी पहलू के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि छः महीने पहले गुम्मी दी पुण्डी के गुम्मीकीपुण्डी यात्री गाड़ी से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप 8 व्यक्तियों ने अपनी जानें गवाईं। अभी तक उनके परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है। वास्तव में, मैं मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि जब किसी दुर्घटना में इतने अधिक व्यक्ति मारे जायें तब मृतकों के कानूनी वारिसों को रेलवे विभाग में नौकरी दी जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आपने बजट भाषण में मन्त्री जी ने यह बताया है कि फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने तथा फाटकों की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त धनराशि खर्च की जा रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोग अरकोणम तथा तिरूवल्लूर से मद्रास स्थित अपने कार्यालयों में नौकरी करने जाते हैं। गाड़ियाँ या तो अरकोणम से अथवा तिरूवल्लूर से चलती हैं। अशोक लीलैण्ड, मद्रास रिफ्राइनरीज, मद्रास फर्टिलाइजर्स जैसे कार्यालय अधिकतर एन्नौर में स्थित हैं। जो लोग अरकोणम तथा तिरूवल्लूर से एन्नौर जाते हैं' उनको बेसिन पुल पर उतरना पड़ता है और एक अन्य गाड़ी पकड़नी पड़ती है जो मद्रास से आती है, और उसके पश्चात अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। यदि पहले वाली गाड़ी देर से आती है जैसा कि आमतौर पर होता रहता है, तो वे दूसरी गाड़ी को नहीं पकड़ सकते। इस प्रकार बहुत से लोग समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच सकते। लेकिन रेल मन्त्री जी ने बजट में यह उल्लेख किया है कि समय-पाबन्दी को बनाये रखना है। वहां पर गाड़ियों के देर से चलाने के कारण बहुत सारे लोग समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। कभी-कभी उपस्थिति रजिस्टरों से ऐसा भी देखा जाता है कि वे अनुपस्थित हैं।

नई दिल्ली—मद्रास लाइन पर गुम्मुदीपुड़ी रेलवे स्टेशन पर एक फाटक है लेकिन वहाँ पर कोई भी गेट नहीं है। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों से कितने ही बार एक गेट वहाँ पर लगाने को कहा है। लेकिन अभी तक इसको नहीं लगाया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

17.01 **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

मैं सदन से यह भी अनुरोध करता हूं और मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित

करना चाहता हूं कि मद्रास-अरकोणम मार्ग पर चिन्नायापेट रेलवे स्टेशन है जहां कि सभी गाड़ियां नहीं रुकती हैं। बहुत से लोग, विद्यार्थी तथा अन्य यात्रियों को वहां पर गाड़ी नहीं मिल पाती है यद्यपि चिन्नमापेट रेलवे स्टेशन पर वे काफी समय तक इन्तजार करते हैं। अतः माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों को यह अनुदेश देने की आवश्यक कार्यवाही करें कि उस स्टेशन पर सभी यात्री गाड़ियों को रोका जाये ताकि लोग उस स्टेशन से गाड़ी में बैठ सकें।

बजट देखने से यह पता चलता है कि बहुत से रेलवे आरक्षी बल के कार्मिकों को भर्ती किया जाए। महोदय, हम मद्रास से दिल्ली को यात्रा करते रहे हैं। दिन के समय रेलवे आरक्षी बल के कार्मिक डिब्बों में सतर्क रहते हैं, लेकिन रात्रि के समय वे लोग गायब रहते हैं, वे डिब्बों में नहीं बैठते हैं। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि रात्रि के समय में डिब्बों में रेलवे आरक्षी बल को सतर्क किया जाये।

मंत्री महोदय ने बजट में यह बताया है कि यदि कोई संसद सदस्य एक नई रेलवे लाइन की मांग करता है तो यह मानना पड़ेगा कि यह जनता की मांग है। महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि यह एक कल्पना नहीं है बल्कि एक धारणा है। जहां तक नई लाइनों का सम्बन्ध है, वर्ष 1982-83 के बजट के दौरान लगभग 85 किलोमीटर नई लाइनें अभी तक विछा दी गई हैं और यह आशा है कि उन पर जल्दी ही यातायात प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1983-84 के दौरान 137 किलोमीटर नई लाइनें पूरी कर ली जायेगी तथा यातायात के लिए खोल दी जायेगी। जहां तक वर्ष 1981-82 के लिए इण्डियन रेलवे पुस्तक का सम्बन्ध है 31-3-82 को भ रतीय रेलों के आने जाने के मार्ग की लम्बाई 61,230 किलो मीटर थी, जिसके अनुसार हमारी रेलें नौ क्षेत्रों में विभाजित हैं जिसमें दक्षिण क्षेत्र के मार्ग की लम्बाई 6703 किलोमीटर है। भारत में इसका पांचवां स्थान है। आप राज्य-वार ब्यौरा देख सकते हैं। तमिल-नाडु में इसकी लम्बाई केवल 3,895 किलोमीटर है और भारत में इसका आठवां स्थान है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहाँ तक आंकड़ों का सम्बन्ध है उसके अनुसार दक्षिण रेलवे की स्थिति बहुत पीछे है। पुस्तक में यह बताया गया है कि सबसे पहले उत्तरी रेलवे का स्थान है जिसके मार्ग की लम्बाई 10,972 किलोमीटर है, दूसरा स्थान पश्चिमी रेलवे का है जिसकी लम्बाई 10,293 किलोमीटर है, दक्षिण पूर्व रेलवे के मार्ग की लम्बाई 7,041 किलोमीटर है तथा दक्षिण मध्य रेलवे के मार्ग की लम्बाई 6'932 किलोमीटर है दक्षिण (मद्रास), के मार्ग की लम्बाई 6,703 किलो मीटर है तथा मध्य रेलवे के मार्ग की लम्बाई 6,309 किलोमीटर है। जहां तक राज्यवार रेल मार्ग का सम्बन्ध है, वह निम्नलिखित रूप में है :—

उत्तर प्रदेश	8880 किलोमीटर
मध्य प्रदेश	5736 -तदैव-
गुजरात	5632 -तदैव-
राजस्थान	5614 -तदैव-
बिहार	5362 -तदैव-

महाराष्ट्र	5235 -तदैव-
आन्ध्र प्रदेश	4781 -तदैव-
तमिलनाडु	3895 -तदैव-

अत: इस प्रकार तमिलनाडु का आठवां स्थान है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु को कम महत्व न दिया जाये। मैं मंत्री जी से तमिलनाडु में रेल मार्ग में वृद्धि करने तथा नई लाइन को प्रारम्भ करने का अनुरोध करता हूं।

मद्रास में अरकोणम तक तिरूवेलनगडू तथा चिन्नामपेट्टाई रेलवे स्टेशन हैं। उत्तर की ओर दो मील पर एक गन्ने के क्रेशर मिल को छः महीनों में प्रारम्भ कर दिया जायेगा। वहां यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए क्योंकि वह क्षेत्र एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। केन्द्रीय सरकार ने मिल को चलाने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने सहकारी समिति के अन्तर्गत कार्य को प्रारम्भ किया है। मैं यह निवेदन करता हूं कि इसके लिए दो मील लम्बा एक नया रेल मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जहां तक डिण्डीगुल-करूट लाइन के बड़ी लाइन में बदलने का सम्बन्ध है, इसका उद्घाटन मन्त्री जी ने किया था वह अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि कार्य को शीघ्र निपटाया जाये तथा जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसको भी बढ़ा दिया जाना चाहिए।

मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं तमिलनाडु की जनता की ओर से विशेषत: जी० एम० के० के नेता डा० कलायनंटू की ओर से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 1983-84 के बजट में मद्रास समुद्रतट से लुज तक त्वरित गति वाली ट्रांसिट प्रणाली के लिए 53.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को सम्मिलित किया है। आजकल के समय के अनुसार यह धनराशि पर्याप्त नहीं होगी। अत: इस धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको पहले इसे प्रारम्भ करने तो दीजिए।

श्री टी० नागरत्नम : मैं इसलिए कह रहा हूं कि करूर-डिण्डीगुल निर्माण कार्य को पर्याप्त धन के अभाव में रोक दिया गया है। अत: एक पूर्व-सावधानी के रूप में मैं मन्त्री जी से धनराशि को बढ़ाने का निवेदन करता हूं ताकि कार्य को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

इस बजट में रेलवे मंत्रालय अपने लगभग 6 लाख कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध करायेगी। तिरूवेललौर, सेंवापेट, तिरीयूनीनरायूर पट्टाभिराम, अवाडी, कदम्बथूर, मनूर थिरूवेलनगडू, पौनेरी तथा गुम्मुदीपोण्डी के रेलवे स्टेशनों पर वर्ष 1982-83 में 7,000 से अधिक स्टाफ क्वार्टरों के पूरा होने की आशा है तथा वर्ष 1983-84 के दौरान लगभग 8,000 अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है।

रेलवे स्टेशन के क्वार्टर टूटी-फूटी स्थिति में हैं। अत: मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उन मकानों की मरम्मत कराई जाये अथवा अन्यथा नये क्वार्टरों का निर्माण कराया जाये।

बजट में यह बताया गया है कि जून, 1981 में एक उच्च शक्ति प्राप्त रेलवे सुधार समिति गठित की गई थी। इस समिति के द्वारा बहुत सी आवश्यकताओं के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। बहुत से पुलों का नया निर्माण करना होगा और उनमें से कुछ की मरम्मत की जानी है। अराकोणम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ा जंक्शन है। वहां पर उसके पूर्व की ओर एक पुराना पुल है। वह टूटी-फूटी स्थिति में है। यह एक बहुत ही व्यस्त मार्ग भी है जिसके नीचे सभी बसें तथा अन्य वाहन चलते हैं। वह पुल किसी भी समय गिर सकता है जिससे लोगों के जीवन को खतरा बना हुआ है। अत: मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इसकी तुरन्त मरम्मत की जाये। वहां पर एक स्थान तिरूबैल्लौर नाम से है जो मद्रास-तिरूपति मार्ग पर पड़ता है, जो एक धार्मिक स्थान है तथा जहां पर बहुत से लोग जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त तिरूवैल्लौर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है तथा लोकल क्रासिंग पर भी बहुत भीड़-भाड़ रहती है। अत: मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे तिरूवैल्लौर लेवल-क्रासिंग पर एक पुल का निर्माण करायें जो कि बहुत ही आवश्यक है।

इसी प्रकार पट्टाभिराम रेल फाटक से बहुत से लोग जाते हैं और भीड़-भाड़ वाले केन्द्रों में से यह एक है। अत: मैं मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे यहां पर भी एक नया पुल बनवायें।

दिल्ली-मद्रास मार्ग पर मिनजूर नाम से एक रेलवे स्टेशन है। मिनजूर तथा अद्दीपेट के बीच नन्दीअम्बाकम स्थान पर एक नये फ्लेग स्टेशन को स्थापित करने के लिए जनता लगातार मांग करती रही है। यह बहुत समय की प्रतीक्षित मांग है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि मिनजूर तथा अद्दीपेट के बीच नन्दीआम्बकम स्थान पर एक नया फ्लेग स्टेशन उपलब्ध कराया जाये।

ब्रृन्दावन एक्सप्रैस नामक एक लोकप्रिय गाड़ी है, जो बंगलौर से मद्रास तक जाती है। यह अराकोणम पर नहीं रुकती है जो एक बहुत बड़ा जंक्शन है। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि वे अधिकारियों को निदेश जारी करें ताकि ब्रृन्दावन एक्सप्रैस को अराकोणम तथा तिरूवैल्लौर स्थानों पर रोका जा सके जहा से बहुत संख्या में लोग आते हैं। जो लोग इस गाड़ी से बंगलौर से यात्रा करते हैं वे अराकोणम अथवा तिरूवैल्लोर पर नहीं उतर सकते क्योंकि गाड़ी वहां पर रुकती ही नहीं है।

ये महत्वपूर्ण स्टेशन हैं और इसलिए मैं मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह बृन्दावन एक्सप्रैस को अरकोनम तथा तिरूवैलूर में रुकने के लिए निर्देश दें।

पिछले तीन वर्षों से जब से मैं संसद सदस्य बना हूं मैं सम्बन्धित अधिकारियों से तिरूवैलूर तथा कादम्बतूर के बीच इंगेटूर नामक स्थान पर एक स्टेशन खोलने के लिए निवेदन कर रहा हूं। यह कार्य श्रमदान के अन्तर्गत शुरू किया गया है और गाँव के लोगों ने एक लाख से अधिक रुपया खर्च किया है यद्यपि उन्होंने श्रमदान के अन्तर्गत एक लाख रुपया खर्च किया है फिर

भी यह काम अभी तक पूरा नहीं किया जा सका और लम्बित पड़ा हुआ है। मैं मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस काम को शीघ्र पूरा किया जाये।

अरकोनम और मद्रास के बीच के मार्ग पर पट्टाभिराम के निकट एक स्टेशन है। वहां पर धर्ममूर्ति बहादुर कलकलकानन चैट्टियार कालिज स्थित है। कठिन परिश्रम करके तथा पसीना बहाकर उन्होंने श्रमदान के अन्तर्गत एक फ्लैग स्टेशन का निर्माण करने के प्रबन्ध किये। परन्तु कालिज के प्राधिकारी तथा विद्यार्थी चाहते थे कि स्टेशन का नाम डी० आर० बी० सी० सी० कालिज स्टेशन रखना चाहिए। स्टेशन को नाम अभी नहीं दिया गया। इसलिए मैं मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह कालिज का नाम डी० आर० बी० सी० सी० कालिज रखा जाये।

अम्बटूर तथा अवाडी स्टेशनों के बीच अनानूर नाम का एक गांव है। गांव वालों ने एक फ्लैग स्टेशन बनाने के लिए एक हजार एकड़ से भी अधिक जमीन दान दी है अब गांव वाले चाहते हैं कि इस स्टेशन को अन्नानूर नाम दिया जाये क्योंकि यह उनके गांव का नाम है। परन्तु अन्नानूर के बजाय इस स्टेशन का नाम सत्यमूर्ति स्टेशन रख दिया गया। इसलिए लोग क्षुब्ध हैं और उन्होंने कई बार अभ्यावेदन दिये हैं और जनता के प्रतिनिधियों को भी इस बात के लिए दोष दिया है कि वे सरकार पर इस स्टेशन का नाम सत्यमूर्ति से बदल कर अन्नानूर रखने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। अतः मैं मन्त्री से इस स्टेशन का नाम सत्यमूर्ति से बदल कर अन्नानूर रखने का निवेदन करूंगा। जनता अन्नानूर नाम रखवाने के लिए बहुत उत्सुक है।

तमिलनाडु के अधिकांश लोग चाहते हैं कि 'एनैक्सी कोच' कारखाने को किसी अन्य राज्य, आन्ध्र प्रदेश या हरियाणा में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि यह उपकारखाना किसी अन्य राज्य में शुरू किया जाता है तो उसकी लागत अधिक आयेगी और यदि इस उपकारखाने को मद्रास के निकट इन्टेग्रल कोच कारखाने के निकट स्थापित किया जायेगा तो यह सस्ता पड़ेगा। वहां पर बहुत से स्थान उपलब्ध हैं। काफी खाली भूमि पड़ी हुई है। उपकारखाने का अर्थ है कि यह मुख्य कारखाने के निकट होना चाहिए। हमारे पास संसदीय शोध संसद भवन के बहुत ही नजदीक है। अतः कोच का उपकारखाना पैरम्बूर स्थित इन्टेग्रल कोच कारखाने के बहुत ही नजदीक होना चाहिए। आप या तो तिरूवैलूर या गुमुडापुन्डी या पोन्नेरी या तिरूरानी या श्रीपेरूम्बुडूर में इसके लिए स्थान का चयन कर सकते हैं। ये स्थान पिछड़े क्षेत्रों में हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कोच का उपकारखाना मद्रास के निकट ही शुरू करने का निवेदन करता हूं।

मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि मैं दक्षिणी क्षेत्रीय रेलवे में केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी के प्रचार के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु संविधान के अनुसार हिन्दी देवनागरी लिपि में राष्ट्रीय भाषा होगी और जनता को राष्ट्रीय एकता के लिए इसे स्वीकार करना चाहिए। साथ ही मैं माननीय मंत्री से उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जबकि हम हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं हमें अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को दबाना नहीं चाहिए। गैर-तमिल भाषी लोग दक्षिण आन्ध्र प्रदेश मे, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में कार्यरत हैं। क्या मंत्री इस बात

पर जोर दे सकते हैं कि जिनको तमिल नहीं आती उन्हें तमिल पढ़नी चाहिए ? अब तक तमिल पढ़ने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किये गये। जबकि आप लोगों पर लाभकारी उद्देश्यों के लिए हिन्दी परीक्षा पास करने के लिए दबाव दे रहे हैं उनको पुरस्कार दे रहे हैं लेकिन जो लोग तमिल नहीं जानते उनको तमिल पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। अतः मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि यदि हम वास्तव में राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं को विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के विभागों में दबाया नहीं जाना चाहिए।

मद्रास से दिल्ली आते समय टी० टी० ई० को भी काफी कठिनाई उठानी पड़ती है। उनके लिए बर्थ या सीट की कोई व्यवस्था नहीं होती। टी० टी० ई० की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और वे यात्रा के दौरान और रात को भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। वे रात को कैसे सोते हैं और यात्रा के दौरान कैसे बैठते हैं ? अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि उनके लिए एक बर्थ और सीट की व्यवस्था होनी चाहिए।

अन्त में मैं रेल मंत्री का ध्यान बेचारे कमीशन वैन्डरों की ओर आकर्षित करता हूं। उनमें से कुछ पी० यू० सी० पास हैं, कुछ बी० ए० पास हैं तथा कुछ एस० एस० एल० सी हैं। वे विशेषतः मद्रास से दिल्ली तक के लिए कमीशन वेंडर भर्ती किये गये थे और उनको 10 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है जबकि सामान्यतः कमीशन वेंडर को 20 प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इसलिए इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी उसी दर पर कमीशन मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : और उनको स्थायी रूप से सेवा में किया जाना चाहिए। वह कमीशन वेंडर ही क्यों रहे ?

श्री टी० नागरत्नम : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनको स्थायी कार्य दे दिया जाये और उनको वापिस न भेजा जाये। मैं माननीय मन्त्री से अपने सभी निवेदनों पर विचार करने का निवेदन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं जो आज बोलना चाहते हैं। मैं बैठने के लिए तैयार हूं और माननीय मंत्री कल उत्तर देना चाहते हैं। माननीय मंत्री ने मुझसे बात की थी। अतः जिन माननीय सदस्यों के नाम सूची में आते हैं उनको बुलाया जायेगा और उन्हें भाषण समाप्त होते ही सभा को छोड़कर चले नहीं जाना चाहिए। इस शर्त पर मैं जब तक बैठने के लिए तैयार हूं जब तक सभी लोग जिनका नाम सूची में है अपना भाषण समाप्त करें। इसमें यह शर्त है कि अपना भाषण समाप्त करके आपको सभा को छोड़कर चले नहीं जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभा इस बात पर सहमत है।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : हमें कितनी देर तक बैठना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अतः मैं आपके द्वारा इसका विरोध किया जाना समझ सकता हूं।

श्री सुधीर गिरि : मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि माननीय सदस्य आज बोल सकते हैं और मंत्री उनका उत्तर कल दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ताधारी दल का प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से अधिक नहीं लेगा ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : हमारे नाम पीछे क्यों रखे गये ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक पार्टी को कुछ समय दिया गया है और कोई भी सदस्य अधिक समय नहीं लेगा ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : मैं कहता हूं कि शुरू से ही प्रत्येक सदस्य को बराबर समय दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस प्रकार से सभा के कार्य संचालन के लिए आदेश नहीं दे सकते । यह अध्यक्ष पीठ पर निर्भर करता है मैं कोशिश करूंगा कि सभी सदस्यों को अवसर मिले । इस बजट पर सभी बोलना चाहेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । साथ ही साथ माननीय रेल मन्त्री ने इस माननीय सदन में जो रेल बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं । रेल मन्त्री ने जिस साहस और प्रशासनिक दक्षता के साथ इस माननीय सदन में रेल बजट प्रस्तुत किया है उससे आभास मिलता है कि यह बजट प्रगतिशीलता की ओर देख रहा है । मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जो गाड़ियों के चलने के समय, सुरक्षा और संरक्षण की बात कही है और माल की ढुलाई में जो प्रगति दिखलाई है, केवल इस थोड़ी सी अवधि में, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । उन्होंने बहुत ही सहसिक ढंग से, दक्षता के साथ और प्रशासनिक दृष्टिकोण से बजट पेश किया है और रेलवे बोर्ड में जो परिवर्तन किए हैं उसके लिए मैं एक बार पुन: उन्हें बधायी देना चाहता हूं । रेलवे प्रशासन को चुस्त करने के लिए जो उन्होंने नया कदम उठाया है, उसके लिए मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता हूं ।

मैं यह मानता हूं कि रेलवे निर्माण के लिए दो पक्ष होते हैं । जिनकी तरफ माननीय सदस्यों ने भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, वह यह है कि नई रेलवे लाइनें, नए स्टेशन और लाइनों का कनवर्जन होना चाहिए । यह ठीक है कि इसके साथ-साथ आर्थिक व्यवस्था की भी बात सोचनी पड़ती है । सन् 1980 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिस ने अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार को प्रेषित की थी । मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष रूप से उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं यह मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बातचीत करने पर वहां का मानचित्र उनके सामने होना चाहिए । उस मानचित्र को देखकर ही उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को उठाने के लिए विचार करना चाहिए । उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, वहां के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक । शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पिछड़ा

हुआ है, वहां पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। मैं एक ऐसे क्षेत्र से चुनकर आया हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वहां एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। 1977 में सहजनवा दोहरी घाट का सर्वेक्षण किया गया था, इस संदर्भ में कई बार वर्तमान मंत्री और इनसे पहले जितने भी मंत्री रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करता रहा हूं तथा इस संदर्भ में मैंने प्रधान मन्त्री जी का भी ध्यान आकर्षित किया है, जो सदियों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो भारत के मानचित्र में ऐसा क्षेत्र है जहां एक इन्च भी रेल लाइन नहीं है, वहां इनका ध्यान जाना चाहिए। अब तक इस का सर्वेक्षण तीन बार किया जा चुका है, लेकिन इस ओर अभी तक भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस संबंध में मैंने एक सवाल भी पूछा था कि इस सर्वेक्षण पर कितना समय लगा, कितना रुपया लगा, लेकिन रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई समुचित उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे दुःख के साथ कहना पडता है कि यदि इस प्रकार की हालत रही तो मैं कैसे अपने निर्वाचन के निवासियों की समस्याओं को इस माननीय सदन में पेश कर सकता हूं। यह संसद जो संसार की सबसे महान पंचायत है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी राज्य सभा में भी भूतपूर्व रेल उप मन्त्री श्री मल्लिकार्जुन द्वारा एक प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि 13 रेल लाइनों के लिए सिफारिश की गई है, जिसमें सहजनवा दोहरी घाट का भी जिक्र किया गया है।

मैं पूछना चाहता हूं—क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिये, सामाजिक उत्थान और आर्थिक विपन्नता को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी रिपोर्ट दी थी--आज उस रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है ? यदि ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ऐसी महत्वपूर्ण समिति की रिपोर्ट यहां पर दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। रेल मन्त्री जी, मैं आप से पुनः निवेदन करना चाहता हूं—जिस स्थान का तीन-तीन बार सर्वेक्षण हुआ, उस पर काफी पैसा खर्च किया गया, यहां तक कि सर्वेक्षण के बाद पत्थर भी लगा दिये गये, लेकिन उसके बाद यह कह कर उसको निरस्त कर दिया गया कि आर्थिक-प्रतिफल नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं— क्या उस समिति की रिपोर्ट में यह नहीं लिखा है कि हम आर्थिक प्रतिफल को ही नहीं देखेंगे बल्कि यह भी देखेंगे कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन को भी दूर करती है या नहीं, उस क्षेत्र की आर्थिक-विपन्नता को भी दूर करती है या नहीं, सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर होती है या नहीं। इस आधार पर मैं रेल मन्त्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं—आप व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दें क्योंकि वह बहुत ज्यादा पिछड़ हुआ क्षेत्र हैं। वहां की जनता आप की तरफ आंख लगा कर देख रही है— उसका सर्वेक्षण हो चुका था, पत्थर पड़ गये थे, फिर उस को क्यों रोका गया।

अभी हमारे श्री कृष्ण चन्द्र पाँडे जी बोल कर गये हैं, उन्होंने अपने भाषण में इन्टीग्रल कोच फैक्टरी का उल्लेख किया था। यह बिलकुल सही बात है, उत्तर भारत में जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरा विवेक है, कोई कोच फैक्टरी नहीं है। उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में आप को लिखा था। उसके उत्तर में दिसम्बर, 1982 में आप ने जो चिट्ठी उनको भेजी है, उसकी कापी मेरे पास है, उस में आप ने आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वेक्षण

कार्य हो रहा है। सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने के बाद हम निश्चय करेंगे कि कोच फैक्टरी कहां दी जा सकती है। श्रीमन्, गोरखपुर चूंकि पूर्वोत्तर रेलवे का हैड-क्वार्टर है तथा वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर आज तक कोई उद्योग-धन्धे नहीं लगे हैं इस लिये मेरा निवेदन है—पूर्वोचल की तरफ से, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, पूर्वांचल के सभी 16 जिलों की तरफ से, जिनको पटेल आयोग ने पिछड़े हुए जिले घोषित किया है—कि यह फैक्टरी गोरखपुर में लगाई जाये।

एक विशेष निवेदन में यह करना चाहता हूं हम लोग गोरखपुर की तरफ से दिल्ली आते हैं, वहां से दिल्ली के लिये कोई डायरैक्ट ट्रेन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आप गोरखपुर से दिल्ली के लिये कोई डायरैक्ट ट्रेन अवश्य दें। हमारे पाण्डे जी ने यह आवाज उठाई है कि वहां से बम्बई तथा दिल्ली के लिये डायरैक्ट ट्रेन दें—मैं भी उन की इस मांग का समर्थन करता हूं—क्योंकि उस क्षेत्र के लिये ऐसी ट्रेन का बहुत महत्व है। लेकिन यदि आप इस में असमर्थता प्रकट करते हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं—जिस प्रकार गोरखपुर से तीन बोगी लाकर आप 29 अप में जोड़ते हैं तथा दिल्ली से वही तीन बोगियां गोरखपुर के लिये 30 डाउन में जोड़ी जाती हैं, उसी तरह से आप तीन बोगियां गोमती एक्सप्रेस में, विश्वनाथ एक्सप्रैस में जोड़ने की व्यवस्था कर दें तो इस का बहुत लाभ पूर्वांचल के लोगों को मिल सकता है। जब तक आप हमें डायरैक्ट ट्रेन नहीं दे सकते, तब तक आप इन ट्रेनों में बोगियां जोड़ने की व्यवस्था कर सकते हैं।

भारतीय रेल एक है, रेलवे बोर्ड एक है, रेल मन्त्री जो भी एक हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जो डिवीजन भारत में बने हुए हैं जैसे कार्यक्रम आगे सफलतापूर्वक चल सकता है।

पुनः मैं आपके इस साहसिक और प्रगतिशील बजत की सराहना करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्री शांतु भाई पटेल (साबरकंठा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मन्त्री महोदय ने जो रेल बजत प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

आज हिन्दुस्तान में रेलवे का पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में रेलवे का बहुत महत्व है। रेलवे ने भिन्न-भिन्न वर्गों और प्रांतों के लोगों को एक सूत्र में बांध रखा है।

रेलवे बजट पर बोलते हुए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन के बारे में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह लाइन है मोडासा, कपड़वंज, नढ़ियाद रेलवे लाइन। यह रेलवे लाइन 1977-78 में स्वीकृत हुई और 1977-78 से लेकर 1980 तक इसमें काम हुआ और कुल डेढ़ करोड़ रुपया इस पर पर खर्च किया जा चुका है। अन्य माननीय सदस्य तो नई लाइनों की मांग करते हैं, लेकिन मैं उस कार्य की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो रेल निर्माण पिछले 5 साल से चल रहा है। इस कार्य को स्वीकृत हुए 5 साल हो चुके हैं। जिस समय यह कार्य स्वीकृत हुआ था उस समय लाईन का अदाजा साढ़े 5 करोड़ का था, अब वह बढ़ चुका होगा।

पिछले तीन सालों से जब से मैं इस हाउस में चुनकर आया हूं तब से मैं बराबर इसकी मांग करता आ रहा हूं कि इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। रेलवे बजट पर भी मैं बोल चुका हूं, कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई बार रेलवे मन्त्री जी, से मिला, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से भी मिला, पाण्डे साहब से मिला, सेठी साहब से मिला और आज चौधरी साहब से भी मेरा यहां निवेदन है कि वे इस काम को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की कोशिश करें।

पिछले साल इस काम के लिए 50 लाख रुपया बजट में रखा गया था। इस काम को शुरू कराने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन इस पैसे को अन्य जगह खर्च कर दिया गया। कई बार बजट में प्रावधान किया गया, लेकिन पैसा दूसरी जगह खर्च कर दिया गया। यह गुजरात का पिछड़ा हुआ इलाका है। इस इलाके की उन्नति के लिए इस कार्य को पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। काफी काम हो चुका है, अर्थ वर्क हो चुका है, छोटे-बड़े कई पुल भी बन चुके हैं, लेकिन आगे यह कार्य नहीं चालू किया जा रहा।

मोडासा में इन्जीनियरों के लिए कार्यालय बनाए गए थे और बड़ी धूमधाम से काम शुरू हुआ था, लेकिन आज वहाँ से सामान दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है और स्टाफ भी दूसरी जगह चला गया है। इसके लिए वहां के लोगों में बहुत असंतोष है और वे आंदोलन कर सकते हैं। हम जब भी वहां जाते हैं तो उनको समझाते हैं कि सरकार हमारी है और जो रेल का काम चालू हुआ है उसे पूरा किया जाएगा। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और इसके लिए रेल का काम चालू करने का यहां पर आश्वासन दिया जाए। ताकि कोई आंदोलन न हो। हमारी बात का कहां भी नहीं सुनी जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस काम को जल्दी से शुरू करके जल्दी पूरा किया जाना चाहिए।

कई बार बजट में प्रावधान किया गया। इससे लोगों को दिखता है कि वहां पर काम होगा। जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि काम चालू है और शीघ्र पूरा हो जायेगा। लेकिन वहां पर काम नहीं चल रहा है। इस बजट में एक लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। एक लाख रुपया तो स्टाफ पर ही खर्च हो जायेगा। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को चालू करके पूरा कराया जाए और इसके लिए शीघ्र आदेश दिए जायें।

मंत्री जी जब रेल बजट की चर्चा का जवाब दें तो यह बात बताने की कोशिश करें कि वह काम जल्दी से शुरू करके जल्दी जल्दी पूरा हो जिससे इलाके के विकास में योगदान मिले और लोगों की वर्षों से चली आयी मांग पूरी हो। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस काम के लिए बजट में ज्यादा प्रावधान करके और काम शुरू करने का आदेश दें जिससे वह काम जल्दी से जल्दी चालू होकर पूरा हो। रेल मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, इस देश में रेल की प्रथम परिकल्पना 1931-32 में मद्रास प्रेसीडेंसी में की गई थी और आज भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा तथा संसार की चौथी रेलवे शृंखला है। यह राज्य संचालित व्यवस्था के हिसाब से दुनिया की दूसरी

सबसे बड़ी है। यदि आप इसे देखेंगे तो माल-भाड़े के हिसाब से दिन-प्रति-दिन गिरावट होती गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की तरफ हम देखें तो इस देश में जितना भी माल ढोया गया उसका 88 प्रतिशत रेलवे ढोता था और ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया माल की ढुलाई में कटौती होती गई। मंत्री जी क्लेम करते हैं और इससे पहले परफामेंस भी बताते हैं कि हमने काफी एचीवमेंट किया है और दूसरी तरफ ये फीगर्स हैं जो आपके सामने हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है और मंत्री जी इस पर अपना मंतव्य दें। सबसे पहले मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। कुछ महीनों से जन-प्रतिनिधि तथा नौकरशाह के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उसमें इनकी विजय हुई। मैं मानता हूं कि उस समय के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नौकरशाही का प्रतिनिधित्व करते थे और हमारे मंत्री जी जन-प्रतिनिधि का करते थे। जनतंत्र यदि इस मुल्क में रहना है तो यह आवश्यक है कि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि जो सरकार बनाते हैं, उनकी बात अन्तिम हो, उन्हीं के फैसले पर नौकरशाह चलें। बदकिस्मती से कुछ सालों से रेलवे बोर्ड की ऐसी कुछ व्यवस्था हो गई कि जो भी मंत्री आए, उनसे रेलवे-बोर्ड का कंफ्रन्टेशन हुआ। मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कहता चाहता। स्वर्गीय हनुमन्तैया रेल मंत्री थे, उन दिनों एमरजेंसी भी नहीं थी। लेकिन इसी तरह का टकराव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री गांगुली और रेल मंत्री के बीच हुआ जिससे उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बाद में रेल की ऐसी व्यवस्था बनी कि एमरजेंसी न होते हुए भी सेन्ट-पर-सेन्ट गाड़ियां समय पर चली। स्वर्गीय हनुमन्तैया जी की एक मान्यता थी कि जो हमारे 800 संसद सदस्य हैं, वे हमारे आनरेरी इंस्पैक्टर्स हैं। यदि वे किसी के खिलाफ कम्पलेंट करते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले कार्यवाही होगी और फिर एन्क्वायरी होगी। उनका यह कहना था कि कल वे भी रेल मंत्री हो सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं। आज हम यदि कोई बात उठाते हैं और उस पर जोर देते हैं, यदि उनका 10 परसेन्ट भी पूरा हो जाए, तो इस मुल्क के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे सन्तुष्ट हो जायेंगे और इससे रेल की व्यवस्था भी ठीक होगी।

बारबार यहां कहा जाता है कि इस रेलवे बोर्ड की जरूरत है कि नहीं ? बारबार कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। ये मानता हूं कि रेलवे बोर्ड का जैसा संगठन है और इसके जो सदस्य है वे अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या इसकी जरूरत है ? पी० एण्ड टी० में दो बोर्ड हैं लेकिन वहां इस तरह का कन्फ्रन्टेशन नहीं होता जैसा रेलवे बोर्ड से मिनिस्टर को होता है। तीन वर्ष में यह चौथे मंत्री हैं, मुझे जानकारी नहीं है कि कितने दिन यह रेल मंत्री रहेंगे। इसका कारण यह है कि रेलवे बोर्ड अपने को मास्टर मानता है और जिस रेल मंत्री ने उसकी इक्छानुसार काम नहीं किया तो उसको जाना पड़ा। मैं चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड को अवालिश किया जाये। यदि वित्त और स्वास्थ्य विभागों में बोर्ड्स की जरूरत नहीं होती है तो रेलवे में क्यों बोर्ड है ? इसलिए इस पर फिर से विचार किया जाये कि रेलवे बोर्ड की जरूरत है कि नहीं। और यदि आप समझते हैं कि जरूरत है तो उसको सलाहकार संस्था के रूप में रख सकते हैं, और उसको यह अथारिटी न दें कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं जिनमें देश की तरक्की की भावना सन्निहित है उनके रास्ते में वह बाधक न हो। सभी तरफ के सदस्यों ने अक्सर कहा है कि रेलवे बोर्ड ह्वाइट एलीफेंट है या स्लगिश ऐश है, और इसका कारण यही है कि रेलवे

बोर्ड हमारे काम में बाधक होता है इसलिए इसको अबालिश करके रेल मन्त्री महोदय जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर सकें तो अच्छा रहे ।

रेलवे एक्ट 1890 में बना और रेलवे बोर्ड ऐक्ट 1905 में बना। तब से जमाना कहीं से कहीं चला गया लेकिन आज तक उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ। क्या आवश्यक नहीं है कि इन दोनों एक्टों में संशोधन किया जाए ? मैं समझता हूं सारे सदस्य मानेंगे कि आज जरूरत है कि रेलवे एक्ट और रेलवे बोर्ड एक्ट में संशोधन किया जाए। मैं उदाहरण देना चाहता हूं इन्होंने कानून बनाया और उसके मुताबिक रेलवे कर्मचारी को काम करना है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी यदि कर्मचारी उसी एक्ट के तहत काम करते हैं तो उसको वर्क टू रूल कहा जाता है और ऐजीटेशन माना जाता है। और यदि उसके मुताबिक काम नहीं किया और रेलवे का संचालन किया और ऐक्सीडेंट हो गया तो उनको जवाबदेह समझा जाता है कि तुमने नियमों का उल्लंघन किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रेल कर्मचारी वास्तव में रेल के नियमों को माने कि नहीं ? 50, 60, 70 परसेंट जो भी आप वाजिब समझें, जितना इस मुल्क के लिए आप समझते हैं जरूरी है और जितना वास्तव में किया जा सकता है, जितना तक काम करने से रेलवे का काम चल जाएगा उतना मांगने के लिए बाध्य करें और उसी के अनुसार रेल एक्ट में सुधार करें, संशोधन करें ताकि कर्मचारी उस नियम के तहत चल सकें और और नियम के तहत चलें तो उसको वर्क टू रूल माना जाये। इस बारे में आपको विचार करना चाहिए।

जन-प्रतिनिधि का दायित्व क्या हो यह भी सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको एक बात जानकर बड़ी हैरत होगी। रेल मन्त्री सैलून में नहीं चल सकते हैं लेकिन डी० आर० एम०, जो कि छोटा पदाधिकारी होता है, वह सैलून में चल सकता है। सैलून के बारे में कई बार इस सदन में चर्चा चुकी है। सैलून को इस धरती पर चलता-फिरता स्वर्ग कहा जाता है। उसमें फाइव स्टार होटल की सारी सुविधायें उपलब्ध रहती हैं। डी० आर० एम० उसको लेकर चलते हैं। एक तरफ तो यात्रियों के लिए डिब्बे नहीं होते और दूसरी तरफ यह सैलून चलते हैं। अब केवल इन सैलून्स का नाम भी बदल गया है, इनको इन्स्पेक्शन कैरिज कहा जाता है लेकिन वही एअरकण्डीशण्ड सैलून हैं जोकि इंस्पेक्शन में जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे लाइन भी देखते हैं या नहीं, फिर इंस्पेक्शन क्या करते हैं। एयरकण्डीशण्ड सैलून में जाकर रेल मन्त्री जी को तो सैलून की सुविधा नहीं है। यदि वे सैलून से जाना चाहें तो उसके लिए अलग से रेलवे को खर्चा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं आज एक बेसिक बात है जिस पर विचार होना चाहिए कि इन सैलून्स की कोई जरूरत भी है या नहीं। यदि कोई जरूरत है तो किस लेविल तक के अधिकारी उसमें जा सकेंगे—इस पर बुनियादी तौर पर विचार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप 6 बजे तक समाप्त कर देंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कल जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आपका समय खत्म हो गया है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : वह ठीक है परन्तु मैं कल जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसको नहीं सुनेंगे ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, आप सहमत हो गये थे कि मैं कल जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कुछ और समय चाहिए ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि रेल मन्त्री जी ने एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया है—सेफ्टी, सिक्योरिटी एण्ड पंक्चुअलिटी का हम इसका स्वागत करते हैं । हम समझते हैं कि इसको वास्तव में यदि इसी रूप में लागू कर दिया जाए तो रेलवे की सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा ।

जहां तक एक्सीडेंट्स का सवाल है, हम कहना चाहेंगे और मन्त्री जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि कम से कम जब से वे इस मंत्रालय में आए हैं, रेलवे एक्सीडट्स घटे हैं । पहले तो हम लोग इस मंत्रालय को रेल एक्सीडेंट मन्त्रालय कहा करते थे लेकिन अभी वह कुछ घटा है । एक बात मैं कहना चाहूंगा जो कि इन्हीं की रिपोर्ट पर आधारित है । पेज 12 पर लिखा है :

"वर्ष 1981-82 में हुई गम्भीर दुर्घटनाओं में से जिनकी जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा की गई है, 84 प्रतिशत दुर्घटनायें मानवीय असफलताओं के कारण हुई थीं जिनमें 71% वे दुर्घटनायें भी सम्मिलित हैं जो कि रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण हुईं ।"

इनका कहना है कि ज्यादातर दुर्घटनायें आदमी के कारण होती हैं, 71 परसेन्ट दुर्घटनायें इस प्रकार की इन्होंने बताई हैं । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि गार्ड या ड्राइवर जो गाड़ी लेकर चलते हैं अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले वही शिकार होंगे, ऐसी हालत में क्या वे ऐसा करना चाहते हैं, इसका जवाब होगा कभी नहीं । लेकिन उसका कोई न कोई कारण तो होगा ही । मैं समझता हूं उसका कारण है ओवरबर्डन ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल जारी रख सकते हैं । मंत्री ने कहा है कि उनके पास और काम है । अतः मैं समझता हूं कि हमें सभा को स्थगित कर देना चाहिए ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 3 मार्च, 1983/12 फाल्गुन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

1983 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स, नई दिल्ली-2, द्वारा मुद्रित ।